खण्ड-424, अंक-7
सोमवार, 8 आषाढ़, शक संवत् 1920
(29 जून, 1998 ई0)

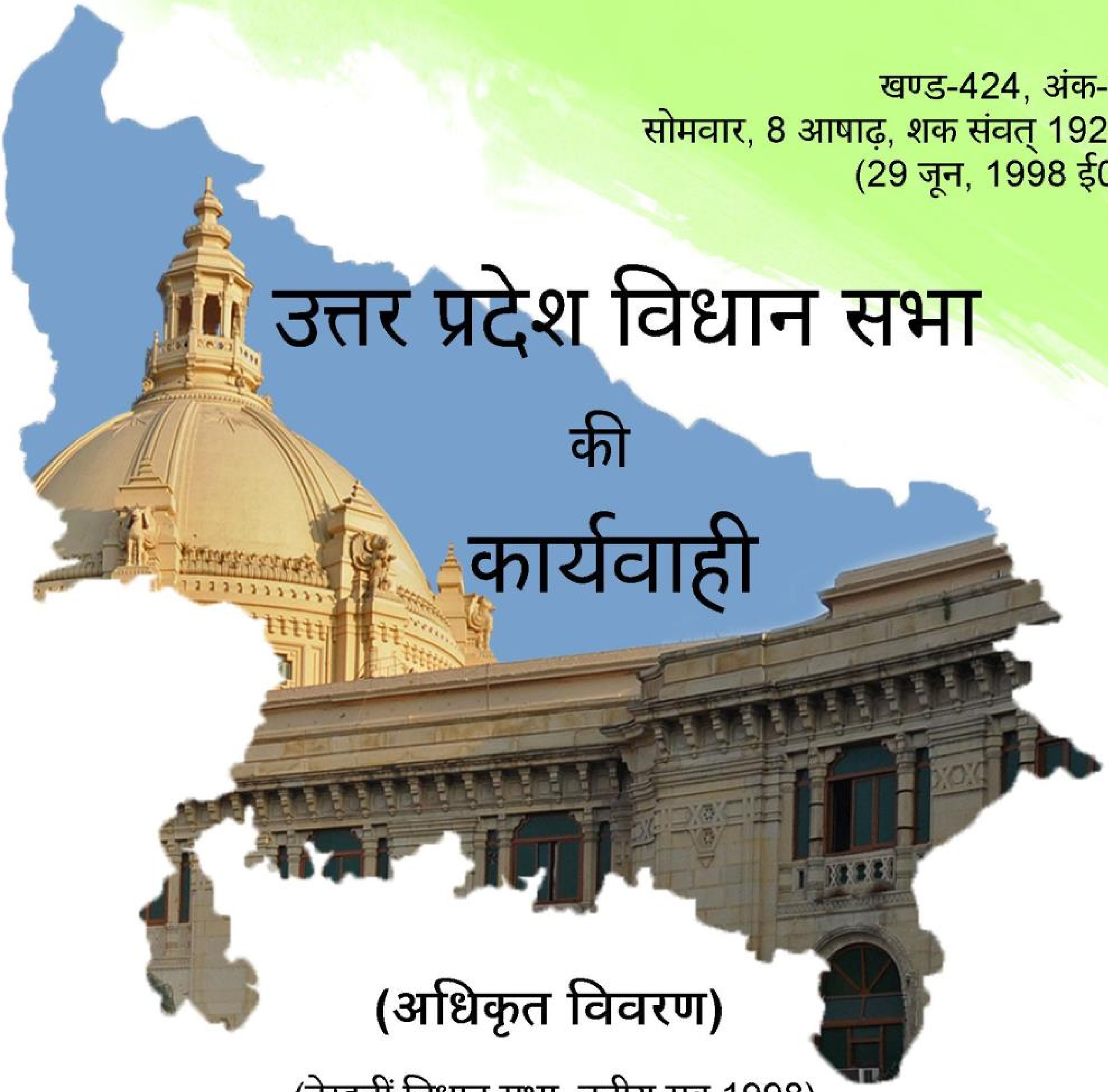

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग-घ
प्रश्नोत्तर	1-88
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	88-89
— जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लालपुर में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
— हर मिलाप राजकीय सामान्य रोग चिकित्सालय हरिद्वार में एम्बुलेंस संचालन हेतु चालक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89-90
— देहरादून नगर की सब्जी मण्डी एवं मीट की दुकानों के बीच स्थित कूड़ाघर हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
— आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत कम्हरिया माइनर की खुदाई से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
— खण्ड विकास कार्यालय सीयर जनपद बलिया के सेवा निवृत ए0 डी0 ओ0 को सभी सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
— जनपद छत्रपति साहू जी महाराजनगर के राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91-92
— वाराणसी नगर गोदोलिया चौराहे पर स्थित कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
— औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें ..	92
— विधान सभा के वर्ष 1998 के तृतीय सत्र के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-162 का असत्य उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	93-94
— पूर्वांचल विकास निधि का आधा धन फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	94-95
— मा0 सदस्यों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	95-98
— छोटी एवं बड़ी गाड़ियों के लिए परमिट तथा यात्रीकर अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	98-99

विषय	पृष्ठ–संख्या
— उच्च न्यायालय के निर्णय/स्थगन आदेश के बावजूद कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	99
— कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	99–102
— उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरः स्थापित) ..	102
— वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा (समाप्त) ..	103–176
— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ..	177–189
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	189
— जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड चौखुटियां में भगतोला क्षेत्र के लिए मोटर मार्ग बनाये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत उत्तरांचल विकास मन्त्री का वक्तव्य ..	189–190
— जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के पठारी भाग में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट सम्बन्धी श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का स्थगन ..	190
— आगरा महानगर में प्रतिवर्ष नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मन्त्री का वक्तव्य ..	190–191
— नस्थियां ..	192–194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[तेरहवीं विधान सभा]

सोमवार, दिनांक 29 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1—अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2—अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री गोण्डा
3—अजय राय, श्री वाराणसी
4—अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
5—अनिल कुमार, श्री बलिया
6—अनीस खां, श्री पीलीभीत
7—अफरोज अली खां, श्री रामपुर
8—अब्दुल कलाम, श्री वाराणसी
9—अमित अग्रवाल, श्री मेरठ
10—अम्बार रिजवी, डा0 सीतापुर
11—अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
12—अरविन्द कुमार जैन, श्री ललितपुर
13—अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
14—अशफाक अहमद, श्री बरेली
15—अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
16—अशोक यादव, श्री फिरोजाबाद
17—इल्म सिंह, श्री सहारनपुर
18—उबैदुर्रहमान, श्री गोण्डा
19—कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
20—कमलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर
21—कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
22—कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री सहारनपुर
23—काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री रामपुर
24—काशिम हसन, श्री फतेहपुर
25—किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
26—कृष्णपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
27—केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
28—के0 सी0 सिंह, "बाबा" उधम सिंह नगर
29—कौकब हमीद, श्री मेरठ
30—गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
31—गणेश, श्री गाजीपुर
32—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
33—चन्द्रशेखर पासवान, श्री गोरखपुर
34—चेतराम, श्री शाहजहांपुर
35—जगपाल, श्री सहारनपुर
36—जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
37—जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
38—दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
39—देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर एटा
40—धनीराम वर्मा, श्री इटावा
41—नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
42—नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
43—निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
44—परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
45—पूरन सिंह, बुन्देला, श्री ललितपुर
46—प्रभु नारायन सिंह यादव, श्री वाराणसी
47—प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
48—प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं

49—फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
50—बावन सिंह, श्री गोण्डा
51—विजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
52—मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
53—महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
54—महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
55—मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
56—मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
57—मुस्लिम, डा० रायबरेली
58—मूल चन्द, श्री बिजनौर
59—मोती लाल, श्री खीरी
60—मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
61—मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
62—रंग बहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
63—रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर प्रतापगढ़
64—रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
65—रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
66—रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
67—राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
68—राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
69—राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
70—राजेन्द्र, श्री गाजीपुर
71—राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
72—राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
73—राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
74—राम चन्द्र वीर, श्री मिर्जापुर
75—रामदेव वैश्य आचार्य, श्री बाराबंकी
76—राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
77—राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
78—राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
79—राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
80—राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
81—रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
82—लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
83—लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
84—लाखी राम जोशी, श्री टिहरी-गढ़वाल
85—लालजी टण्डन, श्री ऊ
86—लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
87—विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
88—विजय पाल सिंह, श्री आगरा
89—विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री गोण्डा
90—विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
91—विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
92—विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
93—वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
94—श्रीनिवास मणि, श्री देवरिया
95—संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
96—संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
97—सन्त राम सिंह, श्री जालौन
98—सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
99—सुधाकर सिंह, श्री मऊ
100—सुरेश चन्द्र आर्य, श्री उधम सिंह नगर
101—सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
102—सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
103—हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
104—हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ़

अंक 7 सोमवार, दिनांक 29 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डपलखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

और

अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0-1 पुकारे जाने पर

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

वैसे प्रश्न काल में कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दिखवा रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुई, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

45 से अधिक संख्या है, कोरम पूरा है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस में हुई बढ़ोत्तरी को कम किये जाने की मांग

*1--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस में दो गुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फीस की बढ़ी हुई दरों को कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)--

जी, हां ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षण शुल्क वृद्धि आवश्यकता को दृष्टि में रखकर की गई है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस में 2 गुनी वृद्धि की गई है, यदि हां, तो अभी सरकार ने मेडिकल कालेजों के छात्रों की फीस 5 गुनी की है । पेट्रोल और डीजल पर 6 परसेंट तथा 4 परसेंट सेल्स टैक्स की वृद्धि हुई है उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश की आम जनता पर बोझ पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रों की फीस में जो 2 गुने की वृद्धि की गयी है उसका मानक क्या है और उसका औचित्य क्या है ? इसमें तमाम पढ़ने वाले छात्र ऐसे हैं जो गरीब हैं या जो आरक्षित श्रेणी के हैं क्या इनकी फीस में जो वृद्धि की गई उसको वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ?

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय वरिष्ठ सदस्य जगदम्बिका पाल को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो दो गुनी फीस की गई है वह अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है। पंजाब में 11960, मध्य प्रदेश में 9500, तामिलनाडु में 6500 फीस है। आई0 आई0 टी0 में 15 हजार शुल्क लेते हैं। आल इंडिया काउन्सिल ने भी संस्तुति की है कि इसमें 3 हजार रुपये वार्षिक वृद्धि की जाय। हमारी सरकार वचनबद्ध है इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता के लिए और चूंकि वेतन वृद्धि शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी इसको दृष्टि में रखते हुए, जो इंजीनियरिंग कालेजों में छात्र पढ़ते हैं प्रति वर्ष प्रति छात्र के ऊपर 30 हजार रुपये लगभग व्यय आता है। 4 वर्षों में 1,20,000 आता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए संशोधन में वृद्धि की दृष्टि से शुल्क में वृद्धि की गई है। जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उन पर कोई शुल्क नहीं लगता है और उनको 290 रुपये अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस में 2 गुने की वृद्धि की गई है उसका मानक क्या है और औचित्य क्या है ? अभी प्रदेश के मेडिकल कालेजों के बारे में प्रश्न आया था जिसमें मंत्री जी ने बताया था कि उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया उसके परिप्रेक्ष्य में 5 गुनी वृद्धि की गई। इंजीनियरिंग कालेजों के लिए किसी उच्च न्यायालय ने कोई फैसला नहीं किया है या कैबिनेट का डिसीजन भी नहीं है। केवल कुछ अन्य राज्यों की इंजीनियरिंग फीस ज्यादा है, अनेक राज्य ऐसे हैं जहां फीस प्रदेश से कम है तो इसके बावजूद फीस में 2 गुनी वृद्धि करने का मानक और औचित्य क्या है इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। आज इंजीनियरिंग कालेजों में प्रति माह ट्यूशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, प्रयोगशाला के अनुसार फीस की दर बताने की कृपा करेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य को अवगत करा दिया..

श्री अध्यक्ष--

फीस पहले कितनी थी और बढ़ाने के पश्चात् कितनी हो गयी यह बता दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अभी तक 1994 में स्नातक में 3 हजार रुपये थी जिसको बढ़ाकर 6 हजार किया गया है। स्नातकोत्तर में 1995 में 4 हजार रुपये थी जिसको बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो भी इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं उनमें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होंगी। शिक्षकों के वेतनमान

बढ़ाने की बात होगी तो वह बढ़ाया जायेगा । शिक्षा का स्तर अच्छा हो इस दृष्टि से इंजीनियरिंग कालेज में शुल्क में वृद्धि हुई है । इतनी वृद्धि के बाद भी शासन स्तर से सहायता मिलती है ।

श्री समरपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, यह कोई कारण नहीं है । मंत्री जी आधार नहीं बता पाये शुल्क बढ़ाने का । इसके बावजूद मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे योग्य भी हैं लेकिन पैसा न होने के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं । क्या उनके बारे में भी आप विचार करेंगे ? आपकी यह शिक्षा अभिजात वर्ग तक ही सीमित न रह जाय । जो गरीब हैं फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी फीस माफ करेंगे ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, यह जो फीस 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये की गई है, पांच सौ रुपये प्रतिमाह आती है । अनुसूचित जाति के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेते हैं लेकिन हायर एजूकेशन और टेक्नीकल एजूकेशन की फीस अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत कम है । जिस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्यूकेशन की संस्तुति पर फीस बढ़ाई गई है । उत्तर प्रदेश के अन्दर आई0 आई0 टी0 चलता है वह इन्जीनियरिंग कालेज की डिग्री देता है उनकी फीस 15 हजार रुपये प्रति वर्ष है उन्होंने रिकमण्ड किया है कि इसको बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाय ।

*श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, किसी भी चीज में वृद्धि होती है तो बहुत नहीं होती है । वेतन भी 10/15 प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा 30 प्रतिशत ही बढ़ता है । बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो बढ़ी फीस नहीं दे पायेंगे तो क्या ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति का परीक्षण करने के बाद उनकी फीस कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

केवल फीस कम करने के लिये माननीय मंत्री जी उत्तर दें ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है । आज से 2-3 साल पहले यहां के बच्चे अन्य प्रदेशों में इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये जाते थे जिससे उत्तर प्रदेश के इन अभिभावकों का करोड़ों रुपया वहां चला जाता था । इसलिये भी सरकार ने निर्णय लिया है और आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्नीकल एज्यूकेशन जो मानक निर्धारित करता है उसके अनुसार निर्णय लेते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के कितने छात्र इन्जीनियरिंग कालेज में होंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो संवर्ग बच्चे हैं, गरीब हैं, फीस नहीं दे सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो क्या आपने ऐसा मानक तैयार किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको क्या और किस आधार पर सुविधा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो एक प्रकार से माननीय समर पाल जी के उत्तर में बात आ गई ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है । वर्ष 1996-97 में उत्तर प्रदेश के अन्दर इन्जीनियरिंग में 2,255 बच्चे थे । यह पिछले वर्ष 4500 हुए हैं । इधर कुछ और कालेज खोलने की अनुमति दी गई है । जुलाई 1998 से यह बढ़कर 6 हजार हो गये ।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिये यह संख्या कम है । अनुसूचित जाति के लिये प्राविधान है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है अन्य किसी पर शुल्क का छूट का कोई विचार नहीं है ।

*श्री रामजग—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपने उत्तर प्रदेश के बारे में दूसरे प्रदेशों की मिशाल दी थी, तो पश्चिमी बंगाल, केरल में वामपन्थी मोर्चा सरकारें हैं वहां पर ग्रामीण अंचल में रहने वाले छात्रों से वहां की सरकार और जो लोग गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी फीस माफ कर दी है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पश्चिम बंगाल केरल और वामपंथी मोर्चा की सरकारों की भांति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रों की फीस माफ करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

वही बात आ गई घूम फिर कर ।

श्री समरपाल सिंह—

गरीब लोगों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जो माननीय सदस्यों ने बात कही है तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज हैं उसमें या उच्च शिक्षा में हम कुछ छात्रवृत्तियां देते हैं तो उसमें गरीब तबके के लोग हैं उनको देते हैं । उत्तर प्रदेश के छात्र प्रदेश में आगे बढ़ें इसके लिये हमने मेरिट को बढ़ावा दिया है एक नयी स्कीम मेरिट स्कालर शिप प्रारम्भ की है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह—

क्या सरकार गरीब छात्रों की फीस माफ करने पर विचार करेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा अनुसूचित जाति के जो इंजीनियरिंग में छात्र हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है या ट्यूशन फीस नहीं ली है। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के बच्चों को ट्यूशन फीस माफ है उसी तरह से क्या सरकार पिछड़े वर्ग के बच्चों का भी सारा शुल्क माफ करने पर विचार करेगी ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर---

मैंने अवगत कराया कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उनका शुल्क समाज कल्याण विभाग वहन करता है और 250 रुपया भत्ता भी बच्चों को दिया जाता है पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ऐसी चीज विचारणीय नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल---

माननीय मंत्री जी ने एक बात स्वीकार की है कि इंजीनियरिंग कालेज खुल रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि डिग्री इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों की संख्या क्या है। आपने कुछ इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति दी है कुछ इंजीनियरिंग कालेज भविष्य में खुलना क्या लम्बित है ? इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग कालेज के छात्र हैं उनसे फीस जो प्रदेश सरकार द्वारा अनुमन्य ली जाएगी या डोनेशन फीस भी ली जायेगी ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर---

माननीय सदस्य पूरी तरह से अवगत हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियरिंग कालेज हैं वह आल इंडिया कांउसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन के मानक के अनुरूप निर्धारित होते हैं। निजी इन्जीनियरिंग कालेजों में 50 प्रतिशत छात्रों से सरकारी इंजीनियरिंग कालेज की फीस के अनुरूप फीस ली जाती है। 45 प्रतिशत छात्रों से 35 हजार रुपये वार्षिक की दर से फीस ली जाती है। और शेष पांच फीसदी छात्रों से 4 हजार डालर वार्षिक फीस ली जाती है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली घरों में बन्द पड़ी उत्पादन इकाइयों को पुनः संचालित किए जाने की मांग

2---श्री राजधारी---क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि0 उ0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली घरों में कितनी उत्पादन क्षमता की इकाइयां बन्द पड़ी हैं हैं ? क्या सरकार उन बन्द पड़ी इकाइयों में उत्पादन वापस लाने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि विद्युत बोर्ड एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली आयात करने पर कितनी धनराशि का वार्षिक व्यय कर रहा है ? क्या विद्युत के आयात पर व्यय होने वाली धनराशि से बन्द पड़ी उत्पादन इकाइयों के संचालन पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कुल 741 मे0 वा0 क्षमता की 7 तापीय तथा 2 जलीय इकाइयां बन्द पड़ी हैं।

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली आयात करने पर लगभग रु0 1400 करोड़ वार्षिक व्यय कर रहा है ।

जी नहीं ।

केन्द्रीय क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों से आयात उ0 प्र0 के अधिकृत अंश के रूप में किया जाता है । अतः इसके मूल्य से बन्द पड़ी इकाइयों को चालू करने की योजना का प्रश्न नहीं है । विभिन्न श्रोतों से संसाधन उपलब्ध करा कर बन्द इकाइयों पर वृहद् अनुरक्षण का कार्य चल रहा है तथा 4 तापीय इकाइयां (कुल क्षमता 534 मे0 वा0) इस वर्ष के अन्त तक चालू किए जाने की आशा है । शेष 3 तापीय तथा 2 जलीय इकाइयों के बृहद् अनुरक्षण तथा नवीनीकरण का कार्य धन की व्यवस्था होने पर पूर्ण किया जाना संभावित है । इनके तथा अन्य पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु रु0 886.08 करोड़ की योजना बनाई गयी है जिसमें रु0 126.60 करोड़ की योजना पी0 एफ0 सी से अंशतः वित्त पोषित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*श्री राजधारी--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली इस समय प्रदेश की मुख्य समस्या है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कबूल किया कि 7 तापीय और 2 जलीय इकाइयां बन्द पड़ी हैं । पिछले 10 सालों से कोई बिजली का केन्द्र लगा नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि यह इकाइयां कब से बन्द पड़ी हैं व जनहित को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इन्हें तत्काल चालू कराने की घोषणा करेंगे । जैसा कि कहा गया कि एन0 टी0 पी0 सी0 से 1400 करोड़ वार्षिक व्यय करना पड़ता है । तो जो बिजली एन0 टी0 पी0 सी0 से मिल रही है उसका मूल्य क्या है और जो राज्य विद्युत परिषद उत्पादन कर रहा है उसका उत्पादन मूल्य क्या है । एन0 टी0 पी0 सी0 का उत्तर प्रदेश सरकार पर अब तक कितना रुपया बकाया है ?

श्री अध्यक्ष--

आप एक साथ कई प्रश्न कर रहे हैं इससे मंत्री जी को उत्तर देने में परेशानी होगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल --

जैसा कि उत्तर में है 7 इकाइयां थर्मल की बन्द हैं और इकाइयां हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बन्द हैं । तो यह इकाइयां समय-समय पर चालू होती रहती हैं और समय-समय पर बन्द होती रहती हैं । जो पुरानी बन्द इकाइयां हैं उनमें इकाइयां 3, 7, 10, 12 हैं, इनमें दो इकाइयां हम 31 अगस्त, 1998 तक चालू करने जा रहे हैं । एक इकाई चालू हो गई है । एक इकाई 31 अक्टूबर, 1998 को चालू हो जायेगी । जब किसी इकाई की मरम्मत होती है तो उसको बन्द करना पड़ता है । अभी कुछ इकाइयां बरसात आने के कारण व खरीफ की फसल आने के कारण बन्द करने जा रहे हैं । जहां तक एन0 टी0 पी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सी0 के रेट की बात की गई तो एन0 टी0 पी0 सी0 के जहां-जहां प्रोजक्ट हैं उनमें हर प्रोजक्ट का जनरेशन रेट अलग-अलग है । तो जो हम एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली लेते हैं उसमें जिस प्रोजक्ट का जितना विद्युत का हिस्सा होता है उसी के अनुरूप पैसा देना पड़ता । जैसे सिंगरौली विद्युत उत्पादन केन्द्र में कास्ट 80 पैसे प्रति यूनिट आती है । व उड़ी प्रोजक्ट की कास्ट 2.57 रुपया यूनिट आती है । राज्य विद्युत परिषद की जो कुल उत्पादन क्षमता है उसकी कास्ट 2.40 पैसा प्रति यूनिट है ।

और जो एवरेज वसूली मिल रही है वह 1.72 पैसे के हिसाब से मिल रही है । हम सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध करा रहे हैं । यह कहना कि एन0 टी0 पी0 की वजह से राज्य विद्युत परिषद को महंगी बिजली मिल रही है तो एन0 टी0 पी0 सी0 का जो शेयर का रेट है और आज जो भी यूनिट लगेगी उसके उत्पादन से कम है । इसलिए राज्य विद्युत परिषद को कोई घाटा उठाना नहीं पड़ रहा है ।

श्री रालधारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एन0 टी0 पी0 सी0 का जो राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया है वह कितना है और क्या जो पैसा हम एन0 टी0 पी0 सी0 को दे रहे हैं हम अपना कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए या बिजली घर की मरम्मत के लिए प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं, क्या यह प्रदेश के हित में है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, हम एन0 टी0 पी0 सी0 से मांग के अनुरूप भिन्न-भिन्न समय पर विद्युत लेते हैं अगर हम न लें और जैसा कि माननीय सदस्य ने बिजली घर की मरम्मत कराने की बात कही तो उत्तर प्रदेश में अंधेरा हो जायेगा क्योंकि 14-15 सौ यूनिट प्रतिदिन बिजली ले रहे हैं । हम अपने संसाधनों से पी0 एफ0 सी0 से लोन लेकर अपने पावर प्रोजेक्ट को ठीक कर रहे हैं । मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पी0 एल0 एफ0 कम है । दो पुराने पावर स्टेशन ओबरा और हरदुआगंज का नवीनीकरण करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने टेण्डर आमन्त्रित किया था जिसकी अन्तिम तिथि 15 जून थी इसके लिए अगले महीने निर्णय लेने जा रहे हैं । इनका पी0 एल0 एफ0 40 से 45 के बीच रहता था जो 60 से 80 के बीच आ जायेगा और जो कमी है वह पूर्ण हो जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 7 तापीय और 2 जलीय इकाई बन्द हैं जैसा कि आपने उत्तर में कहा कि 856 करोड़ रुपया लगेगा । क्या आपने इतने धन की व्यवस्था की है और अगर पूरा धन नहीं है तो कब तक बाकी धन की व्यवस्था कर लेंगे ?

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, 126 करोड़ रुपया पी0 एफ0 सी0 से प्राप्त हो चुका है और हमने जो टेन्डर आमंत्रित किया है वह फाइनेंस के साथ किया है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के टेण्डर उक्त स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए आये हैं जिन्होंने टेण्डर दिया है। उन्होंने पैसे की उपलब्धता की बात कही है। पिछले दिनों केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश आये थे और पावर फाइनेंस कारपोरेशन से इन विद्युत् गृहों को रुपया देने की बात कही थी और शासन की गारण्टी के बाद रुपया उपलब्ध हो जायेगा।

*डा0 सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसके पहले भाग में 7 तापीय तथा 2 जलीय इकाइयों के बन्द होने की बात कही गयी है। अन्तिम भाग में कहा गया है कि 4 तापीय इकाइयां इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। आगे उत्तर दिया गया कि 3 तापीय और 2 जलीय इकाइयों के बृहद अनुरक्षण तथा नवीनकरण का कार्य धन की व्यवस्था होने के उपरांत किया जाना सम्भावित है। उसके आगे देखें, इनके तथा अन्य पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण की योजना बनाने की बात कही गयी है और अन्य पुरानी इकाइयां हैं उन्हें छिपाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 7 तापीय और 2 जलीय इकाइयों के अतिरिक्त कौन सी इकाइयां हैं, उनमें कितनी मेगावाट की क्षमता थी, उनके अनुरक्षण या चालू किये जाने में कितने पैसों की आवश्यकता है, उत्तर बहुत छिपाकर दिया गया है, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त और कितनी इकाइयां हैं ?

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 886.08 करोड़ की योजना बनाई गई है, यह केवल इन 9 इकाइयों के लिये है या इसमें वह पुरानी इकाइयां भी शामिल हैं। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि अभी तक केवल 126.60 करोड़ की पी0 एफ0 सी0 से व्यवस्था हो पाई है, तो क्या वास्तव में गम्भीरता से कहीं और से धन के स्रोत खोजे जा रहे हैं, तो वह बता दें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियत समय पर प्रश्न पूछा है। शायद इन्होंने उत्तर को सही तरीके से नहीं पढ़ा। पुरानी जो इकाइयां चालू हैं, परन्तु विद्युत् उत्पादन कर रही हैं, वह भी इसमें शामिल हैं। हम यहां कुछ छुपाने नहीं आये हैं और जहां तक धन की व्यवस्था की बात है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये, धन हमारे पास उपलब्ध हो जायगा।

* श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 7 तापीय और 2 जलीय इकाइयां बन्द पड़ी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन-कौन सी हैं और किन कारणों से बन्द पड़ी हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, इसका जवाब हम दे चुके हैं। सात तापीय में औबरा की चार और हरदुआगंज की एक है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में खूब ही पावर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेशन लगा है । इन्हें स्वयं ही सारी जानकारी है कि कभी ब्वायलर अथवा ट्यूब खराब हो जाता है या बेरिंग टूट जाते हैं, इसी कारण से इकाइयां बन्द हो जाती हैं ।

श्री लाल जी वर्मा—

मान्यवर, बहुत सी इकाइयां अनुरक्षण की कमी तथा अधिकारियों की कमी के कारण बन्द होती हैं, इसलिए जो दोषी लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी विवेचना होगी तो बहुत विस्तीर्ण हो जायेगा ।

श्री राम जग—

जितनी बन्द इकाइयां हैं, वह कितने समय से बन्द हैं । क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में आकर बन्द इकाइयों को नहीं खोला जा रहा है, वह एक साजिश है ताकि प्राइवेट सेक्टर में ले जाने का प्रस्ताव सरकार करे ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

श्रीमन्, बंगाल और केरल में ऐसा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

पूरे प्रदेश में बिजली की हायतौबा मची हुई है । यह जो आकड़े दिये गये हैं, यह सत्य से परे हैं, इससे बिजली नहीं मिलने वाली है । आप कैफेटेरिया में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, ओ0 सी0 आर0 में नहीं दे पा रहे हैं, आप बढ़िया बंगले में रहते हों, वहां भले ही बिजली आती हो, लेकिन पार्क रोड पर भी नहीं दे पा रहे हैं, गांव की विद्युत व्यवस्था तो आप ठीक नहीं कर पायेंगे, लेकिन शहर में, वहां जिम्मेदार लोग रहते हैं, क्या आप विद्युत आपूर्ति कर पायेंगे, यदि हां तो कब तक कर पायेंगे ? जहां वह लोग बैठे हैं, यहां भी विद्युत दिक्कत थी, तीन दिन पहले इस पर काफी चर्चा भी हुई थी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

श्रीमन्, यह प्रश्न इन्होंने ऐसा पूंछा है जो एक जनरल प्रश्न है । लेकिन राम तेज जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम उपलब्ध विद्युत को सही तरीके से प्रदेश में पहुंचा रहे हैं, यद्यपि मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग दें । जहां हम बिजली दे रहे हैं, उसके बिल सही रूप से हमें नहीं मिल रहे हैं, लाइन लासेज अधिक है, जितनी विद्युत देते हैं, उतना दाम नहीं मिल पा रहा है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की तमाम बिजली चोरी में जा रही है, हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करें । हमसे मीटरिंग के हिसाब से बिजली ले लें और बिल दे दें, हम तैयार हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु योजना

*1--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

जी हां ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कार्य योजना का प्रारूप निम्नवत् है :

(1) अन्तर्राज्यीय संगठित अपराधियों पर नियंत्रण के लिये एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है :

(2) प्रदेश के प्रमुख सनसनीखेज अपराधों की विवेचना के अनुश्रवण हेतु एक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

(3) आपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निम्न बिन्दुओं पर मासिक समीक्षा की जा रही है:

(अ) जनपद के सर्वोच्च श्रेणी के सक्रिय अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(ब) माफिया तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(स) पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(द) वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(य) हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, राड होल्ड अप व फिरौती के लिये अपहरण की घटनाओं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये अपराधों में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(ल) महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(4) अपराधियों/अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने की दशा में चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की, जमानत न होने की दशा में जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा निर्धारित अवधि में आरोप-पत्र प्रेषित किये की कार्यवाही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल--

श्रीमन् यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मैंने माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहा था कि प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से 3 पृष्ठ का इसमें संकलन

किया है, पूरे प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए बिन्दुवार उल्लेख माननीय सदन के समक्ष किया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने बड़े विस्तार से बिन्दुवार उल्लेख किया है प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों से निपटने के लिए प्रदेश के अन्य जनपदों को छोड़ दीजिए और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से हत्याएं और अपहरण हो रहे हैं, वह एक भयावह स्थिति है और आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, वह अपराधी और माफिया नहीं पकड़े जा रहे हैं तो इसमें माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर-दायित्व निर्धारित किया है ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर नं0-2 में कहा है कि प्रदेश के प्रमुख सनसनीखेज अपराधों की विवेचना के अनुश्रवण हेतु एक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जो सनसनीखेज अपराध हुए हैं जैसे प्रदेश के दवा व्यवसायी की हत्या और उसके बेटे कुणाल रस्तोगी का अपहरण जिसका आज तक, टास्कफोर्स बन चुका और पूरे प्रदेश की मशीनरी लगी हुई है कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि वह जहां रखे हुए हैं ? तो मैं जानना चाहता हूं कि जो यह सनसनीखेज अपराध हैं इसमें कितने सनसनीखेज अपराध चिन्हित किये गये हैं और चिन्हित करके इनका जो अनुश्रवण या अपराध प्रकोष्ठ है उसमें क्या समीक्षा निकली है उसकी रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्योंकि मान्यवर, हम सब असुरक्षित हैं । मान्यवर, चाहे माननीय सदस्य हों या आम नागरिक हों, आज शासन किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है । लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तो नागरिकों से कह दिया है कि आप को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जो यह प्रकोष्ठ बना है इसमें जो अनुश्रवण कर समीक्षाएं तैयार की हैं क्या उनको सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मन्त्री *(श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, अनुश्रवण एक सतत् प्रक्रिया है उसकी कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं होती है । मान्यवर, जो इन्वेस्टीगेशन होता है वह जिला स्तर पर होता है, लेकिन वह सही दिशा में चलता रहे, इस लिए एक प्रकोष्ठ का गठन यहां पर कर दिया गया है जो मासिक रूप में बैठकर समीक्षा करे कि अपराध नियन्त्रण में क्या प्रगति हुई है अगर ढिलाई हुई है तो कार्यवाही करें ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैंने एक उदहरण दिया था कि प्रदेश की राजधानी में कुणाल रस्तोगी का अपहरण हुआ उसमें आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुई । जो आपने प्रकोष्ठ बनाया है उसमें इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, चूंकि यह समान्य प्रश्न था पूरे प्रदेश के बारे में प्रश्न था तो जो कार्य योजना बनाई गयी है उसकी जानकारी दी गयी। आपने एक विशिष्ट घटना का उल्लेख किया है उसका विवरण देना सम्भव नहीं है। उसकी न जानकारी करके, पूरे प्रदेश में जो कार्य योजना तैयार की गयी है उसका प्रारूप सदन के सामने रखा है।

श्री राम नक्षत्र--

मान्यवर, आज अपराध पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर व्याप्त है भाजपा के कार्यकर्ताओं के इशारों में दूसरे दल से जुड़े लोगों को फर्जी मुकदमों में फसाया जा रहा है ऐसे लोगों को अवमुक्त कराने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जो निर्दोष हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो विवेचना की बात है।

श्री जगदीश नारायण मुन्ना--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही है। क्या माननीय मन्त्री जी ने आई0 पी0 सी0 में संशोधन करने पर कोई विचार किया है, क्या संविधान में जिस के अन्तर्गत नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं क्या उन्हें इस सरकार ने स्थगित कर दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कानून में जहां तक संशोधन का सवाल है, इस प्रकार का कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

*श्री विनोद मणि--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि 1 जनवरी, 1998 के बाद इन पांच महीनों में हत्या, डकैती तथा दंगों जैसे अपराधों में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन अपराधों को रोकने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक को क्या सरकार ने जिम्मेदार ठहराया है, जिन जिलों में ऐसे अपराधों में भयानक वृद्धि हुई है क्या ऐसे जिलों के पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ कार्यवाई करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जहां तक प्रतिशत का सवाल है, इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न आने वाला है, उसमें विस्तार से उत्तर दिया गया है कि कितने प्रतिशत की गिरावट आई है।

(विनोद मणि के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ने बता तो दिया है कि अगला प्रश्न इस सम्बन्ध में आने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सनसनीखेज अपराधों को आपने कैसे परिभाषित किया है । किसी धनी आदमी के साथ घटना घटित हुई हो या कितने आदमियों की मृत्यु हुई हो, किस ढंग से परिभाषित किया है ?

श्री अध्यक्ष--

वर्गीकरण का आधार माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सनसनीखेज अपराध वह हैं जिससे सामान्य जनता की शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । जिस अपराध विशेष की वजह से उस क्षेत्र विशेष, प्रदेश के लिए चिंता पैदा होती हो, डकैती हो, कत्ल हो, अपहरण हो या अन्तर्राज्यीय स्तर के गिरोह हों, इस प्रकार के सारे अपराध सनसनीखेज अपराधों में आते हैं ।

*श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, राजधानी में आये दिन बड़े गम्भीर अपराध हो रहे हैं । सरकार जो भय मुक्त समाज का नारा देती है, वह तब खोखला साबित हो रहा है । प्रदेश के हर जनपद में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका परीक्षण करवाकर, क्योंकि इनकी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जाय । यह तो सामान्य प्रश्न कार्य योजना के बारे में पूछा गया था । यदि आपको किसी घटना विशेष के बारे में पूछना हो तो आप अलग से प्रश्न पूछ लें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कार्य योजना प्रदेश सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए बनायी है इस कार्य योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप क्या अपराध में कमी हुई है या वृद्धि हुई है । अगर वृद्धि हुई है तो क्या माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो कार्य योजना लागू की है उसमें कुछ संशोधन चाहे सबके परामर्श से हों या फिर विशेषज्ञों के परामर्श से हों, करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अपराधों में कमी हुई है । मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि अगला प्रश्न इसी से सम्बन्धित है और उसमें सारे के सारे आंकड़े दिये गये हैं तो इनके प्रश्न का जवाब मिल जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसके संदर्भ में मैं प्रश्न करना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा की हमने व्यवस्था की है । मैं प्रदेश की राजधानी में हुई विगत चार दिनों में चार गम्भीर घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह अगले प्रश्न के लिए ठीक है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी--

मान्यवर, हजरतगंज में एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि केन्द्र सरकार में उप नियोजन सचिव हैं उनकी गाड़ी को टास्क फोर्स की पुलिस वालों ने रोका और उसमें उनके छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे उनको परेशान किया तो क्या यह अपराध माना जायेगा । दूसरी घटना एक पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों को हजरतगंज में साहू सिनेमा के पास टास्क फोर्स ने रोका और ए0 के0 47 निकाल ली तो क्या यह अपराध माना जायेगा और तीसरी घटना गोमती नगर के पास नीलकंठ होटल के पास चाय का विक्रेता जब अपने पैसे लेने आया तो दुकान मालिक ने 57 हजार न देने के लिए हथगोलों से मरवा दिया । पुलिस की चेतक बैन खड़ी रही . . . .।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न मूल प्रश्न में नहीं आता है । मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सुरक्षा के मानक क्या हैं और किस आधार पर सुरक्षा दी जा रही है । तो क्या आम आदमी ऐसे ही पकड़ा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, आप सहमत ही होंगे कि कानून व्यवस्था की जो गिरती स्थिति है वह और खराब हो रही है । इसके पीछे कारण मुकदमों की पेन्डिंग है । आज 10 लाख से अधिक अपराध सम्बन्धी मुकदमें मजिस्ट्रीयल अदालत में लम्बित पड़े हैं, दो लाख सेशन कोर्ट में लम्बित हैं और पांच लाख क्रिमनल से रिलेटेड मामले उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े हैं । उनका निस्तारण सवा लाख से ज्यादा नहीं है । इस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो पायेगा...

क्या आपने अपनी कार्य योजना में कुछ कान्क्रीट उपाय किये हैं, जिससे मुकदमों की पेन्डेन्सी को कम किया जा सके । दूसरी बात यह है कि पूर्वान्चल में हाई-वे पर जो अपराध हो रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर आते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके दो भाग हैं, एक भाग वह है कि कितने मुकदमें लम्बित हैं, तो मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित आगे का प्रश्न है, जो न्याय विभाग से सम्बन्धित है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का काम इन्वेस्टीगेशन तक का है। जांच होने के उपरान्त चार्ज शीट अदालत में जाती है और स्वीकार करता हूं कि निस्तारण में अधिक समय लगता है, अगर फीगर्स की बात है, तो फीगर्स मेरे पास भी हैं, हाई कोर्ट से ली है, 30 जून 1997 तक फौजदारी के 21,22,654 मुकदमें लम्बित हैं और सिविल के 9,68,885 मुकदमें लम्बित हैं। इस प्रकार 30 लाख से अधिक मुकदमे लम्बित हैं, उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, मैं आगे बता दूंगा कि कितना हमारा अधिकार क्षेत्र है और कितना हम कर रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल--

अगर आप इन उत्तरों से सन्तुष्ट हों, तो हम लोग बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष--

अभी बहुत प्रश्न हैं, जो कार्य सूची है उसको विनियमित करना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अभी माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में बताया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कार्य योजना है, उसकी गलत नीतियों से आज बलात्कार, अपहरण और हत्याओं में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ सामूहिक संघर्ष भी बढ़े हैं, तो क्या उस कार्य योजना को संशोधित कर नई कार्य योजना बनायेंगे, जिससे कानून व्यवस्था ठीक हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

यह अगले प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री समर पाल श्री--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था खराब होने के कारण अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है, जिसका मुख्य कारण है कि पुलिस के द्वारा विवेचना सही नहीं होती है और सही समय पर नहीं होती है, पुलिस की ड्यूटी इन कार्यों में न लगाकर किसी जलूस के निकलवाने में या अन्य किसी कामों में लगा दी जाती है।

मान्यवर, कोई वी0 आई0 पी0 आता है तो उसको देखना है, या कोई वांछित अपराधी है तो उसको पकड़ने की प्राथमिकता है। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता में यह कहीं नहीं है जो मुकदमे दर्ज हैं उनके लिए प्राथमिकता से कार्य करें। नतीजा यह होता है कि सारे अपराधी छूट जाते हैं, बहुत से मुकदमों में तो अपराध पत्र दाखिल नहीं होते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसे मामलों में विवेचना करने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई जाए जो केवल विवेचना का काम करें।

दूसरा राजधानी में 5 एस0 पी0 एक एस0 एस0 पी0 और जितने इन्सपेक्टर हैं उतने ही सी0 ओ0 हैं लेकिन कानून व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है इसका कारण यह है कि जो वी0 आई0 पी0 उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं राजधानी होने के कारण यहां वी0 आई0 पी0 ज्यादा

आते हैं । इसलिए पुलिस वाले अपराधियों को नहीं पकड़ सकते तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि वी0 आई0 पी0 के लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाये ?

श्री हुकुम सिंह--

श्रीमन् जहां तक विवेचना का प्रश्न है यह पहली बार महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि विवेचना को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश स्तर पर एक अपराध नियन्त्रण सेल का गठन किया गया है ताकि हर जिले की विवेचना हम कर सकें ऐसा पहले कभी नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पहले उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह--

यह अपराध प्रकोष्ठ बार-बार समीक्षा करेगा ताकि कोई छिलोथी न आये ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर यह सरकार असफल रही है इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम जग--

सरकार के कानून व्यवस्था में विफल होने के कारण सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम जग सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

यह सरकार अपराधों में नियंत्रण पाने में अक्षम रही है ।

(व्यवधान)

यह पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुकी है, मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव--

सरकार की इस विफलता के लिए हम सदन का त्याग करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम नक्षत्र--

हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम नक्षत्र--) सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।

पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त तथा जनता के प्रति जवाब देही बनाने हेतु निर्देश

2--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग को चुस्त-दुरुस्त तथा जनता के प्रति अधिक जवाब देही बनाने हेतु सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है ? क्या इसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक सुधार होने की सरकार को कोई जानकारी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

विगत 4 वर्ष की औसत तुलना में वर्ष 1998 में (31 मई, 1998 तक) डकैती में 14.48%, गृह भेदन में 6.94% रोड होल्डअप में 35.35% फिरौती हेतु अपहरण में 31.95% तथा कुल भा0 दं0 वि0 के अपराध में 1.28% की कमी हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री अखिलेश कुमार सिंह के खड़े होने पर) माननीय अखिलेश जी आप पहले प्रश्न पूछ रहे थे वह इस प्रश्न से सम्बन्धित है आपको अनुमति दूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, जैसा मेरे प्रश्न से स्पष्ट है पुलिस विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने तथा उसे जनता के प्रति जवाब देह बनाने के लिए यह आवश्यक है । क्योंकि पुलिस के कर्मचारियों की सत्यनिष्ठ संदिग्ध रहती है उनकी अपराधियों से जो सांठ-गांठ रहती है उसका पर्दा-फाश करने पर कार्यवाही की जाए ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अपराधों में कमी लाने हेतु क्या मंत्री जी एक उपाय यह करेंगे कि कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जायेगा ? क्या शासन ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ?

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारें जो रहीं हैं उन्होंने कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कार्यदक्षता को अलग रखकर जाति और धर्म के आधार पर कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति की । इसलिये अपराधों में वृद्धि हुई है । इसलिए क्या मंत्री जी जाति और धर्म के आधार को समाप्त करके कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कार्यदक्षता के रिकार्ड को देखते हुये उन्हें अन्य जगहों पर पोस्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि थानों पर नियुक्ति जाति और धर्म के आधार पर नहीं की जायेगी, बल्कि कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कार्यक्षमता के आधार पर थानों और जिलों में पोस्टिंग की जायेगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि कार्यक्षमता और सत्यनिष्ठा को ही आधार मानकर कर्मचारियों और अधिकारियों को पोस्टिंग करेंगे इसके लिये मैं उनको पुनः बधाई देता हूं ।

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किया है कि नहीं ? मान्यवर, मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के क्षेत्र में अपराधों की वृद्धि होगी और अधिकारी अक्षम पाये जायेंगे तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, निश्चित रूप से निर्देश दिये जा चुके हैं और मुख्य मंत्री जी द्वारा मण्डल स्तर पर आयोजित बैठकों में तथा अनेक अवसरों पर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि जो अधिकारी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभायेंगे तो उनसे खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह--

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अपराधों में कमी हुई है जबकि गृह विभाग के आंकड़े कह रहे हैं कि अपराधों में वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में सदन को बताना चाहता हूं कि गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार डकैती में 20.97 प्रतिशत लूट में 19.72 प्रतिशत हत्या में 8.65, दंगों में 43.97 और नकबजनी में 25.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सच्चाई क्या है ? सरकार के आंकड़े सही हैं या गृह विभाग के आंकड़े सही हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कोई अन्तर विरोध इसमें नहीं है । मेरे पास डिस्ट्रिक्टवाइज और जोनवाइज आंकड़े मौजूद हैं । यदि आप अनुमति देंगे तो मैं उन आंकड़ों को यहां पढ़ सकता हूं । मान्यवर, आपके समक्ष जो विवरण रखा गया है वह पूरी जांच के बाद रखा गया है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि या तो गृह विभाग के आंकड़े गलत हैं या सरकारी आंकड़े जो बताये गये हैं वह गलत हैं, इसमें आप जवाब दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां मेरठ मंडल में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के जनपद मुजफ्फरनगर के बराबर के जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर में सर्वाधिक अपराध हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। अभी नेता सदन ने वहां पर समीक्षा की संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पर जाते हैं, डी0 जी0 पी0 ने भी दौरा किया है लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या दिल्ली के पैटर्न पर पुलिस का आधुनिकीकरण किया जायगा जिससे बदमाश भागने न पायें। नोयडा से 2 मिनट गाजियाबाद से 10 मिनट, बागपत और मेरठ में अपराध करने के बाद बदमाश आधे घंटे, 35 मिनट में दिल्ली और हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं और पुलिस नकारा साबित होती है। तो क्या मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्धनगर और यमुना नदी, दिल्ली और हरियाणा से मिले जिलों की पुलिस का आधुनिकीकरण करने पर विचार करेंगे। यदि हां तो क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आधुनिकीकरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इसमें आधुनिक हथियार एस0 एल0 आर0 भी शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों के जो थाने हैं उनको ए0 के0 47, ए0 के0 56, एस0 एल0 आर0 देने की कार्यवाही की जा रही है। दूसरे कम्युनिकेशन के लिये अच्छे वायरलेस सेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं और अच्छी गाड़ियां दी जा रही हैं। संसाधनों को देखते हुये आधुनिकीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था लागू होगी कि जो योग्य हैं, अच्छे हैं उनको थानों पर नियुक्त किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति थानों पर की जायगी। आपकी जो व्यवस्था है उससे जरायम बढ़ते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं और योग्य हैं और जो प्रदेश में 10-15 साल की सरकारी सेवा भी कर चुके हैं और जिनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं उन लोगों को ऐसी जगहों पर नहीं बैठाया जा रहा है और उन लोगों को बैठाया जा रहा है जो किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं या भा0 ज0 पा0 के किसी एम0 एल0 ए0 के रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूं पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति के योग्य व्यक्तियों की योग्यता को ध्यान में रखकर कोई मानक निर्धारित किया है या अपने मन से जिसे चाहे उसको नियुक्त करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जनपदों में थानों में नियुक्तियों का मानक उस अधिकारी की निष्ठा, कार्यक्षमता है, जातिगत आधार नहीं है। चाहे किसी से सम्बन्धित हो। मन्त्री से सम्बन्धित हो, विधायक से सम्बन्धित हो इस आधार को दृष्टिगत रखते हुये कोई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं और न की जाये, केवल उस अधिकारी की कार्य क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय बी0 आर0 वर्मा जी को अनुमति दी है । आप लोग कृपया बैठ जायें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि थानों पर थानाध्यक्ष की तैनाती जाति के आधार पर नहीं की जायेगी । पिछली सरकार ने जाति के आधार पर थानाध्यक्षों की तैनाती नहीं की थी बल्कि वर्ग आधार पर की थी । ओ0 बी0 सी0, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के अनुसार थानाध्यक्षों की तैनातों की थी ताकि इनके साथ न्याय हो । क्या माननीय मन्त्री जी ने इसको समाप्त कर दिया है ? जाति आधार पर तैनाती न करें लेकिन वर्ग आधार पर जैसा पिछली सरकार ने ओ0 बी0 सी0 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिये 20, 25 और 8 प्रतिशत दिया था उसको यथावत् बनाये रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? जिस चश्मे से माननीय मन्त्री जी योग्यता और दक्षता को देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के पुलिस कर्मी उसमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं ? थानाध्यक्षों के रूप में इनको तैनात किया गया है कि नहीं अगर तैनात किये गये हैं तो कितना प्रतिशत बैकवर्ड, शिड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक का पूरे प्रदेश में है ?

श्री अध्यक्ष—

बाद वाले प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता होगी परन्तु पहले वाले भाग का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा है ।

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके लेंगे ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर इस माननीय सदन में कई बार कानून व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की गई । विशेष चर्चा भी हुई । सरकार के सामने केवल एक ही उद्देश्य है । पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसको सुदृढ़ बनाने के लिये जो भी अधिकारी दक्ष होंगे, सक्षम होंगे सत्यनिष्ठा वाले होंगे उनकी नियुक्ति की जायेगी । जहां तक ओ0 बी0 सी0, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक का प्रश्न है । मेरी निश्चित जानकारी है कि इस वर्ग में जो अधिकारी हैं । उनकी संख्या अधिक है । उनकी अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले जिन माननीय सदस्यों को बोलने के लिये कह दिया पहले उनको पूरा कर लूं फिर आप ।

ह

श्री0 बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, यह जो बैकवर्ड, शिड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक समुदाय के दक्ष लोग हैं, काबिल हैं उनके साथ में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भेदभाव ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है । आप जो कह रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा—

माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर है....

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं..

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्रीवास्तव जी को अनुमति दे दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी—

[× × ×]

(श्री अम्बिका चौधरी—अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की स्पष्ट सूचना आ जाये ।

अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये यह सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिये मैं आपको नियम 49 में लिखकर दे रहा हूं आप कृपया इस पर चर्चा करा दें ।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप लिखकर दे दीजियेगा

(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जल्दी से प्रश्न पूछ लीजिये घड़ी की ओर भी दृष्टि रखनी है।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कार्य योजना का जिक्र किया, तो क्या आप इस कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य प्रणाली में तीव्रता गतिशीलता लाने के लिये पुलिस को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में खूंखार अपराधियों की जो सूची पुलिस द्वारा तैयार की गई है उसमें ऐसे व्यक्तियों के भी नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हैं ? मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं कि पुलिस को क्या यह अधिकार दिये गये हैं कि जो मंत्री पुलिस की सूची में शामिल हैं उनको भी पुलिस पकड़ सके। और जो मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते हैं अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस उनको पकड़ सके क्या ऐसे अधिकार पुलिस को दे रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश की पुलिस को सारे अधिकार जो विधि में हैं प्राप्त हैं। उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी मन्त्री ऐसा नहीं है जिनका नाम अपराधियों की सूची में दर्ज हो या वह अपराधियों को संरक्षण देते हों।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य मुराद लारी जी खड़े हैं वह बहुत कम बोलते हैं मैं इनको समय दे रहा हूं।

*श्री मुराद लारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराधी करण की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

अनुपूरक प्रश्न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुराद लारी—

मान्यवर, माफिया की क्या परिभाषा है ? सरकार द्वारा क्या परिभाषित की गई है । गृह विभाग द्वारा माफिया को क्या परिभाषित किया गया है ? क्या उस परिभाषा में कोई मन्त्रीपरिषद् का सदस्य आता है या नहीं ? यदि आता है तो क्या उस पर कोई कार्य योजना बनाई है, मन्त्री परिषद् का कोई मन्त्री माफिया की परिभाषा में आता है तो क्या उस पर कोई योजना बनाई गई है ?

श्री हुकुम सिंह—

माफिया की परिभाषा अलग से निर्धारित नहीं की गई है विधि के विधान में उसकी परिभाषा दी गई है मुझे जानकारी है कि हमारे माननीय सदस्य किसी प्रकार से अनभिज्ञ नहीं हैं । जहां तक मन्त्रिमण्डल का सवाल है । इस मन्त्रि-मण्डल में कोई भी सदस्य माननीय सदस्य द्वारा निर्धारित की गई परिभाषा में नहीं आता ।

श्री समरपाल सिंह—

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि थानाध्यक्ष की नियुक्ति जातिगत आधार पर नहीं की जा रही है, योग्यता के आधार पर की जा रही है । मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे थाने हैं जिस जिले में इंस्पेक्टर के होते हुये भी इंस्पेक्टर स्तर के थानों में सब इंस्पेक्टरों को तैनात किया जा रहा है । इस्पेक्टर जिले में उपलब्ध हैं उसके बावजूद सब इंस्पेक्टर तैनात हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसको दिखवा लीजिये । जो इंस्पेक्टर स्तर के थाने हों वहां सब इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं होनी चाहिये ।

श्री राजधारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । नत्थी ग में प्रश्न संख्या तीन मेरा है । यह बड़ा ही लोक महत्व का है । इसको आप अगले दिन के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं हो सकता । अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में मोटर दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना

3—*श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार प्रदेश में मोटर दुर्घटनाओं में हो रही मौतों से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए कोई विशेष कार्य योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

मोटर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जाती है ।

नोट—नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

तारांकित प्रश्न

कूड़ा करकट को परिवर्तित कर ऊर्जा हासिल करने सम्बन्धी सरकार का विचार

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्यावरण की दृष्टि से गम्भीर समस्या बनती जा रही कूड़ा करकट को परिवर्तित कर ऊर्जा हासिल करने, ईंधन, गोला, खाद आदि बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री—(श्री बच्चा पाठक)—

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पैक्स समितियों के सेवा कैडर में रिक्त पदों पर भर्ती करने का शासन का विचाराधीन प्रस्ताव

*2—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स समितियों के सचिवों के सेवा कैडर में रिक्त पदों पर भर्ती का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ("पटेल" राम कुमार वर्मा)—

पैक्स के सचिवों की संवर्ग नियमावली में संशोधन शासन के विचाराधीन है, जिसके अनुरूप सचिवों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी ।

समितियों की आर्थिकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 50 प्रतिशत पैक्स के नियमित कर्मचारियों में से भरे जाने का प्राविधान किया जाना विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालयों द्वारा सभी मामलों को समयबद्ध निस्तारित करने की सरकार की विचाराधीन योजना

*3—श्री राजधारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यायालयों द्वारा सभी वादों जिनमें अपराधिक मामले भी शामिल हैं, का निस्तारण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत लिये जाने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? वह योजना कब से लागू होगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ के संवेदनशील शहरी क्षेत्र में थाना किदवई नगर की स्थापना करने पर विचार किये जाने की मांग

*4—डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री जनपद मेरठ के संवेदनशील शहरी क्षेत्र में थाना किदवई नगर की स्थापना पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत थाना की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त ही अंतिम निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ते का भुगतान

*5—श्री रामपाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 1998 से कितने प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय हो गया है ? कब तक सम्बन्धित शासनादेश निर्गत करके कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जायेगा ? सरकार किस तिथि तक का रुपया कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा करवाना चाहेगी तथा किस तिथि से नगद भुगतान के आदेश जारी करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में स्वीकृत महंगाई भत्ते के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1998 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को 16 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय है और इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 को जारी किया जा चुका है । दिनांक 31 मई, 1998 तक की देय अवशेष धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जानी है अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जानी है तथा दिनांक 1 जून, 1998 से, जिसका भुगतान दिनांक 1 जुलाई, 1998 को देय होगा, नकद भुगतान किया जायेगा ।

फायर सर्विस के लिए फ्लोटपम्प की खरीद के लिए किये गये घोटाले के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*6—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फायर चेलेन्जर्स चेन्नई सहित अन्य फर्मों से मई, 1995 से सितम्बर, 1997 तक फायर सर्विस के लिये कुल कितने फ्लोट पम्प तथा अन्य सामान क्रय करने हेतु आदेश दिये गये तथा कुल कितने फ्लोट

पम्पों का भुगतान किस दर से किसको-कितको किया गया ? क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? शासन को हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

माह मई, 1995 से सितम्बर, 1997 तक फायर सर्विस के लिए फायर चैलेन्जर्स चेन्नई से कुल 300 अदद फ्लोट पम्प तथा अन्य सामान संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार विभिन्न फर्मों से क्रय करने के आदेश अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत किये गये ।

फायर सर्विस मुख्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार फ्लोट पम्पों का भुगतान रू0 2,52,759.90 पैसे प्रति पम्प की दर से फायर चैलेन्जर्स, चेन्नई को निम्न प्रकार किया गया—

30 पम्पों का भुगतान रू0 75,82,797.00 दि0 29 मार्च, 1996 को

127 पम्पों का भुगतान रू0 2,88,90,457.00 दिनांक 31 मार्च, 1996 को तथा रू0 32,10,050.00 दि0 2 जुलाई 1996 को

40 पम्पों का भुगतान रू0 1,01,10,396.00 दि0 20 सितम्बर, 1997

फ्लोट पम्पों के क्रय करने के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताएं बरतने की बात संज्ञान में आई हैं । अतः इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0 बी0 आई0) से कराने के आदेश दिये गये हैं । प्रकरण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच प्रचलित है । जांच परिणाम आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला महामाया नगर में सिकन्दरा राऊ में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की शासन की योजना की जानकारी

*7—श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जिला महामाया नगर में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

मरम्मत शुदा या नये बने हुये आवासिक/अनावासिक भवनों के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने पर और माननीय उच्च न्यायालय से अभिमत प्राप्त होने पर राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये बजट स्वीकृत हो जाने के बाद न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रयासरत है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 192 पर)

लखनऊ में टैम्पो बन्द होने के कारण नागरिकों की परेशानी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये वैकल्पिक कदम

*8—श्री समर पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में अप्रैल, 1998 माह में कुछ टैम्पों का लाइसेन्स रद्द करके उनका चालन बन्द किया गया है ? सरकार द्वारा इस निति के तहत लखनऊ में कितने टैम्पों बन्द किये गये ? टैम्पों बन्द होने के कारण नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उनके निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

1—कोई लाइसेन्स रद्द नहीं किया गया। टेम्पों टैक्सियों का चालान किया गया।

इस अभियान के दौरान 509 टेम्पो बन्द हुये।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स एवं मोहन गोल्ड वाटर कारखानों पर छापा एवं रासायनिक जांच रिपोर्ट पर गोमती नदी में प्रदूषण को रोकने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

*9—श्री जगदीश नारायण मुन्ना—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने राज्य मंत्री, पर्यावरण के साथ दिनांक 4 अप्रैल और 14 अप्रैल, 1998 को 4.00 बजे तथा 12.00 बजे विभागीय अधिकारियों सहित लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स एवं मोहन गोल्ड वाटर कारखानों पर छापा मारा था ? क्या यह सही है कि वहां के डिस्टलरी से रासायनिक जांच हेतु रासायनिक कचड़ों से सैम्पल लिया गया था और रासायनिक कचड़ों को जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ? उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार गोमती नदी में प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व आय से ज्यादा राज्य कर्मियों पर होने वाले व्यय को कम करने हेतु उठाये गये कदम

*10--गोरखनाथ पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य की कुल राजस्व आय कितनी है और राज्य कर्मियों पर होने वाला व्यय कितना है ? क्या यह सही है कि कुल राजस्व आय के मुकाबले व्यय ज्यादा है ? यदि हां, तो उसे कम करने हेतु क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष 1997-98 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 17478.09 करोड़ रुपये अनुमानित हैं । वर्ष 1997-98 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार प्रदेश में सेवारत राज्य कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता आदि पर कुल 7384.79 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं अन्य सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि का व्यय इसके अतिरिक्त है ।

जी हां ।

राजस्व व्यय को कम करने के प्रयास जारी हैं तथा राजस्व आय को बढ़ाने के यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

11--श्री जगदम्बिका पाल--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री अमर बहादुर सिंह ए0 पी0 786 कान्स्टेबिल का लापता होना एवं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

*12--श्री तेजभान सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अमर बहादुर सिंह, ए0 पी0 786 कान्स्टेबिल जिनकी ड्यूटी नगर पुलिस लाईन से एन0 सी0 सी0 गार्ड, कानपुर में लगाई गई थी, गत 6 अगस्त, 1997 की शाम से लापता हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को पत्र भेजकर उक्त कान्स्टेबिल के मूल निवास पर सूचना भिजवाई गई थी । इसके अतिरिक्त एक उप निरीक्षक को भी जनपद सुल्तानपुर में उसके मूल निवास स्थान भेजा गया, जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त आरक्षी श्री अमर बहादुर सिंह दिनांक 11 जुलाई, 1997 के बाद से अपने घर नहीं आया । जिला क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा भी आरक्षी की तलाश हेतु गस्ती की कार्यवाही की गई । लापता आरक्षी की तलाश जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नव सृजित जिला चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में काम कर रही चिट फण्ड कम्पनियों की संख्या और उन पर रोक लगाये जाने की मांग

*13—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में विगत अप्रैल, सन् 1996 से कितने चिट फण्ड एण्ड कम्पनियां काम कर रही हैं ? क्या सरकार बेनामी कम्पनियों के पंजीयन पर रोक लगाये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

नवसृजित जिला चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में कोई चिटफण्ड कम्पनी पंजीकृत नहीं है और न ही किसी कम्पनी के अप्रैल 1996 से उक्त जिलों में काम करने की सूचना है ।

जी नहीं, क्योंकि बेनामी कम्पनियों के पंजीकरण का प्राविधान नियमों में नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने के सन्दर्भ में समतुल्यता निर्धारण हेतु गठित कमेटी

*14—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षकों/सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संदर्भ में समतुल्यता निर्धारण हेतु कोई कमेटी गठित की गयी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समिति के गठन को कितना समय बीत चुका है ?

श्री कल्याण सिंह—

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार में वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में युक्तिसंगत संस्तुति करने के लिए श्री जे0 एल0 बताज की अध्यक्षता में एक वेतन समिति गठित की गयी है ।

जी नहीं ।

समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपनी संस्तुतियां शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ।

वेतन समिति का गठन शासकीय संकल्प दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 के द्वारा किया गया है ।

जनता एवं पुलिस प्रशासन के मध्य समन्वय के लिए नीति निर्धारण

*15--श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी तथा श्री अजय कुमार पोद्दार--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनता एवं पुलिस प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय के लिये सरकार कोई नीति निर्धारण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? उक्त नीति में सत्यनिष्ठ, ईमानदार, चरित्रवान पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने एवं भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन की पहचान करने की कोई कार्यवाही भी विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

पूर्व में निर्धारित नीति पर्याप्त है जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व निर्धारित नीति में सत्यनिष्ठ, ईमानदार एवं चरित्रवान पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किये जाने, डकैतों से मुठभेड़ के समय वीरता के साथ अदम्य साहस, शौर्य का परिचय करने वाले पुलिस कर्मियों को एक रैंक प्रोन्नति दिये जाने एवं भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन कर्मियों को दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने की पर्याप्त व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायकों की रद्द यात्राओं के टिकट मूल्य के बराबर रेल ट्रैवेल कूपन पुनः अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग

*16--डा0 राम सिंह सैनी--

क्या संसदीय कार्य मन्त्री को जानकारी है कि विधायकों द्वारा रेल ट्रैवल कूपन्स से बनवाये गये जिन टिकटों की यात्रायें प्रतीक्षा सूची अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रद्द हो जाती हैं, उन यात्राओं के टिकट मूल्य के बराबर रेलवे कूपन उन्हें वापस नहीं मिल पाते हैं ? क्या प्रदेश सरकार संगत अधिनियम में ऐसी रद्द यात्राओं के टिकट मूल्य के बराबर रेल ट्रैवेल कूपन पुनः अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां ।

रेलवे बोर्ड से परामर्श करके संगत नियम में संशोधन किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित क्षेत्र सैयद राजा, नौगढ़, शहाबगंज में नक्सलियों से भयग्रस्त होने के कारण उक्त क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना पर विचार किये जाने की मांग

*17—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित बिहार बार्डर से मिला क्षेत्र सैयद राजा, नौगढ़, शहाबगंज एवं सोनभद्र जनपद के सरहदी क्षेत्रों में नक्सलियों की तीव्र सक्रियता के कारण उक्त क्षेत्र में स्थित सैकड़ों गांवों का जनजीवन पूरी तौर पर भयग्रस्त एवं अशान्त हो गया है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भय मुक्त राज स्थापित करने एवं नक्सलियों के प्रवेश पर कठोर नियंत्रण लागू करने की किसी विशेष कार्ययोजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद चन्दौली के थाना धीना सैयदराजा, चकिया, शहाबगंज, नौगढ़ तथा जनपद सोनभद्र के थाना कोन, मांची, पन्नूगंज व दुद्धी की सीमाएं बिहार प्रान्त के जनपद गढ़वा, रोहतास व भभुआ, जहां नक्सलवादी संगठन सक्रिय हैं, की सीमाओं से सटी हुई हैं, जिसके कारण उक्त थाना क्षेत्रों की सीमा के गांव भी यदा-कदा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं ।

उक्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में सक्रिय नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से "कर्मनाशा पैकेज" नामक योजना तैयार की जा रही है ।

मेरठ महानगर स्थित सेन्ट्रल डिस्टलरी (शराब फैक्ट्री) से निकलने वाला उत्सर्जन मानक के विपरीत होने के कारण कार्यवाही किये जाने की मांग

*18—श्री अमित अग्रवाल—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि मेरठ महानगर स्थित सेन्ट्रल डिस्टलरी (शराब फैक्ट्री) से निकलने वाला उत्सर्जन विषैला है ? क्या यह सही है कि उक्त उत्सर्जन मानकों के विरुद्ध है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विभागीय रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप है ।

जी नहीं ।

उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होने की आख्या प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरक्षित वर्गों के पूर्ण कोटे के पूरा करने के लिए हुई बैठक एवं निर्णय के अनुसार महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का प्रबन्ध निदेशक कार्यालय उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम को पत्र

1—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 मई, 1997 को सम्पन्न सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अनु0 जाति/जनजाति एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अपूर्ण कोटे को पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई बैठक हुई थी और बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी के लिये जारी कार्यवृत्त के बिन्दु 8 (आठ) जो परिवहन निगम पर लागू होता है, से सम्बन्धित महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 2008/सा0 प्र0/ब्यूरो/1997 दिनांक 26 अगस्त, 1997 प्रबन्ध निदेशक कार्यालय, उत्तर प्रदेश रा0 सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

उत्तर प्रदेश में सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों से प्रभावित जिले एवं पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या

2—श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कितने जिले सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त जिलों में कितने अपराधी गतिविधियों में लिप्त पकड़े गये ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

(क) उत्तर प्रदेश में अभी तक सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रकाश में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय परिवहन डिपो हरदोई में डिफेक्ट गाड़ियों के कारण सरकार को हो रही हानि

3—श्री धर्मेन्द्र मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय परिवहन डिपो हरदोई में कुल 32 गाड़ियों के स्टाक में मात्र 20 संचालित हो रही हैं । अन्य गाड़ियां सामान

के डिफेक्ट के कारण खड़ी रहती हैं ? क्या यह सही है कि बस से बारह गाड़ियां सामान के अभाव में प्रतिदिन डिपो में खड़ी रहती व दो गाड़ी प्रति रोड पर खराब रहती हैं, नो गाड़ियां फर्रुखाबाद होकर दिल्ली एक पिहानी होकर दिल्ली मात्र दो गाड़ियां प्रतिदिन कानपुर एवं एक सीतापुर चल रही है, हरदोई डिपो से कानपुर के लिये दस गाड़ियों का परमिट बना है इनके विपरीत संचालित बसों की संख्या नाममात्र की है ? क्या यह सही है कि इससे सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है ? क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर व्यवस्था में सुधार कर जनता को कष्टों से छुटकारा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्तमान में हरदोई डिपो में 32 बसों का बेड़ा है । माह अप्रैल, 1997 से मई 1997 तक औसतन 22 बसों का संचालन प्रतिदिन किया गया ।

हरदोई डिपो की औसतन 8 से 10 बसें प्रतिदिन आफरोड रही हैं । अप्रैल व मई, 1998 में क्रमशः 20 व 21 वाहनें ब्रेक डाउन हुईं ।

हरदोई डिपो की 10 बसें प्रतिदिन हरदोई, दिल्ली, फर्रुखाबाद तथा 2 बसें हरदोई, दिल्ली-पिहानी मार्ग पर संचालित हो रही हैं ।

निगम के पास हरदोई-कानपुर मार्ग के 10 परमिट हैं व इस अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर 4 बसें संचालित की जा रही हैं ।

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

अभिसूचना मुख्यालय की सुरक्षा शाखा, लखनऊ में कार्यरत अंगरक्षक से उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति का प्रकरण

4--श्री छोटे लाल राजभर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा शाखा अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ में कार्यरत कितने ऐसे अंगरक्षक हैं जिन्हें आउट आफ टर्न आरक्षी से मुख्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक तथा उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है ? उनके नाम क्या हैं ? उक्त प्रोन्नति का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि उनकी प्रोन्नति हेतु पात्रता का उचित आधार नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत कार्मिकों के व्यक्तिगत सेवा विवरण उपलब्ध कराकर कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त कर न्यायोचित कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

अभिसूचना मुख्यालय की सुरक्षा शाखा के निम्नलिखित 4 पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान की गयी है :

1--श्री राम सकल सिंह, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक
2--श्री राम सिंह यादव .. सवेव
3--श्री सीताराम .. आरक्षी से मुख्य आरक्षी
4--श्री राम श्याम .. सवेव

विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में अदम्य साहस एवं सूझबूझ से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह किया, इस आधार पर प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

मु0 नसीब पुत्र श्री जहीर अहमद, निवासी पूरे नवाब सरेसर
थाना जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा थानाध्यक्ष जामो के
विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

5--श्री तेजभान सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जांच के समय किसी अधिकारी ने प्रार्थी एवं गवाहान से कोई पूछताछ की है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने कहा तथा किस तारीख में पूछताछ की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी अमेठी ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1997 को अपने कार्यालय में पूछताछ की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एन0 आर0 डी0 एम0 एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर
परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत
सरकार के आदेशानुसार अधिग्रहीत किया
जाना एवं कर्मचारियों के वेतन आदि
की सुविधा

6--श्री तेजभान सिंह--

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन0 आर0 डी0 एम0 एस0 डाटाबेस सेन्टर सुल्तानपुर परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के आदेश संख्या जी-आई-21 / 45-वि0 / 96-6 (9)-वि0-95, दिनांक 12 फरवरी, 1997 द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस केन्द्र के समस्त कर्मचारियों को भी अधिग्रहीत किया गया है ? इन कर्मचारियों को प्रदेश सरकार अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त कराने के उपरान्त क्या वेतन आदि की सुविधा दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री हरी शंकर तिवारी)--

जी हां । एन0 आर0 डी0 एम0 एस0 डाटाबेस सेन्टर, सुल्तानपुर, उ0 प्र0 को उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जी0 आई0-21/45-वि0-96-6 (9) वि0/95, दिनांक 12 फरवरी, 1997 द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है ।

जी नहीं। सुल्तानपुर एन0 आर0 डी0 एम0 एस0 डाटाबेस सेन्टर के कार्य-कलापों में निरन्तरता बनाये रखने हेतु उक्त सेन्टर में पूर्व में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अधिग्रहीत नहीं किया गया है बल्कि उन्हें उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार पूर्व में उपलब्ध परिलब्धियों पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1996 से 11 माह की संविदा पर रखा गया था।

कुल चार कर्मचारियों में से एक को उपरोक्त संविदा अवधि, दिनांक 31 अक्टूबर, 1997 को समाप्त होने पर संविदा नवीनीकरण के उपरान्त, दिनांक 3 नवम्बर, 1997 से 11 माह हेतु पुनः संविदा पर रखकर भुगतान किया जा रहा है। एक कर्मचारी को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संविदा समाप्ति के बाद दिनांक 1 नवम्बर, 1997 से, दिनांक 28 फरवरी, 1998 तक भुगतान किया गया है। उसके बाद भुगतान नहीं किया जा रहा है। शेष दो कर्मचारियों के मामले मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण दिनांक 31 अक्तूबर, 1997 के उपरान्त वेतन का भुगतान नहीं कराया जा रहा है।

डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की प्राथमिकी गुमशुदगी में दर्ज कराने के थानाध्यक्षों को निर्देश

7—श्री श्रीराम पाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की प्राथमिकी गुमशुदगी में दर्ज कराने के लिये निर्देश सरकार द्वारा थानाध्यक्षों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो जनपद जालौन के थाना कुठौन्द क्षेत्र के ग्राम पारेन से दिनांक 15 अप्रैल, 1998 को राघवेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र श्री संतराम को फिरौती वसूलने की कीमत से डकैतों द्वारा किये गये अपहरण की प्राथमिकी अपहरण की धाराओं में पंजीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

जी हां। वादी श्री सन्तराम ने अपनी लिखित तहरीर में अपने पुत्र राघवेन्द्र सिंह का अपहरण बदमाशों द्वारा जान से मारने की नियत से किया जाना अंकित था, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 111/98 धारा 364 भा0 द0 वि0 थाना कुठौन्द पर पंजीकृत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के थाना आटा क्षेत्र के ग्राम बदरी तथा ग्राम गढ़ा में मार्च, 1998 में अनुसूचित जाति बसोर जाति में मारपीट तथा प्राथमिकी दर्ज न किया जाना

8—श्री श्रीराम पाल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के थाना आटा क्षेत्र के ग्राम बदरी तथा ग्राम गढ़ा में माह मार्च, 1998 में अनु0 जाति बसोर जाति के लोगों की मारपीट की गयी थी तथा उसका कानूनी परीक्षण कराये जाने के

बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि आटा की पुलिस ने फर्जी राजीनामा वादी व अभियुक्तों की ओर से तैयार कराकर पुलिस अधीक्षक, जालौन को गुमराह किया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामलों में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, ग्राम बदरी एवं गढ़ा में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में इन गांवों के दोनों पक्षों में ग्राम स्तर पर सुलह हो जाने के कारण डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया और न ही प्राथमिकी दर्ज कराने दोनों पक्ष थाने पर ही गये ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रकरण आपसी सुलह से गांव स्तर पर ही समाप्त किया जा चुका है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव के पास जी0 टी0 रोड पर ज्वलन्तशील पदार्थ भरे टैंकर के पलटने से जलने पर लोगों की मृत्यु एवं उन्हें सहायता दिये जाने की मांग

9--श्री राम औतार शाक्य--

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि कस्बा व थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी से करीब 2 कि मी0 की दूरी पर जी0 टी0 मार्ग पर दिनांक 28 अगस्त, 1997 को ज्वलन्तशील पदार्थ से भरे टैंकर के पलटने व उसमें आग लगने से घायल रूप से 9 लोगों की मृत्यु हो गयी है और 16 गम्भीर रूप से घायल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को कोई सहायता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक 28 अगस्त 1997 को ज्वलन्तशील पदार्थ से भरा टैंकर पलट जाने पर घटनास्थल के आसपास के लोग ज्वलन्तशील पदार्थ को पेट्रोल समझकर अपने बर्तनों में भरने लगे । उसी समय किसी व्यक्ति द्वारा माचिस की तीली जला दी गई, । जिससे उक्त ज्वलन्तशील पदार्थ में भयानक आग लग गई । आग में जल जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 16 व्यक्ति घायल हो गये जो उपचार से स्वास्थ हो गये हैं ।

चूंकि यह घटना दैवी आपदा की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों में दर्ज मुकदमों में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रश्नकर्त्ता (श्री राम औतार शाक्य) द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

10—श्री राम औतार शाक्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1998 को अपराध संख्या 44/98 धारा 147, 148, 149, 322/353/24,506, 427 आई0 पी0 सी0, थाना बिछवां अपराध सं0-63/98 धारा 148, 322, 353, 504, 406 आई0 पी0 सी0 थाना भोगांव व अपराध सं0-84/98 धारा 395, 332, 353 आई0 पी0 सी0 एवं 135क, 136 ख, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना बेवर, जनपद मैनपुरी के केसों में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त केसों में कौन-कौन अभियुक्तगण नामित हैं, कितने अभियुक्तगण अज्ञात हैं और कितने अज्ञात अभियुक्तगण प्रकाश में आ गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी, हां,

अपराध सं0 44/98 में एक अभियुक्त को दिनांक 17 फरवरी, 1998 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष 5 नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किये । नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अपराध संख्या 63/98 विवेचनाधीन है । अपराध संख्या 84/98 विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के फलस्वरूप दिनांक 12 मई, 1998 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपराध संख्या 44/98 में अभियुक्तगण राम भरोसे लाल, राम प्रसाद, राम शरण वर्मा एडवोकेट, गोपाल दास लोधी, राजीव कुमार, श्रीमती कृष्णा लोधी नामित हैं तथा 100-125 व्यक्ति नाम पता अज्ञात हैं । अपराध संख्या 63/98 में डा0 स्वामी सच्चिदानन्द हरसाक्षी, रामशरण, राम औतार, बलबीर सिंह नामित हैं तथा 50-60 व्यक्ति अज्ञात हैं । अपराध सं0 84/98 में अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, अखिलेश, अरुणेश उर्फ अन्नू को नामित किया गया है ।

अभी तक कोई अज्ञात व्यक्ति प्रकाश में नहीं आया है ।

पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा मण्डल के सभी थानाध्यक्षों को राजस्व कर्मियों के सहयोग से विवादों को हल करने के आदेश

12—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन मण्डल गोण्डा ने मण्डल के सभी थानाध्यक्षों को 25 अप्रैल, 98 के बाद ऐसा आदेश दिया है कि सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को राजस्व कर्मियों के सहयोग

से मौके पर जाकर पैमाइश करके विवादों का त्वरित निस्तारण किया जाये ? यदि हां, तो जनपद बलरामपुर में किस-किस थानों में उस आदेश का अनुपालन किया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जनपद बलरामपुर में विशेष रूप से शनिवार को तिथि निश्चित कर विवादों के निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय पत्र संख्या एस टी, सी-5/98, दिनांक 25 अप्रैल, 1998 द्वारा जिलाधिकारी, बलरामपुर से अनुरोध किया है । जिलाधिकारी ने अपने नवसृजित जनपद में अधिकारियों तथा वाहन के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य मंगलवार को किये जाने का निर्णय लिया है तथा प्रत्येक तहसील दिवस (मंगलवार) पर भूमि सम्बन्धित विवादों हेतु राजस्व अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से निर्देशित कर निराकरण कराया जा रहा है । दिनांक 18 जून, 1998 को विशेष अभियान 74 दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13--श्री उबैदुर्रहमान--

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज निवासिनी श्रीमती कमला देवी विधवा बाल किशन की रिपोर्ट थाने में दर्ज न किया जाना

14--श्री धर्मेन्द्र मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा माधोगंज निवासिनी श्रीमती कमला देवी विधवा बाल किशन द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 को मुख्य मंत्री एवं पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गये टेलीग्राम के बावजूद पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत टेलीग्राम मुख्य मंत्री कार्यालय व पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः पीड़ित पक्ष की कोई रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15--डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

[दिनांक 22 जून, 1998 को अता0 प्र0 सं0-60 द्वारा उत्तरित]

मा0 उच्च न्यायालय, के आदेशानुसार तदर्थ छटनीशुदा कोआपरेटिव सुपरवाइजर/कोआपरेटिव सचिव को नियुक्ति के लिए मा0 मंत्री को लिखा गया तद्विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

16--श्री मोहन सिंह रावत गांववासी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 26 मार्च, 1998 जो तदर्थ छटनीशुदा

कोआपरेटिव सुपरवाइजर/कोआपरेटिव सचिव को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति देने के लिए पत्र लिखा या प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या उन्हें नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री रमेश चन्द्र डंडरियाल की प्रथम नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने के कारण उन्हें विनियमितीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया गया ।

प्रश्नकर्ता (श्री समरपाल सिंह) का रजिस्टर्ड पत्र सं0 404, दिनांक 27 अप्रैल, 1998 पुलिस महानिदेशक को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

17--श्री समरपाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र 404, दिनांक 27 अप्रैल, 1998 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, अलीगंज एवं गाजीपुर से कराये जाने पर पाया गया कि आवेदिका श्रीमती सरोज, निवासी विकास नगर, जनपद लखनऊ के पति श्री जग्गू को एक चोरी के मामले में तहकीकात हेतु चौकी विकास नगर लाया गया था एवं पूछताछ के बाद में छोड़ दिया गया । आवेदिका के पुत्र छोटू को सिगरेट/पान की गुमटी में चोरी करने के आरोप में श्री निजामुद्दीन, किशोर एवं श्याम लाल आदि द्वारा पकड़कर दिनांक 2 अप्रैल 1998, को चौकी खुर्रमनगर लाया गया था, जहां आवेदिका के अनुरोध पर वादी पक्ष द्वारा रिपोर्ट न लिखने पर उसे पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया था । जांच से पुलिस द्वारा छोटू को मारने पीटने चौकी खुर्रमनगर पर रोके रखने व जग्गू को पुलिस द्वारा चोट पहुंचाये जाने तथा उसकी घड़ी कपड़े आदि छीन लिये जाने के आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना किये जाने की मांग

18--श्री समरपाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों की कठिनाई को देखते हुये सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थित करने या पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–1 (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या–18 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ बनाने की विधायी क्षमता संसद में निहित होने के कारण संदर्भित बिन्दु भारत सरकार के विचार का बिन्दु है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19—श्री अजय कुमार पोइया—

[दिनांक 22 जून, 1998 को अता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

पुलिस विभाग में सराहनीय कार्य के कारण पुलिस पदक प्राप्त कर्मियों को पदोन्नति में लाभ दिया जाना

20—श्री तेजभान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में सराहनीय कार्य जैसे पुलिस पदक प्राप्त कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, सब–इंस्पेक्टर को क्या पदोन्नति में इस पदक का कोई लाभ दिया है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है, किस अनुपात में लाभ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे पदक प्राप्त कर्मियों को पदोन्नति में लाभ दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पुलिस पदक प्राप्त-कर्ताओं के चरित्र पंजिकाओं में उत्तम प्रविष्टि एवं पुरस्कार शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख किया जाता है । नियमित पदोन्नति के समय विभागीय चयन समिति के विचारार्थ सेवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं ।

कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है ।

पूर्व व्यवस्था पर्याप्त है ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, हजरतगंज, लखनऊ के उप महाप्रबन्धक सामान्य द्वारा डेड स्टाक का चार्ज सहायक प्रबन्धक को न दिये जाने के कारण जांच की मांग

21—श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, हजरतगंज, लखनऊ के उप महाप्रबन्धक सामान्य द्वारा डेड स्टाक का चार्ज जुलाई, 1997 से अब तक सहायक प्रबन्धक को न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि डेड स्टाक में भारी मात्रा में सामानों की हेरा फेरी एवं सबमर्सिबल पम्प गायब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराने एवं दोषी अधिकारी को हटाकर किसी स्वच्छ छवि वाले अधिकारी को चार्ज देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

उप महाप्रबन्धक के पास डेड स्टाक का चार्ज नहीं रहता है, अतः उसे सहायक प्रबंधक को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा उ0 प्रदेश सहकारी गन्ना समिति लि0, को उर्वरक व्यवसाय हेतु दिये गये ऋण के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच

22--श्री रघुनाथ सिंह चौहान--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ ने जिला सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा, उरई, गाजियाबाद, सहारनपुर व देहरादून के साठ कन्सोर्टियम बनाकर वर्ष 1993 में उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ को उर्वरक व्यवसाय हेतु 30 करोड़ रुपये की बृहद बन्धक ऋण सोमा सरकारी प्रतिभूति के आधार पर स्वीकृत कर संघ को वित्त दिया गया था तथा आवंटित हिस्से के अनुपात में सदस्य जिला सहकारी बैंकों से धनराशि प्राप्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ऋण से क्रय किये गये स्टाक की बिक्री बाद में ऋण खाते में जमा कराते हुये कन्सोर्टियम के सदस्य बाकी धनराशि वापस की गयी ? यदि नहीं, तो 30 करोड़ रुपये का उर्वरक स्टाक कहां गया ? यदि दुरुपयोग किया गया तो सम्बन्धित दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जी हां ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण के रूप में वितरित किया गया है ।

प्रकरण संविग्ध है । अतएव इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के महिला सहायता प्रकोष्ठ में नियुक्त सब-इन्सपेक्टर श्रीमती लालमती के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मामले में कार्यवाही

23--श्री अम्बरीष कुमार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के महिला सहायता प्रकोष्ठ में नियुक्त सब इन्सपेक्टर श्रीमती लालमती के विरुद्ध थाना

कोतवाली अयोध्या में किन-किन धाराओं में कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं ? क्या इनको निलम्बित करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर को पत्र संख्या एस0 टी0 सी0/26/97, दिनांक 9 जनवरी, 1998 द्वारा कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो विलम्ब के लिये दोषी कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या कर्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त सब इन्सपेक्टर को निलम्बित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्नगत महिला उपनिरीक्षक के स्थान हेड कान्सटेबिल के पद पर नियुक्त हैं ।

जी हां ।

जनपद फैजाबाद में कोतवाली अयोध्या में पंजीकृत मु0 अ0 सं0 2/98 धारा 308/336/323/506 भा0 द0 वि0 में गवाहों के बयान व उनके द्वारा दिये गये बयान हल्फी में श्रीमती लालमती, हेड कान्सटेबिल का नाम प्रकाश में आया था । प्रारम्भिक विवेचना जनपद फैजाबाद की पुलिस द्वारा की गयी थी, किन्तु श्रीमती लालमती का इस घटना में लिप्त होना नहीं पाया गया । इस लिए इनको निलम्बित नहीं किया गया । जिसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद व पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद को प्रेषित की गयी थी । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

24--श्री अब्दुल मन्नान--

[दूसरे बुधवार में आ0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

25--श्री राम औतार शाक्य--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

26--श्री राम औतार शाक्य--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रश्नकर्ता (श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद) का परिवहन मन्त्री को सम्बोधित बांदा गडरिया बांदा सांडी, बांदा सबावा मार्ग पर बस संचालन के विषय में प्रेषित पत्र

27--श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र जो तत्कालीन परिवहन मन्त्री को सम्बोधित है और जो बांदा गडरिया बांदा सांडी, बांदा सबावा मार्ग पर बस संचालन के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वहां कब तक बस संचालन शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

संचालन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गडरिया, लाड़ी एवं सबादा तीनों स्थान अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर स्थित हैं । अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर निगम बसों का संचालन अपेक्षित नहीं है ।

जनपद बांदा में ग्राम पपरेंदा थाना चिल्ला कुरसेजा, तिन्वादरी आदि में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव

28—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में ग्राम पपरेंदा थाना चिल्ला, कुरसेजा, थाना तिन्ववारी, खपटिहा कला, थाना पैलानी, झांसियापुरवा, थाना जसपुरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या शीघ्र उक्त गांवों में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

ग्राम पपरेंदा थाना चिल्ला एवं खपटिहा कला थाना पैलानी जनपद बांदा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

ग्राम कुरसेजा थाना तिन्ववारी जनपद बांदा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया और चौकी स्थापना का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

झंरिया पुरवा (झझरी पुरवा) थाना जसपुरा जनपद बांदा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का सम्प्रति कोई भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

सन्दर्भगत चौकियों के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रस्ताव का गुण-दोष के आधार पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ की खराब वित्तीय स्थिति को विधिवत् संचालन की व्यवस्था किये जाने की मांग

29—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0 लखनऊ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को वेतन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण माह मई, 1997 से प्राप्त नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि कई प्रशिक्षण संस्थायें बन्द हो गई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? सरकार संस्था के विधिवत् संचालन की क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या यह सच है कि विगत वर्ष 1995-96 की तुलना में 1996-97 में प्रासंगिक व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो क्यों और उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार 1996-97 में बढ़े हुए प्रासंगिक व्यय के औचित्य की उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जी नहीं ।

वर्ष 1997-98 में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना के लिये शासन से अनुदान स्वीकृत न होने के कारण सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों का वेतन माह नवम्बर, 1997 से तथा प्रशिक्षण कन्द्रों में कार्यरत स्टाफ का वेतन माह दिसम्बर, 1997 से भुगतान नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि0 स्वायत्तशासी संस्था है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में प्रासंगिक व्यय में रू0 8734.50 की वृद्धि हुई है जिसका कारण महंगाई में वृद्धि तथा कतिपय आवश्यक मदों में व्यय का होना है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त वृद्धि औचित्य पूर्ण है । अतएव किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

यदि वित्तीय वर्ष में भू0 पू0 विधायकों को बसों में सहवर्ती एवं रेलवे कूपन की सुविधा दिये जाने की मांग

30--श्री राम औतार शाक्य--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में भूतपूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती एवं 25 हजार रुपये रेलवे कूपन प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

जी नहीं ।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इसे स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं ।

31--श्री राम औतार शाक्य--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में दूरभाष की सुविधा न होने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या एवं जनपद मैनपुरी में कतिपय थानों में दूरभाष की सुविधा दिये जाने की मांग

32--श्री राम औतार शाक्य--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिसमें दूरभाष की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने व सम्पर्क बनाने हेतु सभी थानों में दूरभाष की व्यवस्था

करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सच है कि जनपद मैनपुरी में थाना बिछवां, किशनी, कुर्रा, ओंछा तथा क्षेत्राधिकारी भोगांव के कार्यालयों में दूरभाष की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था वहां कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के 240 थानों में अभी भी दूरभाष की व्यवस्था नहीं है। इनमें से अधिकांश थाने ऐसे हैं, जहां टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा न होने के कारण टेलीफोन नहीं लगाया जा पा रहा है।

जी हां।

टेलीफोन विभाग द्वारा पर्याप्त अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने पर यथाशीघ्र यह व्यवस्था कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना बिछवां, किशनी, कुर्रा, ओंछा के लिए टेलीफोन स्वीकृत कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी, भोगांव के कार्यालय हेतु टेलीफोन स्वीकृति का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 किसान सहकारी भवन लखनऊ में जोपों की संख्या एवं उप महा प्रबन्धक सामान्य द्वारा जोपों में स्कूटर का नम्बर लगवाकर बीमा राशि में घोटाला करने वाले कर्मियों को दण्डित किये जाने की मांग

33--श्री राम तेज यादव--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 किसान सहकारी भवन, लखनऊ में वर्तमान में कितनी जोपें हैं ? क्या यह सही है कि जोप नं0-यू0 पी0-32 के-8953, यू0 पी0-32-1073, यू0 पी0 32-आर-1071 पर स्कूटर का नम्बर लगवाकर उप महा प्रबन्धक सामान्य द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं बीमा राशि में भारी घोटाला किया गया है ? क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर सम्बन्धित घोटाले में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ मुख्यालय में वर्तमान में केवल दो जोपें हैं। इसके अतिरिक्त 06 जोपें बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में हैं।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 की प्रश्नगत जोपों का रजिस्ट्रेशन स्कूटर के नम्बर पर श्री अमर सक्सेना, आटोमोबाइल सुपरवाइजर, जो बैंक में विशेष बैंक परियोजना की सेवा शर्तों पर कार्यरत थे, के द्वारा कराया गया था। इस प्रयोजन हेतु श्री अमर सक्सेना द्वारा बैंक से अग्रिम धनराशि प्राप्त की गई थी।

जो नहीं ।

उक्त कृत्य के लिए दोषी श्री अमर सक्सेना को बैंक की सेवा से मुक्त कर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । अतः सतर्कता जांच की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार कोषागार से पेन्शन प्राप्त करने वाले पेन्शनरों की संख्या एवं पेंशन भुगतान विषयक विवरण

34--श्री राजधारी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार कोषागार से कितने पेन्शनरों को प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है ? क्या जनपद पौड़ी में सभी पेन्शनरों को जनवरी, 1996 से स्वीकृत नई पेन्शन, बढ़ोत्तरी तथा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? कोटद्वार कोषागार से न्यूनतम पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों की माह-फरवरी 1998 में कुल कितनी संख्या थी ? प्रत्येक को कितनी न्यूनतम पेन्शन का भुगतान किया गया था ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार कोषागार में 4994 पेंशनरों को प्रति माह पेंशन दी जाती है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल पेंशनरों की संख्या 18851 है जिसमें जनवरी, 1996 से 15715 पेंशनरों को स्वीकृत नई पेंशन, बढ़ोत्तरी तथा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष 3136 पेंशनरों को विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

कोटद्वार कोषागार से न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनरों की माह फरवरी, 1998 में कुल संख्या 1231 थी । प्रत्येक को रु0 1275-00 का न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ।

अपराध संख्या 109/95 थाना बिछवा जिला मैनपुरी के केस में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

35--श्री राम औतार शाक्य--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 109/95 धारा 323/342/218/364/342/120 बी0 आई0 पी0 सी0 एवं एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी (सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 नं0 1042/95) के केस में प्रोजीक्यूशन सेक्शन मिल गई है ? यदि हां, तो किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध और क्या उसमें अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह

थाना बिछवां जनपद मैनपुरी में पंजीकृत अपराध संख्या 109/95 की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन थाना-प्रभारी बहादुर सिंह, का0 लक्ष्मी नारायण, का0 बहादुर सिंह, का0 बीरबल सिंह, का0 भीम गौतम, का0 राजाराम एवं ड्राइवर राजेन्द्र दीक्षित के विरुद्ध अभियोजन

स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त पुलिस कर्मियों के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। इनकी वर्तमान नियुक्ति का पता लगाकर शीघ्र गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मैनपुरी में बाजार सुल्तानगंज थाना बिछवां में प्रश्न कर्ता श्री राम औतार शाक्य पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट न लिखने वाले थाना इंचार्ज को दण्डित किये जाने की मांग

36--श्री राम औतार शाक्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 सितम्बर, 1996 को बाजार सुल्तानगंज थाना बिछवां जनपद मैनपुरी में प्रश्नकर्ता के ऊपर किये गये कातिलाना हमले की घटना की रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उसका अपराध संख्या व धारा क्या है ? यदि रिपोर्ट अंकित नहीं की गयी तो क्यों ? क्या सरकार रिपोर्ट न अंकित करने वाले थाना इंचार्ज को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

मा0 विधायक द्वारा प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में पत्र थाना बिछवां के का0 कर्क को प्राप्त कराया गया था जिसपर तत्कालीन थानाध्यक्ष बिछवां श्री नानक चन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस लापरवाही के लिए श्री नानक चन्द्र को भविष्य में सतर्कता बरते जाने हेतु व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

37--श्री राम औतार शाक्य--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रश्नकर्ता (श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना) द्वारा श्री समर पाल सिंह थाना अध्यक्ष मदनापुर, शाहजहांपुर के भ्रष्टाचार विषयक भेजे गये पत्र एवं कार्यवाही

38--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तीन पत्र दिनांक 14 अगस्त, 1997 को आरक्षपाल समरपाल सिंह, थाना अध्यक्ष मदनापुर जनपद शाहजहांपुर के द्वारा किये जा रहे व्यापक, भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में दिये थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि याचना के सचिव ने प्रमुख सचिव, गृह की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव गृह ने जांच कार्य पूरा कर लिया है ? यदि हां, तो जांच में लगाये गये आरोप सत्य निकले ? यदि हां, तो दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । प्रश्नकर्ता के तीन पत्र के बजाय दो पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले की जांच कराये जाने हेतु निदेश जारी कर दिये गये हैं । परिवाद पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच पहले से ही प्रचलित है जिसमें केवल लापरवाही बरतने के लिये श्री समरपाल सिंह, थानाध्यक्ष के विरुद्ध दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख से दण्डित करने एवं वर्ष 1997 की वेतनवृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

चारबाग से पी0 जी0 आई0 जाने वाले टैम्पों में निर्धारित सवारियां बैठाने एवं सही किराया लेने की मांग

39--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चारबाग से पी0 जी0 आई0 जाने वाले टैम्पों में ग्यारह से अधिक सवारियां बिठाई जाती हैं तथा यात्रियों से मनमाना पैसा वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त रूट पर चलने वाले टैम्पों में निर्धारित सवारियां बैठाने हेतु यातायात पुलिस को आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

इस मार्ग पर की गई चेकिंग के दौरान ग्यारह से अधिक सवारियां बिठाई जाने के दृष्टांत भी मिले हैं परन्तु मनमाना किराया वसूल किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश शासन के भाषा अनुभाग 1 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार परिवहन कार्यालयों में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति की जानकारी

40--श्री सरवर अली खां तथा श्री हरदेव सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश शासन के भाषा अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 4865/21-90-1-(2)/90, दिनांक 14 नवम्बर, 1990 के सम्बन्ध में क्या राज्य सड़क परिवहन निगम में उक्त शासनादेश का पालन करते हुये परिवहन निगम में मुख्यालय, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक तथा डिपो कार्यालयों में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले के मेंहनगर परिवहन विभाग डिपो से इस क्षेत्र के प्रमुख नगरों तक जाने वाली बसों को नियमित किये जाने की मांग ।

41—श्री राम जग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मेंहनगर में परिवहन विभाग का डिपो है ? यदि हां, तो मेंहनगर तथा इस क्षेत्र से प्रमुख नगरों तक जाने वाली बसें क्यों नहीं चालू की गयी हैं ? क्या क्षेत्रीय जनता की सुविधा (यात्रा सुविधा) को देखते हुये नियमित रूप से बसें चालू की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मेंहनगर में परिवहन निगम का डिपो नहीं वरन बस स्टेशन है । मेंहनगर तथा उसके क्षेत्र से प्रमुख नगरों के लिए परिवहन निगम की निम्न सेवाएं संचालित हैं—

1—मेहनाजपुर—आजमगढ़—दिल्ली

2—जयनगर—मेहनगर—दिल्ली

3—आजमगढ़—मेंहनगर

क्षेत्रीय जनता को निगम की उपर्युक्त सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को यात्रा सुविधा नियमित रूप से प्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाव हेतु शहर से भारी आवागमन रोकने हेतु यमुना नदी पर शंकरपुर घाट पर सेतु बनाये जाने की मांग

42—श्री विजय पाल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि नगर आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाव हेतु उच्च न्यायालय तथा प्रदेश शासन द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि भारी वाहन के आवागमन से शहर में प्रदूषण फैलता है ? यदि हां, तो क्या शहर से भारी वाहनों के आवागमन रोकने हेतु यमुना नदी पर शंकर पुर घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय निर्देश पारित किये गये जिनके अनुपालन में सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की अनुपालन आख्या मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी है ।

आगरा शहर में लगभग 20,000 भारी वाहन, 15,000 हल्के वाहन तथा 50 से 60 हजार तक दो पहिया व तिपहिया वाहन चलते हैं भारी वाहनों से नाइट्रोजन आक्साइड तथा एसपीएम की मात्रा अधिक रहती है जबकि दो पहिया व तिपहिया वाहनों से जनित उत्सर्जन कार्बन मोनोआक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक रहती है । वाहनों से होने वाले प्रदूषण का प्रभाव अधिक बताया गया है क्योंकि यह उत्सर्जन भूतल के आस पास होता है ।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या–2 के उत्तर की ओर संरक्षण का कार्य इस प्रकार किया जा रहा है कि यमुना नदी पर नये पुल की आवश्यकता न रहे बल्कि आगरा बैराज से ही बाईपास निकाला जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होमगार्ड्स विभाग में भ्रष्टाचार, वर्दी खरीदने में घोटाला, वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता (श्री लालमणि प्रसाद) का पत्र एवं कार्यवाही

43––श्री लालमणि प्रसाद––

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम गार्ड्स विभाग में भ्रष्टाचार, वर्दी खरीदने में घोटाला एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती–पत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती–पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

होमगार्ड्स राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)––

जी हां ।

शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

जनपद उन्नाव में उन्नाव से मोजपुर बक्सर एवं भगवन्त नगर मार्गों पर पूर्ववत बस चलाये जाने की मांग

44––श्री कृपाशंकर सिंह––

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव में उन्नाव से मोजपुर बक्सर एवं भगवन्त नगर आवागमन की सुविधा हेतु चलायी जाने वाली बसों की संख्या को मनमाने तरीके से कम कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर पूर्ववत् चलने वाली बसों को पुनः चलाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह––

जी नहीं, सेवाओं के प्रतिफलों की समीक्षा में कम यात्री भार अर्जित होने आदि के कारण उन्नाव मोजपुर मार्ग पर वर्तमान में तीन बसों से 11 ट्रिप्स एवं उन्नाव से बक्सर भगवन्तनगर मार्ग पर 6 बसों से 14 ट्रिप्स संचालित करना निर्धारित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1997–98 में दी गई धनराशि एवं किए गए कार्यों का विवरण

45––श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)––

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1997–98 में मार्च, 1998 तक निर्माण कार्य, कारागार व्यवस्था

एवं अन्य मदों में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी? उसमें से कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा कितनी अवशेष राशि सरकार को समर्पित की गयी? निर्माण कार्य के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये गये? समस्त निर्माण कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार मंत्री (श्री शिवप्रताप शुक्ल)—

जिला कारागार, शाहजहांपुर को वर्ष 1997-98 में मार्च, 1998 तक निर्माण कार्य, कारागार व्यवस्था एवं अन्य मदों में कुल रु0 1,68,68,400 की धनराशि आवंटित की गयी।

कुल धनराशि 1,59,30,212.00 की धनराशि व्यय हुई। वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्तरिम सहायता व अन्य भत्ते मद में रुपया 10,57,289 की धनराशि समर्पित की गई जबकि बन्दियों को भोजन आदि मद में रु0 1,19,101 का व्ययाधिक्य हुआ।

बैरकों की मरम्मत एवं अस्पताल भवन के नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये समस्त कार्य कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम, उत्तर प्रदेश से कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64, रिकाबगंज, नियावां रोड, फैजाबाद
का पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर क्षेत्र को प्रेषित
पत्र एवं सुरक्षा प्रदान करने में कार्यवाही

46—श्री सीताराम निषाद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ का अ0शा0पत्रांक/शिकायत-228/96, दिनांक 18 जनवरी, 1997 पुलिस अधीक्षक बस्ती का एवं उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ है और उसी सन्दर्भ में श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64, रिकाबगंज, नियांवा रोड फैजाबाद का पत्र, दिनांक 18 जून, 1997 पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या भूखण्ड संख्या 548 रकबा दो बीघा चार बिस्वा दो धुर स्थित ग्राम परवरपारा, तहसील हर्रैया, जिला बस्ती के सम्बन्ध में एवं श्रीमती श्रीवास्तव को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये है? यदि हां, तो किसको और क्या?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

जी हां।

थानाध्यक्ष, परसरामपुर द्वारा श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव के ग्राम परवरपारा आने पर उनको सुरक्षा हेतु कम से कम दो सशस्त्र कान्सटेबुल प्रदान किये जाते हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में उप संचालक, बस्ती के आदेश, दिनांक 12 दिसम्बर, 1986 को मान0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश, दिनांक 8 जनवरी, 1997 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव की सुरक्षा के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष परसरामपुर को आदेशित किया गया है कि श्रीमती श्रीवास्तव के ग्राम परवरपारा जाने पर उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाय।

श्री दिवाकर पुत्र राम लखन, ग्राम असैदापुर थाना गौरीगंज सुल्तानपुर का स्थानीय थाना में रिपोर्ट न दर्ज करने विषयक पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजा गया पत्र

47--श्री तेजभान सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को सम्बोधित श्री दिवाकर पुत्र राम लखन ग्राम-असैदापुर, थाना गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 15 अक्तूबर, 1997 का रजि0 प्रार्थना-पत्र तथा पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को 24 सितम्बर, 1997 का तार जिसमें स्थानीय थाने पर रिपोर्ट न दर्ज करने तथा उसके प्रतिपक्षी को लाठ-गांठ से परेशान करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी शिकायत दर्ज कर जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद का 3 मार्च, 1997 और 25 अप्रैल, 1997 को पुलिस अधीक्षक बस्ती को भेजा गया पत्र

48--श्री सीताराम निषाद--

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद का पत्रांक-मेमो/ए0 सी0/स्थापन/दिनांक 3 मार्च, 1997 और 25 अप्रैल, 1997 क्या पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी हर्रैया से कराई गई। जांचोपरान्त क्षेत्राधिकारी हर्रैया बस्ती की जांच आख्या जिला अधिकारी फैजाबाद को दिनांक 24 अप्रैल, 1998 को भेजी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष के ग्राम मोहम्मदपुर गौती के अनुसूचित जाति के सिल्ली तथा मुन्ना के परिवार का एक समुदाय के आतंक द्वारा पलायन

49--श्री किशन लाल बघेल--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोषे के ग्राम मोहम्मदपुर गौती के अनुसूचित जाति के परिवार एक विशेष समुदाय के

आतंक और पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान न किये जाने के कारण गांव से पलायन कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त गांव के अनुसूचित जाति धोबी छिल्ली और मुन्ना का परिवार मारपीट का शिकार होकर गांव से पलायन कर गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के अनुसूचित जाति धोबी श्री शेड्ढ़ एवं श्याम लाल की पत्नी को विगत दो माह से उक्त समुदाय द्वारा लगातार प्रताड़ित किये जाने एवं ऐसी अन्य घटनायें होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मई, 1998 के सप्ताह में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई ? उक्त गांव के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के परिवारों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? क्या सरकार इस प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

जी नहीं, बल्कि ग्राम मोहम्मदपुर गौती के अनुसूचित जाति के छिल्ली तथा मुन्ना के परिवार के क्रमशः सोड्ढ़ा व शोड्ढ़ा नामक व्यक्ति स्वेच्छा से रोजी-रोटी के लिये मुम्बई गये हुये हैं ।

जी नहीं, बल्कि प्रश्न में उल्लिखित कथित घटना के बारे में अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति थाना स्थानीय में रिपोर्ट लिखाने नहीं गया ।

पूर्व से ही ग्राम मुहम्मदपुर गौती में सभी वर्गों के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि के पुलिस चौकी स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता (श्री तेजमान सिंह) का थाना जामों के कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पत्र एवं जांच

50--श्री तेजमान सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अपर पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 1 नवम्बर, 1997 का पत्र जिसमें थाना जामों के कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उप महानिरीक्षक, फैजाबाद की जनपद की समीक्षा बैठक में दिये गये महेश पुत्र जोखू ग्राम शिवगढ़ (घाटमपुर) के शिकायती प्रार्थना-पत्र उप अधीक्षक गौरीगंज के साथ किसी अन्य को शिकायतकर्ता के रूप में फर्जी पेश कर जांच पूर्ण कराने का आरोप लगाया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां । जांच से प्रकाश में आये अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16 अप्रैल, 1998 को आरोप पत्र सं0 21 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद सदस्य का पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बोधित दिनांक 22 अक्टूबर, 1996 का पत्र एवं कार्यवाही

51--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद सदस्य का पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 1996 जो कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बोधित था तथा जिसमें प्राण घातक हमले की जांच एवं सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि थाना सोनहा जिला बस्ती के थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी ? इस सम्बन्ध में माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री के पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1997 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1997 पर अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । श्री अजीजुर्रहमान सिद्दीकी की सूचना पर एन0 सी0 आर0 संख्या 124/96 पंजीकृत करके विवेचनोपरांत दिनांक 25 जुलाई, 1997 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया है । केन्द्रीय गृह मन्त्री जी का उल्लिखित पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1997 प्राप्त नहीं हुआ । बल्कि मुख्य सचिव का पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1997 प्राप्त हुआ । मामले की जांच क्षेत्राधिकारी खलीली, बस्ती द्वारा कराई गई । जांच से यह पाया गया कि श्री अजीजुर्रहमान सिद्दीकी व विपक्षीगण के मध्य बरसात के पानी को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा भयभीत होकर अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अनुरोध किया गया है । जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि श्री अजीजुर्रहमान सिद्दीकी स्वयं लखनऊ में रहते हैं । अतः पूछताछ हेतु मौके पर नहीं मिले । थानाध्यक्ष सोनहा को श्री सिद्दीकी की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नकर्ता श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया का 'परिवहन में देय कर' की चोरी विषयक आयुक्त व्यापार कर लखनऊ को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही

*52---श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में पारगमन पत्र के द्वारा प्रदेश में अर्थ दण्ड की भयंकर चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो उसको रोकने के क्या उपाय हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 जोकि आयुक्त व्यापार कर लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जनवरी, 1997 से सितम्बर, 1997 के मध्य कितना अर्थदण्ड वसूला गया ? कितना माफ किया गया ? उसका आधार क्या था ?

संख्यागत वित्त मन्त्री—

(श्री राधेश्याम गुप्त)—

माननीय श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक जी का "परिवहन में देय कर की भयंकर चोरी विषयक" पत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 जो आयुक्त व्यापार कर को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है। महराजपुर जांच चौकी से नौबतपुर जांच चौकी के लिए जारी पारगमन प्राधिकार पत्र संख्या 3013, दिनांक 24 अगस्त, 1997 जारी किया गया था। निर्गमन जांच चौकी नौबतपुर पर वाहन चालक द्वारा दोनों पारगमन प्राधिकार पत्र की प्रतियां छोड़ दी गयी थी परन्तु चौकी पर वाहन न पाये जाने पर नौबतपुर जांच चौकी द्वारा इसकी सूचना पत्र संख्या 725 दिनांक 1 सितम्बर, 1997 से महराजपुर जांच चौकी को प्रेषित कर दी गयी थी, जो महराजपुर पर दिनांक 6 सितम्बर, 1997 को प्राप्त हुई। दिनांक 7 सितम्बर, 1997 को संदर्भित वाहन संख्या यू0 पी0 32-टी/6524 के पुनः महराजपुर जांच चौकी पर पहुंचने पर अधिकारी द्वारा पूर्व पारगमन पत्र को असत्यापित मानते हुए उसके आधार पर ले जाये गये माल के मूल्य पर 40 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड व देय कर के बराबर रु0 96,425.00 की जमानत मांगी गयी। ट्रांसपोर्टर द्वारा 17 सितम्बर, 1997 को डिप्टी कमिश्नर (वि0 अनु0 शा0) गाजियाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 24 अगस्त, 1997 को परिवहन किया गया माल कलकत्ता की प्रेषिती फर्म श्रीमती एसोसिएटेड एक्सेसरीज प्रा0 लि0 51, गनेश चन्द्र, एवेन्यु कलकत्ता को पहुंच गया है। इसके समर्थन में साक्ष्य भी दिये गये। इस पर वाहन को अवमुक्त करने तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही का निर्णय लेने हेतु डिप्टी कमिश्नर (वि0 अनु0 शा0) गाजियाबाद द्वारा महराजपुर जांच चौकी के अधिकारी को निर्देश दिये गये तथा यह भी आदेश दिये गये कि यदि अतिरिक्त जांच आवश्यक समझें तो साक्ष्यों के सत्यापन की कार्यवाही भी करें।

व्यापार कर अधिकारी द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 1997 को वाहन अवमुक्त करते हुए पूर्व में निर्णय बहती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड व कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया। वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1997 से 1 सितम्बर, 1997 तक की अवधि की डीजल क्रय की चार रसीदें, कलकत्ता की प्रेषिती फर्म के ट्रांसपोर्टर को सम्बोधित पत्र संख्या ए0 ए0 97-98/172 दिनांक 12 सितम्बर, 1997 की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति तथा प्रेषिती फर्म द्वारा प्रमाणित बिल्टी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। व्यापार कर अधिकारी द्वारा संदर्भित माल के दिल्ली से कलकत्ता पहुंचने के सम्बन्ध में वाहन के स्वामी द्वारा दिये गये साक्ष्य को अभीष्ट मानते हुए प्रस्तावित कार्यवाहियों के लिए जारी नोटिस निरस्त कर दिये गये। वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन महराजपुर जांच चौकी पर नहीं किया गया था और नौबतपुत जांच चौकी पर भी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है अतः यह कथन कि घोषित माल के अतिरिक्त माल भी था सही नहीं कहा जा सकता। अन्तिम रूप से महराजपुर जांच चौकी पर इस प्रकरण में न कोई अर्थदण्ड आरोपित किया गया और न वसूला गया।

महराजपुर चेकपोस्ट पर अन्य मामलों में जनवरी, 1997 से सितम्बर 1997 तक रु0 88.96 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसके विरुद्ध अभी तक वसूली शून्य है। जिन मामलों में पारगमन प्राधिकार पत्र खारिज हो जाने का साक्ष्य बाद में प्राप्त हुआ पुराने मामलों सहित उक्त अवधि में आरोपित अर्थदण्ड वाहन 22/30 में समाप्त करते हुए रु0 1,21,79,777 की कमी की

गयी । इस धनराशि में जनवरी, 1997 से सितम्बर, 1997 तक आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 88.96 लाख रुपये में से धारा 22/30 के अन्तर्गत कम की गयी धनराशि 46.15 लाख रुपये सम्मलित हैं ।

अभिसूचना मुख्यालय गोखले मार्ग लखनऊ के जी0 बी0 अनुभाग में 5 वर्ष से या अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

53--श्री बाबू लाल कुरील--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभिसूचना मुख्यालय, गोखले मार्ग, लखनऊ के जी0 बी0 अनुभाग में कितने एस0 आई0 एन0/ए0 एन0 आई0 एन0 कर्मचारी हैं जोकि विगत पाँच वर्ष या अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद लखनऊ के बाहर अभिसूचना की विशेष शाखाओं में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ के जी0 बी0 अनुभाग (अधिष्ठान शाखा) में 5 एस0 आई0 (एम) उपनिरीक्षक (एन) 5 वर्षों से अधिक समय से नियुक्त हैं । इस शाखा में कोई भी ए0 एस0 आई0 (एन) 5 वर्ष से अधिक समय से नियुक्त नहीं हैं ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार बड़े नगरों में किसी भी अधिकारी को 7 वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा, परन्तु लखनऊ के लिये जिला प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों को की गयी सेवा को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । चूंकि अभिसूचना मुख्यालय के पद जिला प्रशासन के पद नहीं हैं, इसलिए स्थानान्तरण नीति के अनुसार अभिसूचना मुख्यालय में नियुक्त उपरोक्त लिपिक वर्गीय कर्मियों के स्थानान्तरण वांछित न होने के कारण इनको वर्तमान सत्र में लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रदेश में अपराधियों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने की नीति एवं जनपद मैनपुरी में अपराध संख्या 1461/91 थाना बेवर में अपराध में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

54--श्री राम औतार शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अपराधियों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध गैंगेस्टर/एन0 एस0 ए0 में कार्यवाही करने की नीति क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि अपराध संख्या 146/91 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बेवर जनपद मैनपुरी में किन-किन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था ? उनका अब तक का क्या अपराधिक इतिहास है ? क्या सरकार ने उक्त अपराध के नामित अपराधियों के विरुद्ध वर्ष 1996 से लेकर अब तक गैंगेस्टर एक्ट/एन0 एस0 ए0 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कल्याण सिंह—

लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित बुनियादी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रिया-कलाप को रोकने के लिए गैंगेस्टर अधिनियम तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने या लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक पदार्थों और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एन0 एस0 ए0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अपराध संख्या 146/91 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बेवर जनपद मैनपुरी में निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था—

(1) श्री उपदेश सिंह उर्फ खलीफा पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना-बेवर, जनपद मैनपुरी।

(2) श्री शिवराज सिंह उर्फ श्री0 टी0 आई0 पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

(3) श्री प्रेम पाल सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर, निवासी चिसौली, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

(4) श्री संतोष उर्फ भूरा पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता, निवासी चिसौली, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी

(5) श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी किशनपुरी गढ़िया, थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

(6) श्री देवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

(7) श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

(8) श्री संतोष सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

(9) श्री श्रीचन्द्र पुत्र श्री सुखलाल शाक्य निवासी अमरपुर थाना बेवर, जनपद मैनपुरी।

उक्त अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास निम्न संलग्न है।

उक्त अपराध के अन्तर्गत नामित निम्नलिखित अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर/एन0 एस0 ए0 की कार्यवाही की गयी है—

(10) श्री उपदेश सिंह उर्फ खलीफा पुत्र बाबू सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, मैनपुरी।

(1) अ0 सं0 370/96 धारा गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 24 जुलाई, 1996 थाना बेवर, मैनपुरी।

(2) अ0 सं0 673/97 धारा गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 30 दिसम्बर, 1997 थाना बेवर, मैनपुरी ।

(3) अ0 सं0 212/97 धारा गैंगेस्टर अधिनियम थाना स्वरूपनगर, जनपद कानपुर नगर ।

(4) अ0 सं0 59/98 धारा एन0 एस0 ए0 दिनांक 24 जनवरी, 1998 थाना बेवर, मैनपुरी ।

(2) श्री शिवराज सिंह उर्फ पी0 टी0 आई0 पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, मैनपुरी ।

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30 मई, 1996 द्वारा श्री शिवराज सिंह एवं श्री उपदेश सिंह को निरुद्ध किया गया तथा उक्त निरोधादेश शासन के आदेश दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा विखण्डित कर दिया गया था। निरोधादेश दिनांक 24 जनवरी, 1998 द्वारा श्री उपदेश सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (2) के अन्तर्गत निरुध किया गया। वर्तमान में श्री उपदेश सिंह केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध हैं ।

(2) अ0 सं0 379/96 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 4 जुलाई, 1996 थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(3) श्री प्रेमपाल सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर निवासी चिसौला, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(1) अ0 सं0 382/96 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 4 जुलाई, 1996 थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(4) श्री संतोष उर्फ भूरा पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता निवासी चिसौला, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(1) अ0 सं0 381/96 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 4 जुलाई, 1996 थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(5) देवेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी किशनपुर गढ़िया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

(1) अ0 सं0 380/96 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम दिनांक 4 जुलाई, 1997 थाना बेवर, जनपद मैनपुरी ।

सूची छापी नहीं गई है ।

55—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि थाना बेवर, जनपद मैनपुरी में पंजीकृत अपराध संख्या 84/98, 114/98, 172/98, थाना भोगांव जनपद मैनपुरी के अपराध संख्या 63/98, 93/98, 97/98, 111/98, 112/98 व थाना किशनी जनपद मैनपुरी के अपराध संख्या 44/98, 58/98 थाना कोतवाली मैनपुरी के अपराध संख्या 229/98, थाना किशनी मैनपुरी के अपराध संख्या 49 ए/98

में किन-किन अभियुक्तगण के विरुद्ध किन-किन धाराओं में मुकदमें पंजीकृत किये गये ? अब तक किन-किन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ? क्या सरकार उक्त अपराधों में नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त केसों की विवेचना में विलम्ब/शिथिलता/पक्षपात बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अभियोगों के सम्बन्ध में थानावार विवरण निम्नानुसार है :—

थाना बेवर

अपराध धारा संख्या	अभियुक्तों के नाम
84/98 395, 332, 353, भा0 द0 वि0	वीरेन्द्र कुमार, अखिलेश अरुणेश उर्फ अन्नू
114/98 307 भा0 द0 वि0	सतीश चन्द्र, महेश तथा प्रेमपाल
171/98 384, 323, 506 भा0 द0 वि0	शिवराज सिंह पंटी आई तथा पंटी आई का भतीजा व अन्य साथीगण नाम पता अज्ञात
172/98 147, 148, 149, 307, 353, 224, 225 भा0 द0 वि0 एवं 7 क्रिमि0 ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट	शिवराज सिंह पंटी आई सन्तोष सिंह, सुरेश सिंह, पिन्टू, पिस्सू जनेश, मुनेश, देवेन्द्र उर्फ बरू, विजेन्द्र उर्फ मल्लू व 15–20 व्यक्ति अज्ञात

थाना भोगांव

63/98 147, 132, 353, 223, 504, 506 भा0 द0 वि0 भा0 द0 वि0	स्वामी सच्चिदा नन्द हरि साक्षी, सांसद रामशरण, रामऔतार, व बलवीर सिंह
93/98 302 भा0 द0 वि0	मंजू सिंह
97/98 307 भा0 द0 वि0	राम सिंह, श्यामलाल, नरेश, अजयपाल, गोरे, लाला, देवी दयाल, नन्दराम, प्रहलाद, मदनलाल, सुरेश, वीरेन्द्र, रामसनेही, रामलाल, लज्जाराम, नेपाली, नवाब सिंह, यादराम, जवाहर, पन्नालाल, सुखलाल, गयाप्रसाद तथा कालीचरन
111/98 302 भा0 द0 वि0	कलक्टर सिंह, विनेश कुमार, राकेश, सुरेश, राकेश, जयवीर

112/98 382 भा0 द0 वि0	3-4 अज्ञात बदमाश
थाना बिछवां	
44/98 147, 148, 149, 332, 353, 224, 506, 437, भा0 द0 वि0	राममरोसे लाल, राम प्रसाद वर्मा एडवोकेट, गोपाल दास लोधी, राजीव कुमार व श्रीमती कृष्णा लोधी तथा 100-125 अज्ञात
58/98 436 भा0 द0 वि0	रामखिलाड़ी
थाना कोतवाली	
229/98 307 भा0 द0 वि0	गुड्डू भइया व मुनेश
थाना किठौनी	

49 ए/98 यह अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

अभियुक्तगण सतीश, महेश, रामप्रसाद, बेचेलाल व लालाराम को गिरफ्तार किया गया है।

जिन अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है और जिन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है उनको छोड़कर शेष नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विवेचना में कोई शिथिलता/पक्षपात नहीं किया गया है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामेश्वर मौर्य पद सेवक व्यापार कर कार्यालय बहराइच के समस्त देयों का भुगतान किये जाने की मांग

56—श्री लाखीराम जोशी—

द्वितीय सत्र 1997 के 3 सरे सौग के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामेश्वर मौर्य पद-सेवक व्यापार कर कार्यालय बहराइच के वेतन निर्धारण के साथ सम्पूर्ण देयों का भुगतान करा दिया गया है? क्या सात माह का भुगतान अभी भी शेष है? यदि हां, तो टुकड़ों में देयों का भुगतान कराने के क्या कारण हैं? क्या सरकार श्री मौर्या के सात माह के भुगतान को तत्काल कराने के आदेश देगी? इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम गुप्त—

दिनांक 6 फरवरी 1980 से 16 अप्रैल, 1990 को सेवा से निष्कासित अवधि का वेतन निर्धारण करते हुए बकाया देयों का समस्त भुगतान कर दिया गया। दिनांक 6 फरवरी, 1980 से 16 अप्रैल, 1990 तक की अवधि का भुगतान नये वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 31 जुलाई, 1997 को न्यूनतम वेतन के आधार पर किया गया पुनः नये वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 3 सितम्बर, 1997 को विकल्प प्रस्तुत करने पर वेतन निर्धारण करके अवशेष बकाया का भुगतान दिनांक 4 सितम्बर, 1997 को कर दिया गया।

उपरोक्त अवधि (6 फरवरी, 1980 से 16 अप्रैल, 1990) के मध्य किसी भी अवधि का भुगतान शेष नहीं है तथा दिनांक 2 जुलाई, 1979 से 5 फरवरी, 1980 तक की सात माह की अवधि का भुगतान इस लिए नहीं किया गया क्योंकि दिनांक 14 नवम्बर, 1979 से 5 फरवरी, 1980 तक की पूर्ण अवधि के अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर मौर्य सेवक द्वारा अवकाश व प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

जनपद बस्ती में रोडवेज डिपो का पानी निकलने
के सम्बन्ध में प्रश्न कर्ता का शिकायती
पत्र एवं कार्यवाही

57—श्री राम ललित चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, 1998 के दूसरे सप्ताह में जनपद बस्ती में रोडवेज डिपो का पानी निकलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

बस्ती डिपो के सामने एवं पीछे के दोनों मार्ग नगर पालिका बस्ती के नियंत्रण में हैं। इन मार्गों की नाली की सफाई एवं नाली का निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम द्वारा परिचालित बसों के लिए बाराबंकी
में भेलसर बस स्टाप पर रात्रि में बस रोके जाने हेतु
आदेश देने की मांग

58—श्री राम कृपाल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम द्वारा परिचालित गोरखपुर से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ, लखनऊ से बड़ोखर तथा अन्य रात्रि में चलने वाली बसें वर्तमान समय जनपद बाराबंकी का भेलसर जो एक महत्वपूर्ण बस स्टाप है, पर रात्रि में बसें नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि रात्रि यात्रा कर रहे यहां के निकटवर्ती क्षेत्र के यात्रियों को घोर कठिनाईयां होती हैं ? क्या सरकार उक्त बस स्टाप पर रात्रि में बसें रोके जाने हेतु आदेश देकर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

डीलक्स, सेमी डीलक्स, एक्सप्रेस बसों को छोड़कर सभी बसें भेलसर बस स्टाप पर रुककर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शातिर अपराधियों के धरपकड़ अभियान में राजधानी के विभिन्न थानों की उपलब्धि एवं थाना अलीगंज की पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का कथित आरोप

59—श्री सौलत अली, श्री सरवर अली खां तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी, 1995 से अब तक शातिर अपराधियों की धर पकड़ के जो अभियान चलाये गये उनके अन्तर्गत राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों की क्या उपलब्धि रही ? क्या इन सभी अभियानों में लखनऊ के थाना अलीगंज की उपलब्धि शून्य रही ? क्या इसका प्रमुख कारण यह है कि संबंधित थाना क्षेत्र में अपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति भारी संख्या में रहते हुये भी स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ?

श्री कल्याण सिंह—

आलोच्य अवधि में शातिर अपराधियों की धर-पकड़ के जो अभियान चलाये गये उनमें राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है—

1995	1996	1997	1 जनवरी, 1998 से 15 जून, 1998 तक
1883	2106	1672	1067

जी नहीं।

प्रश्नगत अभियान में थाना अलीगंज जनपद लखनऊ को उपलब्ध गिरफ्तारियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है—

1995	1996	1997	1 जनवरी, 1998 से 15 जून, 1998 तक
126	142	137	68

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ के थाना अलीगंज क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों के विरुद्ध शासन व अधिकारियों को भेजे गये पत्र

60—श्री सौलत अली; श्री सरवर अली खां तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में लखनऊ के थाना अलीगंज क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मा0 मंत्री गण, शासन स्तर तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को भेजी गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

आलोच्य अवधि में अलीगंज थाने से सम्बन्धित शासन स्तर से 46, मा0 मंत्रीगण स्तर से 30 एवं अन्य उच्चाधिकारी स्तर से 126 शिकायती पत्र स्थानीय पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुये। इनकी जांच निष्पक्षतापूर्वक करने पर 148 शिकायतें असत्य एवं 54 शिकायतें सत्य पाई गई। सत्य पायी गयी शिकायती पत्रों पर 3 में धारा 145 द0 प्र0 सं0 17 में धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी एवं 34 शिकायती पत्रों को आपसी सुलहनामे के आधार पर निस्तारित किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के थाना महराज गंज में घटित घटनायें एवं
ग्राम-मढ़ना के श्रीराम औतार राजभर की हत्या
एवं कार्यवाही

61--श्री राम नाथ तरोज--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना महराजगंज में माह जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997 तक कितनी हत्या की घटनायें घटित हुई ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 27/28 फरवरी, 1997 को थाना-महराजगंज, जनपद-फैजाबाद के ग्राम-मढ़ना में श्री राम औतार राजभर की हत्या हुई थी ? यदि हां, तो इनमें नामजद अभियुक्त कौन-कौन थे ? उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद फैजाबाद के थाना-महराजगंज में माह जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1997 तक हत्या की कुल 4 घटनायें घटित हुई।

जी हां।

प्रश्नगत मुकदमें में निम्न दो अभियुक्त नामजद किये गये थे :

1--अतुल सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह

2--पप्पू सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह

विवेचना के उपरान्त वाइस्तवाह अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में न्यायालय सिविल जज,
जूनियर डिवीजन का गजट किये जाने की मांग

62--डा0 छोटे लाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन का नोटीफिकेशन शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन का गजट कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में सिविल जज, (जूनियर डिवीजन) न्यायालय के पदों के सृजन का मामला विचाराधीन है। उक्त पदों के सृजन के लिए शीघ्र बजट व्यवस्था कराने के लिए प्रयास जारी है। पदों का सृजन होते ही न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित अधिसूचना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से जारी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में नोटरी अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की मांग

डा0 छोटे लाल वर्मा--

63--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के आधार पर नोटरी ऐक्ट के मुताबिक प्रत्येक तहसील में 2000 नोटरी शपथ-पत्र से अधिक बनने पर दो नोटरी अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में 6000 से अधिक नोटरी शपथ-पत्र बनने के बाद भी आज तक एक नोटरी नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सूर्यमुखी पत्नी स्व0 श्री गुरुचरणलाल श्रीवास्तव, निवासी 3 ए/78, आजाद नगर द्वारा 24 मई, 1997 को मंत्री के माध्यम से दिया गया शिकायती-पत्र

64--श्री कमला प्रसाद रावत--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती सूर्यमुखी पत्नी स्व0 श्री गुरुचरण लाल श्रीवास्तव, निवासी 3ए/78, आजाद नगर, कानपुर ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को महिला कल्याण मंत्री के माध्यम से अपना शिकायती-पत्र, दिनांक 24 मई, 1997 दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें की गयी थीं तथा उन पर शासन व जनपद बाराबंकी की जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? कौन-कौन अधिकारी / कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

पत्र में मुख्य शिकायत, उनके भतीजे एवं देवर द्वारा भूमि हड़पने एवं शासन को झूठी रिपोर्ट भेजने तथा क्षेत्राधिकारी नगर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की, की गई थी।

यह सत्य नहीं है कि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से कराई गई। जांच में पाया गया कि श्रीमती सूर्यमुखी से जमीन को लेकर श्री गोपाल नरायन, हृदय नरायन एवं प्रेम नरायन श्रीवास्तव में विवाद है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का वाद न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी लखनऊ में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता (श्री कमला प्रसाद रावत) का दिनांक 14 दिसम्बर, 1997 एवं 13 फरवरी, 1998 का शासन को भेजा गया पत्र एवं अपराधियों / अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

65--श्री कमला प्रसाद रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1997 एवं पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1998 शासन को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसमें उल्लिखित शिकायतों पर जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन, बाराबंकी एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से करा कर दोषी अपराधियों एवं पुलिस प्रशासन, बाराबंकी के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1997 का न होकर 16 दिसम्बर, 1997 का है जो तथा दिनांक 13 जनवरी, 1998 का पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जांच में पाया गया कि श्रीमती सूर्यमुखी से जमीन को लेकर श्री गोपाल नरायन हृदय नरायन एवं प्रेम नरायन श्रीवास्तव में विवाद है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का वाद न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी लखनऊ में विचाराधीन है। शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस द्वारा उक्त भूमि को कुर्क करने हेतु धारा 145 सी0 आर0 पी0 सी0 एवं धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी, रामसनेही घाट बाराबंकी के न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम में घपले सम्बन्धी विषयक श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया विधायक का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित पत्र एवं कृत कार्यवाही

66--श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम में अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ो रुपये के घपले सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह

शिशीविया, विधायक का पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1998 जो मुख्य मन्त्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जी हां ।

यद्यपि पूर्व में प्रकरण में जांच हुई फिर भी माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत जांच पुनः कराने के आदेश जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67--श्री सत्य प्रकाश सोनकर--

[राज्य सरकार से अवावद्ध होने के कारण निरस्त]

एटा जिले के थाना मिरहची में दिनांक 16 मार्च, 1998 को
हरिजन उत्पीड़न एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा
एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये
जाने के कारण

68--श्री नेतराम सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि एटा जिले के थाना मिरहची में अपराध सं0 41/98धारा 467/468/420/323/504 आई0 पी0 सी0 व हरिजन उत्पीड़न एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 16 मार्च, 1998 को पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अपराधी कौन-कौन हैं ? जांचकर्ता कौन अधिकारी हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

उक्त अभियोग श्रीमती सरोज कुमारी, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सिरसा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कासगंज तथा क्षेत्राधिकारी नगर एटा द्वारा की गयी ।

विवेचना एवं पूछताछ से मामला सही नहीं पाया गया । अतः किसी को गिरफ्तार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज थाना परसपुर ग्रामसभा
पूरे तिवारी में गरीबों की भूमि पर भूमाफियों
द्वारा अवैध कब्जे हटाने विषयक प्रमुख
सचिव गृह का जिला अधिकारी
गोण्डा एवं डी0 आई0जी0
फैजाबाद को प्रेषित
पत्र एवं कार्यवाही

69--श्री मेजर जगत पाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज थाना परसपुर ग्राम सभा पूरे तिवारी में गरीबों की भूमि पर भूमाफिया द्वारा

अवैध कब्जे को हटाने के लिये प्रमुख सचिव, गृह का पत्र संख्या 3459 नवम्बर, 1995 को जिलाधिकारी गोण्डा एवं दिनांक 2 सितम्बर, 1996 पत्र सं0 133063 डी0 आई0 जी0 फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मु0 नसीब पुत्र श्री जहीर अहमद, निवासी पूरे नवाब सरैसर, थाना जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा थानाध्यक्ष जामो के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र पर जांच

70--श्री तेजभान सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 संख्या-51 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जांच में क्या किसी अधिकारी ने प्रार्थी एवं थवाहान से कोई पूछताछ की है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने पूछताछ की है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने का कष्ट करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी अमेठी ने पूछताछ की है ।

जांच पूर्ण होने के पश्चात् दोषी कान्सटेबुल के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । इसलिये दुबारा जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनता को तहसील स्तर पर सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु जनपद महोबा में तहसील चरखारी एवं कुल पहाड़ में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना न किये जाने के कारणों की जानकारी

71--डॉ0 छोटेलाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन जनता को तहसील स्तर पर सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु प्रत्येक तहसील में मुन्सिफ न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया है? यदि हां, तो तहसील चरखारी एवं तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा में आज तक मुन्सिफ अदालत की स्थापना नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के तहसीलों में मुन्सिफ न्यायालय (अब सिविल जज, जूनियर डिविजन) की स्थापना सम्बन्धी निर्णय तहसील मुख्यालय पर पर्याप्त कार्यभार, जिला मुख्यालय से पर्याप्त दूरी तथा तहसील मुख्यालय पर न्यायालय को गरिमा के अनुरूप आवासीय एवं अनावासीय भवन के उपलब्ध होने की दशा में राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति से किया जाता है ।

जनपद महोबा की तहसील चरखारी एवं तहसील कुलपहाड़ में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत शासन में प्रतीक्षित है ।

इण्डियन आयल के बनारस एयरपोर्ट पर कार्यरत अधिकारी श्री
विवेक कुमार सक्सेना के अपहरण की जांच कराकर
दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही
किये जाने की मांग

72—श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इण्डियन आयल के बनारस एयरपोर्ट पर कार्यरत अधिकारी श्री विवेक सक्सेना पुत्र स्री एस0 एम0 सक्सेना का दिनांक 12 जनवरी, 1998 को अपहरण हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अपहरण कार्य में लिप्त मारुति नं0 यू0 पी0–30–9797 तथा मारुति वेन नं0 यू0 पी0 30–ए–370 की दोनों गाड़ियां भी पकड़ी गयीं । यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं, अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के थाना प्रेमनगर, बारादरी थाना कोतवाली में
फाइनेन्स कम्पनियों में दर्ज मुकदमा एवं कार्यवाही

73—श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद की फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा जनता का धन जमा कराया गया था किन्तु समय आने पर भुगतान न करने पर गत दो माहों में कुछ कम्पनियों के खिलाफ जनपद के थाना प्रेमनगर, बारादरी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो उस पर इन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बरेली में फाइनेन्स कम्पनियों द्वारा जनता का धन जमा कराया गया किन्तु समय पर भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में गत दो माह में थाना प्रेमनगर पर 4, थाना बारादरी पर 3 तथा थाना कोतवाली पर 4 अभियोग पंजीकृत किये गये उक्त सभी अभियोगों की विवेचना प्रचलित है साक्ष्यों के आधार पर संबंधित फाइनेन्स कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

74—श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना—

[दिनांक 26/6/98 को अता0 प्र0 सं0 187 द्वारा उत्तरित]

जिला शासकीय अतिरिक्त एवं जिला शासकीय तथा सहायक
जिला शासकीय अधिवक्ताओं को फौजदारी एवं
दीवानी की फीस का भुगतान न होने
की जानकारी

75—श्री राम प्यारे—

क्या मुख्यमन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि जिला शासकीय, अतिरिक्त जिला शासकीय तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं की फौजदारी एवं दीवानी की फीस का भुगतान 1997 से अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाजहांपुर के श्री समरपाल सिंह थानाध्यक्ष मदनापुर के
भ्रष्टाचार विषयक जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना का पत्र

76--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तीन पत्र दिनांक 14 अगस्त, 1997 के आसपास समरपाल सिंह, थानाध्यक्ष, मदनापुर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में दिये थे, प्राप्त हुये हैं यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या जांच में लगाये गये आरोप सत्य पाये गये? यदि हां, तो दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । प्रश्नकर्ता को तीन पत्र के बजाय दो पत्र प्राप्त हुये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं । केवल लापरवाही बरतने के लिये श्री समरपाल सिंह, थानाध्यक्ष के विरुद्ध दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख से दण्डित करने एवं वर्ष 1997 की सत्यनिष्ठा रोके जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस रेडियो शाखा में कार्यरत कर्मशाला-कर्मियों (कांस्टेबिल
दूर संचार) को एक वर्ष में एक बार कतिपय
अवकाशों को उपयोग न कर पाने के
एवज में मान देय दिये जाने
की मांग

77--श्री बब्बू प्रसाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेडियो शाखा में कार्यरत कर्मशालाकर्मियों (कांस्टेबिल दूरसंचार) को भी गृह पुलिस अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2322/8-1-3/1997, दिनांक 16 मई, 1989 के अनुसार रविवार, द्वितीय शनिवार व राजपत्रित अवकाश का उपभोग न कर पाने के एवज में वर्ष में एक बार मानदेय स्वीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार मानदेय न दिये जाने की दशा में उक्त समस्त अवकाशों के उपभोग की अनुमति इन कर्मचारियों को भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मशाला कर्मियों की सेवायें रविवार व दूसरे शनिवार को नहीं प्राप्त की जाती हैं । वे सामान्यतः घोषित अवकाशों का उपभोग किया करते हैं । अवकाश के दिवस में ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाये जाने पर इन्हें प्रति कर अवकाश की सुविधा अनुमन्य है ।

पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में समानता लाने हेतु पुलिस रेडियो शाखा के कर्मशाला कर्मियों के पदनाम परिवर्तित किये जाने की मांग

78—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में समानता लाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा माह फरवरी–मार्च, 1998 में प्रस्तावित पद नामों के अनुसार पुलिस रेडियो शाखा के कर्मशाला कर्मी, आपरेटर, हेड आपरेटर, रेडियो इंस्पेक्टर आर0 एम0 ओ0 एवं आर0 एस0 ओ0 के पदनाम परिवर्तित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का संदर्भित प्रस्ताव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया और अस्वीकार कर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामेश्वर मौर्य पद–सेवक व्यापार कर कार्यालय बहराइच के समस्त देयों का भुगतान न किये जाने की मांग

79—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 34 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बैंक ड्राफ्ट संख्या 868443, दिनांक 31 जुलाई, 1997 द्वारा किन–किन देयों का भुगतान किया गया है ? क्या श्री मौर्य के वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके वेतन का निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त—

बैंक ड्राफ्ट दिनांक 31 जुलाई, 1997 द्वारा श्री रामेश्वर मौर्य, सेवक, व्यापार कर, कार्यालय, बहराइच के निम्न देयों का भुगतान किया गया है :—

1—दिनांक 6 फरवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1986 तक वेतनमान रु0 305–390 में न्यूनतम वेतन रु0 305 पर अनुमन्य वेतन एवं भत्ते ।

2—दिनांक 1 फरवरी, 1986 से 17 अप्रैल, 1990 तक वेतनमान रु0 750–940 में न्यूनतम वेतन रु0 750 पर अनुमन्य वेतन एवं भत्ते ।

जी हां । श्री मौर्य का वेतन निर्धारण कर बकाया का भी भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्नकर्ता (श्री तेजभान सिंह) के उपरिपत्र के साथ संलग्न
श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री दामोदर प्रसाद शुक्ल
ग्राम तीवर पो0 चेतिया, जनपद सिद्धार्थ नगर के
प्रति का बकाया दिलाने विषयक पद
पर कार्यवाही

80--श्री तेजभान सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री दामोदर प्रसाद शुक्ल, ग्राम-तीवर, पो0-चेतिया, जनपद-सिद्धार्थनगर का पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 जिसमें प्रार्थिनी ने अपने पति के बकाया वेतन दिलाये जाने की मांग की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री 'पटेल' राम कुमार वर्मा--

दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 प्राप्त हुआ परन्तु उसमें उल्लिखित श्रीमती सरस्वती देवी का पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

उपयुक्त पत्र में श्री दामोदर प्रसाद शुक्ला भू0-पू0 आंकिक/विक्रेता को देय वेतन का भुगतान किये जाने की मांग की गई थी । श्री शुक्ल के सेवा काल से सम्बन्धित समय-समय पर देय वेतन का भुगतान उन्हें सम्बन्धित समिति से किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के नगर क्षेत्र हैदरगढ़, वार्ड पूरे मितई के
म0 सं0 102 में हुई चोरी के सम्बन्ध में श्रीमती
रामपती देवी पत्नी स्व0 राम अवध मिश्र की
रिपोर्ट एवं कार्यवाही

81--श्री अजय कुमार पोद्दार--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के नगर क्षेत्र हैदरगढ़, वार्ड पूरे मितई के मकान संख्या-102 में दिनांक 5/6 जनवरी, 1996 को हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक जांच करने हेतु रामपती देवी, विधवा स्व0 राम अवध मिश्र तथा राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के कितने पत्र 23 जनवरी, 1996 से नवम्बर, 1997 तक शासन व जिला प्रशासन बाराबंकी को प्राप्त हुए हैं ? हैदरगढ़ कोतवाली में उक्त चोरी की रिपोर्ट 6 मई, 1998 तक दर्ज कर जांच की गयी है ? यदि हां, तो उसकी अपराध संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर उक्त विधवा की रिपोर्ट दर्जकर न्याय दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

विभिन्न स्तरों से कुल 8 पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जी हां ।

प्रकरण की अपराध संख्या 175/98 है ।

जांच से चोरी का आरोप असत्य पाया गया । अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में परिवहन विभाग में रिक्त पदों की संख्या एवं उन्हे भरे जाने की मांग

82—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में परिवहन विभाग में कितने पद ड्राइवरों, कण्डक्टरों एवं कर्मशाला कर्मियों के रिक्त हैं ? क्या सरकार ने रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक रिक्तियां भर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

उत्तरांचल क्षेत्र में ड्राइवरों के 66, कण्डक्टरों के 232 पद रिक्त हैं कार्यशाला में कोई रिक्त नहीं है । जी नहीं । परिवहन निगम में वर्तमान में स्थायी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ।

आगरा को प्रदूषण से बचाने के लिए यमुना नदी में शंकर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में कार्य योजना

83—श्री विजय पाल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि ताज नगरी आगरा को प्रदूषण से बचाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश निर्गत किये गये हैं फिर भी भारी वाहनों का शहर के मध्य होकर गुजरते हैं ? उक्त वाहनों से नित्य रोज जाम लग जाने से आम जनता के आवागमन में बाधा भी पहुंचाती है व वाहनों के धुआं से प्रदूषण भी फैलता है ? उक्त गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जमुना नदी में शंकरपुर घाट पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसमें निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कतिपय निर्देश पारित किये गये हैं जिनके अनुपालन में सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही की अनुपालन आख्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गयी है। आगरा शहर में लग भग 20,000 भारी वाहन, 15,000 हल्के वाहन तथा 50 से 60 हजार तक दो पहिया व तिपहिया वाहन चलते हैं । भारी वाहनों से नाइट्रोजन आक्साइड तथा एसपीएम की मात्रा अधिक रहती है जबकि दो पहिया व तिपहिया वाहनों से जनित उत्सर्जन कार्बन मानोआक्साइड तथा हाइड्रो कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। वाहनों से जनित होने वाले प्रदूषण का प्रभाव अधिक रहता है क्योंकि यह उत्सर्जन भूतल के आस-पास होता है ।

राष्ट्रीय मार्ग सं0 2 के उत्तर की संरक्षण का कार्य इस प्रकार किया जा रहा है यमुना नदी पर नये पुल की आवश्यकता न रहे बल्कि आगरा बैराज से ही बाईपास निकाला जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेडियो शाखा में कार्यरत कर्मियों के वेतनमान संशोधन का शासन में विचाराधीन प्रकरण

84--श्री पीतम राम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस रेडियो शाखा में कार्यरत कर्मशाला कर्मी (कांस्टेबिल दूर संचार) आपरेटर, हेड आपरेटर, आर0 आई0 आर0 एम0 ओ0, आर0 एस0 ओ0 के वेतनमान संशोधन का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

वेतन विसंगतियों तथा पुनरीक्षित भत्तों के सम्बन्ध में वित्त (वेतन समिति) के समक्ष विचाराधीन है । समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात निर्णय लिया जायेगा ।

85--श्री अम्बरीष कुमार--

[दिनांक 22 जून 1998 को अता0 प्र0 सं0 45 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा के थाना सादाबाद में पंजीकृत विद्यार्थियों पर झूठे मुकदमे की वापसी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता (श्री अजय कुमार पोइया) के पत्र पर कार्यवाही

86--श्री अजय कुमार पोइया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सादाबाद, जनपद मथुरा में पंजीकृत विद्यार्थियों पर झूठे मुकदमें की वापसी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम0-3/8659/मथुरा/98, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 को प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन उ0 प्र0 शासन के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि न होने के कारण मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरिद्वार में जिलाधिकारी कार्यालय में असलहों के लाइसेंस हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्र

87--श्री राम सिंह सैनी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार में वर्तमान समय जिला अधिकारी कार्यालय में कितने असलहों के लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे लम्बित हैं जो मृतक आश्रित लाइसेंसों हेतु हैं ? उनके लाइसेंस कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद हरिद्वार में दिनांक 19 जून, 1998 की सूचनानुसार आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स हेतु कुल 9079 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं।

इनमें से मृतक आश्रितों के 190 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं।

उक्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही विचार कर निर्णय लिया जाना संभव होगा।

पुलिस रेडियो विभाग, उत्तर प्रदेश में आपरेटर के रिक्त
पद एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों से
भरे जाने की मांग

88--श्री जोखू लाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार पुलिस रेडियो विभाग, उत्तर प्रदेश में आपरेटर के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मशाला कर्मियों के पदोन्नति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

दिनांक 1 मई, 1998 को पुलिस रेडियो विभाग, उत्तर प्रदेश में आपरेटर (स0परि0) के कुल 1631 पद हैं, जिनमें से कुल 165 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के अन्तर्गत इन पदों के 10 प्रतिशत पद कर्मशाला कर्मी से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कुल 3 कर्मशाला कर्मी वर्तमान में पदोन्नति के पात्र हैं जिसके पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है। शेष कर्मशाला कर्मी पदोन्नति की पात्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं जैसे ही पात्रता क्षेत्र में आवेंगे पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

जनपद भदोही सन्त रविदास नगर मुख्यालय से चलाई गई
बन्द पड़ी बसों को पुनः चलाये जाने की मांग

89--श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि भदोही सन्त रविदास नगर जनपद में 2 वर्ष पहले जनपद मुख्यालय से कई बसें इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर के लिये चलाई थी और अब वे बसें बन्द हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन बसों को पुनः चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

वर्तमान में एक सेवा वाराणसी से भदोही-ज्ञानपुर-गोपीगंज-इलाहाबाद-कानपुर संचालित है, जो वाराणसी और इलाहाबाद को ज्ञानपुर जनपद मुख्यालय से जोड़ती है। इसी प्रकार एक अन्य सेवा जौनपुर से जौनपुर-भदोही-ज्ञानपुर-गोपीगंज-धनतुलसी संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवायें पूर्व से ही संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम हरनोखा को
थाना तिलहर में स्थानान्तरित किये
जाने की मांग

90--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना'—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ग्राम हरनोखा, जो थाना निगोही के अन्तर्गत आता है उक्त ग्राम से थाना निगोही की दूरी करीब 60 कि0मी0 है तथा थाना तिलहर की दूरी केवल 10 कि0मी0 है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये ग्राम हरनोखा को थाना तिलहर में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

ग्रामहरनोखा थाना निगोही से 22 कि0 मी0 दूर है और थाना तिलहर से 12 कि0मी0 दूर है ।

ग्रामवासियों की समस्या के निराकरण हेतु ग्राम हरनोखा को थाना तिलहर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम त्रिवेदी थाना मटौंधा में अनुसूचित
जाति के एक व्यक्ति पर बन्दूक से हमला किये
जाने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री
को सम्बोधित पत्र एवं
कृत कार्यवाही

91—महेन्द्र प्रसाद निषाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1998 जो ग्राम त्रिवेनी, थाना मटौंध, जिला बांदा में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के ऊपर अभियुक्त द्वारा लाइसेंसी बन्दूक से हमला किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

मान्यवर, विधायक का पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही वादी रास मिलन की तहरीरी सूचना पर मु0 अ0 संख्या-25/98 धारा 304/506, भा0द0वि0 एवं 3 (1) 10 एस0सी0/एस0 टी0 ऐक्ट थाना मटौंध पर पंजीकृत कर विवेचना दौरान अभियुक्त रमाशंकर तिवारी ने दिनांक 26 मार्च, 1998 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1998 न्यायालय प्रेषित किया गया । श्री तिवारी के लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, बांदा से अनुरोध किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद स्थित थाना रौनाही में दर्ज मु0 अ0 सं0
306 सन् 90 से सम्बन्धित आत्मसमर्पण न करने
वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार
किये जाने की मांग

92--श्री अकबर हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना रौनाही में मु0अ0सं0-306 सन् 90 धारा 420, 467, 468, भा0द0वि0 का दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो उनमें से कुछ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जमानत करा ली है तथा कुछ अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ? क्या वांछित अभियुक्तों को उपरोक्त मुकदमें में गिरफ्तारी होगी ? यदि हां, तो कब तक ।

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

अभियोग की विवेचना से श्री मोहन लाल वर्मा, तत्कालीन बी0 डी0 ओ0, सोहावल का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया । उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है । अभियोजन स्वीकृत होने के पश्चात् ही उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा ।

93--श्री श्याम देव राय चौधरी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में सहकारी संघ द्वारा चालित शीतगृह में
किसानों के सड़े आलू के एवज में मुआवजा
दिये जाने की मांग

94--श्री कृपा शंकर सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में जिला सहकारी संघ द्वारा चालित शीत गृह में विगत वर्ष किसानों का रखा गया आलू सड़ गया था जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुयी थी ? यदि हां, तो किसानों को उस क्षति के मुआवजे का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद कानपुर नगर तथा कानपुर देहात के थानों में सल्फास
खाने से हुई मौतों की संख्या एवं इसके निराकरण
किये जाने की मांग

95--श्री बाल चन्द्र मिश्र तथा श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में तथा कानपुर देहात जनपदों में थानावार दर्ज रिपोर्ट के आधार पर विगत तीन वर्षों में कितनी

मौतें सल्फास नामक कीटनाशक के खाने से हुई ? उनमें से कितने मामलों व थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई है ? क्या सरकार इसके निराकरण के उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

विगत तीन वर्षों में जनपद कानपुर नगर एवं जनपद कानपुर देहात के कुल थानों में 108 मौतें सल्फास नामक कीटनाशक के खाने से हुई हैं जिनमें से 4 मामलों में थाना स्थानीय पर रिपोर्ट दर्ज हुई है ।

सल्फास खाद्यान्न कीटों से बचाने के उपयोग में आती है । इसके दुरुपयोग किये जाने का मामला शासन के संज्ञान में आने पर आवश्यकतानुसार दोषी लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य में पुलिस उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अपर महा-
निदेशक, महानिदेशक स्तर के पदों की संख्या
एवं स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारी
तैनात किये जाने के कारणों
की जानकारी

96--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में पुलिस उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक, महानिदेशक स्तर के कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? उपरोक्त अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या यह सच है कि वर्तमान में स्वीकृत पदों के पांच गुना ज्यादा अधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो, क्यों ।

श्री कल्याण सिंह--

वर्तमान में राज्य में पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक तथा महानिदेशक स्तर के कुल 129 अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें से 107 संवर्गीय तथा शेष निःसंवर्गीय पदों के विरुद्ध तैनात हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में बेगमपुर में
नया थाना खोले जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

97--श्री विजय पाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में यमुना व उठंगन नदी के मिलाप होने से दोनों नदियों के बीहड़ क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र हैं ? अतः बेगमपुर पर नया थाना खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री कल्याण सिंह--

यह सत्य है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में यमुना व उठंगन नदी के मिलाप होने से दोनों नदियों के बीहड़ क्षेत्र दस्यु प्रभावित हैं । ग्राम बेगमपुर के आस-पास में थाना फतेहाबाद एवं बसई अरेला स्थापित हैं ।

उक्त स्थापित दोनों थानों से वस्तु प्रभावित क्षेत्र में अपराधों पर सम्यक् रूप से नियंत्रण रखा जाता है । सम्प्रति ग्राम बेगमपुर में नवीन थाने की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

चित्रकूट धाम मण्डल में थानाध्यक्षों की संख्या एवं अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की स्थिति

98—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल में कुल कितने थानाध्यक्ष हैं ? इनमें से कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति तैनात हैं ? क्या नियमानुसार प्रत्येक थानों में अनुसूचित जाति का एक-एक उप निरीक्षक तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

वर्तमान में चित्रकूट धाम परिक्षेत्र में कुल 49 थाने हैं । जिनमें प्रभारी निरीक्षक स्तर के 10, उप निरीक्षक स्तर के 36 थानाध्यक्ष हैं । जनपद बांदा में उपयुक्त उप निरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण 3 थानों पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी शेष है ।

अनुसूचित जाति के 9 थानाध्यक्ष कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

उप निरीक्षकों की कमी के कारण परिक्षेत्र के प्रत्येक थाने में एक-एक अनुसूचित जाति के उप निरीक्षक की नियुक्ति सम्भव नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह कान्स0 27 गैर हाजिर की पत्नी श्रीमती मखोदेवी को समस्त देयों को दिये जाने की मांग

99—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि का0 27 नागरिक पुलिस बलवीर सिंह, थाना कालाढूंगी, नैनीताल से 6 अगस्त, 79 से लापता है ? यदि हां, तो क्या का0 बलवीर सिंह की धर्म पत्नी श्रीमती मखो देवी को बलवीर सिंह के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? क्या का0 बलवीर सिंह की धर्म-पत्नी को शासनादेशानुसार पेंशन दी गयी तथा उनके पुत्र को नौकरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । श्री बलवीर सिंह, कान्स0 द्वारा अनधिकृत रूप से गैर हाजिर सरकारी किट न जमा किये जाने तथा इनके विरुद्ध दिनांक 20 अगस्त, 1979 को अपराध संख्या 22/79 धारा 290 पुलिस अधिनियम, अपराध संख्या 93/79 धारा 409, भा0 द0 वि0 एवं अपराध संख्या 94/79 धारा 409, भा0 द0 वि0 के अभियोग थाना तल्लीताल में पंजीकृत किये गये, जिनमें विवेचना के उपरान्त उक्त कान्स0 के विरुद्ध धारा 7, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करके दिनांक 28 जनवरी, 1987 को सेवा से पृथक् किया गया है ।

जी नहीं ।

श्री बलवीर सिंह की धर्मपत्नी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में श्री सिंह द्वारा अपने पिता श्री बख्तावर सिंह का नामांकन किया गया है। श्रीमती मखी देवी उक्त कान्स0 की वास्तविक पत्नी/उत्तराधिकारी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से जांच करायी जा रही है। जांचोपरांत उत्तराधिकारी की पुष्टि होने पर ही समस्त देयों का भुगतान किया जायेगा। सेवा समाप्त होने के बाद उक्त कान्स0 की पत्नी को पेंशन सम्बन्धी लाभ एवं उसके आश्रित को सेवायोजित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

100—श्री बाबूलाल कुशवाहा—

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में थाना तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सेमरी में कुम्हारों की बारात पर हमला विषयक रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही

101—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में थाना तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सेमरी में कुम्हारों की बारात पर सोते समय प्राण घातक हमला किया गया ? क्या उक्त आशय की रिपोर्ट मु0 अ0 सं0 38/98 धारा 352/323/504/506/307 थाना तिन्दवारी, बांदा जनवरी, 1998 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई ? क्या उक्त घटना में नामित व्यक्ति स्थानीय पुलिस के संरक्षण में हैं ? यदि हां, तो अभी तक गिरफ्तारी न किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या सम्पूर्ण घटना की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

उक्त अभियोग दिनांक 30 अप्रैल, 1998 को पंजीकृत किया गया।

जी नहीं।

अभियुक्तगण भान सिंह व ज्ञान सिंह को दिनांक 2 मई, 1998 तथा संतोष सिंह को दिनांक 3 मई, 1998 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

जी नहीं। थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा तीन दिवस के भीतर नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जल भेजा गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर दिनांक 6 मई, 1998 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्र के औराई बस स्टेशन के एक ठेकेदार के विरुद्ध स्वीकृत से अधिक स्थान घेरने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जारी की गयी नोटिस

102—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्र औराई बस स्टेशन के किसी ठेकेदार के विरुद्ध वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत से अधिक स्थान घेरने हेतु 24 लाख रुपये की वसूली का कोई नोटिस

जारी किया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? क्या उसी ठेकेदार को या उसके परिजन को कैण्ट बस स्टेशन पर कैण्टीन चलाने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो क्या कैण्टीन स्वीकृत स्थान से अधिक स्थान घेर कर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

जनपद छत्रपति साहूजी महाराजनगर में परिवहन डिपो की स्थापना हेतु स्वीकृत धन से कराये गये कार्य

103—श्री आर0 के0 सिंह पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति साहूजी महाराज-नगर में परिवहन डिपो की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त 16 लाख रुपये धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

परिवहन डिपो की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि परिवहन निगम को प्राप्त नहीं हुई है । अतः कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहू मेला, कानपुर में आते समय श्री घसीटा पुत्र श्री जयकरन, निवासी ग्राम चकवा, मौजा खाण्डेहा, थाना मऊ, जनपद छत्रपति शाहूजी महराज की मृत्यु एवं मुआवजा

104—श्री बद्दू प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 जुलाई, 1997 को शाहू मेला, कानपुर में आते समय श्री घसीटा पुत्र श्री जयकरन निवासी ग्राम चकवा, मौजा खण्डेहा, थाना मऊ, जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर की मृत्यु हो गई थी ? क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1997 पर मुख्य मंत्री द्वारा पत्रांक एम0 1/112-72/बांदा/97 के द्वारा मृतक आश्रित को एक लाख रुपये का अनुदान देने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

मा0 मुख्य मंत्री के द्वारा प्रभावित व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपये का अनुदान देने के आदेश नहीं दिये गये, अपितु मात्र सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे ।

जनपद स्तर से मृतक की विधवा को पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रु0 10,000 की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ।

जनपद फैजाबाद स्थित रौनाही के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 83, सन् 1994 एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के कारण की जानकारी

105--श्री अकबर हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना रौनाही के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 83 सन् 1994 धारा 409 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अंकित हुआ ? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बाद भी इतने संगीन अभियोग में अभी तक गिरफ्तारी न होने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग में एक अभियुक्त रमाशंकर बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 31 जनवरी, 1995 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । दूसरे अभियुक्त अब्बास अली इंजीनियर आर0 ई0 एस0 के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है उसकी गिरफ्तारी बिना प्राधिकृत नियमों के अनुसार सम्भव नहीं है ।

जनपद बलिया में थाना भीमपुरा के नजदीक राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज एवं दर्ज मुकदमें में कार्यवाही

106--श्री अम्बिका चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 4 अगस्त, 1997 को थाना भीमपुरा, जिला बलिया के नजदीक राजमार्ग पर शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे समाजवादी कार्यकर्त्ताओं पर निर्मम लाठी चार्ज, लूटपाट करने के कारण सब इन्सपेक्टर जवाहर सिंह सहित कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि श्री देवेन्द्र सिंह यादव की तहरीर पर कायम मुकदमें में अब तक अभियुक्तों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह--

यह सत्य नहीं है कि शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे समाजवादी कार्यकर्त्ताओं पर निर्मम लाठी चार्ज, लूटपाट करने के कारण उपनिरीक्षक जवाहर सिंह यादव आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ है ।

श्री देवेन्द्र सिंह यादव के लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र पर क्राइम अभियोग थानाध्यक्ष जवाहर सिंह यादव सहित 20 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना से घटना विधि विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिये तथा आगजनी व तोड़ फोड़ रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की पाई गई । किसी अपराध का होना नहीं पाया गया । अन्तिम रिपोर्ट मयजुर्म खारिजा 29 मई, 1998 को प्रेषित की गई ।

बलिया जनपद के वर्तमान समय में थानों में
पुलिस के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों
के नाम एवं आरक्षण नियम
के अनुसार नियुक्तियों
की मांग

107—श्री अम्बिका चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में वर्तमान समय में पुलिस कोतवाली प्रभारी, थाना प्रभारी, और पुलिस चौकी प्रभारियों के पदों पर कौन-कौन इन्स्पेक्टर या सब इन्स्पेक्टर पद स्थापित हैं ? क्या आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बलिया में श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव, श्री राम नाथ, निरीक्षक के पद पर, श्री सुरेन्द्र राय, थाना प्रभारी एवं सर्वश्री राम दयाल शुक्ला, सन्तोष प्रसाद द्विवेदी, राम मिलन पाण्डेय, जितेन्द्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश पाण्डेय, बीरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र कुमार पाठक, जय प्रकाश पाण्डेय, कपिल देव त्रिपाठी, जवाहर सिंह, जगत नारायन तिवारी, जय प्रकाश सिंह, अरविन्द कुमार मिश्रा, बीरेन्द्र कुमार सिंह; राम जी यादव, राम प्रगट यादव, कैलाश नाथ यादव, लाल जी सरोज, राम जतन बरुण, थानाध्यक्ष के पद पर, श्री राम राज सिंह यादव, एस0 एस0 आई0 के पद पर तथा चौकी प्रभारी के पद पर सर्वश्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, देवेन्द्र धर दुबे, शिव मूर्ति मिश्र, प्रकाश दीक्षित, कमलेश सिंह, राम कृपाल मिश्र, सतानन्द पाण्डेय, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, शोभ नाथ पाण्डेय, राम मूर्ति सिंह, राम नाथ तिवारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे, यशोवानन्द यादव, दया शंकर यादव, गणेश प्रसाद यादव, राजा राम रावत, शिवगनेश गौतम, राम नरायन, मु0 यासीन खां, मु0 सिद्दीक कार्यरत हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति के निरीक्षक/उप निरीक्षक, थाना प्रभारी के पदों पर आरक्षण के अनुसार नियुक्ति की गयी है । मानक के अनुरूप पिछड़ी जाति के उपनिरीक्षक, उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं है ।

जनपद महामाया नगर में पुलिस बल
की व्यवस्था किये जाने की मांग

108—श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामाया नगर में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुलिस बल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

स्वीकृत नियतम पर्याप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर तथा सहायक निबन्धक
सहकारिता सुल्तानपुर को सम्बोधित बैजू
पुत्र नभई पूरे छतऊ सुल्तानपुर का
भूमि विकास बैंक से फर्जी ऋण
निकाल लेने विषयक पत्र
एवं कृत कार्यवाही

109—श्री तेजभान सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा सहायक निबन्धक, सहकारिता सुल्तानपुर को सम्बोधित बैजू पुत्र नभई, ग्राम नभई पूरे छतऊ थाना जामो, सुल्तानपुर का दिनांक 27 अप्रैल, 1998 का रजि0 प्रार्थना-पत्र जिसमें कृषि एवं भूमि विकास बैंक से फर्जी ऋण निकाले जाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस तथाकथित ऋण के उपभोग का प्रमाण-पत्र बैंक में लगा है ? यदि हां, तो इस प्रमाण-पत्र को किस अधिकारी ने दिया है ? क्या इसकी जांच करा कर कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा—

जी हां ।

प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण-पत्र बैंक में लगा है । द्वितीय किश्त का उपभोग प्रमाण-पत्र बैंक को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

प्रमाण-पत्र श्री रामबचन सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड-जामो द्वारा दिया गया है ।

शिकायती पत्र की जांच कराई गई तथा प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक निबन्धक सहकारिता सुल्तानपुर को
सम्बोधित श्री शीतला बख्श सिंह पुत्र श्री
नन्द बहादुर सिंह, पूरे जूड़ा उपाध्याय
मजरे सोराव बल्दीराम सुल्तानपुर
के पत्र हेतु कार्यवाही

110—तेजभान सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारिता सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शीतला बख्श सिंह पुत्र श्री नन्द बहादुर सिंह, पूरे जूड़ा उपध्याय मजरे सोराव बल्दीराम सुल्तानपुर का दिनांक 20 जून, 1997 के प्रार्थना-पत्र पर किये गये निर्णय दिनांक 9 नवम्बर, 1997 द्वारा ऋण माफी कर संबंधित कर्मचारियों से वसूली के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली कर ली गई है ? जिन कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली नहीं की जा सकी उनके क्या कारण हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा--

जो हां ।

जो नहीं ।

श्री पारस नाथ सिंह, भू0 पू0 सहायक विकास अधिकारी (सहा0) व श्री राज कुमार तिवारी, शाखा प्रबन्धक ने निर्णय के विरुद्ध अपील की है, जो विचाराधीन है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव सचिव जो निलम्बित हैं, से वसूली हेतु इजराय की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद जालौन के थाना कोतवाली जालौन में पंजीकृत मुकदमा संख्या 158/98 एवं क्षेत्राधीकारी कोच के विरुद्ध कार्यवाही

111--श्री श्रीराम पाल--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के थाना कोतवाली जालौन में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 158/98 धारा 341, 324, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3(1), 10 एस0सी0एस0टी0 एक्ट में नामजद अभियुक्तों को बचाने व मामले की गम्भीरता को कम करने हेतु क्षेत्राधीकारी, कोच, जालौन ने कुछ गम्भीर धारायें हटा दी हैं ? यदि हां, तो क्या क्षेत्राधीकारी, कोच के विरुद्ध एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ; क्या नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । विवेचना से उक्त अपराध की घटना में घायल हुये श्री गंगा चरण के डाक्टरी मुआयना से धारा 324 भा0 द0 वि0 के जुर्म का होना नहीं पाया गया, परिणामस्वरूप पंजीकृत करायी गयी धारा 324 भा0 द0 वि0 का लोप कर दिया गया ।

उपरोक्त के आधार पर क्षेत्राधीकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

नामजद अभियुक्त बद्री पुत्र गोविन्द सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम सिहारी बादपुर द्वारा उक्त अपराध में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में ब्लाक जरवल के ग्राम-मीरगंज में दिनांक 8 मई, 1998 को मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में हुये झगड़े में पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने की शिकायत

112--श्री फरीद महफूज किदवई--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच के ब्लाक जरवल के ग्राम मीरगंज में दिनांक 8 मई, 1998 को मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में झगड़ा हुआ तथा उसमें थानाध्यक्ष जरवल व पूरा पुलिस प्रशासन ने केवल एक पक्षीय

कार्यवाही कर केवल एक समुदाय के करीब 42 लोगों को पकड़ा और उन्हें मारा तथा दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं पकड़ा गया है ?, यदि हां, तो श्री गुलाम रसूल पुत्र गुलाम वारिस की रिपोर्ट पर 147, 148, 149, 427, 295, 435 की धाराओं के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

जी नहीं। शिया पक्ष की तरफ से पंजीकृत अभियोग में कुल नामित 43 अभियुक्तों में से 33 अभियुक्तों की गिरफ्तारी घटना की पुष्टि एवं सत्यता के आधार पर की गई। 6 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं 4 की गिरफ्तारी शेष है। सुन्नी पक्ष द्वारा लिखाये गये मुकदमें में विवेचना के घटना की पुष्टि नहीं हुई।

श्री गुलाम रसूल पुत्र गुलाम वारिस की रिपोर्ट के आधार पर थाना जरवल रोड में मु0अ0 सं0 67-ए0/98, धारा 447, 148, 149, 394, 435 भ0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना से अभियोग में कोई जुर्म न पाये जाने के कारण अभियोग खारिज कर अन्तिम रिपोर्ट सं0 10, दिनांक 31 मई, 1998 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराजनगर के थाना रैपुरा में दर्ज अपराध संख्या 33/98 एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी

113--श्री विजय कुमार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की थाना रैपुरा, जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर में मुकदमा अपराध संख्या 33/98 की धारा 120-बी के अभियुक्तगणत गिरफ्तार नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

विवेचना के मध्य अभियुक्त शीतल, कल्लू, मुन्ना एवं गुलाब को दिनांक 1 मई, 1998 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जो अभी जेल में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मनकापुर तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन खोलने की योजना बनाये जाने की मांग

114--श्री राम बिशुन आजाद--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के छपिया, बभनान और मनकापुर से जनता को जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को राजकीय बसों को चलाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनता के हित को देखते हुए मनकापुर तहसील के मुख्यालय पर बस स्टेशन खोलने की भी योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्याप्त यातायात साधन उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

संचालित सेवाओं एवं यात्री भार को देखते हुए मनकापुर में बस स्टेशन निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया ।

सन्त रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर से बन्द पड़ी सिटी बसों को पुनः चलाये जाने की मांग

115--श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्त रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर से पहले सिटी बसें चलती थीं ? क्या यह सही है कि उक्त बसें अब बन्द हो जाने से पूरे जनपद के गरीब वर्ग के आवागमन में कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था के पुनः उपाय हेतु सिटी बसें चलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में विकास खण्ड मझगवां को साधन समिति बलेल नगर सुनौर देश नगर आदि पर जिला सहकारी बैंक बरेली पर बकाया ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के सरकार द्वारा किये गये प्रयास

116--श्री छोटेलाल गंगवार--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मझगवां जनपद बरेली की साधन समिति बलेलनगर, सुनौर देश नगर व कुंवरपुर तुलसी पट्टी पर जिला सहकारी बैंक बरेली का कितना-कितना ऋण है और उक्त समितियों का कितना-कितना ऋण कृषकों पर चल रहा है ? क्या उक्त समितियां घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार समितियों का घाटा दूर करने का क्या प्रयास कर रही है ?

"पटेल" राम कुमार वर्मा--

दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार साधन सहकारी समिति लि0 बलेल नगर, सुनौर देश नगर तथा कुंवरपुर तुलसी पट्टी पर क्रमशः 39.86 लाख, 47.81 लाख तथा 39.17 लाख रु0 का ऋण लगा है ।

साधन सहकारी समिति लि0 बलेल नगर, सुनौर देशनगर तथा कुंवरपुर तुलसी पट्टी का क्रमशः रु0 25.64 लाख, 31.06 लाख, तथा 29.39 लाख का ऋण चल रहा है ।

जी हां ।

समितियों के प्रबन्धकीय व्यय को कम कर तथा समिति का व्यवसाय बढ़ाकर घाटा दूर करने के निर्देश दिये गये हैं ।

श्री भगवत स्वरूप सक्सेना, सेवानिवृत्त उपकोषाधिकारी, लखनऊ, नि0 मो0 तरौनपुर को पुनरीक्षित वेतनमान की पेंशन का भुगतान

117—श्री रमेश राही—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भगवत स्वरूप सक्सेना, सेवा निवृत्त उपकोषाधिकारी, लखनऊ नि0 मो0 तरौनपुर जनपद सीतापुर को पुनरीक्षित वेतनमान की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

श्री भगवत स्वरूप सक्सेना, सेवा निवृत्त उप कोषाधिकारी लखनऊ निवासी मोहल्ला तरौनपुर जनपद सीतापुर के पुनरीक्षित वेतनमान की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पेंशन की राशिकरण के अन्तर की धनराशि का संशोधित प्राधिकार-पत्र महा-लेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या पी0 ए0-1/1114-16, दिनांक 25 जून, 1998 द्वारा निर्गत कर कोषागार सीतापुर से आहरण हेतु प्राधिकृत किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 1 जुलाई, 1987 से रु0 1231.00 प्रतिमाह की पेंशन रु0 3415.50 की ग्रेच्युटी तथा रु0 7280.15 के राशि-करण की धनराशि का भुगतान हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में विकास खण्ड मनकापुर में आई0 टी0 आई0, मनकापुर का गन्दा पानी मनवर नदी में आने के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु योजना बनाये जाने की मांग

118—श्री राम विशुन आजाद—

क्या पर्यावरण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर में विकास खण्ड, मनकापुर में मनवर नदी में आई0 टी0 आई0 मनकापुर का गन्दा पानी आ रहा है जिससे प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर इसकी स्वच्छता के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

मनवर नदी की जलगुणता की जांच उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 18 जून, 1998 को मे0 आई0 टी0 आई0 द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह मनवर नदी में मिलने से 100 मी0 पूर्व तथा 100 मी0 बाद तक के क्षेत्र में भी की गई जिसमें बी0 ओ0 डी0 परिचालक को छोड़कर शेष परिचालक भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये ।

उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित है। शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन एवं रख-रखाव समुचित रूप से न करने के कारण उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण दिनांक 17 जून, 1998 को उद्योग को नोटिस जारी कर यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन व रख-रखाव इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे कि निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता सदैव मानकों के अनुरूप रहें।

प्रश्न नहीं उठता।

119--श्री राम औतार शाक्य--

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलरामपुर चीनी मिल बभनान, इकाई गोण्डा के वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित आचार्य नरेन्द्र देव डिग्री कालेज के छात्रों/कर्मचारियों के हित में मिले प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

120—श्री श्याम किशोर यादव--

क्या पर्यावरण मन्त्री को जानकारी है कि कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान, इकाई गोण्डा के वायु एवं ध्वनि प्रदूषण द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव डिग्री कालिज बभनान, गोण्डा हानिकारक ढंग से प्रभावित हो रहा है? क्या यह सही है कि इससे महाविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के हित में मिल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक--

प्रश्नगत उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाइक्लोन तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइलेन्सर्स स्थापित हैं। उद्योग की चिमनी से निकले पार्टीकुलेट मैटर की जांच से कणीय पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सूचित किया है कि मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स बभनान, गोण्डा से निकलने वाले ध्वनि एवं खोई अथवा छाई (वायु उत्सर्जन) से किसी प्रकार के स्वास्थ्य हानि की सम्भावना नहीं है।

प्रश्नगत उद्योग एक चीनी इकाई है जिसमें सीजनल उत्पादन कार्य किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 1 मई, 1998 को उद्योग को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 29 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य

को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईः—पहली सूचना श्री जगदीश नारायण की दूसरी सूचना श्री अम्बरीक कुमार की, तीसरी सूचना श्री रवेंद्र कपूर की, चौथी सूचना श्री राम जग की, पांचवीं सूचना श्री कृपा शंकर सिंह की। (कृपा शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर) छठी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की, सातवीं सूचना डा0 सरजीत सिंह डंग की (श्री सरजीत सिंह डंग का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर।

चूंकि दो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं अतः उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से श्री दद्दू प्रसाद व श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचनाएं शामिल की जा रही हैं।

शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं :—श्री श्रीराम पाल, श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्री अफजाल अहमद, श्री रामबाबू हरित, श्री अजय कुमार पोद्दार, श्री तेजभान सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अकबर हुसैन, श्री लाल जी वर्मा, श्री रामपाल वर्मा, श्री राम औतार शाक्य, श्री भीम प्रसाद सोनकर।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लालपुर में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय—

[मान्यवर, जनपद जौनपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बयालसी में ग्राम लालपुर, थाना जखालपुर, तहसील केराकत में हुए अग्निकाण्ड में 14 मल्लाहों के घर जल गये जिसमें उनका रखा अनाज बर्तन, बिस्तर, आदि से भारी क्षति हुई है, अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई राहत राशि या अन्य किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने, उनको आवास सुविधा तथा पेयजल की सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूं]

हरमिलाप राजकीय सामान्य रोग चिकित्सालय, हरिद्वार में एम्बुलेंस संचालन हेतु चालक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार—

[मान्यवर, उपर्युक्त चिकित्सालय में एक एम्बुलेंस है यह चिकित्सालय जिला चिकित्सालय के रूप में कार्य कर रहा है परन्तु एम्बुलेंस हेतु चालक का पद स्वीकृत नहीं है शासन का कहना है कि यह वाहन विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त है अतः एवं चालक का पद स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

यह आश्चर्यजनक है कि जनपद चिकित्सालय पर शासन द्वारा न कोई एम्बुलेंस स्वीकृत की गयी और चालक का पद स्वीकृत हुआ। इस प्रकार जनपद के निवासियों के साथ-साथ वर्ष भर आने वाले करोड़ों यात्रियों को भारी असुविधा

होती है । यात्रा सीजन के साथ-2 कांवड मेला भी आ रहा है । अतएव तत्काल सरकार को उचित निर्देश देने का कष्ट करें ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

देहरादून नगर की सब्जी वाली एवं मीट की दुकानों के बीच स्थित कूड़ा घर हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंश कपूर--

[मान्यवर, अमृत कौर रोड, देहरादून नगर का सबसे व्यस्ततम एवं भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है । क्षेत्र में सब्जी मन्डी है जो छोटी सब्जी मन्डी के नाम से जानी जाती है, बकरे एवं मुर्गे के मीट की दुकानें है, पंजाब एण्ड सिंध बैंक है, तहसील है और सब्जी की दुकानों के बीचो बीच तथा मांस की दुकानों एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सामने एक कूड़ा घर है । इस कूड़े घर में क्षेत्र से लगे हुए समस्त घनी आबादी के मोहल्लों का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है । महामारी फैल सकती है जिसके परिणाम अति गम्भीर हो सकते है, बरसात के मौसम में तो इसकी सम्भावना और अधिक बढ़ सकती है]

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय।]

आजमगढ़ के मेंहनगर नगर क्षेत्रान्तर्गत कम्हरिया माइनर की खुदाई से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजग--

[मान्यवर, मेंहनगर (आजमगढ़) विधान सभा क्षेत्र में स्थित कम्हरिया माइनर की खुदाई हुए करीब 20 वर्ष हो रहा है ग्राम मविया, सराय मादी मविया, विशुनपरा गांवों के किसानों को मुआवजा आज तक नहीं मिला है । किसानों को जिले के अधिकारी लगातार दौड़ाते रहे हैं । किसानों को उनके भूमि का मुआवजा न मिलने से किसानों में भारी असंतोष है । किसान अपने भूमि का मुआवजा पाने के लिए लगातार आन्दोलन कर रहे हैं । यह गम्भीर विषय है कि किसानों को 20 वर्ष बाद भी भूमि का मुआवजा नहीं मिला उक्त गांवों के किसानों को अविलम्ब उनके भूमि का मुआवजा दिलाया जाना अति आवश्यक है । इस विषय को हम सदन में इसलिए उठाना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश सरकार उक्त गांवों के किसानों को उनकी भूमि का तत्काल मुआवजा दें ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खण्ड विकास कार्यालय सोयर जनपद बलिया के सेवा निवृत्त
ए0 डी0 ओ0 को सभी सेवा निवृत्तिक लाभ दिये
जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत
सूचना

श्री पूर्णमासी पंकज—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं ।

श्री शिवाहिन राम खण्ड विकास कार्यालय सोयर, जनपद बलिया में ए0 डी0 ओ0 पद पर कार्यरत थे जो 30 जून, 1997 को सेवा निवृत्त हो गये थे । सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है किन्तु इन्हें एक भी देय यथा–पेंशन अवकाश, नगदीकरण, जी0 पी0 एफ0 ग्रेच्यूटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है विभागीय नियमों में आदेशित है कि कर्मचारी के अवकाश प्राप्त होने के एक माह के भीतर सभी दावों का निस्तारण कर दिया जाय । अन्यथा सेवानिवृत्त सेवक के सभी बकाये राशि पर ब्याज के साथ भुगतान किया जायेगा ।

इस मंहगाई के समय में अल्प वेतन भोगी का जीवन यापन बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है, पैसे के अभाव में पुत्री की शादी भी तय नहीं हो पा रही है । शिक्षारत बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है एवं धनाभाव में इनका परिवार मुफलिसी के कगार पर खड़ा है ।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री राम के समस्त देयों के तुरन्त भुगतान की मांग करता हूं ।]

जनपद छत्रपति साहू जी महराज नगर के राजापुर में
यमुना नदी पर पक्कापुल बनाये जाने के
सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत
सूचना

श्री दद्दू प्रसाद—

[मान्यवर, जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में पर्यटक केन्द्र तथा धार्मिक आस्था का केन्द्र चित्रकूट है यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र जी ने 14 वर्ष व्यतीत किये, प्रत्येक अमावस्या को यहां पर दूर–दूर से लाखों श्रद्धालु तथा पर्यटक आते जाते हैं इसी जिले में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर है । राजापुर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है । आवागमन को सुगम

नोट :—यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बनाने के लिये राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने की मांग स्थानीय जनता, तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों द्वारा लम्बे समय से की जाती रही है। यह पुल बन जाने से चित्रकूट का सम्पर्क सीधे कौशाम्बी तथा राजधानी लखनऊ से जुड़ जायेगा इस पुल के बनने से लखनऊ से चित्रकूट की दूरी मात्र 230 किलो मीटर हो जायेगी तथा लखनऊ से मध्य प्रदेश आवागमन का सीधा मार्ग चालू हो जायेगा।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुये मांग करता हूं कि राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराया जाय।]

वाराणसी नगर गोदौलिया चौराहे पर स्थित कूड़ा घर को
अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम
301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी—

मान्यवर, जिन्हें भी वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें पता है कि शहर की हृदय स्थाली के रूप में जो स्थान जाने जाते हैं उनमें काशी विश्वनाथ मन्दिर के निकट गोदौलिया चौराहा भी है जहां से कुछ 100 गज की दूरी पर विश्वनाथ जी का मन्दिर और पतित पावनी गंगा का तट स्थित है गोल्डन टेम्पुल का दर्शन करने एवं काशी के सुरम्य घाटों का दर्शन करने हेतु प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। लेकिन खेद का विषय है कि पतित पावनी काशी नगरी में पदार्पण करने वाला हर पर्यटक एवं तीर्थयात्री को उक्त चौराहे से होकर भी मन्दिर एवं घाटों पर जाना पड़ता है और वहां स्थित कूड़ा घर में एकत्रित दुर्गन्ध युक्त कूड़ों के अम्बार के कारण सभी को नाक दबाकर गुजरना पड़ता है। चौराहा स्थित कूड़ा घर के कारण जहां एक तरफ काशी के सुन्दरीकरण पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है वहीं दूसरी तरफ सभी देशी-विदेशी पर्यटक एवं तीर्थ यात्री यहां के नगर पालिका द्वारा किये जा रहे व्यवस्था के प्रति भी अपनी विपरीत राय जाहिर करते हैं। बहुत वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिकों द्वारा उक्त कूड़ा घर को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु धरना, प्रदर्शन द्वारा मांग करते आ रहे हैं। समाचार पत्र में बराबर फोटो सहित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकहित में गोदालिया चौराहा स्थित उक्त कूड़ा घर को अविलम्ब स्थानान्तरित किये जाने हेतु नगर निगम, वाराणसी को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 29-6-98 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई—पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम नरेश यादव, श्री समरपाल सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री अखिलेश कुमार सिंह की है। यह सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि इस पर निर्देश पर्याप्त है।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा के वर्ष 1998 के तृतीय सत्र के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 का असत्य उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इस प्रकरण पर मैं पांच मिनट में अपनी बात रखूंगा। इसी विधान सभा के तृतीय सत्र में पहले मंगलवार को श्री राम औतार शाक्य के प्रश्न संख्या 162 पूछा था। उसका उत्तर पूरे सदन के समक्ष आया। जो कि प्रदेश और देश के समाचार-पत्रों में छपा। सात महीने में 55 लाख रुपये की चाय पी गई। जिससे जो मितव्ययिता की बात हो रही है इस सरकार में, शासन में बैठे हुए मंत्रीगण उनकी छवि धूमिल हुई। उसमें जो उत्तर आया है उस समय मैं भी परिवहन मंत्री था जिसमें हमारे कार्यालय में दिखाया गया 1,74,905.26 मात्र। तो जब मैंने परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली थी उसके पांच दिन के बाद दीपावली थी जिसमें मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं था। तो मात्र पांच दिन में मेरे कार्यालय के ऊपर 95 हजार रुपये का खर्च दिखाया गया। मैं चाय भी नहीं पीता, बिस्कुट भी नहीं खाता और अब कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है। तो पांच दिन में 95 हजार रुपये कैसे खर्च हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने कैंटीन के प्रबन्धक से जानकारी मांगी तो उनका लिखित उत्तर आया है। जबकि सदन में श्री0 कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री का उत्तर है और मुझे प्रबन्धक, कैन्टीन ने जो बताया कि अक्तूबर में 5 हजार रुपये, नवम्बर में 13 हजार, दिसम्बर में 14,880 रुपये, जनवरी में 12 हजार और फरवरी में 20 हजार रुपये का बिल है। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें 1,74,908 रुपये हैं, जब मैंने उसकी जानकारी की तो कुल 66,468 रुपये बताया गया। यह बात समाचार-पत्रों में आ गयी कि जगदम्बिका पाल ने चाय-पानी पर 1,74,908 रुपये खर्च किये और अक्तूबर महीने में 95 हजार रुपये की चाय पी गये। इससे सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल होती है। जब भी जलपान मंगाया जाता है तो निजी सचिव अपने हस्ताक्षर से, कूपन के माध्यम से मंगाते हैं, उसके बाद मंत्री उसका हिसाब करता है। श्रीमन्, इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लें, मैंने मालूम कर लिया कि चाय-पान का कुल खर्च 66,469 रुपया आया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी, का इस सदन के माध्यम से जो उत्तर आया है उसमें उन्होंने 1,74,908 रुपये की बात कही है। अगर मैं जानकारी नहीं करता तो एस0 ए0 डी0 डिपार्टमेन्ट से 1,74,908 रुपये की वसूली हो जाती, यह भ्रष्टाचार वी0 आई0 पी0 कैन्टीन में नहीं रोक सकते तो प्रदेश में कैसे रोकेंगे ? तमाम मंत्री ऐसे होंगे जिनका चाय-पान का खर्च डेढ़-दो लाख रुपये का होगा, वह कितना सही है मैं नहीं जानता लेकिन मेरे लिए यह उद्वेलित करने वाला प्रश्न है यह इतना गम्भीर है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के समक्ष उत्तर आया, इससे सदन का कार्य भी विनियमित होता है। मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि पाल ने 1 लाख 74 हजार रुपए की चाय पी गए तो इससे छवि धूमिल हुई है, जनता के सामने यह बात आयी है कि लोग किस तरह से फिजूल खर्ची करते हैं, यह निश्चित रूप से उद्वेलित करने वाला प्रश्न है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

श्री जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैंने स्वयं 3 दिन पहले जो सूची देखी थी उसमें सारी सामग्री थी, मैंने जब देखा तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ, यह सही है कि 26 अक्तूबर को आपकी शपथ हुई, इसलिए इतना बिल होना सम्भव नहीं था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे आशंका थी कि कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। मैंने सचिव, एस0 ए0 डी0 को बुलाया था और उन्हें निर्देशित कर दिया कि सारे प्रकरण की जांच करें कि यह बात कैसे आयी, आपने जो जानकारी प्राप्त की अक्तूबर महीने की वह शत-प्रतिशत सही है, बिल वहां से नहीं दिये गये, गलती यह है कि परिवहन मंत्री के नाम से बिल दे दिया गया और वह पाल साहब के नाम से आ गया, मंत्री बने आप 26-27 में और बिल पूरे महीने का आ गया।

*श्री राम तेज यादव, एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष जी, वन मंत्री वर्मा जी एवं अन्य मंत्री कितनी चाय, काफी और बिस्कुट खा गये।

श्री अध्यक्ष--

पूरा विवरण आ चुका है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं आपकी अनुमति से यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह निर्देश दिये हैं कि उस ब्यौरे का आधार मानकर समस्त प्रकरण की जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय जगदम्बिका पाल और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह सूचना निरस्त की जाती है।

पूर्वांचल विकास निधि का आधा धन फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री मुरलीधर, श्री अयोध्या पाल और श्री बी0 आर0 वर्मा की है।

श्री मुरलीधर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर एक पिछड़ा जिला है, इसको माननीय बहिन मायावती जी ने पूर्वांचल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित किया था। इसके अन्तर्गत जो धनराशि यहाँ प्राप्त होगी, उससे सब क्षेत्रों का विकास बराबर से हो, लेकिन ऐसा न करके एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में पूरी धनराशि खर्च कर दी गई है। मैं चाहता हूं कि उस धनराशि से पूरे जनपद का, हर क्षेत्र का विकास हो, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, आपके सम्मुख जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, वहां के विकास के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि वह के प्रति उनको जवाबदेही होती है। किसी निधि का पैसा सब जगह बराबर खर्च न करके, एक ही विधान सभा में खर्च कर दिये जाने का मामला केवल फतेहपुर का ही नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है। जो पूर्वांचल विकास निधि की नियमावली एवं मान्य परम्परा है, उसमें लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी सभी माननीय विधायकों के परामर्श से योजनायें तैयार करेंगे परन्तु उसमें क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होगा, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है क्योंकि सारा पैसा एक ही क्षेत्र में खर्च कर दिया गया और आधे में बाकी सब, इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन हुआ और नियमावली का उल्लंघन हुआ। जिस अधिकारी ने मनमाने तरीके से पैसे को खर्च किया है, उनको कठोर दंड मिले और सारे पैसे को वापस करे, पुनः ऐसी योजना तैयार की जाय जिससे सभी क्षेत्रों का बराबर विकास हो सके, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर तथा बी0 आर0 वर्मा जी की सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये अस्वीकार की जाती है। संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि वह इसका संज्ञान ले लें और जिस प्रकार शासनादेशों में कहा गया है, उसी प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

मा0 सदस्यों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अगली सूचना श्री बद्दू प्रसाद की है, इस पर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये देता हूं।

श्री बद्दू प्रसाद—

मान्यवर, मैं अपनी सूचना के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दिनांक 21 मई, 1998 से मेरी सुरक्षा में लगे हुये गार्ड को इस सरकार के निर्देश पर वापस ले लिया गया है। इस समय मेरी जानमाल को बड़ा खतरा है। मेरे पास 21 तारीख से कोई भी गनर या डंडो नहीं है। मैंने डी0 आई0 जी0 से व्यक्तिगत रूप से कहा, पुलिस अधीक्षक से कहा, पुलिस महानिदेशक को लिखित रूप में दिया लेकिन मुझे सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया इससे मुझे सदन में आने में असुविधा है, जबकि डी0 आई0 जी, चित्रकूट धाम द्वारा गत 27 जून,

1998 को कामतागिरि चित्रकूट में अपराधियों की मीटिंग ली गई, क्या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये अपराधियों की बैठक लेना जरूरी है ? मेरी जानमाल को इसलिये भी खतरा है क्योंकि 30 अप्रैल, 1998 को रंपुरा थाने में अनुसूचित जाति के दो लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर मार दिया गया, मैंने इसका विरोध किया और नामजद रिपोर्ट की गई तो सरकार के निर्देश पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया, यह 302 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । मैंने इसका प्रश्न भी लगाया ।

मान्यवर, आज अतारांकित प्रश्न 113 का जो उत्तर आया है उसमें जो 302 के मुल्जिम थे उनको गिरफ्तार किया गया और 120-बी के मुल्जिम अभी फरार घूम रहे हैं पुलिस अधीक्षक के संरक्षण में । मैंने मांग की थी, उनको गिरफ्तार किया जाय । इसमें मेरी जान का खतरा बना हुआ है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार को निर्देशित करें और मेरी जान की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इस लिए अस्वीकार की जाती है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान माननीय सदस्य की ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, यह एक ऐसे सदस्य का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, माननीय सदस्य की बात आ गयी ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने सारी बात आ जाए ।

श्री अध्यक्ष--

बात आ गयी, माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी ।

*संसदीय कार्य मंत्री [श्री हुकुम सिंह]--

मान्यवर, जैसे ही आज औचित्य के प्रश्न के रूप में मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की और कहा कि अविलम्ब इन्हें संडो और गनर उपलब्ध करा दिये जाएं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सूचना प्राप्त होते ही आदेश दे दिया है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, विधायक के मामले में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मनमानी करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक विधायक का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ, इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

जो मेरी अनुमति के बिना कहा गया, वह लिखा नहीं जायेगा ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

मान्यवर, यह अधिकारी जानबूझकर विधायकों को परेशान करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जांय ।

*श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, इसी तरह से माननीय कल्याण सिंह जी ने श्री बी0 आर0 वर्मा जी की सुरक्षा के बारे में कहा था । मान्यवर, यह उस कुर्सी पर भी विराजमान रह चुके हैं, इनके पास शंडो और गनर नहीं है, माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा कहा गया था कि आज ही आदेश कर देंगे लेकिन आज तक इनको शंडो और गनर नहीं मिल पाया है । क्या जब इस सदन में उठाया जायेगा तभी किसी सदस्य को सुरक्षा प्रदान की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

शंडो और गनर के मामले में जैसी त्वरित कार्यवाही बद्दू प्रसाद जी के सम्बन्ध में की गयी उसी तरह से माननीय सदस्य बी0 आर0 वर्मा के मामले में भी कार्यवाही की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः--[×××[यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। उधर तो हमारे साथी हैं उनके पास दो-तीन गनर हैं यह अच्छी बात है सुरक्षा बनी रहे। बबूल प्रसाद जो सबसे सीधे सदस्य हैं एक भी गनर नहीं है। इधर के साथियों के पास एक-एक गनर मुश्किल है अगर उधर सुरक्षा है तो इधर भी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे 50 उदाहरण हैं कि यहां से आदेश जाने के बाद भी गनर मिलता नहीं है। शासन के आदेश एक-एक महीने तक पहुंचते नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यह हम सब की सुरक्षा का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी आप ही केवल इसमें संरक्षण दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आप की बात का संज्ञान में ले लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने श्री बी0 आर0 वर्मा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदेश दिये थे और यह कहा था कि आज ही मिल जायेगा। लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं मिला। क्या माननीय अध्यक्ष जी आप के समक्ष जो वक्तव्य माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है उससे आश्वस्त हो जाएं कि बबूल प्रसाद जी की जान को खतरा है उनको तत्काल सुरक्षा कर्मी मिल ही जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन्हें, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दे दिया है। माननीय वर्मा जी की सुरक्षा के लिए आप चिन्तित हैं, उतना मैं भी चिन्तित हूं।

(एक सदस्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आप बैठे बिना अनुमति के बोलने पर कुछ नहीं लिखा जायेगा।

छोटी एवं बड़ी गाड़ियों के लिए परमिट तथा यात्री कर अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

राम ललित चौधरी—

मान्यवर, 5-7 दिन पहले की बात है परिवहन अधिकारियों ने मेरी गाड़ी को रोककर मुझ से परमिट पूछा। मैंने कहा कि निजी गाड़ी के परमिट की व्यवस्था तो नहीं है। उन्होंने बताया कि अब यह व्यवस्था लागू हो गयी है, आप लखनऊ में जाकर आदेश देख सकते हैं। यहां आने पर मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की व्यवस्था हो गई है। मान्यवर, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश ने परिपत्र संख्या-923/सा0 प्रशा0/बैठक/98, दिनांक 30-5-98 के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं कि कोई भी 8 से 12 सीट वाली हल्की निजी वाहन मैक्सी कैब अर्थात् टैक्सी के रूप में पंजीकृत की जायेगी अर्थात् निजी वाहन को भी व्यवसायिक वाहन के रूप में संचालित करना वाहन स्वामी की बाध्यता होगी तभी उससे निर्धारित यात्री कर भी वसूल किया जाएगा यही नहीं बल्कि एडवांस में ही परमिट फीस और यात्री कर देना होगा।

कमाण्डर जीप, टाटा सोमो निजी वाहन हैं इन सब परमिट लगेगा और यात्री कर व्यवस्था जारी होगी । इससे बड़ी असुविधा होगी इसे समाप्त होना चाहिए । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को सुनने के बाद, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । जब परिवहन विभाग की मांगे आयेगी तब आप अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत आता है या नहीं आता है, प्रश्न यह सभी माननीय सदस्यों के पास निजी गाड़ियां हैं या जिससे वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने आते हैं, टाटा सूमो, जीप, मारुति कार आदि, कार को छोड़कर को भी टैक्सियों के रूप में पंजीकृत करना पड़ेगा और उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा । माननीय सदस्यों को कमेटियों में भाग लेने ,आना पड़ता है, निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ता है, यदि सरकार इस प्रकार मनमाने तरीके से निर्णय देगी तो इससे काफी असुविधा होगी ।

उच्च न्यायालय के निर्णय-स्थगन आदेश के बावजूद उसका कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है ।

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । श्री शाक्य जी माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय हुआ, उस का सदन की प्रक्रिया के संचालन से क्या मतलब ? नियम 300 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, यह सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर ही अस्तित्व में आई है ।

श्री अध्यक्ष--

किसी एक प्रकरण पर उच्च न्यायालय ने एक आदेश दे दिया तो वह नियम-300 के अन्तर्गत कहां आता है । फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान ले लें । नियम-300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है ।

मद संख्या-3 और 4 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मद सं0 5 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 26 जून, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 29 जून, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक

के सदन द्वारा अनुमोदित उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

1—सदन के दिनांक 29 जून, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :

जून, 1998

29 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा ।
	(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।
30 मंगलवार	(1) निधन के निर्देश (प्रश्न काल के उपरान्त) ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	(3) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा ।

जुलाई, 1998

1 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
2 गुरुवार	
3 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प) ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
4 शनिवार, 5 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
6 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	(2) 5.00 बजे अपराह्न / विधायी कार्य
7 मंगलवार	(ईद–ए–मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
8 बुधवार, 9 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
10 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (आधा दिन) ।
11 शनिवार, 12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

13 सोमवार (1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

14 मंगलवार
15 बुधवार
16 गुरुवार
} वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

17 शुक्रवार (1) असरकारी दिवस (आधा दिन)

(2) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (आधा दिन)

18 शनिवार
19 रविवार
} बैठक नहीं होगी ।

20 सोमवार
21 मंगलवार
} वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

22 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

23 गुरुवार (1) वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (4.00 बजे अपराह्न तक) ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) दिनांक 29 जून, 1998 को आय–व्ययक पर साधारण चर्चा के दिन नियम 56 तथा नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, जो 7 तारीख को ईद थी वह अब 8 को हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर निश्चित हो जाता है तो आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें विचार कर लेंगे ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, यदि यह छुट्टी 7 तारीख को ही रहती है तो हमारा आपसे यह अनुरोध है कि 6 तारीख को विधान सभा की बैठक न रखें क्योंकि शनिवार इतवार को छुट्टी है और बीच में यह सोमवार को बैठक होगी । तो इस तरह से हमको चार दिन मिल जायेंगे और हम लोग अपने-अपने क्षेत्र चले जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आज की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव है । यह पहले हो चुका है । आज फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, मैं उसमें आपके अनुरोध को रख दूंगा और उसमें विचार कर लेंगे ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998*

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरः स्थापित करता हूं ।

*दिनांक 3-7-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मुझे पता चला है कि किसी माननीय सदस्य का भाषण अधूरा रह गया था। श्री मुरली धर जी आप अपना विचार रखें।

श्री मुरलीधर--

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग और मुसलमान समुदाय के लिए जो छात्र वृत्ति की घोषणा की है कि इसको दोगुना कर दिया गया है तो मैं इस सम्मानित सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हमारी बहन मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने मुख्य मंत्री की हैसियत से इनका छात्रवृत्ति को दो गुना कर दिया था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने गुमराह करने के लिए इसे दोबारा बजट में सम्मिलित कर लिया है।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

मान्यवर, निराश्रित पुत्रियों के विवाह के लिये पहले 5 हजार रुपये की व्यवस्था थी, उसको बहन मायावती ने दस हजार रुपये कर दिया। पहले बीमारी के लिये एक हजार रुपये मिलता था, जिसे बढ़ाकर बहन मायावती ने दो हजार रुपये कर दिये थे, इस बजट में, यह सब जनता को गुमराह करने के लिये किया गया है। यह जो बजट है, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित का बताया है, लेकिन यह उनको गुमराह करने के लिये है। मान्यवर, मैं अपने जनपद फतेहपुर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सहकारिता विभाग में 95 लाख रुपये का घोटाला है। वहां पर जो 6 घर हैं, उनका इस विभाग पर वर्चस्व है, केवल 6 घरों में 95 लाख रुपया मौजूद है, जिसकी जांच की गयी तो कुछ लोग मुल्जिम भी बने और कुछ जेल गये, लेकिन वह पत्रावली दबी पड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े माफिया इस सरकार के मंत्रियों के यहां पर संरक्षण पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनकी जांच करायी जाये और दोषी लोगों को सजा दी जाये, जिससे 70 लाख रुपया जो एक घर में और बाकी रुपया शेष घरों में जो मौजूद है, उसको निकलवाया जाये।

मान्यवर, अम्बेडकर पार्क और परिवर्तन चौक का निर्माण बड़े-बड़े महापुरुषों के नाम पर किया गया था, लेकिन जब से यह सरकार आयी है, उनमें अंधेरा छाया रहता है, यह उन महापुरुषों का अपमान है। अम्बेडकर पार्क की बिजली और पानी को काट दिया गया है। क्या उन महापुरुषों का यही अपराध है कि अनुसूचित जातियों में जन्म लिया है। आप जाति के आधार पर वर्तमान कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष के भाइयों का कर्तव्य है कि

ऐसे महापुरुषों का सम्मान करें और चूंकि जाति से ग्रसित हैं, इसलिये वह अपमान कर रहे हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर उद्यान का कार्य है, उसको पूरा किया जाये, उसके जप्त की आपूर्ति समाप्त कर दी गयी है, उसको चालू किया जाये, जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको चालू रखा जाये और जो लोग उसको नीचा घसीट रहे हैं, उनसे अद्यान को बचाया जाये ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद राज्य का ऐसा जनपद है, जहां पर अपराध सबसे अधिक है । यह जनपद जमुना और गंगा नदियों के किनारे बसा हुआ है । अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जिससे अपराधी खुले आम घूमा करते हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं अपराधों के क्रम में लधौरा गांव के एक दलित वर्ग के आदमी परमेश्वर की हत्या कुल्हाड़ी से की गयी और अपराधी मंत्रियों के यहां पर शरण लिये हुये हैं, उनके यहां पर सलाह मशविरा करते हैं । आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी ने अपराधी को 7 दिन के अन्दर जेल में भेजा जायेगा । इस घटना के एक मास हो गये हैं, लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है हमारे यहां पर सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों के इशारे पर पनाह पा रहे हैं । आज गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरों की अमीरी बढ़ रही है । यह किसान विरोधी और दलित विरोधी बजट है और अनुसूचित जाति के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करना है, पिछड़ों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इस बजट में मुस्लिम समाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । यह बजट पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाला है । इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस बजट का 70 प्रतिशत भाग गांवों के उत्थान के लिये जायेगा लेकिन सत्य नहीं है । हमारी सरकार ने जब बहन जी मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने जनपद फतेहपुर के लिये पूर्वांचल विकास निधि से गांवों की सड़कों के लिये 3 करोड़ 4 लाख रु0 दिया था । मेरे पास नियमावली है जिसके लिये वह पैसा दिया गया है उसी में खर्च होना चाहिये लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी ने उस पूरे पैसे को शहर की सड़कों पर लगा दिया है । मैं मांग करता हूं कि उस पैसे को गांवों की सड़कों के लिये उपलब्ध कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अब आप बैठें ।

श्री मुरलीधर—

जब से यह सरकार बनी है तब से जो गरीब भूमिहीनों को अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि आवंटित की गयी थी उस पर भू-माफियों ने पुनः कब्जा कर लिया है, जिनकी सीलिंग में जमीन निकली थी उन्होंने फिर से जमीन पर कब्जा कर लिया है । बड़े-बड़े लोग जिनके एक-एक सौ, डेढ़-डेढ़ सौ एकड़ के फार्म हैं उन्होंने गरीबों की जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अब आप बैठें । मैंने श्री राम जग जी को बुला लिया है । अब आप जो बोलेंगे नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मुरलीधर-- × ×

मान्यवर, × ×

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ, लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री मुरलीधर-- × ×

*श्री राम जग--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट को पढ़ने से स्पष्ट है कि यह बजट पूंजीपति परस्त है, भूस्वामी परस्त है यह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है । यह केवल झूठ का पुलिंदा है । इस बजट में खेतिहर मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । गांवों में लगभग आधे से अधिक लोग खेतिहर मजदूर हैं उनके बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं की है । उ0 प्र0 में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । सरकार ने जो वित्तीय संकट की बात कही है यह उन्हीं की देन है पिछले 4, 5 सालों में या तो इनकी सरकार रही या इनके समर्थन की सरकार रही जिसके कारण उ0 प्र0 की यह वित्तीय स्थिति हुई है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीति मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, इसमें बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई बात नहीं है । आज प्रदेश में सीमेंट के कारखाने, कपड़ा मिलें तथा दूसरे कारखाने बन्द हो गये हैं उनको खोलने की व्यवस्था नहीं है । आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की लम्बी फौज है उनके लिये इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई है ।

आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में भूस्वामियों के हाथों में 95 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जमीन है । तमाम बड़ी-बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं लेकिन भूमि सुधार कानून को लागू करने के सम्बन्ध में इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है । आज खेतिहर मजदूरों को जोतने के लिये तो जमीनें दी जाती हैं लेकिन उनको देने के सम्बन्ध में यह सरकार बिल्कुल उदासीन है । हजारों एकड़ जमीन कृषि फार्म बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में है जो जमीनों को जोतने का काम नहीं करते हैं किन्तु फिर भी वह जमीनें उनके कब्जे में हैं । पूरे प्रदेश में खेतिहर मजदूर जो गांवों में रहने वाले हैं उनको जमीनें न देकर बड़े-बड़े लोगों के कब्जे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जमीनें हैं। खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार मौन धारण किये हुये है जबकि दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने दैनिक मजदूरी में वृद्धि कर दिया है। इस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब किसानों के के जीवन स्तर को उठाने के सम्बन्ध में कोई योजना लागू नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं पश्चिम बंगाल को मिसाल देना चाहता हूं। वहां की सरकार अनाज उत्पादन में हमसे आगे निकल गयी है। वहां की सरकार ने किसानों के लिये खाद और पानी का अच्छा प्रबन्ध किया है इसलिये पश्चिम बंगाल की सरकार हमसे आगे निकल गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाया है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की स्थिति आज बिगड़ती जा रही है। मान्यवर, यहां थानों में यदि अपराधी और डकैत पकड़े जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाय चूंकि वह हमारे कार्यकर्ता हैं। आज उत्तर प्रदेश के थानों में पुलिस अधिकारी और सी0 आ0 भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों के दबाव में कार्य कर रहे हैं। इसलिये यहां कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कृषि और उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। यहां नये-नये कल कारखाने लगाने का सरकार की कोई योजना नहीं है। प्रदेश में जो कारखाने बीमार और बन्द हैं उन्हें चालू करने के सम्बन्ध में सरकार कोई योजना नहीं बना रही है। इसलिये प्रदेश में यदि नये कारखाने नहीं लगेंगे तो बेकार लोगों को और नवयुवकों को नौकरी नहीं मिल सकेगी, इसलिये आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लुन्ज-पुन्ज हो गयी है। आज किसानों, गरीब लोगों को न तो मिट्टी का तेल मिल रहा है, न चीनी मिल रही है और न राशन ही मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिये आधी दरों पर अनाज देने की व्यवस्था किया है किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जब गरीबों को केन्द्र सरकार ने आधा कीमत पर अनाज देने का प्राविधान किया है तो वह गरीबों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। और वह कहां जा रहा है? इसलिये यह सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है।

मान्यवर, आज देखा जाय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पन्डित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर अनेकों काम और योजनायें चलाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका था। क्या उन्होंने मदरटेरेसा जैसा गरीबों के लिये कोई काम किया था।

मान्यवर, आज प्रदेश में पब्लिक सेक्टर को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व बैंक और अमेरिका के दबाव में केन्द्र सरकार काम कर रही है। केन्द्र सरकार अमरीका के सामने घुटने टेक चुकी है। नयी आर्थिक नीति विदेशों के दबाव पर बनायी गयी है और प्रान्त की सरकार भी नयी आर्थिक नीति के सामने घुटने टेकने का काम कर रही है। देश को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री रामजग—

आज स्थिति यह है कि सरकार ने घाटे का बजट पेश किया यह बजट जनता को धोखे में डालने वाला है । पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है । उत्तर प्रदेश के निगमों के जो कर्मचारी हैं उनके लिये पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है । उत्तर प्रदेश में बजट में जो घाटा दिखाया गया है उससे दो गुना घाटा हो गया है । पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है । इसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ गई है । शिक्षा की आपकी जो पालिसी है उससे गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं । केवल पैसे वाले, पूंजीपति जमींदारों के बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । आज गरीबों के बेटों के लिए खेतिहर मजदूर के बेटों और गांवों में रहने वाले लोगों के बेटों को शिक्षा देने के लिये कोई नई नीति नहीं निर्धारित की गयी है बल्कि शिक्षा, पूंजीपतियों पैसे वालों को ध्यान में रखकर शिक्षा की नीति निर्धारित की गई है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में पिछली सरकार ने अम्बेदकर गांवों में विकास कार्य किये थे । बिजली सड़क निर्माण की योजनायें लागू की गयी थीं । लेकिन गोपनीय आदेश के जरिये अम्बेदकर गांवों का विकास रोक दिया गया है । जो भी सड़कों की, विद्युतीकरण की योजनायें वहां पर चल रहीं हैं अब न तो सड़कों का कार्य हो रहा है और अब न अन्य विकास कार्यों का काम हो रहा है । आज पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण, मजदूर विरोधी नीतियों के कारण, गरीब विरोधी नीतियों के कारण पिछड़ता जा रहा है । यह सरकार पूंजीपतियों, भूस्वामियों के पक्ष में काम कर रही है । सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार के मंत्री और सरकार पूरे प्रदेश में गरीबों को मजदूरों को भूखों मरने पर मजबूर कर रही है । अपराधियों के बल पर पूरा राज चल रहा है आप खुद सरकार नहीं चला रहे है । आपकी कानून व्यवस्था आज टूट रही है । उत्तर प्रदेश में आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 के लोगों को संरक्षण सरकार दे रही है । अधिकारियों पर सख्ती न करने से पूरे प्रदेश में डकैती, कत्ल, अपहरण, बलात्कार और गरीबों, अनुसूचित जातियों पर जुल्म हो रहे हैं । गृह विभाग ने रिपोर्ट दी है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है । आज अनुसूचित जाति विरोधी सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों की पदोन्नति रोकी जा रही है । एस0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 जैसे स्थानों पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है । थानों पर उनकी नियुक्ति की जाती है जो पैसा देते हैं । आपका यह बजट किसान विरोधी है, इस सरकार ने गरीब विरोधी बजट पेश किया है ।

श्री छोटे लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से पहली बार कुछ ठोस कदम उठाये हैं जो किसी सरकार ने नहीं किये हैं । हमारी सरकार ने समस्त छात्रों की छात्रवृत्ति को 2 गुना कर दिया है । रजिस्ट्री में अभी तक हमारे जो उपभोक्ता जाते थे वह स्टाम्प के कारण 10–15 दिन चक्कर लगाते थे ।

लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी यह रजिस्ट्री की प्रथा हमारी सरकार ने समाप्त कर दी। यह पहला कदम हमारी सरकार ने उठाया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। स्थानीय निकायों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर से होने वाली आय का 11 प्रतिशत स्वायत्ता के लिए सौंप दिया है। यह पहला कदम है जो हमारी सरकार ने उठाया है। हमारी सरकार ने नहरों की पटरियों को पक्का करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाये थे। हमारी सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को खत्म करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाये हैं। हमारे लखनऊ क्षेत्र में लगभग 21 वर्षों से शिया सुन्नी समुदाय के लोग जुलूस नहीं निकाल पा रहे थे। अगर निकालते थे तो आपस में लड़ाई दंगा होता था, कत्ले आम होता था।

हमारी सरकार ने उनमें साम्प्रदायिकता खत्म करके एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि आज उन्होंने अजादारी और मोहर्रम दोनों जुलूस शांतिपूर्वक निकाले। कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। यह हमारी सरकार की पहली विशेषता है। हमारी सरकार ने छोटी-बड़ी घटनाएं चाहे गाली-गलौज की घटनाएं हों। यहां तक कर दिया है कि किसी भी थाने में कोई भी जाता है तो उसके लिए यह नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी। छोटी से छोटी घटना को भी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। यह पहला कदम हमारी सरकार ने उठाया है। जो सरकारें रहीं वे आज तक अपराधों को छिपाने की कोशिश करती थीं लेकिन हमारी सरकार ने किसी अपराध को नहीं छिपाया है। सच्ची झूठी सब घटनाएं दर्ज होती हैं अगर झूठी घटना होती है तो उसका निस्तारण हो जाता है और सच्ची घटना है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। एस0 सी0 एस0 टी0 ऐक्ट में अभी तक छोटे लोगों को फंसा दिया जाता था। सवर्ण लड़ते थे और एस0 सी0 को आगे करके मोहरा बना देते थे और उसको जेल भिजवा देते थे। हमारी सरकार ने कहा कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि किसी एस0 सी0 एस0 टी0 को जेल गलत तरीके से न भिजवाया जा सके। हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून ला कर बड़ा अच्छा काम किया है। किसी भी छात्र को नकल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इससे यह फायदा हुआ कि जो मेधावी छात्र थे वे आगे बढ़े और मौका मिला। इस वर्ष जिन छात्रों ने मेहनत की थी वे मेरिट में आये। उनको इस नकल विरोधी कानून से बड़ी राहत और आत्म बल मिला। इसी तरह से हमारी सरकार ने तहसील दिवस और किसान दिवस नियुक्त किया। हर न्याय पंचायत में हफ्ते में एक बार किसान दिवस का आयोजन किया। जहां पर उससे सम्बन्धित सभी अधिकारी जाते हैं और किसानों की समस्याओं को सुनते हैं इसी तरह से तहसील दिवस में जिलास्तर के अधिकारी जाते हैं और गांववालियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करते हैं जिससे उनको बहुत राहत मिली है। हमारी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिये हैं कि 10 बजे से 12 बजे तक किसान और ग्रामीण भाइयों की समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण करें। यह इस तरह के कदम हमारी सरकार ने उठाये हैं जो पहले किसी सरकार ने नहीं किये। इसलिए हम इस बजट का समर्थन करते हैं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें बजट पर बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

विभिन्न दलों के नेताओं ने आज के लिए जो नाम लिख कर दिये हैं मैं उसी के आधार पर बोलने के लिए बुला रहा हूं ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, हमको भी सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने दल के नेता से सम्पर्क कर लें उन्हें लिखकर दे दें कि आप भी बोलेंगी । मेरे पास जो सूची है मैं उसी से बुला रहा हूं ।

डा0 कौशल किशोर--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर आज सत्ता पक्ष के लोग जो भा0 ज0 पा0 के हैं अपने को परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी, समान धर्मवादी, हिन्दू धर्मवादी और सनातन धर्मवादी कहते हैं । इनसे उम्मीद थी कि कोई ऐसा बजट लायेंगे, जो क्रान्तिकारी बजट होगा लेकिन यह बजट लोक से हटकर बिल्कुल नहीं है यह बजट दिशाहीन है आत्मा विहीन है...

एक माननीय सदस्य--

क्रान्तिकारी है ?

डा0 कौशल किशोर--

क्रान्तिकारी नहीं है, संवेदनाहीन है हमें उम्मीद थी कि जिस तरह से संविद सरकार के जमाने में बजट आया था...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपने कहा क्रान्तिकारी है, तो क्या यह सारे चिन्ह उसी के हैं ।

डा0 कौशल किशोर--

जैसा भी बजट है मुझे उम्मीद थी कि यह घाटे का नहीं होगा । लोगों के लिए उनकी बेहबूदी के लिए इंतजाम होगा । इस बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है लेकिन बजट का जो घाटा है इसको पूरा करने का कोई प्राविधान भी नहीं किया गया है एक ही बात कही गई है कि मितव्ययता बरती जायेगी । मितव्ययता आप कैसे बरतेंगे । सरकारी कर्मचारियों का खर्चा कम किया नहीं जा सकता है उनकी तनख्वाहें काटी नहीं जा सकती हैं दफ्तरों के खर्चों में कटौती नहीं की जायेगी तो आप मितव्ययता बरतेंगे कैसे ? क्या जो आपका जम्बो-जेट मंत्रिमण्डल है उस पर इतना खर्चा हो रहा है उससे मितव्ययता कैसे जायेगी ? क्या आप इनको चाय पानी का खर्चा नहीं देंगे, मंत्रिमण्डल पर चाय का इतना खर्चा आ रहा है और यह मितव्ययता की बात करते हैं कि मितव्ययता बरती जायेगी । यह मंत्रिमण्डल को छोटा कर नहीं सकते हैं । उन्होंने बजट में कुछ भी नया नहीं किया है । बजट को इन्होंने ज्ञानीमुखी और विज्ञानोन्मुखी कहा है और बोलनायें लगाई हैं भविष्योन्मुखी भी

कल्पना की है तो बाकी जो बचा है उसको शेषोन्मुखी बना लेते तो बाकी को भी लाभ मिल जाता ।

मान्यवर, इसी तरह से ग्रामों के लिये, पेयजल की व्यवस्था के लिये 50 हजार नलकूपों की व्यवस्था माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है । मुख्य मन्त्री जी के भाषण में है कि 1 लाख 22 हजार गांव हैं जहां 50 हजार इण्डिया मार्का नल लगेंगे यह इतने कम है कि छोटे बड़े गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायेगी । दूसरी तरफ मान्यवर, 10 हजार कुएं बनेंगे, कुएं के साथ ट्यूबवेल का जो निर्माण किया जायेगा वहां पर एक चरही बनाई जायेगी जहां जानवर पानी पी सकेंगे । यह कुआं बड़े गांव में जहां न्याय पंचायत होगी उसमें होंगे तो मान्यवर, बाकी के जो छोटे-छोटे गांव होंगे क्या वहां के लोग, वहां के चरवाहे इतनी दूर कुएं में जानवरों को पानी पिलाने आ पायेंगे ।

(व्यवधान)

इन परिवर्तनशील युग में उस चरही में पानी पिलाना क्या सम्भव होगा । तो मेरा यह कहना है कि कुओं को न बनाकर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जायं उनकी संख्या ज्यादा कर दिया जाये ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की जो बात कही गयी उसके विषय में कहना चाहता हूं कि डी0 जी0 पी0 ने एक संवाददाता सम्मेलन में स्वयं कहा जब हम राजनीतिज्ञ डानों के खात्मे की योजना बना रहे थे वे आज माननीय मन्त्री हैं ।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जायेगा अपराधों को लिखा जायेगा । मान्यवर, थानों में जब कोई व्यक्ति जाता है तो पुलिस उन्हीं को दण्डित करती है ।

हमारे यहां लल्लू पाण्डेय का लड़का ठेलिया में बिक्री करके बाजार से जा रहा था उसको लूट करके गोली मार दी गई । जब इसके लिये रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो उससे कहा गया कि तुम्हारे दुश्मनों ने गोली मारी है और जबरन यही रिपोर्ट दर्ज की । प्रताप नरायन अपनी तनख्वाह पाकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनको रास्ते में लूट लिया गया और रिपोर्ट यह लिखी गई कि उनका झोला गिर गया है, यह कानून व्यवस्था की हालत है । मेरे मोहल्ले में हमारे मकान के पास 6 मकानों में चोरी हो गयी । शारदा प्रताप सक्सेना, शारदा प्रताप अवस्थी, कालीचरन मिश्रा के यहां लेकिन एक भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी । एक मोटर साइकिल और एक स्कूटर की चोरी वेद प्रकाश पितरिया के मुनीम के घर से हुई लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि नौकरी देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा लेकिन हमारे यहां कोआपरेटिव बैंक में तमाम एप्वाइंटमेन्ट फर्जी करके उनको समायोजन के नाम पर भेज दिया गया ।

श्री अध्यक्षता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

डा0 कौशल किशोर—

इसी प्रकार हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों में भी फर्जी नियुक्तियां कर दी गई। जहां तक किसानों के प्रति बजट की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य शकर के मूल्य पर आधारित होता है। यदि इन्हें गन्ना संस्थान कर दिया जाये तो गन्ने का मूल्य शकर पर आधारित न हो कर वाइप्राडक्ट पर आधारित होगा। हमारे यहां धान की सरकारी खरीद होती है परन्तु उसमें काश्तकारों से धान नहीं खरीदा गया। जब मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की तो उसका उत्तर आया कि आपके जनपद में धान काश्तकारों से ही खरीदा गया है। इस सम्बन्ध में मैंने मीटिंग बुलाई और घोषणा की कि जिन किसानों का धान सरकार द्वारा सीधे खरीदे गये हैं हम उनको सम्मानित करेंगे लेकिन उस मीटिंग में एक भी किसान नहीं आया। गेहूं की खरीद में भी बड़ा घोटाला हुआ है। गेहूं काश्तकारों की जगह बनियों से खरीदा गया। हमारे खीरी कस्बे की आबादी 30 हजार के करीब है लेकिन वहां एक भी हाई स्कूल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डा0 कौशल किशोर—

हमारे यहां जो राज्य मार्ग शहर लखीमपुर में है उसमें एक-एक फिट तक के गड्ढे हैं। हमारे यहां 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन मंजूर है उसको तुरन्त लगाया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप आसन ग्रहण करें।

डा0 कौशल किशोर—

मान्यवर, हम नये सदस्य हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है, आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त करें।

डा0 कौशल किशोर—

मान्यवर, हमारे यहां जंगल राज कायम है। माननीय मुख्य मन्त्री श्री नारायन दत्त तिवारी जी ने गरीब लोगों को ऐसी जमीन पर बसाया था जिस जमीन पर कुछ पैदा नहीं होता था और प्रत्येक गरीब को सवा बारह बिस्वा जमीन मकान बनाने के लिये दिया था और लोगों ने अपने मकान बनाये थे लेकिन इस सरकार ने सब को उजाड़ दिया और आज वह सब बेघर हो गये हैं, दर-दर घूम रहे हैं, गरीबों को उजाड़ दिया गया लेकिन बड़े लोगों को नहीं छुआ गया।

श्री अधिष्ठाता—

अब श्री अखिलेश कुमार सिंह अपनी बात कहें।

डा0 कौशल किशोर--

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता

नहीं अब आप बैठ जायें । आपको काफी समय दिया गया । मैंने अखिलेश कुमार सिंह को बुला लिया है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, महिलाओं को भी मौका दें । आप महिलाओं को मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले भी कहा था कि जिनके नाम मेरे पास आये हैं जब वह बोल लगें तो आपको मौका दूंगा । आप पीठ पर आक्षेप लगा रही हैं, इस प्रकार अगर कोई पुरुष सदस्य कहता तो मैं उत्तर देता । कुछ नियम बने हुये हैं । आपके सचेतक ने जो नाम भेजे हैं उनमें आपका नाम नहीं है अगर किसी प्रकार की आपत्ति करनी है तो आप उनसे करिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि प्रत्येक सदस्य को कम से कम इतना समय मिल जाये कि वह अपनी बात कह दे । अगर हम दूसरे सदस्य के समय पर अतिक्रमण करेंगे तो कठिनाई होगी । अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसे पहले कह लीजिये ।

*श्री अखिलेश कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट की आलोचना के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह उस प्रदेश का बजट है जिसकी 43 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और उस जनता का बिस्तर जमीन होती है और छत आसमान होता है । जिस प्रदेश पर 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है यह उस प्रदेश का बजट है और इस बजट को प्रस्तुत करने वाली जो सरकार है वह ऐसी सरकार है जिसके मन्त्रियों की केवल 6 महीने का चाय का खर्च 55 लाख रुपये है ।

मान्यवर, आप अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके का बजट है, इस सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और कहा है कि कर रहित बजट है, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह शब्दों का हेर फेर है । अभी बजट की चर्चा खत्म भी नहीं हुई है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने के लिये विधेयक ले आये हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस को दोगुना कर दिया गया। इस सरकार ने बता दिया है कि उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अन्तर है । यह सरकार कहती है कि यह बजट किसानों के हित में है, उद्योगों के हित में है, मजदूरों के हित में है, दलितों के हित में है, पिछड़ों के हित में है ।

अगर यह बजट किसानों के हित में है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों किसानों के लिये एक भी बड़ी सिंचाई परियोजना इस बजट में नहीं है । अगर यह बजट उद्योगों के हित में है तो एक भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिये धन का आवंटन बजट में क्यों नहीं है? माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक उद्योग धन्धे, मिल, कारखाने की बात है, इस बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं है । बेरोजगारी

*सदन में भाषण का पुनर्वलोकन नहीं किया ।

की समस्या दूर करने के लिये इस बजट में एक भी उद्योग नहीं रखा गया है और न बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये इस बजट में कोई समुचित प्रबन्ध किया गया है। आज हजारों डाक्टर्स को प्रदेश में खाली जगह है, नर्सों की तमाम खाली जगह है, लेकिन उनकी भर्ती को कौन कहे, मेडिकल कालेजों की फीस में 5 गुना वृद्धि कर दी गई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और इस समय 36,96,740 बेरोजगार प्रदेश में हैं, ऐसी घोषणा की गई। लेकिन अभी दो दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में माननीय श्रम मन्त्री ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने की इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं कि यह सरकार कैसी है और कैसी इसकी घोषणायें हैं। अभी 4 दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधों का ग्राफ प्रदेश में घटा है, जबकि गृह मन्त्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अपराध बढ़ा है, यह कैसा बजट है, कैसी सरकार है और कैसी इसकी घोषणायें। इस बजट के माध्यम से सदन को गुमराह किया जा रहा है और यह सत्य से परे है।

जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, यह इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। जहां तक हम समझते हैं मुख्य मन्त्री जी ने एक भी उद्योग इस प्रदेश में नहीं लगाया है, इसलिये नहीं लगाया क्योंकि कल्याण सरकार में अपहरण को ही उद्योग का दर्जा मिल चुका है तो फिर उद्योग लगाने की क्या जरूरत है? महात्मा गांधी जी ने देश में, प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही थी और इस सरकार ने अपहरण को उद्योग का दर्जा देकर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है, यहां श्री रंगनाथजी बैठे हैं, मैं इनका बड़ा आभारी हूं, कभी-कभी यह सच बात कह देते हैं। अभी दो दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के उप नेता ने कुछ कागज प्रस्तुत किया था, उसमें कहा गया था कि प्रदेश में विद्युत का जो संकट है, उसके लिये कैबिनेट मन्त्री जो हैं, वह जिम्मेवार हैं। किसानों को 10 से 16 घंटे बिजली देने की बात सरकार करती है लेकिन आज गांवों में 10 से 16 दिन तक बिजली नहीं आ रही है।

मैं समझता हूं कि इस समय प्रदेश में दो-ढाई लाख नौजवान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने को उत्सुक हैं, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय की घोषणा इस बजट में सरकार ने नहीं की है। यह बजट केवल झूठ का पुलिन्दा है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं महसूस करता हूं कि आगे आने वाले कल में सरकारें चाहें जो भी हो, लेकिन इस तरह का झूठ का पुलिन्दा प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिये, धन्यवाद।

*श्री बिन्दु लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वर्ष 1998-99 का बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वर्ष 1998-99 का बजट पेश किया है इसमें हर क्षेत्र और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जो 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं उनको 70 प्रतिशत धन देकर गांव के विकास के लिये एक अच्छा कार्य किया है जो बहुत ही सराहनीय है। 11 प्रतिशत सीधे गांव को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा देने की एक बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सबसे पहली बार 50 साल में शुरू की है जो बहुत ही सराहनीय है और जो 50 हजार रुपया विधायकों की निधि के लिये दिया है इसकी मांग विपक्ष से भी थी और इधर से भी थी। पिछले सत्र में मैंने देखा कि दो दिन तक हल्ला हुआ और विधान सभा नहीं चल सकी। आज जो पैसा मिला है उससे हम क्षेत्र के छोटे-छोटे कार्यों को करा सकते हैं। गांवों में जब हम जाते थे तो लोग हमसे कहते थे लेकिन हम कोई कार्य नहीं करा सकते थे, वह काम अब हम करा सकेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र के हर सदस्य की यह मांग थी लेकिन पूरे बजट भाषण में विपक्ष के लोगों ने इसकी सराहना नहीं की और माननीय मुख्य मन्त्री जी की भी सराहना नहीं की। मान्यवर, जिसकी बराबर मांग हो रही थी उसके हो जाने पर उन्हें इसके लिये सराहना करनी चाहिए थी और धन्यवाद देना चाहिए था।

शहरी क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने काफी अच्छा प्रयास किया है। वह गरीब लोग जो अपना मकान नहीं बना सकते थे अब 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये रोज दे करके अपना मकान बना पायेंगे। जो गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चलाकर 25-30 रुपया कमाकर रिक्शा मालिक को दे देते थे आज वह 10 रुपया दे करके रिक्शा मालिक बन सकेंगे। इस बजट में सिंचाई में, चिकित्सा में, शिक्षा में, लोक निर्माण आदि में धन को बढ़ाया गया है। जो ज्यादा पैसा दिया गया है इससे क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए अधिक धन देकर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के लिए पूर्वांचल के लिए अधिक धन देकर उसके विकास के लिए एक अच्छा कार्य किया है। मान्यवर, मैं राशन कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं कि राशन कार्ड का वह हाल है कि आज गांव में राशन कार्ड किसी के पास नहीं है, गरीबी की रेखा के नीचे जिनको चिन्हित किया गया था उनके पास राशन कार्ड नहीं था और जिनके पास था भी उसका दुकानदार अपने पास राशन कार्ड रखे हुए थे। हमारी सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था की है अब हर व्यक्ति को राशन कार्ड मिलेगा इससे धांधली को रोकने में पूरी सहायता मिलेगी। इसी तरह से किसान सेवा केन्द्र की बात है। किसान बेचारा परेशान होता था किसान को लेखपाल नहीं मिलता था वह बेचारा भागा घूमता था। आज इसकी व्यवस्था की गयी है। हर न्याय पंचायत और किसान सेवा केन्द्र में इसकी व्यवस्था है कि वहां पर अधिकारी जाता है और किसान की समस्या हल होती है इसी तरह से तहसील दिवस में तहसील के लोग समस्या का हल करते हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसमें हम लोग सहयोग करें तो किसानों के लिए यह बहुत लाभदायी व्यवस्था हो सकती है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है यह बात सही है कि इसमें जितना सुधार होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। कुछ राजनीतिक संरक्षण भी अपराधियों को मिलता है। यह निश्चित है कि अगर राजनीतिक लोग अपराधियों को संरक्षण न दें तो इसमें सुधार हो सकता है। मान्यवर, लेकिन आज आम जनता यह महसूस कर रही है और उसे विश्वास है कि कल्याण सिंह जी का शासन है कानून व्यवस्था में सुधार होगा। भ्रष्टाचार की जो बात है 1991 में भी मैं विधायक था मैंने देखा कि 1991 से आज तक जितना स्तर गिरा है विकास कार्यों में चाहें लोक निर्माण विभाग हो या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इनके कार्यों का स्तर गिरा है। मेरी सरकार ध्यान दे रही है। लोगों के मन में आ रहा है कि कल्याण सिंह जी की सरकार है गड़बड़ी करेंगे तो बच्चों

नहीं जायेंगे । मान्यवर, चाहें सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हो अगर हम अपने क्षेत्रों के कार्यों में गड़बड़ी न होने दें भ्रष्टाचार न होने दें तो निश्चय ही भ्रष्टाचार दूर करने में हम सहयोग करेंगे । इसी के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री लालमणि प्रसाद को पुकारे जाने पर) ।

डा0 वकार अहमद शाह—

मान्यवर, यह तय हुआ था कि जिस दल को जितनी सदस्य संख्या है उसके अनुपात में सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा । मान्यवर, आपकी एक ही तरफ नजर है और वे चाहें जितना भी बोलें लाल बत्ती नहीं जलती ।

श्री अधिष्ठाता—

सत्ता पक्ष के जो केवल दो लोग बोले हैं । इधर से चार लोग बोल चुके हैं आप सदन में रहें तब तो जानकारी भी रहे ।

श्री लालमणि प्रसाद—

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं । मान्यवर, यह बजट सही माने में किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी है हम बजट का इस नाते विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस धरती पर गौतम बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया वहीं धरती पर मोहम्मद साहब के विचार धारा के मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाई-चारे का संदेश दिया इस धरती पर कबीर साहब ने रूढ़िवादी और पाखण्डवादी व्यवस्था का विरोध किया वहीं इस धरती पर ईसा मसीह की विचारधारा के मानने वाले लोगों ने अपाहिजों और अपंगों को गले से लगाया । इसी धरती पर गुरू गोविन्द सिंह जी ने जहां स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा की वहीं इस धरती से हजारों, हजारों साल पहले से यहां के बहुजन समाज जो लाचार बेबस और मजलूम हो गया था जिसकी जिन्दगी कुत्ते और बिल्ली से बदतर हो गई थी, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को नया संविधान दिया था जिससे यह समाज कुछ आगे बढ़ा ।

मान्यवर, 50 साल देश की आजादी को हो गये हैं लेकिन अभी भी बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का संविधान को पूर्ण रूप में लागू नहीं किया गया है । इसी लिए राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है अस्मिता की असमानता की अन्याय की असुरक्षा की । मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसके पास आवास नहीं है ।

आज भी खुले आसमान के नीचे रहते हैं । करोड़ों लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है आज भी गन्दे नाले, तालाबों, पोखरों, का पानी पीने को मजबूर हैं दवाओं के अभाव में हजारों लोग मर जाते हैं । 45 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं । आज भी शिक्षा की दोहरी नीति है । गरीबों के बच्चे आज भी टाट-पट्टी लेकर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और खुले आसमान के नीचे ज्ञानार्जन करते हैं । अध्यापक स्कूलों में हैं नहीं ।

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है । तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर आवाज उठायी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि कानून-व्यवस्था पूर्णरूपेण नियंत्रण में नहीं है । कानून-

व्यवस्था कैसे नियंत्रित हो जब अपराधियों को माननीय मंत्रीगण संरक्षण दे रहे हैं । यदि आज ईमानदारी से सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहें तो वे सभी अपराधी सत्तापक्ष के ही समर्थक निकलेंगे ।

मान्यवर, यदि ईमानदारी से देखा जाय तो ये लोग दल तोड़ने वाले हैं, समाज तोड़ने वाले हैं और देश तोड़ने वाले हैं । सत्ता पक्ष आज भ्रष्टाचार में लिप्त है । इन्होंने धन का लालच देकर बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा है । आज 8 महीने हो गये हैं ये लोग 23 लोगों को नहीं तोड़ पाये । 19 लोगों को ये लोग कभी 12 लोगों को कभी 5 लोगों को और कभी एक-एक आदमी को तोड़ पाये । ऐसा लगता है कि तोड़ते-तोड़ते ये स्वयं भी चले जायेंगे । मान्यवर, राम के आदर्श की बात करते हैं । मैं भी राम के आदर्श को मानता हूं । राम ने शबरी के जूठे बेर खाये थे और गिद्ध आदि जैसे लोगों को गले लगाया था परन्तु आज इस प्रदेश में दलितों पर जुल्म ज्यादती हो रही है । अभी सिद्धार्थनगर में दलितों के घर जला दिये गये और उन्हें मारा-पीटा गया जिसमें 14 लोग घायल हो गये । एफ0 आई0 आर0 उनकी लिखी नहीं गई । बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है । किसानों को सस्ते दाम पर न तो खाद मिल पा रही है, न बीज मिल पा रहा है और न डीजल मिल पा रहा है । मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है । बहिन मायावती जी के मुख्यमंत्रीत्वकाल में अम्बेडकर गांव विकास के नाम पर सुदूर अंचल के ग्रामीण इलाकों में विकास का कार्य तेजी से हो रहा था । उस समय डेढ़ लाख अपराधियों को जेल की शीकचों में डाल दिया गया था ।

बहन मायावती जी के शासन में इतना अमन चैन कायम था, इतनी खुशहाली थी कि यहां का किसान ही नहीं, नौजवान ही नहीं, जनमानस ही नहीं बल्कि पत्थर के देवी देवता प्रभावित होकर दूध पीते थे और उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि संसार के देवी देवता दूध पीने का काम करते थे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री लालमणि प्रसाद--

विद्युत की चोरी की समस्या की बात है लोग कडिया लगाकर विद्युत की चोरी कर रहे हैं उसके लिए कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है । समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जूनियर हाई स्कूल के विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, विमुक्त जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री लालमणि प्रसाद जी अब आप समाप्त करें मैंने श्री गौरीशंकर जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री लालमणि प्रसाद--

मान्यवर, गन्ना चीनी मिलों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । आज अलीकाबाद चीनी मिल बन्दी के कगार पर है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने गौरी शंकर जी का नाम पुकार लिया है। माननीय गौरी शंकर जी आप अपना भाषण शुरू करें।

(व्यवधान)

*ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट पर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अग्रवाल जी मैंने गौरी शंकर जी का नाम पुकार लिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जब भी कोई मंत्री बोलता है तो पीठ से निर्देश है कि माननीय मंत्री जी को बोलने दिया जाय। यह इस सदन की पुरानी परम्परा है मंत्रियों को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा आपसे आग्रह यह है कि मैंने श्री गौरी शंकर जी का नाम पुकार लिया है कि मैंने यह भी कहा कि इस बार विपक्ष के दो लोग बोल लें फिर सत्ता पक्ष का एक सदस्य बोलेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, यदि विद्युत मंत्री जी इतने अधीर हो रहे हैं तो मैं आपको सहयोग करता हूं। हो सकता है कि उनका प्रेशर कम हो जाय और जो ऊर्जा शक्ति भर गयी है वह ऊर्जा निकल जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमान् मैं अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे खर्च पर रोक लगायी गयी है। जो पिछली अर्थ व्यवस्था हमें विरासत में मिली थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया है। मैं ऐसे बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं पिछले चार पांच दिनों के इस सम्मानित सदस्यों से विचार को सुन रहा था। मैंने यह अनुभव किया कि बजट के आंकड़ों में, बजट के स्वरूप में और बजट होता क्या है इस पर किसी माननीय सदस्य ने अध्ययन नहीं किया। आज जो जनरल डिस्कसन हो रहा है, माननीय सदस्य जो अपने विचार यहां पर रख रहे हैं अच्छा होता यदि वे अपने विचार जब विभागवार मदें ले ली जातीं तब यह विचार रखते। लेकिन आम बजट क्या है इस पर किसी ने चर्चा यहां पर नहीं की। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम इस सदन में रह कर इस चीजों को देखते कि सरकार ने क्या आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उस पर विचार-विमर्श करते....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं बीच में व्यवधान तो नहीं डालना चाहता हूं । माननीय मंत्री जो हमारे पुराने साथी हैं । इस सदन का 20-25 वर्ष का सदस्य होने के नाते इस दुर्भाग्य पूर्ण बजट का कहना कि बजट का अध्ययन नहीं किया गया उनको इस बात पर विचार करना चाहिए जिससे बहुत से माननीय सदस्यों को जो ठेस लगी है वह न लगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मेरे विचारों का सुनने के बाद वह मेरे तर्कों को अपने तर्कों से काटकर जनता के सामने रखेंगे मुझे विश्वास है ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

बशर्ते कि जितना समय आपका मिला है उतना समय हमें भी मिले ।

(व्यवधान)

कारागार मन्त्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला)--

मान्यवर, बिना मांगे वह इतना समय ले लेते हैं जब आप समय देंगे तो ओवर हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री राम तेज यादव एडवोकेट और श्री शिव प्रताप शुक्ला इन दोनों के बीच क्या निर्णय करूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जो बजट रखा जाता है उसका अर्थ यह होता है कि इस सदन के माध्यम से हम किसी विभाग में कितना खर्च कर रहे हैं और उस विभाग की नीतियां किस प्रकार संचालित कर रहे हैं और प्रदेश की जनता का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को कैसे लागू करेंगे यह मुख्य उद्देश्य बजट का होता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, पिछली सरकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता विरोध करने के लिए खड़े हो जायें, प्रदेश की अपनी सरकार की मुख्य मन्त्री मायावती जी ने जो सदन में बजट रखा था और उनकी मदों को पास किया था तो वह तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने अपनी वोटों की राजनीति को मद्देनजर रखकर किया था जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अस्थिर हो गयी थी और वही जर्जर अर्थ व्यवस्था आज है । गौरीशंकर जी वहां पर बैठे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी इनके नेता हैं उन्होंने जो इस प्रदेश में बजट पेश किया, अपनी नीतियों की जात को एक संदेश प्रदेश को दिया लेकिन क्या वह बजट उस नीति के अनुसार खर्च हो इसका ध्यान दिया गया । मान्यवर, पिछले चार-पांच बजट को अगर आप देखें तो यह पायेंगे कि जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया वह सिर्फ राजनीतिक वोट के लालच में खर्च किया गया और यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस प्रदेश के इतिहास में काले शब्दों में लिखी जायेगी ।

डा0 बकार अहमद शाह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी जहां रहते हैं वहां हांका कर रहे ...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जहां भी रहता हूं वह सत्यता से बोलता हूं। मैं चमचागिरी नहीं करता हूं, मैं आपकी तरह दल से बंधा नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

यह क्या बोलेंगे। सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 72 छेद।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें। माननीय मन्त्री जी को अपनी कह लेने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राम तेज जी की बात का उत्तर नहीं देना चाहता हूं। यह मेरी गरिमा से परे है।

श्रीमन् यह दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का कि जितनी राजस्व की आय है, इस प्रदेश की जितनी टोटल इनकम है, उससे कहीं ज्यादा राज्य कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है। मान्यवर, 700 करोड़ हमारी आमदनी है और राज्य के कर्मचारियों पर 12 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश को जो सहायता मिल रही है, वह सहायता राज्य कर्मचारियों पर खर्च हो रही है और ऋण के रूप में हम धन प्राप्त करते हैं, 50 हजार करोड़ रुपया विभिन्न संस्थाओं का ऋण का है, अगर ऋण को हम वेतन के रूप में देना शुरू करेंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा, इस पर सभी माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये। मान्यवर, अन्य प्रदेशों में चाहे महाराष्ट्र हो, आन्ध्र प्रदेश हो और चाहे कर्नाटक हो, वहां पर सरकारी कर्मचारियों का खर्चा राज्य के राजस्व का 50 प्रतिशत है, मेरे पास आंकड़े हैं। कर्नाटक में 6700 करोड़ का राजस्व है, उसका 45 प्रतिशत खर्च राज्य कर्मचारियों पर होता है और बाकी सभी विकास के कार्यों पर लगाया जाता है, महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से कम खर्च राज्य कर्मचारियों पर है और आन्ध्र प्रदेश में भी हमसे कम है और इसी कारण वह प्रदेश विकसित होते जा रहे हैं, उनके विकास की धारा बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन यहां पर विकास की दर कम है। अगर इस खर्च को कम करने का काम नहीं किया गया, तो भविष्य में इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। हमें इस बारे में चिन्ता करनी चाहिये। अगर इस प्रदेश की यही वित्तीय स्थिति रही, तो हमारा प्रदेश बड़ी मुसीबत में पड़ जायेगा अगर हम राजस्व की गिरावट को कम नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकेगा।

उन सब गिरावटों को ठीक करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उसे चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बिलकुल चरमराई अर्थव्यवस्था होगी और विकास के नाम पर हम सबसे पीछे होंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर सभी माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करें। हमारा कितना राजस्व होना चाहिये, कितनी

सेल्स टैक्स से आमदनी होनी चाहिये, कितनी एक्साइज से आमदनी होनी चाहिये, राजस्व वसूली कितनी होनी चाहिये इस पर बिन्दुवार विचार नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस पर बिन्दुवार चर्चा करें। जो प्रदेश अपनी आमदनी से दुगुना खर्च अपने कर्मचारियों पर करता है और अपनी आमदनी बढ़ाने की बात नहीं करता है, जिस पर ऋण बढ़ता जाता है और ऋण पर ब्याज भी देना रहता है उस प्रदेश का भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता है।

वर्तमान सरकार इस स्थिति से निबटने का प्रयास कर रही है और काफी हद तक सफल रही है। मैं कहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं, एक मन्त्री होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, यह तभी होगा जब हम निचले तंत्र पर पकड़ मजबूत बनायें, उसे ठीक करें। तभी हम इस आर्थिक जंजाल से निकल कर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे। इस जरजर अर्थ-व्यवस्था में हमें बेतहासा खर्च करना पड़ रहा है। अगर हमारी पूंजी संपत्तियों पर व्यय कम होता गया, हमारी एसेट्स कम होती गयी तो इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भयावह होगी। हमारा 50 हजार करोड़ अनुदानित कर्जा है उसको कैसे रिटर्न करें, उन संस्थाओं को जिनसे पैसा लिया है कैसे वापस करें, इस पर हमें सोचना होगा कि ऋणों पर ब्याज कम देना पड़े। हमारी सरकार ने इस पर प्रयास किया है 1997-98 में हमारा घाटा 7246.57 करोड़ था इस वर्ष यह घाटा 4605.39 करोड़ है। इस तरह से हमारा घाटा कम हुआ है। लोक लेखा से जो आमदनी होती है उसे सरकार घाटे को कम करने में इस्तेमाल करती आयी है। हमने भी इस्तेमाल किया है वर्ष 1997-98 में सरकार ने अपने घाटे को कम करने के लिए लोक लेखा से 6611 करोड़ रुपया बचत में दिखाकर इस्तेमाल किया, हमने 3338 करोड़ लोक लेखा से आमदनी दिखाया। हमारी मजबूरी थी। नहीं तो घाटा ज्यादा हो जाता। सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कोई भी सरकार हो अगर वह लोक लेखा की आमदनी को घाटा कम करने में इस्तेमाल करती रही तो वह प्रदेश के लिए हितकारी नहीं है क्यों कि आंकड़ों को इस प्रकार कम दिखाकर वस्तु स्थिति क्या होगी इस पर हमें विचार करना होगा इससे घाटा कम हो नहीं सकता प्रदेश की तरक्की इससे नहीं हो सकती। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख यह बात रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का प्लान 78 सौ करोड़ रुपये था जो इस साल घटकर 24 प्रतिशत कम रह गया है हमने इस बात का संकल्प लिया है कि हम प्लान के पैसे में 70 फीसदी पैसा ग्रामीण आंचलों के लिए खर्च करेंगे। आज किसी भी दल की सरकार हो और आगे भी जिस किसी भी दल की सरकार होगी वह गांवों की चिन्ता किए बगैर नहीं रह सकता है। जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे तब तक सही मायनों में गांधी जी के राम राज्य के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है उसका विवरण मैं रखना चाहता हूं उसे कैसे हम खर्च कर रहे हैं यह देखने की बात है। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार का टोटल 17570 करोड़ रुपया अर्जित किया इस वर्ष हमने 20489 करोड़ रुपया रखा है।

जिसमें 6.235 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को देती है। माननीय, 9,360 करोड़ रुपये हमें अपने प्रदेश को टैक्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। भारत सरकार से 2,752 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार 2,122 करोड़ रुपया नान प्लान, नान टैक्स रेवेन्यू के रूप में अर्जित करने का उद्देश्य रखा गया है।

मान्यवर, अब मैं माननीय सदस्यों को खर्च के विवरण के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले वर्ष 33,000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ और जो अभिधान था उससे 8,000 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च हो गये। इसलिये घाटा बढ़ गया है। मान्यवर, इस वर्ष 27,573 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है।

मान्यवर, आज शून्य प्रहर में माननीय सदस्यों ने कहा था कि इंजीनियरिंग मेडिकल कालेजों की फीस क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मोटर, स्प्रिट टैक्स पेट्रोल टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्हें सोचना चाहिये कि बिना टैक्स के यदि हम बजट पेश करते रहे तो इससे क्या राज्य का घाटा कम हो गया। इसलिये हमें टैक्स तो बढ़ाना ही होगा। मान्यवर मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 22,701 करोड़ रुपये हम नान प्लान, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य मदों में खर्च कर रहे हैं इस प्रकार 4,872 करोड़ रुपये प्लान में अधिक खर्च कर रहे हैं। तो जिस प्रदेश में प्लान की मद में खर्च कम होगा उसका विकास कितना होगा इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है और जब बजट भाषण में अपना भाषण दें तो इस पर विचार व्यक्त करें कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार या आने वाली सरकारें घाटे को कैसे पूरा करेंगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो भारी कर्ज लदा है उसको कैसे कम करेंगे? भविष्य में जो हम कर्ज लेंगे उसमें, क्या नीति होगी और इस तरह से उत्तर प्रदेश की घटती आय को कैसे पूरा करेंगे इस सम्बन्ध में आप लोग सोचेंगे तो हम समझते हैं कि आप हमारी बातों के पक्षधर होंगे। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ाई से वित्तीय नियमों का पालन करना चाहिये। बीच में जो घोटाला कर दिया जाता है जिससे राजस्व की हानि होती है उसे हम कैसे पूरा करें?

उत्तर प्रदेश की राजस्व बढ़ाने के लिये थोड़ा बहुत जो टैक्स लगाया गया है, वह उत्तर प्रदेश की जनता के हित में लगाया गया है, इसलिए आप लोगों को इस सम्बन्ध में विरोध नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्री लाल जी वर्मा जब अपना भाषण देंगे तो वह बतायेंगे कि बिना टैक्स लगाये हुये हम कैसे नये-नये पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर सकेंगे।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह श्री रंगनाथ मिश्र, राज्य मन्त्री, के सम्बन्ध में मंत्री जी पहले अपनी व्यवस्था दें और बाद में लच्छेदार भाषण दें तो मैं समझता हूं अच्छा लगेगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि कर लगाकर राजस्व बढ़ाया इससे मैं सहमत हूं। माननीय नरेश अग्रवाल ने जर्जर वित्तीय स्थिति देख कर कर लगाने की बात बताई परन्तु यह बात माननीय नेता सदन ने स्वीकार नहीं किया इसका मुझे दुख है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मुझे खुशी है कि हमारे साथियों ने इस बात को गम्भीरता से लिया। माननीय राम तेज जी को कुछ कहना ही है। रामतेज जी जब बोलेंगे बजट भाषण

पर तो इस स्थिति को देख कर बोलेंगे । मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर शंका जाहिर की कि मुख्य मन्त्री जी ने जो विधायक निधि बनायी है 260 करोड़ रुपये की उसके लिये रुपया कहां से लायेंगे । कुछ सदस्यों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की जब आमदनी नहीं हो रही है तो हमारा विकास कैसे होगा ।

मान्यवर, हमने कुछ आमदनी बढ़ाने के लिये प्रयास किया है मैं उनमें से कुछ बिन्दुओं को बताना चाहता हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट भाषण में तमाम विभागों की नीतियों की घोषणा कर दी है । मान्यवर बता दिया है कि हम कहां से धन लायेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार इस बार व्यापार कर और मोटरस्प्रिट से 1529 करोड़ रुपया ज्यादा प्राप्त कर रही है । इसी प्रकार से राज्य उत्पादन शुल्क के 176 करोड़ रुपये वेहिकिल्स से 55 करोड़ और पसेंजर टैक्स तथा अदर टैक्स से 145 करोड़, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन जिसके मन्त्री माननीय हुकुम सिंह जी हैं 427 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रोकल टैक्स से 6 करोड़ रु0 इस तरह के करीब 2438 करोड़ रु0 आमदनी बढ़ाने के लिये अपने प्लान को सामने रखा है । इसके अलावा राजस्व वसूली जब तक उत्तर प्रदेश में कड़ाई से नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा ।

श्री मुन्ना चौहान--

माननीय मन्त्री जी रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं । मंत्री जी बतायेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में उनका विश्वास है कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह परम्परा नहीं है । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, स्वदेशी संस्थानों का कोई जिक्र नहीं है इस लिये मन्त्री जी से शंका समाधान चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य काफी कन्फ्यूज्ड मालूम हो रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मुन्ना चौहान जी, हम भारतीय हैं, स्वदेशी में विश्वास करते हैं । एक भारतीय होने के नाते स्वदेशी में विश्वास करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

सिर्फ दो वाक्य में अपनी बात समाप्त करें और विपक्ष के लोगों को अवसर दें ।

श्री वी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बजट के ऊपर एक अच्छा तर्क रखने की कोशिश कर रहे हैं । एक परम्परा रही है कि सदन में जब भी बजट पर चर्चा होती है, वैसे राज्यपाल बोर्धा का संज्ञान नहीं लिया जाता, परन्तु बजट चर्चा के समय वित्त विभाग के अधिकारी उधर बैठते हैं और माननीय सदस्यों के अच्छे सुझावों को जरूर नोट करते हैं । मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें ताकि जो सदन की गरिमा है वह स्थापित रहे ।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं बहुत आप की आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। इस लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह किसान विरोधी है जन-विरोधी है जिससे प्रदेश की भलाई नहीं हो सकती है। यह बजट उसी तरह का है जैसे बच्चों के खुश करने के लिए टाफी दी जाती है और उनको भुलाया जाता है। यह बजट किसी तरह भी किसानों का भला करने वाला नहीं है इससे किसान मजदूर और पिछड़ी जाति किसी की भलाई होने वाली नहीं है किसानों को उसको खेती के लिए पानी चाहिए खाद चाहिए, बिजली चाहिए यह कोई भी किसान को नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि 60 प्रतिशत ट्यूबेल जिनसे किसानों को पानी मिलता है खराब पड़े हैं। उनकी सिंचाई नहीं हो रही है आम जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है हमारे पढ़े-लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं उनको रोटी-रोजी नहीं मिल रही है यह बजट इस लिए किसान विरोधी जन-विरोधी और मजदूर विरोधी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भय मुक्त समाज देंगे। और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कहीं भी समाज भय मुक्त नहीं है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने तहसील दिवस की बात कही है यह खुशी की बात है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर आपकी पार्टी के ऐसे लोग बैठते हैं जो दलाली करके जनता का शोषण कर रहे हैं इसको आप गम्भीरता से सुन आज जनता इससे परेशान है मैं अपने क्षेत्र की बात कह रही हूं वहां पर आपके जिला अध्यक्ष बैठकर दलाली करते हैं। आधा पैसा अपनी जेब में रखते हैं इस प्रकार वहां की जनता का शोषण हो रहा है आप कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं और प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा। मैं दावे के साथ कह सकती हूं हमारे निर्वाचन क्षेत्र कोड़ीराम की तरफ ध्यान ले जाना चाहती हूं। आजादी के 50 साल हो गये लेकिन वहां ऐसे गांव है जिन्होंने विकास के नाम पर कोई योजना नहीं देखी है न वहां सड़क बनी है और पानी की व्यवस्था है न सड़कों की हालत ठीक है कब कोई बीमार पड़ जाता है तो वह हास्पिटल तक नहीं पहुच पाता है बीच में ही दम तोड़ देता है नाव के अलावा वहां कोई साधन नहीं है, आज देश की हालत चरमरा गयी है, कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है आप के अधिकारी भी हमारी उपेक्षा करते हैं हमारे पक्षों का कोई जवाब नहीं देते हैं।

लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के कामों को यह सरकार कर रही। मान्यवर, मैं अपने जनपद गोरखपुर में अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं जिसे माननीय सदन मेरी बात को गम्भीरता पूर्वक सुनें। मान्यवर, मैं शनिवार को अपने 5-6 कार्यकर्ता और प्रधान के साथ जिलाधिकारी के मिलने गयी थी। मैं जिलाधिकारी से इस लिए मिलने गयी थी कि इडिया खुर्द (धर्मपुरा) ग्राम पंचायत बस्की क्षेत्र पंचायत कोड़ी राम, जनपद गोरखपुर में प्रा0 विद्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कृपापूर्वक समय दे दिया है। एक अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को आरम्भ कर रहा हूं। मान्यवर, मैं समय का ध्यान रखूंगा। मान्यवर, आपने नाम मेरा लिया था बोलने के लिये लेकिन मान्यवर, वो कुछ ज्यादा ही अधीर थे।

श्री अधिष्ठाता--

मैं केवल इतना ही स्मरण करा दूं कि इस पीठ पर आप विराजमान थे और आपने कृपापूर्वक मुझे बोलने का अवसर दिया था और मैंने अपनी बात कहते हुए कहा था कि आपको लालबत्ती जलाने का अवसर नहीं दूंगा। मैं समय सीमा के अन्दर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता जी, उस दिन भी मैंने विशेष रूप से कहा था कि आप पीठ के अंग हैं और सौभाग्य से आपका सहयोगी और पीठ का अंग होने के नाते भी समय सीमा की जो विवशता है उसको मस्तिष्क में रखते हुए ही अपनी बात कहूंगा। वैसे तो मैं बहुत बात नहीं कहना चाहता परन्तु नरेश जी हमारे पुराने सहयोगी हैं। इस हाउस में आने का अवसर मुझे उनसे पहले मिला है। उनका सानिध्य तो है ही। लेकिन जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उनके पिताजी के साथ भी मुझे यहां पर बैठने का अवसर मिला है उनसे कुछ सीखने का अवसर मिला है। मैं माननीय नरेश जी की बात को काटने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। किसी को आहत करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। दम्भपूर्ण बात कहना उनके लिये मुनासिब नहीं लगता है। उस पर प्रतिविचार करने की किसी के आचरण और मर्यादा पर बोट करना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता।

व्यक्तिगत आक्षेप करने का मैं आदी नहीं हूं एक बात मैं कहना चाहता हूं आप आत्मविश्लेषण कीजिए आईने में देखकर। अभी हमारे साथी अम्बरीष कुमार जी कह रहे थे श्रीमन् जिन-जिन जिलों में कोई बेईमान आदमी बैठते हैं तो बहुत से विधायक कहते हैं बाबू भ्रष्ट और बेईमान है तो लोग कहते हैं कि नरेश अग्रवाल हैं मैं इस पर नहीं जाता हूं।

(व्यवधान)

स्वयं विश्लेषण कीजिये। आप विदेश गये क्या खर्चा किया आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक सहयोगी ने मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है जिन चीजों का उल्लेख किया है मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके पास कोई अभिलेख है? आप संसदीय परम्पराओं का पालन करेंगे यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

इनके सहयोगी ने कतिपय बिन्दुओं पर लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सामान्य चर्चा में व्यक्तिगत आक्षेप कहां से आ गये।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

आपने चुनौती दी कि किसी ने बजट का अध्ययन नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजट जो होता है यह किसी भी सरकार की कार्यशैली का आईना होता है उसको देखने के बाद लगता है कि बजट कैसा है। आपकी जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं यह विदेशी ऋण को मस्तिष्क में रखते हुए बनाई गई हैं। जिन नई योजनाओं को यह सरकार लाना चाहती है उनका क्या हश्र होगा आप एक तरफ तो स्वदेश की बात करते हैं और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा की ओर देखते हैं मान्यवर पिछले वर्ष का इस्टीमेट जो है वह 7 हजार 246 करोड़ 57 लाख रुपये का था अब 6 हजार 611 करोड़ 27 लाख रुपया लिया पब्लिक एकाउन्ट से। उसके बाद 333 करोड़ 33 लाख का घाटा किया। 213 करोड़ 13 लाख का ओपनिंग बैलेन्स है लेकिन यहां कहां से यह धन आया इसका उल्लेख नहीं है। 20 हजार करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी का प्रोविडेन्ट फंड है उसे सरकार कहां खर्चा कर रही है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह बजट पुस्तिका जो दो भागों में है, इसमें उल्लेख नहीं है। मेरा सुझाव है आप इस धनराशि का उपयोग बिजली, शिक्षा, पानी, सुरक्षा आदि पर खर्चा करें।

मान्यवर, जहां तक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का प्रश्न है आपने कहा आप इतने परेशान थे कि आप सरकारी कर्मचारियों को बजट के अनुरूप तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हैं और यह भी कह रहे हैं कि भर्ती करने जा रहे हैं। भर्ती करने जा रहे हैं अच्छी बात है। नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन आपकी बातों में विरोधाभास क्यों है। जब आपके पास इतना बजट नहीं है कि आपके इतने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन दे सकें।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मेरा ख्याल है कि आपका बजट भाषण का आशय पूरी तरह नहीं समझ पाए। हमने राज्य कर्मचारियों को 25 से 30 प्रतिशत वेतन ज्यादा दिया है। बजट घाटे के बारे में आप देखें यह कहते हैं बजट घाटा लेखा जोखा से लेकर कम कर रहे हैं? हमने 70 हजार लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है आपको दर्द नहीं होना चाहिए। हम आय के श्रोत कहां से बढ़ायेंगे हम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं। आप तर्क से जवाब दें।...

श्री गौरीशंकर 'एडवोकेट'—

ऊर्जा मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उसके लिए साधुवाद वसूली कितनी रही है और कितना बकाया है इस पर भी आपने दृष्टि डाली होती तो स्थिति आपके समझ में आ जाती। जहां तक सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाहें देने की बात है, वह तो आपकी अनिवार्यता है, जब भारत सरकार अपने वेतनमान बढ़ाएगी तो आपको तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा निर्णय पूर्व की सरकारों ने कर दिया है। यह तो अपरिहार्य है इसलिए इसका उल्लेख करने में समझता हूं कि आप ज्यादा बधाई के पात्र नहीं हैं।

बड़ा जोर सुनते थे पहलू में जिनका, जब चीरा लगाया तो कतरा ए खून निकला। 'मुहब्बत की बात है पेशवा जाने, हम तो बेटियां हैं क्या जानें।'

माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। वार्षिक प्लान 9,000 करोड़ रुपये तय किया गया है लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि यह धनराशि कहां से आयेगी। इस धनराशि हेतु कोई रणनीति यदि बनाई गई हो तो मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है और अपेक्षा है कि वह जब बजट भाषण देंगे तो उसमें इस बात का उल्लेख करेंगे। पिछली बार सरकार 5,500 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकी जबकि सरकार ने 7,100 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करने की बात की थी। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि विदेशी मुद्रा हमें 721 से लेकर 1567 करोड़ रुपये की कर्ज से मिल जायेगी। लेकिन जब भारत सरकार ने अपने देश की सुरक्षा के लिए पोखरन में परमाणु विस्फोट किया तो उसके बाद अमेरिका, जापान सहित अनेक विकसित देशों ने भारत पर सेंसर लगा दिए इसलिए ऐसी स्थिति में आप विदेशी सहायता की उम्मीद किस आधार पर कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने मान सम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं कर सकता, एक स्त्री अपने स्त्रीत्व के लिए स्तर पर कोई समझौता नहीं कर सकती, कोई देश अपनी लिबर्टी के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता फिर आप किस आधार पर उम्मीद कर रहे हैं। आपको हौसला रखना चाहिए कि हम सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अपने देश के मान सम्मान को बेचकर समझौता नहीं कर सकते। हम अपने मानचित्र जो कि कश्मीर से कन्या कुमारी, गुजरात से गोहाटी तक है उसकी रक्षा के लिए एक-एक नौनिहाल अपने को बलिदान कर देगा। आपके द्वारा विदेशी कर्ज की तरफ हीन भावना क्यों पैदा की जा रही है। यह हमारी समझ में नहीं आया। विदेशी ऋण का उल्लेख करके मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के लिए हीन भावना होगी।..

बिजली की समस्या जिसका आपने जिक्र किया। हमने उस दिन भी कहा था, मेरी निगाह घड़ी की सुई पर है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि जो 25-30 मिनट का भाषण अग्रवाल जी ने दिया है उसका जवाब दूंगा लेकिन समय की विवशता है और नैतिक दायित्व है कि समय के अन्दर समाप्त करूं। आज यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 एक बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें चाहे जितना धन डाला जाये वह भरने वाला नहीं है। आप इसको कृपा करके जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कीजिए। इस प्रदेश की जो समस्या है उसका निदान कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल--

सम्पूर्ण विपक्ष अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो हम यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 को डिवाइड कर देंगे।

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट--

आप बताइये देखा जायगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, एक अच्छा कदम नरेश अग्रवाल जी एनाउन्स करना चाहते हैं, विरोध पक्ष इससे सहमत है, जो विद्युत् उत्पादन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है इसे तीन बिन्दुओं पर बांटे और तीनों की जिम्मेदारी निर्धारित करें। अगर नरेश अग्रवाल जी इसकी यहां घोषणा करते हैं तो पूरा विपक्ष इसका स्वागत करेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सम्पूर्ण विपक्ष अगर राजी हो जाये तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 तारीख को विद्युत का बजट है उसमें यह बात आ जाये।

*श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह एक अच्छी परम्परा होगी, माननीय मंत्रीगण अगर इस बात की जिम्मेदारी स्वीकार कर सकें कि अगर कोई अच्छी राय और अच्छा सुझाव विपक्ष की ओर से आय तो उसको सरकार स्वीकार करने का काम करेगी तो इससे अधिक आगे बढ़कर साहस दिखाने का काम करना चाहिये। श्री गौरी शंकर जी ने और बी0 आर0 वर्मा जी ने कह दिया, अगर आप व्यक्तिगत राय नहीं लेना चाहते हैं और सचमुच में इस बात का साहस है तो सरकार की ओर से इसकी घोषणा की जाये और तिथि बतायें कि किस तिथि तक आप घोषणा कर देंगे। बजट पर आपने चर्चा की है, यह स्वागत योग्य वक्तव्य है अगर सुझाव सकारात्मक हैं तो आपकी सरकार उस पर काम करे। आपकी विश्वसनीयता ऐसी नहीं कि आप हल्की चर्चा कर और हम स्वीकार कर लें, संयोग से जिस विभाग को आप चला रहे हैं उसकी भी साख अच्छी नहीं है।

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

किंवदन्तियों पर कही हुई बात अंकित नहीं की जायेगी।

श्री अमरमणि (युवा कल्याण राज्य मंत्री)--

मान्यवर, यह किस विनय में और किस अधिकार से बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर सिर्फ बजट पर बोल रहे हैं और जो बातें यहां आयी हैं, उसी के सन्दर्भ में कह रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच आपस में टीकाटीकी किये जाने पर--व्यवधान)।

श्री अम्बिका चौधरी--

मुझे सिर्फ आपके प्रमाण-पत्र की जरूरत है, किसी दूसरे की नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी सारी बात को फिर से दोहराता हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कोई अशोभनीय अथवा असंसदीय बात नहीं कही है, आप इसे देख लीजियेगा।

नोट--[× × ×] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अमर मणि—

आपको जब इच्छा होती है, खड़े हो जाते हैं और अपने सुझाव देने शुरू कर देते हैं। बिना अनुमति के आप बोले जा रहे हैं, आप किस नियम में बोल रहे हैं। मैं इनकी साख के बारे में भी जानता हूं, कि इनकी क्या साख है ?

श्री अधिष्ठाता—

बजट पर सामान्य चर्चा की दशा में यह अनावश्यक है। मैं आग्रह करूंगा पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से, अभी प्रतिपक्ष के माननीय उपनेता खड़े थे उनसे भी, कि जब ऊर्जा पर बजट आयेगा, तो ऊर्जा विभाग के बारे में अपनी बात रखेंगे। मैं श्री गौरी शंकर जी से आग्रह करूंगा कि 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, 70 प्रतिशत पैसा ग्रामीण अंचल की तरफ ले जाने की बात कही गई है, यदि ऐसा होगा, तो टेल तक पानी अवश्य पहुंचेगा। यदि इस तरह की प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दुबारा आयेगी तो यह अच्छी बात होगी, यह पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, बस केवल अपने सीने पर हाथ रखकर कहें। सच तो यह है कि अभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। आज पेयजल संकट है, पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है, सड़क नीति की आपने घोषणा की है, आप गड्ढामुक्त सड़क बनाना चाहते हैं, हम सब लोग केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करना चाहते हैं, उस दिशा में आप और आगे बढ़ें, हम तो यह चाहते हैं। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सभी पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मितव्ययिता का जिक्र किया गया, मैं बताना चाहूंगा कि 25 करोड़ रुपया इस सरकार पर खर्च हो रहा है। लखनऊ में टेम्पो के प्रदूषण से काफी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इससे निकलने वाले कार्बन-मोनो-आक्साइड तथा कार्बन-डाइ-आक्साइड से लोगों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं, छोटे-छोटे बच्चे हास्पिटलाइज हो रहे हैं, इससे आप छुटकारा दिलाने का काम करें।

ऐसा नहीं है कि इस बजट में सब कुछ खराब ही खराब है, और हम सिर्फ खराब को ही देखें। जो अच्छा है, उसके लिये साधुवाद देना भी हम पसन्द करते हैं। प्रत्येक विधायक के लिये 50 लाख रुपये विधायक विकास निधि के नाम पर रखा गया है, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, संस्कृत के उद्भट विद्वान कालीदास जी ने अपने इस प्रसिद्ध श्लोक द्वारा आशावादी दृष्टिकोण की व्याख्या की है—

अनन्त रत्नम् प्रभवस्य यस्यं, हिमं न सौभाग्य विलोपिजातम्,

एकोहि दोषो गुण सन्निपाते, निमज्जती नदो किरणेशुवांकः।"

अर्थात् वह हिमालय पर्वत जिसकी गोद में अनन्त रत्न भरे पड़े हैं, दोष ढूढने वाले लोग उसमें भी दोष ढूढ़ते हैं और कहते हैं कि उसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं। यदि हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित न हों और गंगोत्री तथा जमुनोत्री से गंगा और जमुना की धारा बनकर जमीन पर न आयें, तो हमारे जीवन की धारा सूख जाये।

आगे वह कहते हैं कि गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लुप्त हो जाता है। हम सरकार इस कदम की सराहना करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाय तो पूरे हाउस में आपका नाम हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, वह कहते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें जिसकी आलोचना करनी थी, वह कर दी। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छा कर जाइये, क्योंकि बाद में केवल स्मृतियां ही रह जायेंगी—

जीवन की मोगन की विकल वियोगन की,
जग में न जागती जमातें रह जायेंगी।
कहे रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन,
तो यह दुख के द्वन्द की रातें रह जायेंगी,
प्रेम-नेम छोड़ ज्ञान क्षेम जो बनावत हो,
अरे मीत हो नहीं तो क्या छातें रह जायेंगी।
बातें रह जायेंगी न कान्ह की कृपा से इसी,
ऊधौ बस कहिरे की बातें रह जायेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को बल देते हुये प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं, धन्यवाद।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा इस बजट के विरोध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके प्रति आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह बजट 7 आय मों पर आधारित है। मान्यवर, इनका कहना है कि हमारा बजट ग्रामोन्मुखी है, हमारा बजट किसानोन्मुखी है, हमारा बजट गरीबी-मुखी है, हमारा बजट रोजगारोन्मुखी है, हमारा बजट निवेशमुखी है, क्षेत्रीय संतुलनमुखी है, हमारा बजट कल्यानमुखी है। मुझे नहीं दिखता यह कौन सा सूरजमुखी है। मैं इतना मानने के लिए तैयार हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े खूबसूरत अन्दाज में बहुत ही अपने योग्यता परक शब्दों का जाल बिछाकर इस को गुमराह किया है। मन में तो मेरे भी यह बात थी कि अच्छा भाषण होता तो मैं बधाई देता लेकिन मैं क्या इसलिए बधाई दूं कि आज गांवों का जर्जर हाल है, आज 50 साल बीतने के बाद भी गांवों में शौच की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या इसलिए मुबारकबाद दूं कि गांवों में शिक्षा का खराब हाल है, स्कूलों की हालत यह है कि न बैठने के लिए और न छत है और न बिछाने के लिए टाट-

पट्टी है, कहीं अध्यापक नहीं है और जहां अध्यापक हैं वहां फर्नीचर नहीं है, क्या मैं इसलिए मुबारकबाद दूं कि वह कहते हैं किसानों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, जो यहां पर गन्ना मंत्री जी हैं वह इस बात के लिए बधाई ले रहे हैं कि गन्ना की पैदावार बढ़ी है। हमारे मोहल्ले में एक हिजड़े के बराबर एक लड़का पैदा हुआ तो वह हिजड़ा मिठाई खा रहा था और सबसे कह रहा था कि मेरे पड़ोस में लड़का पैदा हुआ है तो यही हाल हमारे गन्ना मंत्री का है। मान्यवर, 30 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया और 27 हजार करोड़ का पेमेन्ट किया गया, 3 हजार करोड़ रुपया बकाया है तो क्या इस बात को इसमें व्यवस्था की गयी है? आज आप 70 प्रतिशत बजट देहात की ओर से जा रहे हैं। मान्यवर, गन्ना किसान पैदा करता है उससे शक्कर बनती है अब जो इनकी वितरण व्यवस्था है वह इस तरह की है कि शहर में रहने वाले को एक किलो मिलेगी और किसान को एक माह में एक किलो नहीं मिलेगी इससे बड़ा सौतेला व्यवहार किसान के साथ और क्या होगा। मान्यवर, इस बजट में कुछ इस तरह से गुमराह किया गया है मैं इसके एक आध आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया कि 127 करोड़ रुपये, मैंने अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति को दूनी कर दिया। आपको याद होगा कि इसके पहले जब नेता सदन की कुर्सी पर बहन मायावती जी बैठी थी तब कैबिनेट डिसीजन हो गया था उस समय इस विभाग को हम देख रहे थे उस समय छात्रवृत्ति दूनी हो गयी थी, मैंने बजट में जब यह शब्द देखे तो मैं खिल गया कि वास्तव में धन्यवाद देने योग्य है, छात्रवृत्ति दूनी कर दी, डेढ़ सौ का तीन सौ हो गया है अब मुख्यमंत्री जी ने 300 का 600 कर दिया होगा।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट हुए) लेकिन जब उसको गहराई से पढ़ा उसमें लगभग 127 करोड़ रुपये का प्राविधान है, जो पहले की सरकार कर चुकी, उसकी घोषणा कर मात्र वाह-वाही लूटने का प्रयास है। किसानों के बाद एक बहुत बड़ा समुदाय है वह है बुनकरों का दस्तकारों का। उनकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। यह औद्योगिक घरानों से अच्छे सम्बन्ध बनाने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर बुनकर उद्योग दम तोड़ रहा है। यूपिका यूपी हैण्डलूम हरण अवस्था में है। उनको राहत पहुंचाने और इस उद्योग को जिन्दा रखने की कोई योजना इसमें नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि यदि 2 रुपये भी बुनकर, दस्तकार के नाम पर दिये गये हों तो यहां उसे बताया जाए। मान्यवर, जो लोग ऊर्जा के लिए कटिया डाले हैं उसमें एक सरलीकरण योजना बनाई कि उनको तुरन्त कनेक्शन दिया जाय। मान्यवर, मैं सीतापुर के लहरपुर की बात बताना चाहता हूं कि वहां विद्युत विभाग द्वारा डकैती डाली जा रही है इनके अधिकारियों के द्वारा कटिया के सरलीकरण के नाम पर किसी से एक हजार रुपये तो किसी से 2 हजार रुपये लिये जा रहे हैं। 6-7 सौ लोगों से 11-12 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं लेकिन उनको रसीद नहीं दी गयी। जब मैं शनिवार को वहां गया वहां आंदोलन हुआ मार-पीट की नौबत आ गयी तब किसी को 3 सौ को तो किसी को 4 सौ की रसीद दी गयी। इसमें तो यह भी व्यवस्था थी कि अगर पूरा पैसा नहीं तो किस्तों में दे दिया जायेगा। बजट में इसकी सही व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, नई उद्योग नीति बनाई जा रही है, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इन

छूटे हुए बिन्दुओं को बजट में शामिल किया जाय। मान्यवर, विकास के नाम पर सीतापुर में लहरपुर में ऐसी सड़कें हैं जिन पर 50 प्रतिशत तक पैसा दिया गया है और पैसा नहीं पहुंच रहा है। डी0 आर0 डी0 ए0 भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जहां सड़कें बन गयी हैं वहां पुल छोड़ दिये गये हैं। सड़कें जो पाट दी गयी हैं वह बरसात के पानी से बह जायेंगी पेय जल की जो बात है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था गांव-गांव में नहीं है जितना पैसा इसमें देना चाहिए था उसमें नाम मात्र का पैसा दिया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है परन्तु जितने धन की व्यवस्था बजट में होनी चाहिये थी, वह नहीं है। सात करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है परन्तु धन की व्यवस्था नहीं की गई है। 43 प्रतिशत लोग जो आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके उत्थान के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं।

*श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। बजट का समर्थन करने के लिए इसलिये खड़ा हुआ हूं कि सत्ता पक्ष का हूं बल्कि समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पेश किया गया है। यह अत्यन्त ही कल्याणकारी बजट है। हमारे जो विरोधी दल में बैठे लोग हैं उनका भी यह लक्ष्य रहना चाहिये कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। वह विरोध के माध्यम से करें और हम सत्तापक्ष के माध्यम से करें परन्तु विरोध केवल विरोध के लिये नहीं होना चाहिये। यदि कहीं पर कोई कमी हो तो अवश्य ही उसका विरोध होना चाहिये, इससे सुधार होता है। इससे पहले की सरकारों ने क्या किया, इसे हमारे विरोध में बैठे हुए लोग नहीं देखते।

आज प्रदेश में अगर असामाजिक तत्वों के विनाश करने के लिये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा लिया है तो इनको पीड़ा इसलिये हो रही है कि उन्हीं लोगों के माध्यम से पिछली सरकारों ने शासन चलाया है। चाहे वह बहिन मायावती जी की सरकार रही हो या भाई मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो। पिछले वर्षों में जब विभाग वाइज बजट पास होता था तो कितने असंगठित तरीके से उस बजट का उपयोग होता था, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। 60 हजार करोड़ तो राजस्व आय है और 12 हजार करोड़ रुपये अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि में चला जाता है। क्या कभी इस पर पिछली सरकारों ने विचार किया कि घाटा कैसे पूरा हो और प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो। मैं इस बजट का समर्थन इसलिये भी कर रहा हूं कि आज चारों तरफ कार्य दिखायी दे रहे हैं, गड्ढायुक्त सड़कें दिखायी दे रही हैं और यदि कहीं अभी रह गई हैं तो उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को आज खेत में पानी मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये यह सरकार प्रतिबद्ध है। 1 लाख 10 हजार लोगों को रोजगार देने के लिये इस सरकार ने घोषणा की है और उसे देने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, हर तरह से इस समय प्रदेश में एक भयमुक्त समाज देने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है आज समाज में जो असमाजिक तत्व हैं वह हर तरह से उत्पीड़ित किये जा रहे हैं और प्रदेश की जो जनता है वह भयमुक्त है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने जनता को भयमुक्त किया था और उनके जमाने में अधिकारी भयमुक्त और अपराधी भयमुक्त थे और आज आप देखें अधिकारी भयमुक्त हैं और जनता भयमुक्त है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

माननीय सदस्य स्वयं भयमुक्त होकर बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बीच में टोका टाकी न करें। सदन में शांति बनाये रखें।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, गांव के विकास के लिए इस सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर और गांव स्तर पर बहुत से कार्य किये जाने की घोषणा की गई है। ब्लाक स्तर पर अधिकारी एक दिन बैठकर जनता की समस्याओं पर विचार करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं इस प्रकार की व्यवस्था पिछली सरकार ने नहीं किया। इसी प्रकार से जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा मीटिंग कराये जाने की व्यवस्था की गई है। तहसील स्तर पर अधिकारी एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और उसमें जनता द्वारा अपनी समस्याओं को प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके सामने रखती है। जनता को उनके प्रार्थना पत्रों का उत्तर उसी समय मिल जाता है जिससे उनकी कठिनाइयां उसी समय हल हो जाती हैं। आज मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर विकास की गंगा बहनी शुरू हो गयी है इसके लिए हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया विकास की गति में जो गढ्ढे बन गये थे उनको पाटने का काम हमारी सरकार ने किया, जिससे प्रदेश में कुछ विकास दिखाई पड़ने लगा है। मान्यवर, यह जो बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह बड़ा ही क्रान्तिकारी बजट है। साल के अन्त में जब-जब विकास कार्यों को देखेंगे, तो प्रदेश का नक्शा ही दूसरा होगा, उससे हमारी सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी लोकप्रियता बढ़ेगी। मान्यवर, आज आप देखें, जो विकास हो रहा है, उसके लिए हमारे सामने बैठे हुये साथियों को कुछ असुविधा हो रही है। यह समझ रहे हैं कि हमारे पुराने कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश को प्रगति के मार्ग में ले चलने के लिये हमारा साथ दें। प्रजातन्त्र में विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष में बैठकर दोनों को प्रदेश हित में काम करना होता है। तभी प्रदेश का कल्याण होगा नहीं तो जनता हमें नहीं बक्सेगी। इन शब्दों के साथ में बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

सामान्य रूप से यह परम्परा रही है कि जब बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है तो वित्त विभाग के अधिकारी, राज्यपाल दीर्घा में अक्सर रहते हैं। मैं इधर लगातार 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि वित्त विभाग का कोई भी प्रतिनिधि बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं शासन को निर्देश देता हूं कि कृपया सुनिश्चित करें।

कृपया सुनिश्चित करें कि अभी जितना समय बाकी है कम से कम वित्त विभाग के सचिव स्तर का व्यक्ति यहां रहे। प्रतिपक्ष और पक्ष के सदस्यों के जो सार्थक सुझाव हों वह आने चाहिये।

रामतेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, आपके निर्देश सम्यक हैं। लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री जी भी चले गये। वे भी नरेश जी को सुनना नहीं चाहते हैं इससे मौजूदा सरकार की स्थिति और साफ नजर आ रही है मान्यवर, निर्देश तो आपने दे दिये हैं, इनका पालन हो जाये तो ठीक है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के नाते यह सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे खेद है कि वित्त विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं हैं। इस पीठ से जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जायेगा। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान रखा जायेगा। मैं माननीय बी0 आर0 वर्मा जी का समर्थन कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना उत्तरभाषण तैयार कर रहे होंगे अधिकारियों को यहां पर मौजूद रहना चाहिये था ताकि जो सुझाव आवे उनको वे मुख्य मन्त्री जी को बताते। मैं अन्त में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रदेश के हित में चूंकि प्रदेश हमारा है, हम सभी इस प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमको जनता ने चुना है। हम हां या ना लाबी में बैठ कर अपने उत्तर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं सरकार का पक्ष ले रहे हैं और विरोध कर रहे हैं लेकिन इस बात की चिन्ता करनी चाहिये कि कौन सा व्यक्ति किस समय जिम्मेदार सीट पर पहुंच जाये इसलिये हमें प्रदेश की वित्तीय हालत की चिन्ता करनी चाहिये जब तक चिन्ता नहीं करेंगे, वित्तीय अनुशासन नहीं लगायेंगे, जर्जर व्यवस्था को ठीक करने की बात नहीं करेंगे यह आर्थिक संकट बढ़ता चला जायेगा तो हम बैंकरप्सी और ओवर ड्राफ्ट की ओर न चले जायें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

अंत में मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव इस प्रदेश की वित्तीय आय बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश में वित्तीय अंकुश लगाने के लिये दें। यह सरकार आपके महत्वपूर्ण सुझावों को मानकर उन पर कार्य करने के लिये कृतसंकल्प है।

भवन निर्माण के सम्बन्ध में कहने गयी थी कि यह प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गड्ढे में बनाया जा रहा है जिसमें न तो ग्राम प्रधान को और न भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि यह स्कूल जिस गड्ढे में बनाया जा रहा है वहां दो बच्चे डूब कर मर गये थे इस सम्बन्ध में जब मैंने आयुक्त गोरखपुर को बताया तो उन्होंने दिनांक 2 जून, 1998 द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया। किन्तु भा0 ज0 पा0 का दबाव जब पड़ा तो फिर जांच अधिकारी से बिना रिपोर्ट लिये राजनैतिक दबाव में पुनः निर्माण कार्य उसी स्थान पर शुरू कर दिया गया। डी0 एम0 से मैंने अनुरोध किया कि उस पोखरे में स्कूल के निर्माण का कार्य न कराया जाय तो उन्होंने कहा कि स्कूल तो वहीं बनेगा। विधायिका जो आप बिना बुलाये यहां चली आती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, दो दिन की छुट्टी है, इसलिए अपने क्षेत्र की समस्या आपसे नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। डी0 एम0 ने कहा आप कहती रहें, हम सुनते रहेंगे लेकिन स्कूल तो वहीं पर बनेगा।

इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आपके समय में हम जनप्रतिनिधि की बड़ी उपेक्षा हो रही है और अधिकारीगण हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। खासतौर से मेरी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी, श्री मुलायम सिंह की पार्टी की हूं, इसलिये मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं बताना चाहती हूं कि उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु पहले अवधेश प्रसाद को भवन प्रभारी नियुक्त कर प्रधान के साथ खाता भी बैंक में खुलवा दिया गया था लेकिन बाद में बिना कार्य शुरू हुए बिना कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने भवन प्रभारी को अपने आदेश से हटाकर अपने प्रताप राय को भवन प्रभारी नियुक्त कर दिया ताकि सरकारी धन का बन्दर रिश्तेदार तथा चहेते श्री केशरीन्द्र बांट किया जा सके। अतः अनुरोध है कि जनहित को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने हेतु निर्माण कार्य रुकवाया जाय, तथा समतल स्थान पर विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाय।

मान्यवर, भा0 ज0 पा0 की सरकार ने हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क बनाने का बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है और न मरम्मत के सम्बन्ध में ही कोई व्यवस्था की गई है। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे यहां सड़कों बड़ी दुर्दशा और है सड़कों में तमाम गड्ढे हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। मान्यवर, सत्तापक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है किन्तु हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क बनाने का प्राविधान नहीं किया गया है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक बन्धा है। राप्ती की कटान से बन्धा कट सकता है। वह बंधा कई जगहों पर कट सकता है और टूट सकता है। यह बंधा शहर के नजदीक है जिस समय यह बंधा कटेगा उस समय शहर में शैलाब आयेगा। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यह बंधा टूटने से मिर्जापुर, बेला, कनई आदि के गांवों को नुकसान पहुंचेगा। आप कह रहे हैं। कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। ट्यूबवेल खराब हैं। हमारे यहां 25 फरवरी

को चक्रवात आया था उसमें बहुत नुकसान हुआ है । बिजली के खंभे टूट गये हैं और संचार व्यवस्था जर्जर हो गयी है । मकान ध्वस्त हो गये हैं और दर्जनों लोग घायल हो गये हैं । जो लोग मर गये हैं उनको तो सहायता दी गयी है लेकिन किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए आज तक कोई सहायता नहीं दी गयी है । मैं कहना चाहती हूं कि चक्रवात के कारण ऐसे ऐसे खंभे झुके हैं किसी दिन उनसे कोई घटना हो सकती है । मैंने कई बार लिखकर दिया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । हमारे यहां कौड़ीराम हेडक्वार्टर है । वहां का एस0 डी0 ओ0 और जे0 ई0 वहां पर नहीं रहता है । किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है । यहां खंभे झुके हैं और तार टूटे हैं । अभी कल की बात शिवपुर गांव से तार टूटने से 2 भैंसे मरी हैं । कोई बात कहने पर अधिकारी नहीं सुनते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, जब मीटिंग होती है गवर्नेंस बाडी की तो उसमें भी लिखकर देते हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं । आप सही समय नहीं दे रहे हैं मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बजट का विरोध करती हूं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के 1998-99 के आय-व्यय की सामान्य चर्चा के ऊपर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

एक अनुरोध है, अभी एक सूचना आई है । अध्यक्ष जी, की तरफ से निर्देश है कि शायद माननीय नेता सदन पौने 4 बजे से बजट पर बोलेंगे । आप तो स्वयं इस पीठ की शोभा बढ़ा चुके हैं । इस पीठ की जो विवशता है उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है । माननीय सदस्यगण की सूची लंबी है इसलिए मैंने अनुरोध किया है ।

श्री लालजी वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी पौने 4 बजे की जगह साढ़े 4 बजे बोल लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी 10 माननीय सदस्यों की सूची मेरे सामने है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो बजट भाषण दिया है वह दो भागों में दिया है । मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की और जो 16 भागों में उत्तर प्रदेश की वित्तीय आय-व्ययक है उसको भी समझने की कोशिश की परन्तु मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति को, उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं ।

बहुत सी ऐसी दुरूहता है जिसके कारण मैं नहीं समझ पाया नहीं तो मैं बहुत अच्छे सुझाव दे पाता अगर मैं पूर्ण रूप से इसे समझने में कामयाब

हुआ होता। मैं समझता हूं कि इसे समझने में मुझे ही दुक्कहता नहीं हुई है बहुत से नये सदस्य हैं उनको भी अवश्य हुई होगी। (कठिन भाषा में) कठिन शब्दावली में यह बजट है। बजट में किस तरह से वित्तीय लेखा लिखा जाता है, कितना पैसा किस काम पर खर्च होगा, यह सारी चीजें समझने में माननीय सदस्यों को कठिनाई अवश्य हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मान्यवर, यह एक व्यवस्था शुरू की जाय कि बजट पेश होने के बाद जितने माननीय सदस्य चाहते हैं उनको वित्त विभाग के अधिकारी कम से कम आकर मोटी-मोटी जानकारी दे दें तो शायद माननीय सदस्य यहां पर बोलें और कुछ अच्छे सुझाव और डिबेट का जो स्तर है वह अच्छा हो सकेगा। मान्यवर, इसमें जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वह काफी संस्कृत प्रमित शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसे समझ पाना मुझ अल्पज्ञानी के लिए दुक्कह है। थोड़ा सरल हिन्दी के शब्दों का प्रयोग किया होता तो उसको समझना हम लोगों के लिए सरल होता। मान्यवर, बजट में बड़ी अच्छी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है। 'यह बजट जो है यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम भविष्योन्मुखी होकर प्रदेश के विकास की गति तीव्र करने का हर सम्भव प्रयास सभी के सहयोग से करेंगे।

मान्यवर, यह आपने अच्छी चीज लिखी है लेकिन अच्छा होता यदि आपने इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले नेताओं की कोई बैठक करके, ऐसे लोगों को जो कुछ सुझाव देना चाहते थे, के साथ बैठक की होती या इस तरह का कोई प्रयास आपकी तरफ से हुआ होता जिसमें सब का सहयोग प्रदेश की जो स्थिति है, जो आज वित्तीय स्थिति की चिन्ता है, उस पर गया होता। मेरी समझ से ऐसा नहीं किया गया है। मात्र लिख देने से सर्वदलीय प्रयास नहीं हो जाता। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। बजट पर आलोचना के लिए कहना चाहता हूं समालोचना के तौर पर मुझे अकिंचन व्यक्ति की समझ में जो आया है उसके अनुसार सुझाव के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। बजट भाषण में जिस तरह से अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जितने खूबसूरत शब्द रखे गये हैं काश हमारी वित्तीय स्थिति भी उतनी ही सुदृढ़ और अच्छी होती तो और अच्छा होता। मैं कुछ उद्धरित करना चाहता हूं' हमारी सरकार समग्र एवं संतुलित विकास के लिए कटिबद्ध है। हर अंधेरे घर में ज्योति जलाने, हर हाथ को काम देने, हर उदास चेहरे को मुस्कान देने तथा समाज के दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों को ससरसता के सूत्र में पिरोकर वास्तविक समृद्धि एवं स्वतन्त्रता का सपना साकार करने की दिशा में हम अनवरत प्रयासरत हैं। 'काश इसी तरह के शब्द' राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर तथा स्वर्गीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सपनों के अनुरूप हमारा संकल्प है एक शोषणमुक्त, समतायुक्त, ममतामुक्त, परस्पर पूरक पोषक, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी समाज की संरचना। काश यह लिख देने मात्र से, वाक्यावलियों का प्रयोग करने मात्र से, जो ममतामय, करुणामयी शब्दों का प्रयोग किया गया है। काश इस बजट का एक अंश प्रदेश के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच सकता तो मैं इस बजट का समर्थन करने में कोताही नहीं करता।

श्री अमर मणि—

आप भी सरकार में थे तो क्या सबको बजट में बैठक बुलाकर सहमति ली थी ?

श्री बी0 आर0 वर्मा--

अगर कोई परम्परा अच्छी हो सकती है तो पिछली सरकार ने नहीं की है तो उसको शुरू करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए आज जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसकी तरफ में थोड़ा सा समय लूंगा मान्यवर, वित्तीय स्थिति उस प्रदेश की आदर्श होती है जहां पर राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक होता है।

जो राजस्व प्राप्ति का पैसा होता है उस पैसे को पूंजीगत व्ययों में खर्चा किया जाता है उसको आदर्श वित्तीय स्थिति कहते हैं संतोषजनक वित्तीय स्थिति वह होती है जिस प्रदेश में जितनी राजस्व की प्राप्तियां होती हैं उतना ही खर्चा होता है। पूंजीगत प्राप्ति जो होती है उसको पूंजीगत में खर्चा किया जाता है उसको संतोषजनक मान लिया जाता है। लेकिन चिन्ताजनक स्थिति वह होती है जहां राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम होती हैं और उस घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए पूंजीगत प्राप्तियों को खर्चा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक होता है। विकट स्थिति वह होती है जहां राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से इतनी अधिक होती हैं कि घाटे की पूर्ति के लिए पूंजीगत प्राप्तियों से पूर्ति नहीं हो पाती है उसकी पूर्ति के लिए लोक लेखा से पूर्ति करनी पड़ती है। ऋण लेते हैं। पब्लिक एकाउन्ट से पैसा लेना पड़ता है यह लोक लेखा गई है कि यदि प्रदेश सरकार की आय नहीं होती है तो प्रदेश के जो ठेकेदार हैं जो ठेका लेते हैं उनको जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है या न्यायालय में वादकारी हैं उनका पैसा जमा होता है वह लोक लेखा में होता है कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड, रिजर्व फण्ड का पैसा जमा होता है उससे लोक लेखा बनता है इससे इस बजट घाटे को पूरा करते हैं तो विकट स्थित होती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसको आप देखें तो हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हो रही है वह 20479.70 करोड़ हो रही है हमारे राजस्व खर्च 27573.45 करोड़ यानि हमारी राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्चों से कम है। यदि नहीं मान्यवर, पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वह 29912.28 करोड़ रुपये हो रही है इसमें 8858.56 करोड़ जो ऋण ले रहे हैं दोनों को सम्मिलित करेंगे जो हमारे घाटे हो रहे हैं। समेकित निधि का सम्भावित घाटा 4698.29 है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में घाटा है समेकित निधि में ऋण लेने के बाद रुपया 4698.29 है। ट्रेण्ट टैप के बारे में कहा गया है अगर यह ऋण न लेते 8 हजार 838 करोड़ रुपये का तो 13,536.85 करोड़ का घाटा होता है। 46.98 29 करोड़ का घाटा हो रहा है इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले की कुछ सरकारों को छोड़कर कुछ अन्य सरकारों ने लोक लेखा से पैसा लेकर उस घाटे को कम दिखाने की परम्परा सी बना रखा है। वैसे ही मुख्य मन्त्री जी ने किया है। मान्यवर, 3438.86 के बाद 1259.53 करोड़ का घाटा है इसका साफ परिणाम निकलता है।

1259 43 करोड़ का शुद्ध घाटा है। यह बजट की जादुगरी है, उसका उपयोग करके उस घाटे को जनता के सामने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है यह घाटा होगा 1339.90 करोड़। इस तरह का बजट केवल वर्तमान सरकार ने ही पेश नहीं किया, पिछली सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। इसी परम्परा का अनुसरण मुख्य मन्त्री जी ने किया है। हमारे ऋणों की स्थिति अत्यन्त खराब है। 50,524 करोड़ रुपये आज की तारीख में हमारे ऊपर ऋण है।

इसके लिए मुख्य मन्त्री चिन्तित हैं यह चिन्ता सारे प्रदेश की है इन ऋणों को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया होता तो मेरे जैसा व्यक्ति उनको धन्यवाद अवश्य करता। मुख्य मन्त्री जी चिन्तित जरूर हैं परन्तु चिन्तित होने के बावजूद अगले साल जब आप बजट पेश करेंगे तो ऋण का बोझ कम नहीं होगा। ऋण का बोझ बढ़ेगा। यह ऋण 59,000 करोड़ रुपये से ऊपर हो जायेगा। जब वर्तमान मुख्य मन्त्री जी नेता प्रतिपक्ष थे तो अपने बजट भाषण में कहा था कि यह रिले रेस है, इस रिले रेस में जिसकी सरकार होगी वह ऋणों का भंडार और बढ़ा होगा। यह इसलिये चिन्ता का विषय है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि हम 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करेंगे। पीछे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की बात कही गयी थी। आज जो प्रदेश की स्थिति है। राजस्व व्यय आय से अधिक है। पूंजीगत खर्च लगातार घटता जा रहा है और उसके कारण हमारे ऊपर ऋणों का बोझ और बढ़ता जा रहा है। ब्याज देने में जाने वाला पैसा हमारा खर्च होता जा रहा है। इस हालत में हम 7 प्रतिशत विकास दर कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसका इस बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। संसाधन कहां से लाएंगे। ऋण कैसे घटायेंगे, पूंजीगत व्यय कैसे बढ़ायेंगे। जो घाटा है उस पर अंकुश कैसे लगायेंगे, ब्याज की अदायगी कैसे करेंगे, परिव्यय का प्रावधान आपने किया है उसके लिये संसाधन आप कहां से लायेंगे। इन सब के बारे में अगर कोई इकोनामिक इक्सरसाइज की होती, आर्थिक मसक्कत की होती तो ठीक रहता लेकिन यह बात बजट में देखने को नहीं मिली। वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रबन्धन की बात आपने कही। कैसे वित्तीय प्रबन्ध करेंगे कैसे वित्तीय अनुशासन लायेंगे, कहां से पैसा आयेगा यह बात बजट में देखने को नहीं मिली। जो 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना है उसके लिये निश्चित तौर पर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करनी होगी यदि प्रति व्यक्ति आय में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हम कर पाये तब जाकर हम 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर सकेंगे। जब 7 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी, कृषि में एक से 4 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, सेकेण्डरी क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेंगे तब जा करके औद्योगिक विकास की दर 9 प्रतिशत होगी। सेवा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत होगी और 30-35 प्रतिशत पूंजीनिवेश होगा तब जाकर हमारी विकास दर 7 प्रतिशत हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया हमारे साथ सहयोग करें, आप स्वयं इस पीठ की शोभा बढ़ा चुके हैं आप एक मिनट में कन्क्लूड करिये।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे दल के नेता हैं, उन्होंने आपसे अनुरोध किया है, मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं।

श्रीअधिष्ठाता--

कृपया सहयोग करें और जल्दी बन्दूक करें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

बातें तो मैं काफी कहना चाहता था, मेरी कोशिश थी कि जो मैं उनसे सकता हूं इस बजट को, जो मेरे सुझाव हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा समय का काफी अभाव आपके सामने नजर आ रहा है । प्रति व्यक्ति आय के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो आंकड़ा दिया है वह तजमुच चिन्ताजनक है । प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है । विद्युत की खपत जो संकेत करती है उससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास कितना हुआ है । उनकी तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी ने चिन्ता जतायी है, वह स्वाभाविक है । साक्षरता, अच्छा सड़क और एक लाख की आबादी पर अस्पताल हो, । जो सी0 डी0 रशियो है, प्रदेश का जो पैसा जमा होता है और खर्च होता है, हमारे प्रदेश को जो पैसा जमा हो पैसा है वह किसी और प्रदेश के विकास के लिए खर्च हो रहा है । हमारे प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम कोई उद्योग चाहे पब्लिक सेक्टर या प्राईवेट सेक्टर में नहीं लगा पा रहे हैं । छोटे-छोटे कारोबार जो आई0 आर0 डी0 पी0 के ऋण से होते हैं उनसे प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है ।

खेती की जो सांख्यिकीय डायरी दी गयी है इसमें जो आंकड़ा औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन का है वह कोई अपग्रेड नहीं है, वह या तो स्थगित हो चुका है, या फिर डाऊनग्रेड है । यह हमारी औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन की हालत है । अगर हम कृषि को लाभकारी बनाना है तो जो पहले 73 प्रतिशत आदमी खेती पर आश्रित हैं इस बोझ को कम करना होगा और इसका कम करने के लिए जो खेती पर मजबूर हैं जिनको 5 महीने से ज्यादा काम नहीं मिल पाता है, उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, रोजगार देना होगा तब जाकर कृषि पर से बोझ कम होगा। इस दिशा में कोई सार्थक कदम उठाया गया होता तो मैं इस बजट की सराहना करता ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका 20 मिनट हो गये हैं । समय की विवशता को समझते हुये कृपया समाप्त करें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा---

आपकी विवशता को समझते हुये मैं केवल कुछ सुझाव, जो मेरी तुच्छ बुद्धि में आ पाये हैं, देना चाहता हूं । उनको रखने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । किसी प्रदेश का जो विकास होता है, उसके लिये सबसे प्रमुख कारक है, वित्तीय उपलब्धता, इसके बाद आता है कि उसका नियोजन किस तरह किया गया है ।

आज हमारे देश में और प्रदेश में प्लानिंग डिफेक्ट क्या है, इसको देखने की नितान्त आवश्यकता है । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक सरयू नहर परियोजना 1978 में बनी थी उस पर ऑडिट पैरा भी है । वर्ष 1985 में इसे पूरा होना था, वर्ष 1984 तक इसमें 80 प्रतिशत पैसा भी दे दिया गया लेकिन काम सिर्फ 20 प्रतिशत ही हुआ, मैं इसके विस्तार में जाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं जा पा रहा हूं । इस सम्बन्ध में हमें विदेशों के अनुरूप अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और नियोजन सिस्टम के दोषों को दूर करना

होगा । इसके बाद यदि क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया तब भी हम अपनी आशाओं के अनुरूप काम नहीं करा पायेंगे । क्रियान्वयन जब अच्छा हो, तो उसकी मानीटरिंग भी होना चाहिये और जब परियोजना पूरी हो जाती है तो उसका मूल्यांकन भी होना चाहिये कि जो पैसा लगाया गया है, उसका सदुपयोग हुआ है अथवा दुरुपयोग । इन सब चीजों को हम अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा और हमारे पैसे का सुदुपयोग होगा ।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि माननीय नेता सदन, वित्त मन्त्री भी हैं, मेरे सुझावों पर अगर तवज्जो दे पायेंगे तो अच्छा होगा । आज प्रदेश के बढ़ते हुये ऋणों की हालत देखकर आवश्यकता इस बात की है कि एक पूर्णकालिक वित्त मन्त्री होना चाहिये । वह वित्त मन्त्री, भले ही हमें हार-फूल पहनाकर स्वागत करके लाना पड़े, हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिये । भविष्य में भी चाहें जो सरकारें बनें, पूर्णकालिक वित्त मन्त्री अवश्य बनाया जाय और वह कोई विद्वान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अथवा चिदम्बरम जैसा व्यक्ति हो ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके । अगर ऐसा संभव नहीं है तो जिस समय बजट बनता है, अर्थशास्त्री जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, उनके सुझाव जरूर लिये जाने चाहियें । आपने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये एक अच्छा प्रयास किया है, मुझे भी मौका मिला था, मेरे सामने भी बातें आई थी, जब मन्त्री परिषद की एक उप समिति बनी थी, उसने भी इस तरह का सुझाव दिया था । लीज की जो जमीन है उसको फ्रीहोल्ड करके संसाधन जुटाने की आपने पहल की है, यह अच्छी शुरूआत है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इस पीठ की परेशानी को समझते हैं इसलिए आप सहयोग करें और समाप्त करें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, थोड़ा सा समय दे दें । मान्यवर, नरेश अग्रवाल जी ने जिस बात को कहा है मैं उसका समर्थक हूं टैक्स लगाने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए केवल वोट की राजनीति के लिए अगर टैक्स लगाने से हिचकेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा । आज सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैं इनके बारे में पिन डाउन कर जिम्मेदारी फिक्स कर तभी उनको लाभ होगा । बड़े बकाया दारों को चिन्हित प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर करके वसूली करियेलेजी छोटे बकाया दार हैं वह अपना बकाया अपने आप दे देंगे ।

आज केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसमें कोशिश करिये, कर लेने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास बढ़ता गया है और प्रदेश सरकारों के पास घटता गया है । इस दिशा में प्रयास करना चाहिए । केन्द्र सरकार एक काम कर रही है वह टैक्स नहीं बढ़ाती है, अधिकार एवं उपकार बढ़ाती है और उसका पूरा पैसा अपने पास रखती है इसलिए अधिकार एवं उपकर के बांटने के लिए दबाव डालना चाहिए । इसी तरह से निकायों के लिए 8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत शहरी और ग्रामीणों के निकायों को देने की बात कही है यह कब हुआ था, जिसके मन्त्री मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया था, आपने लागू किया आपको

शामिल होगा । मेरा केवल एक ही कहना है कि इस पैसे को आप कर्मचारियों पर खर्च करें इस पैसे को उत्पादक मदों पर खर्च करिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके उद्योग के क्षेत्र में वैकल्पिक साधनों का संतुलित दोहन मान्यवर, सबसे बड़ी आवश्यकता है जल प्रबन्धन की है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, आप मुझ को पहले बता देते कि इतना समय देगें तो मैं उतने में समाप्त करने का प्रयास करता ।

एक दल के नेता को कितना समय आवंटित किया है ?

श्री अधिष्ठाता--

15-20 मिनट का समय होता है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, मैं अनुशासित सदस्य हूं, मैं समयाभाव के कारण अन्य विषयों पर अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं । कानून व्यवस्था की जो हालत है उस पर इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमन्त्री जो जब इस कुर्सी पर आसीन हुए थे तो बड़े-बड़े नारे लिखवाये थे कि कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा, लेकिन आज जो मुझे देखने को मिल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा--

न कानून का राज है, न भयमुक्त समाज है ।
पुलिस देखकर भागने वाले के सर पर ताज है ।।
न शर्म है, न लाज है, रोता बिलखता समाज है ।

इसी के साथ में अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

श्री राम स्वरूप सिंह--

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, बजट में आम जनता को आशा दिलाई गई है और तमाम चीजें कहीं गयी हैं । मुझे एक बात कहनी है भय मुक्त समाज की जो बात है । भय सरकारी अफसरों में भागा है, कर्मचारियों में भागा है, नेताओं में भागा है, मंत्रियों में भागा है जनता तो भय-भीत हो गयी है क्योंकि रास्ते चले किसी की भी लूट हो जाती है झूठा चालान हो जाता है । मान्यवर, इस देश में आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाई गयी आजादी के समय 70 लाख लोग बेघरबार थे आज 8 करोड़ लोग बेघरबार हैं यही समाज कल्याण, मानव कल्याण, और महिला कल्याण है । मान्यवर, यहां शिक्षकों में कितनी संख्या है कितने अनपढ़ रहते हैं ।

यह प्रदेश बाहर हिलों का प्रदेश कहा जाता है दूसरे प्रान्तों में जब हमें जाने का मौका मिलता है तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गवांर प्रदेश से आ रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। यह प्रदेश की दुर्दशा है। हम लोग चिन्तित हैं कि प्रदेश कैसे ठीक हो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कह रहा हूं कि जब विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाकर बैठते हैं तो यही भाषा बोलना शुरु कर देते हैं। विधायक हजार से लखपती बन जाता है लखपती से करोड़पती बन जाता है, जनता के लिए आंसू बहाते हैं पता नहीं चलता कि जनता के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। जो स्थिति है इन कर्मचारियों को तीन साल के बाद वेतन नहीं दे पायेंगे। मुझे नगरपालिका नगर पंचायत का तजुर्बा है कर्मचारियों को रिटायर हुए 10-10 साल हो गये उन्हें फण्ड का पैसा नहीं मिला बहुत से मर गये यही दुर्दशा सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है। जिनके पास दो कार, चार मोटर साइकिल, दो बंगले हैं, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता और कर्मचारियों को इनकम टैक्स देना पड़ता है यह हम न्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इनकम टैक्स तो केन्द्र सरकार का विषय है।

श्री राम स्वरूप सिंह--

मान्यवर, मैं एक चीज का विरोध करता हूं कि जो पहले एक करोड़ की राशि एम0 पी0 को दी गयी उसका कोई भी विरोध नहीं हुआ उसी तरह से विधायकों को 50 लाख की राशि इनमें दी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। इससे भ्रष्टाचार पनपेगा, जनता के नुमाइन्दों में भ्रष्टाचार जायेगा इसलिए इसका विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सोचा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर 3.00 बजे से प्रारम्भ हो जायेगा परन्तु एक घंटा ज्यादा हो गया है। अब मैं विपक्ष की ओर से अन्तिम सदस्य श्री राम औतार शाक्य जी को अवसर देता हूं। वह पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर आलोचना करने का मौका दिया। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता। संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। कई बातें यहां पर पहले ही आ गई हैं। इस सरकार की खाद्य नीति, उद्योग नीति, शिक्षा नीति बिल्कुल फेल हो गई है। इसका आर्थिक नियोजन सही नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। गरीबी और धनी व्यक्ति के बीच खाई और बढ़ गई है। आतंकवादी बढ़ा है। पोखरन का जो विस्फोट हुआ तो उसके बाद जो आर्थिक प्रतिबन्ध लगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परियोजनायें हैं। कृषि विभाग में एक डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट था, जिस पर वाशिंगटन में दस्तखत होने वाले थे, जो अन्तिम चरण में था, यदि उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो वह योजना फेल हो जायेगी,

जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक ढांचा खराब हो जायेगा । इस प्रकार आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण जो योजनायें फेल हो रही हैं, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस सरकार ने इस बजट में नहीं की है ।

दूसरा, जो ब्रेन-ड्रेन है, उससे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है । इस ब्रेन-ड्रेन को रोकने के लिये इस सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, जिससे यह ब्रेन-ड्रेन रोका जा सके । पचासवीं वर्ष गांठ पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में एक स्वर्ण जयन्ती गांव का चयन किया गया था, जिन दीवानों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उसी आधार पर इन गांवों का चयन हुआ था, परन्तु प्राथमिकता के आधार पर इन गांवों के विकास के लिये सरकार ने इस बजट में प्राथमिकता के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं की है । हो सकता है अन्य योजनाओं में खर्च हो रहा हो परन्तु देश की आजादी की लड़ाई के साथ जो लोग जुड़े थे यह पहला मौका आया था कि उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा वहां पर बिजली दी जायेगी, पानी की सुविधा दी जायेगी परन्तु ऐसा कुछ न करके सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि उसका राष्ट्र भक्तों से कोई लगाव नहीं है ।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा । माननीय नेता सदन यहां पर मौजूद हैं । आज ही मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं अपराधियों की बात नहीं करता। लेकिन एक अपराधी [* * *] पर 62 मुकदमे दर्ज हैं, उसका भाई [* * *] है, जिसके विरुद्ध 49 मुकदमे दर्ज हैं । [* * * *] में शामिल हैं, जो जेल में निरुद्ध रहा, उसके भाई [* *] को आपने अपना प्रतिनिधि बनाया है । [* * *] आपके प्रतिनिधि हैं, जो परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यक्ति यहां पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, उसका नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य--

मैं तो मान्यवर, मुकदमा नम्बर 63/98 थाना भोगांव हवाला दे रहा हूं । जिसमें 332, 353 तथा 326 के मुकदमे दर्ज हैं परन्तु [× ×] को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, यह कार्यवाही का अंग है आप इसे देख लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अब समाप्त करें । जो भी अनावश्यक होगा वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । नाम नहीं लिखा जायेगा ।

नोट-- [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, इसी तरह से अपराध संख्या-171/98, यह जो 384 का मुकदमा है यह [* * * * *] के विरुद्ध कायम है। इसी तरह से थाना वेवर में अपराध संख्या-172/98, धारा 307 का मुकदमा है जो (* * *) विरुद्ध कायम है इस मुकदमे में थानाध्यक्ष के ऊपर गोली चलायी गयी थी। इन दोनों मुकदमे में आज तक [* * *] की गिरफ्तारी नहीं करायी गयी बल्कि उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से मुकदमा संख्या-84/98 है जो 395 आई0 पी0 सी0 का है उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप इस तरह से [* * *] हत्या में शामिल अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहे हैं और वह खुले आम घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह नाम नहीं लिखा जायेगा। अब आप समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह कवितन कहा जा सकता है। कविता सुनने में तो अच्छी हो सकती है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस बजट का विरो करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से इतना ही कहना चाहता हूं वह भी दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी माननीय बी0 आर0 वर्मा जी ने तो यह कहा था कि वह अपने दल के नेता की ओर से बोल रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। मान्यवर, कथनी और करनी में एका होती तो हम इसका स्वागत करते। जिस तरह से भय मुक्त समाज की दुहाई दी गयी है लेकिन आये दिन डकैती, हत्या, बलात्कारी, अपहरण और सामूहिक अगजनी के माध्यम से नंगा नाच चल रहा है। कुल मिलाकर के दुहाई दी गयी है गांव की बेरोजगारी की दुहाई देते हैं, विद्यार्थियों की दुहाई देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपने विद्यार्थियों की फीस को बढ़ा दिया है, दोगुनी और पांच गुनी कर दिया है और इसी प्रकार से गांवों की दुहाई देते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में रहता कौन है, गांव में रहता है, गरीब और दलित तबका और कमजोर वर्ग रहता है।

मान्यवर, 1985 से लेकर अब तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की योजना शुरु हुई थी और उस योजना में कुल बजट का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये होता था, लेकिन यह जो सरकार है, यह जो भारतीय

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनता पार्टी की सरकार है बहुत दोहाई देती है कि गरीबों की भलाई के लिये काम किया है, लेकिन गांवों में अगर देखा जाये तो किसानों के लिये और गरीबों के लिये कोई कार्य नहीं हो रहा है और इस सरकार ने उस योजना को अपनी योजना में शामिल कर लिया है जिससे उसका लाभ अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति को नहीं मिल पायेगा । मैं कह देना चाहता हूं कि यह जो बजट है मुख्य मन्त्री ने प्रस्तुत किया है दलित विरोधी है, किसान विरोधी है और गांव विरोधी है । इन्हीं सब कारणों से मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दलके सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ दो लोगों को दो-दो मिनट और दे दें । इनके नाम कई दिनों से दिये जा रहे हैं लेकिन इनको अवसर नहीं मिल पाया है । माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी को और श्री चन्द्र नाथ सिंह जी को दो-दो मिनट का समय दे दें बहुत समय नहीं लगेगा । इनकी बात आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

अगर दो-दो मिनट का समय दिया जाता है तो क्या वे उसके बाद आप सदन का बहिष्कार तो नहीं करेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है । आप सत्ता पक्ष के लोगों को नियन्त्रित करें ।

श्री अध्यक्ष—

कभी तो गम्भीरता का वातावरण बनाये रखें ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, इस बार पहली बार इस भा0 ज0 पा0 की सरकार ने बजट भाषण को दो भागों में प्रस्तुत किया है जो एक झूठ का पुलिंदा है और मैं इस बजट का विरोध करता हूं । किसानों के साथ इस बजट में विश्वासघात किया गया है । किसान के गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है किसान परेशान है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसी भी गेहूं क्रय केन्द्र पर गेहूं किसान से नहीं खरीदा जा रहा है । बिचौलिये मुनाफा कमा रहा है । आपकी जो नीतियां हैं, वह गलत हैं उसके कारण किसान परेशान हैं । मैं कहना चाहता हूं कि नदियों के किनारे बसे हुये किसानों के उत्थान के लिये और उनके विकास के लिये एक किसान विकास निधि बनाई जाये ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र---

मान्यवर आज पुलिस का राज्य है, पुलिस के लोग गुण्डा गर्दी कर रहे हैं और उनके इशारे पर कत्ल हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। मान्यवर, अभी हमारे यहां एक व्यक्ति से साइकिल छीन ली गई और श्री शराफत अली की गिरफ्तारी के बाद उनके ग्राम सिकन्दरपुर में थाने की पुलिस ने वहां पर जाकर तमाम लोगों को मार पीट दिया तथा लूट पाट की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया समाप्त करें।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र---

मान्यवर, तीन हजार गांव विद्युतीकरण से रह गये हैं। जिन गांवों में तार टूटे हैं और जहां पर खंभे गढ़े हैं लेकिन तार नहीं लगे हैं, या जहां पर तार चोरी चले गये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाये

श्री अध्यक्ष---

दो-दो मिनट की बात हुई थी। अब मैं श्री चन्द्रनाथ सिंह जी को समय नहीं दे सकूंगा। कृपया आप बैठें।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र---

यह बजट किसान विरोधी है, इससे उत्तर प्रदेश को लाभ होने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देने का अवसर दिया है। चार दिन तक लगातार चर्चा हुई और आज पांचवां दिन है। नेता प्रतिपक्ष और बाकी नेताओं ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं उनके आलोचनात्मक सुझावों का स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाषणों में जो बातें कही गयी हैं, उनमें जो रचनात्मक बातें हुई हैं उन पर सकारात्मक रूप अपनाऊंगा। ऐसे मामले में मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साझीदार मानता हूं। जहां तक उ0 प्र0 के विकास का प्रश्न है मुझे खेद इस बात का है कि कुछ माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने की रुचि रहती है परन्तु उत्तर सुनने की रुचि नहीं रहती। मैं समझता हूं कि जो लोग बजट की सारी चर्चा कर गये लेकिन उन सारी बातों का उत्तर देते समय सदन का बहिष्कार कर गये तो यह मान लेना चाहिये कि उनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है, उनका संविधान में विश्वास नहीं।

श्री अध्यक्ष---

जरा जोर से बोलें वॉल्यूम जरा बढ़ायें।

श्री कल्याण सिंह---

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की महान जनता के विकास की चिन्ता उनके मन मस्तिष्क में कहीं नहीं है, अच्छा होता जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर भी नहीं

*मुख्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)---

सुनते । जहां अपनी बात कहने का अधिकार है वहीं पर यह दायित्व भी बनता है कि दूसरे की बातों को सुना जावे, उसमें सहमत और असहमत हो सकते हैं । लोकतन्त्र में सहमत और असहमत होना कोई नई बात नहीं है । इसलिये खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन का बहिष्कार करना उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी कितनी चिन्ता उत्तर प्रदेश के विकास की उनके मन में है । मैं अपनी बात कहूं उसके पहले दो बातें कहना चाहता हूं मैं अपनी सोच इन शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि मैं विकास को दलगत राजनीति से कभी नहीं जोड़ता विकास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर का दायित्व है । विपक्ष का पूरा अधिकार है कि जो कुछ सरकार की खामियां हैं उनको उजागर करे और सत्तापक्ष का दायित्व बनता है कि उन खामियों के चुस्तदुरुस्त तरीके से ठीक कर विकास के मार्ग पर चलें । मैं विकास को दलगत न मान कर एक बुनियादी बात मानता हूं ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि सरकार निरन्तर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। मैं इनका उदाहरण इस प्रकार दे सकता हूं जिसका अर्थ यह है यह एक प्रकार की "रिले रेस" है जिसमें आप जानते हैं एक धावक झण्डी लेकर दौड़ता है और झण्डी को दूसरे को पकड़ाता है । दूसरा तीसरे को पकड़ाता है और तीसरा चौथे को पकड़ाता है और आखिर में एक ऐसा भी धावक होता है जिसे उस झण्डी को लेकर लक्ष्य तक पहुंचाना होता है ।

मान्यवर, जब देखना यह होगा जब पहला धावक चला तो वह लड़खड़ाया तो नहीं । फिर दूसरा धावक आया तो वह ठोकर तो नहीं खा गया । फिर तीसरा धावक आया तो रास्ते में उसकी गति कहीं धीमी तो नहीं पड़ गयी । इन सारी बातों का लेखा जोखा लेना पड़ेगा और देखना होगा कि पहला धावक लड़खड़ाया था कि नहीं, दूसरा धावक का कहीं तक तो नहीं फूल गया था और समय ज्यादा ले लिया । उनके अलावा अन्तिम धावक कहीं दौड़ने में पीछे तो नहीं रह गया इसलिये उसकी कमी को पहले हमें पूरा करना होगा और लक्ष्य तक पहुंचने के लिये उसके समय को और उसकी कमी को पूरा करना होगा । मान्यवर, इसी तरह की हमारी हालत है । आप देखेंगे तो पिछले धावक कई जगह लड़खड़ाए हैं और गिरे हैं । इसलिये पिछले धावकों की कमी को हमें पूरा करना होगा और उस कमी को पूरा करने के लिये हमें आगे दौड़ना होगा । इसमें मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों का हमें सहयोग चाहिये ।

मान्यवर, जो चर्चा चली हुई है, उनकी बुनियादी बातों की ओर हमें इन्हें नौ श्रेणियों में विभाजित करके बिन्दुवार चर्चा को सदन में बताना चाहते हैं । हमने बिन्दुवार नौ श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित किया है—

पहली चर्चा कानून और अपराधों के बारे में हुई है । दूसरी चर्चा वित्तीय स्थिति एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में है, तीसरी चर्चा कृषि से बारे में है, चौथी चर्चा ग्राम्य विकास के बारे में है, पांचवीं चर्चा विद्युत् सेक्टर के बारे में, छठी चर्चा सड़कों के बारे में, सातवीं चर्चा औद्योगिक विकास के बारे में, आठवी चर्चा महिला कल्याण के बारे में और जो बिन्दु छूट गये हैं उनको नवीं श्रेणी में शामिल किया है ।

श्रीमन् कानून व्यवस्था की चर्चा होते समय यहां कुछ बातें कही गयी हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर बाकी नेताओं ने या प्रतिपक्ष के विभिन्न

दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था और अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में टिप्पणी किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का दो घण्टे का भाषण होने के बावजूद उन्होंने कोई खास बात नहीं कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल उस दिन अस्वस्थ हो गए थे इसलिए उनकी कुछ बातें छूट गई थीं।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, हो सकता है कुछ छूट गया हो।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। यह भी कहा गया कि अपराधी पकड़े नहीं जाते, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता बाहर खुले घूम रहे हैं। यह भी कहा गया कि भले लोगों को पकड़ा जा रहा है और अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि आज जो अशांति है, जो प्रदेश में अपराध बढ़े हैं उतने अपराध उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बढ़े कानून व्यवस्था की स्थिति इसी सरकार के जमाने में बढ़ी। एक आरोप लगाया गया कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की जाती है और यह भी कहा गया कि दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मोटे तौर पर यही कानून और व्यवस्था के बारे में बिंदु उठाए गए।

मैं एक एक बिंदु ले रहा हूं। पहले तो मैं चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी माननीय सदस्यों को इस मत से सहमत हूं कि कानून व्यवस्था के बारे में हम सब की चिंता है क्योंकि जान है तो जहान है नहीं तो दुनियां वीरान है। इसमें कहीं दो मत नहीं हो सकते। जो चिंता व्यक्त की गई है दोनों पक्षों की ओर से तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि इस चिंता में मैं अपने को शामिल करता हूं। कानून व्यवस्था तेजी से दुरुस्त करना, मयमुक्त समाज का निर्माण करना बिना किसी भेदभाव के सभी की जान की सुरक्षा की गारन्टी, सभी मां बहनों की इज्जत की सुरक्षा करना इस सरकार का पहला दायित्व है। यह हमारा राजनीतिक नारा ही नहीं है बल्कि यह हमारी निष्ठा और प्रतिबद्धता का विषय है। इस विषय में हम क्या-क्या कर रहे हैं यह मैं संक्षेप में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्रीमन्, हमारी उपलब्धि है कि 21 सितम्बर, 1997 को जिस दिन शपथ ली है उस दिन से लेकर आज तक कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। दूसरे सरकार ने 21 साल पुराना शिया सुन्नी झगड़े को शांति वार्ता के द्वारा हल किया। दोनों के जुलूसों को शांति पूर्वक निकलवाने में कामयाब हुए हैं। जिसको लेकर लखनऊ में कितनी बार कर्फ्यू लगा, कितनी जानें जा चुकी हैं, हमारे माननीय सदस्य जो बहिष्कार करके चले गए उनको पता होगा कि उनके शासन काल में 2 नौजवानों ने आत्मदाह किया था। लोग कहते थे कि गोली चल जाएगी लेकिन शांति और आपसी सौहार्द के वातावरण में गोली की बात तो दूर रही कंकर भी नहीं चला, शांति पूर्वक यह जुलूस निकाले गए। कुछ लोगों ने फिर से बखेड़ा पैदा करने की कोशिश की जिसको यह रहा था कि भा0 ज0 पा0 और सहयोगी दलों की सरकार में यदि यह विवाद हल हो गया तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा।

श्रीमन्, अभी हाल में ही ऐसा चर्चा छपाकर फिर से वायुमंडल को बिगाड़ने का कोशिश की गई, यह वायुमंडल बिगाड़ने वाले लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, चाहे वह किसी वर्ग के हों कि गहराई से इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है और जो भी इस साजिश में शामिल पाया गया वह जेल के सींखचों में दिखाई देगा हम किसी को शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। शिया और सुन्नियों में साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करके जैसे शियाओं का जुलूस निकला वैसे सुन्नी भाइयों का जुलूस शांति और आन बान से निकलवा देंगे। हमें जनता का सहयोग मिला, दोनों सम्प्रदायों बधाई के पात्र हैं, आम जनता बधाई की पात्र है और मैं प्रशासन को शाबाशी देना चाहता हूं कि रात दिन एक करके इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि पूरे देश में एक संदेश गया, देश में ही नहीं बाहर विदेशों में संदेश गया लोगों को आश्चर्य है कि भा0 ज0 पा0 के शासनकाल में अल्पसंख्यकों मुसलमानों का यह मामला शांतिपूर्वक हल हो गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है।

श्री इकबाल महमूद--

मुरादाबाद में तमाम लोग मारे गए यह कह रहे हैं कि पूरा अमन है।

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवधान मत करिए, स्पष्टीकरण ले लीजिएगा।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, ऐसा है मुरादाबाद का प्रकरण न खोलें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद की बात मत खोलिएगा, मत खोलिएगा अन्यथा श्रीमान्, बहुत लोग बेनकाब होंगे। श्रीमन्, हमने कन्ट्रोल करके दिखा दिया।

श्रीमन्, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर आज मैं कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे आने से पहले सामाजिक तनाव, सामाजिक बिखराव, जातिगत विद्वेष, जातिगत संघर्ष पैदा हो गया था आज वह जातिगत तनाव, सामाजिक बिखराव नहीं है। आज अमन चैन से सभी जातियों और सभी समुदायों के लोग रह रहे हैं।

श्रीमन्, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर हमने प्रभावी नियंत्रण किया है। श्रीमन् शेष बातें ऐसी हैं जिन पर तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और कार्यवाही के आधार पर बताऊंगा। श्रीमन्, यह तीन बातें हो गईं। मैं तर्क दूंगा, आंकड़े दूंगा और हमने क्या कार्यवाही की है वह बताऊंगा इससे जो भी कानून व्यवस्था के बारे में कहा गया है, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मान्यवर, जहां तक एफ0 आई0 आर0 दर्ज न किए जाने का प्रश्न है। हमने शक्त आदेश दे रखे हैं कि हर नागरिक को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने का अधिकार है कोई किसी को एफ0 आई0आर0 दर्ज कराने से रोक नहीं सकता

है । इसे मैं अपने प्रति सहयोग मानूंगा चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के एक भी ऐसा उदाहरण मुझे बता दें अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत मिलती है हमारे संज्ञान में लायें जितने रिपोर्ट नहीं लिखी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । जनता दर्शन में भी एक आध ऐसे मामले आते हैं तुरन्त फैक्स से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और जिसने लिखने से मना किया होता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । मैं निमंत्रण दे रहा हूं, कहीं ऐसी शिकायत हो तो मेरे संज्ञान में लायें । अपराधों के बारे में आंकड़ों को बताना चाहता हूं ।

पिछली सरकारों ने अपराध का ग्राफ नीचा दिखाने के लिए अपराधों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया । एक हमारी सरकार है जो कृतसंकल्प है । अगर जी0 डी0 में केस छिपा दिया जाएगा तो सड़क में होने वाला केस तो दुनिया को दिखाई देगा । इसलिए यह आरोप लगाना सत्य नहीं है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है । शत प्रतिशत एफ0 आई0 आर0 लीज करने के बावजूद जो मैं आंकड़े देने जा रहा हूं वह अपराध के ग्राफ में कमी आई है, यह दिखलाता है । आप आंकड़ों को कहां ले जायेंगे । मैं अम्बिका जी की बहुत इज्जत करता हूं । उनकी सेवा में और उनके माध्यम से और बाकी सदस्यों की सेवा में आंकड़े दे रहा हूं । 1 जनवरी, 1994 से 31 मई, 1994 तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो हत्याएं हुई वह 3495 हुई उसके अगेन्स्ट में हमारी सरकार में 3341 अर्थात् 4.1 प्रतिशत हत्याओं में कमी हुई है । आपकी सरकार की तुलना में डकैती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 630 और हमारे इतने ही काल में 398 हुई हैं । 37 प्रतिशत की कमी हुई है । रोड होल्ड अब समाजवादी पार्टी के काल में 56 हुई हैं और इतनी ही अवधि में हमारी सरकार के कार्यकाल में 32 हुई हैं 43 प्रतिशत की कमी आई है । फिरौती अपहरण की घटनाएं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 118 और हमारे कार्यकाल में 66 यानि 44 प्रतिशत की कमी आई है । इन आंकड़ों को कहां ले जाइयेगा । बीच में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन था । हम आंकड़े बता रहे हैं...

श्री अम्बिका चौधरी—

एन0 पी0 डी0 एस0 आर्म्स एक्ट वाले में भी बताइयेगा ।

श्री कल्याण सिंह—

अभी मुलायम सिंह जी की पार्टी का कार्यकाल बता रहा हूं फिर रोमेश भंडारी फिर जिनके बारे में आप चाहते हैं, उनके बारे में भी कह दूंगा । श्रीमन्, राष्ट्रपति शासन में 16-9-96 से 5-3-97 तक छः महीने की अवधि में रहा । उसके बाद 16-3-97 से 15-3-98 तक इनके सरकार के कार्यकाल में हत्याएं 3716 हुईं और उसके बाद हमारे इतने ही कार्यकाल में 3715 हुईं लगभग यह बराबर ही रहीं । एक की कमी कोई कमी नहीं मानता । रोड होल्ड अप राष्ट्रपति शासन के 6 महीने में 61 और हमारे कार्यकाल में 35 हुईं 48 प्रतिशत की कमी है । फिरौती और अपहरण की घटना 621 इनके समय में और हमारे शासन में 480 हुईं 34 प्रतिशत की कमी आई है । श्रीमन्, आज बहुजन समाज-

बाहो पार्टी के तायो मो होते तो मैं और विस्तार से कहता । यह वह काल है जब अपराधों को दबाए जाने के लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रशासन तंत्र को इन्स्ट्रक्शन दिये गये और हमको कहा गया कि अपराधों का ग्राफ ऊंचा न जाए रजिस्ट्रेशन कम करा दिये गये । तब भी 16-3-97 से 15-9-97 तक के आंकड़े देना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य--

मिली-जुली सरकार थी ।

श्री कल्याण सिंह--

हमने मान लिया 16-3-97 से 15-9-97 तक के जो आंकड़े हैं वह बता हूं । हत्याएं 205 हुईं, हमारे जमाने में 163 हुईं, कमी आई है 20 प्रतिशत की । बलात्कार इनके जमाने में 367 हुए हमारे जमाने 289 हुए, 22.2 प्रतिशत की कमी आई है । गम्भीर चोटें उनके जमाने में 169, हमारे जमाने में 118, 30 प्रतिशत की कमी आई है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक के तहत 2,282 मामले थे हमारे जमाने में 151 थे, कमी आई है 37 प्रतिशत की इस तरह अपराधों में कमी आई है । 1994-95-96 तीन वर्षों का औसत निकाला है । 1 जनवरी से 31 मई तक 1994-95-96 का तीन वर्षों का औसत निकाला है । मान्यवर हत्याएं 3,419 हुई थी बी0 जे0 पी0 के नेतृत्व वाली सरकार में 3,034 हुई हैं 2.3 परसेन्ट की कमी आई है । मैं मानता हूं यह प्रतिशत कम है हम इनको और कम करना चाहते हैं यह तीन वर्षों का औसत है । डकैती 511 का औसत रहा है बी0 जे0 पी0 के नेतृत्व में यह औसत 398 है 22 प्रतिशत की कमी आई है । रोड होल्डर...

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट--

अपराधी मंत्री बन गए हैं । आपके शहर में मर्डर हो जाते हैं । व्यापारियों के अपहरण हो जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

जो कमी आई है वह हमारे साथ ऐसे लोग आ गए हैं इसलिए आई है मैं बताना चाहता हूं कि...

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट--

अपराध करने वाले आपके साथ आ गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

आपका तर्क कि इधर आ गये हैं अपराध करने वाले तो बाकी लोग उधर रह गये हैं इसलिये अपराध हो रहे हैं अपने कटघरे में खड़ा होना चाहते हैं । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमन् तीन वर्षों का औसत फिरौती का 96 प्रतिशत था, भाजपा को सहयोगी दलों के साथ सरकार चल रही है। फिरौती का औसत हमारा 66 प्रतिशत है तो 31 प्रतिशत की कमी आई है। श्रीमन् हम अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही प्रारम्भ कर चुके हैं। अपराध जहां होते हैं उसका तत्काल यथाशीघ्र निस्तारण किया जायेगा। बाकी में आपको बता चुका था। 25 हजार से ऊपर इनाम वाले अपराधियों के फोटो छपना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर जो कार्यवाही की है जहां तक अपराध का प्रश्न है तो जब से यह अस्तित्व बनी है अपराध तब से हो रहे हैं और जब तक प्रलय नहीं होगी अपराध तब तक रहेंगे। आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो किस शासन में अपराधियों पर कितनी कार्यवाही हुई है इसको देखें तो पता चलेगा। 21 सितम्बर, 1997 से जब से सरकार आई है 31 मार्च, 1998 तक कुल वांछित अपराधी 19,537 इनमें से गिरफ्तार किये गये 13,241 गिरफ्तारी 68 प्रतिशत, हाजिर हुये 5,509 हाजिरी प्रतिशत 27 प्रतिशत, गिरफ्तार हुए और हाजिर हुए अपराधियों का योग 18,746 होता है 95 प्रतिशत इतनी कार्यवाही कभी किसी सरकार के जमाने में नहीं हुई। इनमें से 11,237 के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो चुके हैं।

इस तरह हमारी उपलब्धि 97 प्रतिशत। जहां तक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है हम कह सकते हैं कि किसी शासन ने इतने बड़े आयाम में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। 21 सितम्बर, 1997 से लेकर 15 जून, 1997 तक पुलिस की मुठभेड़ में मारे गये अपराधी जिनके खिलाफ हत्याओं के मामले हैं, जो बड़े-बड़े बदमाश हैं, डकैती, अपहरण, हत्या के दर्जनों केस उनके विरुद्ध लगे हुये हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध 15 से लेकर 56 तक केस लगे हैं। ऐसे नामी-गिरामी अपराधी, बदमाशों, माफियाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इतनी अवधि में 141 बड़े-बड़े माफियाओं, गुण्डों, बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इन पर हमने इनाम घोषित कर रखा था। जो इनामी अपराधी हैं वह 1,055 हैं उनमें से 482 गिरफ्तार किये जा चुके हैं, 436 के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है उनमें से 89 मुठभेड़ में धराशायी हो चुके हैं और 24 के खिलाफ कार्यवाही की गई। 1,055 में से कार्यवाही किये जाने के लिये केवल 74 अपराधी बचे हैं यह वह अपराधी हैं जिनके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है। इस तरह से 94 प्रतिशत पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मैं कह सकता हूं कि इनाम घोषित अपराधियों के खिलाफ जितने बड़े पैमाने पर कार्यवाही हमारी सरकार ने की है, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने नहीं की है आप चाहे रिकार्ड उठाकर देख लें। मैंने पुराने इतिहास को देखने की बहुत कोशिश की है। कभी इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाही नहीं की गई। चोरी, डकैती, हत्या, लूट, रोड होल्डिंग में जो सम्पत्ति बरामद हुई है। चोरी, डकैती, रोड होल्डिंग में कुल दर्ज मुकदमों की संख्या 21,387. इनमें दर्ज कुल सम्पत्ति 40 करोड़ 75 लाख और इनमें से 23 करोड़ 99 लाख करीब 24 करोड़ की सम्पत्ति बरामद करने में हम सफल हुए हैं। यह बरामदगी का प्रतिशत है 59 प्रतिशत यह हमारी उपलब्धि है।

मैंने सभी सरकारों का लेखा जोखा देखा है, चोरी, डकैती, लूट, रोड हेल्ड अप में जितनी सम्पत्ति जाती है आज तक किसी ने 59 प्रतिशत धनराशि और सम्पति को बरामदगी करके नहीं दिखायी है, लेकिन हमने वह कर दिखाया है। श्रीमान्, यह सरकार की धमकी है कि 800 अपराधी अपनी अपनी जमानतें रद्द कराकर जेल के अन्दर आ गये हैं। लगभग इतनी ही संख्या में जो अपराधी जेल से बाहर आ गये थे, अदालतों में फिर से पैरवी करके उनकी जमानत को निरस्त कराकर उनको जेल की सीखचों में बन्द करने में कामयाबी हासिल की है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पुलिस कर्मी अपराधियों के साथ सांठ-गांठ रखते हैं, उसका चिन्हीकरण किया गया है और ऐसे कुल मिलाकर 1134 पुलिस कर्मी चिन्हित किये गये, उनमें से 900 को बहुत दूर, महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया है, 109 का निलम्बन किया गया है, 125 को बर्खास्त करके उनको उनके घर का रास्ता बता दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसी कार्यवाही पहली बार हुई है और इस सरकार के जमाने में हुई है किसी सरकार के जमाने में चिन्हीकरण शायद हो गया होगा लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही कभी नहीं हुई। यह सरकार है जिसने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। श्रीमन् आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि 10 बड़े-बड़े माफियाओं का चिन्हीकरण कर लिया गया है, टास्क-फोर्स बन गयी है, उसमें जांबाज नौजवान और अधिकारी हैं उनका लिक्वीडीशन करने के लिए कसम खाकर हमारे जवान लगे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी तनख्वाह का 30 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिया जायगा, उन्हें आधुनिकतम शस्त्र उपलब्ध करा दिये गये हैं, जो गाड़ी मांगी, वह गाड़ी दी गयी है। बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो 10 माफिया गिरोहों का चिन्हीकरण हुआ है शायद जल्दी ही सुनने को मिल जायेगा कि उनमें से कुछ गिरोह का सफाया हो गया है। उनके बारे में विस्तार से कहना रणनीति के दृष्टि से उचित नहीं मानता हूं। श्रीमन्, पिछले 6 सालों से भर्ती रुकी पड़ी है। हमने तय किया है कि 8836 कांस्टेबिल और 3800 उप-निरीक्षकों की भरती शीघ्र पूरी कर देंगे और पुलिस के अन्दर जो फोर्स की कमी दिखायी देती है, हम श्रीमन्, इसको जल्दी पूरा कर देंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था, भय मुक्त समाज और भयग्रस्त अपराधी, यह हमारा केवल राजनीतिक नारा नहीं है, यह हमारी निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रश्न है। इसमें किसी प्रकार का कोई कोर-कसर नहीं होने दी जायेगी। मुझे विश्वास है कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने जैसे महत्व-पूर्ण मुद्दे पर चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष में बैठे हुये लोग हों, सबको मिलकर सहयोग के साथ, आम जनता की खैर-ख्वाही के लिए पूरे प्रदेश में अमन-चैन के लिए समवेत प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आप जो भी सुझाव देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा क्योंकि यह चिन्ता का विषय पूरे सदन का है, सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष का भी है। इस नाते से मैंने कुछ बातें कही हैं। कानून-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है और सुधार गुंजाइश हर काम में हमेशा बनी रहती है। आदर्श स्थिति शायद कभी आ पाती है क्वालिटी में सुधार आया है, हम उस गुणात्मक सुधार को और अधिक आगे बढ़ायेंगे और अपने इस संकल्प को पूरा कर देंगे।

भयमुक्त समाज और भयग्रस्त अपराधी। बिना भेदभाव के, जाति-पांत, हैसियत, मजहब, वर्ग सम्प्रदाय, इसका भेद किये बिना सबको सुरक्षा की गारन्टी। मन्दिर जाने वाला मन्दिर जाता होगा, मस्जिद जाने वाला जाता होगा, गुरुद्वारे जाने वाला गुरुद्वारे जाता होगा और गिरजाघर जाने वाला गिरजा जाता होगा, अपनी-अपनी पूजा पद्धति के होने के बाद भी, मेरी नजर में न कोई जाति है, न कोई सम्प्रदाय है, न कोई वर्ग भेद है और न कोई वर्गगत भेद है, क्योंकि कानून-व्यवस्था का मामला सबको सुरक्षा और हर मां बहन को सुरक्षा की गारन्टी, यह किसी भी सरकार का धर्म होता है और मेरी सरकार इसे चुनौती मानकर के चल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक सुदृढ़ करने पर हम चल रहे हैं।

एक दूसरा विषय था, वित्तीय स्थिति और प्रबन्धन का। इसमें भी माननीय नेता विपक्ष ने, अन्य विपक्ष के माननीय नेताओं ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी जिज्ञासायें व्यक्त की हैं, चिन्तायें व्यक्त की हैं, कैसे होगा, कहां से होगा। यह स्वाभाविक है पूछना, मैं इन्हीं जिज्ञासाओं का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदन के समक्ष, आपकी अनुमति से, पूरे प्रदेश की जनता के मन में अगर कहीं कोई भ्रम रह जाय, उसे दूर करने के लिए हर संशय को दूर करने के लिए हर दुविधा को दूर करने के लिए, हम किस तरह वित्तीय प्रबन्धन करने जा रहे हैं, बताना चाहता हूं।

श्रीमन् मैं सबके प्रति आभारी हूं कि इस विषय पर सबने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, चिन्ता व्यक्त की है लेकिन श्रीमन् बिना किसी चीज को छिपाये हमने श्वेत पत्र वित्तीय स्थिति का सबके सामने रखा है, श्वेत-पत्र में कोई चीज छिपाई नहीं है। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जर्जर आर्थिक स्थिति है, यह मात्र अल्पकाल का ही दुष्परिणाम नहीं है, बल्कि यह लम्बे काल से चली आ रही वित्तीय अव्यवस्था, चली आ रही, आर्थिक दुर्दशा और ज्यादा नहीं तो कम से कम पिछले 15-16 सालों की देन है। मैंने पिछले 15-16 सालों का अध्ययन किया है। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तथ्य रख रहा हूं। यह आज जो 50 हजार करोड़ की ऋणग्रस्तता गहरी चिन्ता का विषय है, यह पिछले 15-16 सालों की आर्थिक स्थिति से हुई दुर्दशा का परिणाम है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले काल में सरकारों ने इस ओर घोर उपेक्षा की ओर कई बार तो छोटे-छोटे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दीर्घकालीन हितों को नजरअन्दाज कर दिया गया, इसी कारण से आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है। मैं पिछली बातों की चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता। मैं आज से प्रारम्भ कर रहा हूं। श्रीमन् सम्पूर्ण सदन के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं....

इस प्रदेश के प्रति हमारी आपकी सब की जिम्मेदारी है यह प्रदेश उजड़ गया है, पिछड़ गया है। जनता ने जो हमको भेज दिया इधर बैठ गये, आपको भेजा उधर बैठ गये, लोकतन्त्र में यह चलता है। कभी हम विपक्ष में थे आज सत्ता में हैं, कभी विपक्ष में जा सकते हैं आप इधर आ सकते हैं। कल तक आप इधर थे आज उधर हैं। लोकतन्त्र में सत्ता का आना जाना लगा

रहता हूँ कभी सत्ता पक्ष में बैठूँगा कभी प्रतिपक्ष में, और कभी विपक्ष से सत्ता में यह क्या है, यह चाहता है, यह लोकतन्त्र में है। लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, किसी सरकार को आलोचना नहीं करना चाहता, मैं आज से प्रारम्भ करना चाहता हूं। हम सामूहिक, समेकित और संगठित प्रयास करें। हमारी कहीं त्रुटियां हों तो मैं स्वागत करूंगा आपके अच्छे सुझावों का आपके रचनात्मक सुझावों का स्वागत करूंगा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सुझाव को सरकारी रूप देने की कोशिश करूंगा। लोकतन्त्र में जो विपक्ष को मानकर चलता है वह मान लीजिए कि उनका संविधान में विश्वास नहीं होता, लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का विकास ऐसा मुद्दा है जहां पर सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे के विरोधी होकर उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए एक दूसरे के प्रतीक बन सकते हैं, पोषक बन सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण विपक्ष को न्योता दे रहा हूं कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करें। वित्तीय स्थिति से उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास करें। मैंने देखा है कुछ विशेषज्ञों की राय को उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों बाद पहली बार वित्तीय अनुशासन कायम करने की ओर कदम बढ़ाया गया। वह मेरी पार्टी के लोग नहीं हैं, वह अर्थ-शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि पहली बार विकासकी तरफ मोड़ा गया है बजट यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि जानता हूं कि इधर के लोग कहेंगे अच्छा और उधर के लोग कहेंगे बुरा।

श्रीमन् ये लोग वित्त के विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा बजट बहुत दिनों के बाद आया है जो वित्तीय स्थिति को उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी--

मान्यवर, वह कौन हैं अर्थशास्त्री जरा नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को नाम जानने की जिज्ञासा है, तो नाम बता दें।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, मैं बता रहा हूं ये हैं विकास अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष श्री ए0 के0 सेन गुप्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री ए0 के0 तिवारी। इन्हीं विशेषज्ञों की राय में संकल्पों को पूरा करने की दिशा में यह कदम है। यह 20 जून, 1998 के स्वतंत्र भारत की कटिंग है।

श्री अध्यक्ष--

अखबार का उल्लेख न करें केवल [illegible] बता दें।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, उससे नाम ही बता रहा हूं ।

हमें करने हैं चार काम । वित्तीय प्रबन्धन, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय नियंत्रण और वेल्यू फार मनी । इस अवधारणा को स्थापित करने की आवश्यकता है । मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को निमंत्रण कर रहा हूं कि इस अवधारणा को स्थापित करने में हम एक जुट हों । इसके बिना प्रदेश के विकास के रथ के पहिये को आगे बढ़ाया जाना कठिन हो जायेगा ।

श्रीमन्, जो टिप्पणियां की गयी हैं, मोटे तौर पर टिप्पणियां की गयी हैं । बजट में दिखाया गया घाटा वास्तविक नहीं है ज्यादा है, नान प्लाट एक्सपेंडीचर को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं, पूरे प्रदेश में ऋणग्रस्तता बढ़ रही है । विधायक निधि कैसे सृजित होगी, इसका पता नहीं है । अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे, विदेशी सहायता के जो अनुमान हैं वह वास्तविक नहीं है क्योंकि आणविक विस्फोट के बाद प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । माननीय सदस्यों ने इन पर जिज्ञासा भी व्यक्त की है, चिंता भी व्यक्त की है ।

जहां तक बजट के घाटे की स्थिति का प्रश्न है, वर्ष 1997-98 में मैं कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाना चाहता हूं । कुल प्राप्तियां और व्यय का अन्तर 1997-98 में 7,247 करोड़ रु0 का, 1998-99 के इस बजट में यह घाटा कम करके हम 4,658 करोड़ रु0 पर लाकर कर दिये हैं । अगर तुलना करें तो पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में 2,548 करोड़ रु0 के घाटे को कम किया है । अगर प्रतिशत में देखें तो 1997-98 की तुलना में हमने इस बजट में इस घाटे को 35 प्रतिशत कम किया है । कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का अन्तर या इसके अन्तर को घटाया है इसलिए यह कहना तथ्यों के के आधार पर नहीं है कि हमने कुल अन्तर बढ़ा दिया है । श्रीमन् लोक लेखा आकस्मिक निधि के बैलेंस को समायोजित करके 1997-98 में 807 करोड़ और 1998-99 में 1259 करोड़ रु0 घाटा प्रदर्शित किया गया है । 1997-98 में 527 करोड़ रु0, 1998-99 में 919 करोड़ रु0 का ओपनिंग बैलेंस समायोजित किया है, तो 1997-98 का घाटा है 333 करोड़ रु0, 1998-99 का घाटा 339 करोड़ रु0 का है । यह घाटे की वास्तविक स्थिति है । वी0 आर0 वर्मा जी ने चर्चा की थी । जो लोक लेखा है, मैं इस सिद्धान्त से सहमत हूं, लोक लेखा से जितनी राशि कम हो जायेगी उतना ही बजट को माना जायेगा कि यह अच्छी दिशा में जा रहा है । लेकिन जब घाटा पटरी पर से उतर चुका है, घाटे की जो स्थिति है, लोक लेखा से 1997-98 में 6,611 करोड़ रु0 निकाला गया ।

खर्च में कमी करने के लिये 1998-99 में हमने मात्र 3 हजार 439 करोड़ रुपये निकाले हैं । अर्थात लोक लेखा से 1997-98 की तुलना में 1998-99 में लोक लेखा से आधी रकम निकाली गई है । यह हमारे अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की ओर संकेत करता है । सिद्धान्तः हम इस बात से सहमत हैं कि लोक लेखा से यथासम्भव कम धनराशि ली जाय । श्रीमन्, मैं अब राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटे के आंकड़े रखना चाहता हूं । 1997-98 में राजस्व प्राप्तियां 17 हजार 878 करोड़ रुपए थी, राजस्व व्यय 25 हजार 96 करोड़ और राजस्व

घाटा था 8 हजार 618 करोड़ रुपए। 1998-99 में राजस्व प्राप्तियां 20 हजार 480 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 27 हजार 573 करोड रुपए तथा राजस्व घाटा है 7 हजार 93 करोड़ रुपये। अर्थात् 1997-98 की तुलना में 1998-99 में हम 1 हजार 525 करोड़ रुपए की कमी ला पाये हैं। यह भी हमारे वित्तीय अनुशासन, वित्तीय नियंत्रण व अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की ओर संकेत करता है।

श्रीमन् एक प्रश्न उठा कि नान-प्लान पर व्यय कम करने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं। कुल राजस्व व्यय 27 हजार 573 करोड़ रुपये है। अब इसमें जो मदें शामिल हैं, वह चार हैं। पहला कर्मचारियों का वेतन आदि पर 16 हजार 268 करोड़ रुपये खर्च हो गया, अर्थात 59 प्रतिशत, फिर ब्याज पर 5 हजार 239 करोड़ रुपये अर्थात 19 प्रतिशत इस पर जाता है, शेष जो अन्य हैं, उस पर 3 हजार 880 करोड़ अर्थात 14 प्रतिशत जाता है और अन्य राजस्व व्यय 2 हजार 206 करोड़ रुपये हैं, यह 8 प्रतिशत है। यह मैंने कुल राजस्व आपको तोड़ बताया है। इन चार मदों में यह जाता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व व्यय का लगभग 60 प्रतिशत वेतन-भत्ते आदि में तथा 20 प्रतिशत ब्याज पर चला जाता है। यह सबके लिए एक चिन्ता का बिन्दु है। इस प्रकार लगभग 80 प्रतिशत वेतन-भत्ते और ब्याज पर चला जाता है। श्रीमन्, 1997-98 के 25 हजार 96 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1998-99 में यह अनुमानित राजस्व व्यय 27 हजार 573 करोड़ रुपये हैं। इसी में राजकीय कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन-भत्ते, पेंशन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन-मान और भी जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, जिनके वेतन आदि का मामला शासन के विचाराधीन है, इन सारे खर्चों के बावजूद भी राजस्व व्यय को हम 9 प्रतिशत की सीमा के अन्दर बांध पाने में सफल हुए हैं। अगर हमारा वित्तीय नियंत्रण व वित्तीय प्रबन्धन सही नहीं होता तो यह 18 से 20 प्रतिशत तक चला जाता। यह हमारी सरकार के अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की ओर संकेत करता है।

श्रीमन् अनुत्पादक व्यय की बात यहां पर कही गई।

मंत्रिपरिषद् में हमने एक उप समिति-आर्थिक विकास उप समिति बनायी है। हमने व्यय बचत आयोग की स्थापना 1992 में की थी और उसकी रिपोर्ट को निकलवाकर हम अदालत करवा रहे हैं कि कैसे हम खर्चों में कमी कर सकते हैं। प्रदेश में बढ़ रही ऋण ग्रस्तता के सम्बन्ध में भी यहां पर चर्चा की गयी। मैंने अपने श्वेत-पत्र में भी कहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश 50 हजार करोड़ रुपये की ऋण ग्रस्तता से ग्रसित है। इसका मूलधन उसकी ब्याज की किश्त यह चुकाने में कठिनाई हो रही है और यह सब कुछ हुआ है पिछले कितने ही वर्षों से अनियोजित नियोजन के दुष्परिणाम से। यह अल्पकालिक दुष्परिणाम नहीं है। आज यही कारण है कि हमको और आपको इस संकट को झेलना पड़ रहा है। इस समय प्रदेश की ऋण ग्रस्ताव को कम करने के लिए हमने रणनीति अपना रखी है। हमने पांच बिन्दु बनाये हैं :---

(1) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करेंगे,

(2) राजस्व व्यय में कमी लायेंगे,

(3) वित्तीय संसाधन जैसा नाबार्ड है उन्हें अधिक से अधिक प्रोजेक्टस भेजकरके,

(4) वित्तीय सहायता प्राप्त करके,

(5) निजी क्षेत्र में भी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित करके ।

बिना निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश को प्रदेश का और देश का कोई भला होने वाला नहीं है । हम निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं और इन पांच बिन्दुओं की रणनीति के आधार पर हम उत्तर प्रदेश को विकास को ऋणग्रस्तता के चंगुल से आगे ले जा पायेंगे और इसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं और मुझे विश्वास है वह हमें मिलेगा ।

मान्यवर, अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रति भी चिन्ता की गयी । इसके प्रबन्ध के लिए हमारी सरकार गम्भीरता से प्रयास कर रही है । मैं जानता हूं कि अतिरिक्त संसाधन जुटाये बगैर विकास के इन लक्ष्यों को पूरा कर पाना कठिन होगा और वित्तीय संसाधन कैसे जुटायेंगे इसके सम्बन्ध में पहले भी कुछ बिन्दुओं पर चर्चा कर चुका हूं और कुछ पर और चर्चा कर रहा हूं । हम इमानदारी से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध भी हैं । वित्तीय संसाधन को जुटाने के लिए वर्ष 1998-99 में राज्य के करों में हम 34 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य पूरा कर ले जायेंगे ।

यह 1997-98 में राज्य करों से आमदनी जो हुई, वह 7 हजार 21 करोड़ थी और 1998-99 में 2 हजार 369 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है । 2 हजार 348 करोड़ का अधिक लक्ष्य रखा गया है । इस को पूरा करने के लिये पुराना बकाया वसूल करेंगे । नये करों को सांगोपांग बनाने के लिये 2 हजार 348 करोड़ की वृद्धि को पूरा करेंगे और 34 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेंगे ।

वर्ष 1998-99 में जो राज्य के करों से 2 हजार 348 करोड़ रुपये की वृद्धि संभावित है ।

श्री अम्बिका चौधरी—

आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

वह बता रहा हूं । कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिये हमारे पास आइटम हैं ।

1—व्यापार कर से 1 हजार करोड़ रुपया प्राप्त करेंगे ।

2—मोटर स्प्रिट पर से व्यापार कर 500 करोड़ ।

3—स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से 427 करोड़ ।

4—एक्साइज ड्यूटी से 176 करोड़ ।

5—माल तथा यात्री कर से 145 करोड़ ।

6—गन्ना क्रय कर से 100 करोड़ ।

कुल 2 हजार 348 करोड़ के वित्तीय संसाधन जुटा लेंगे ।

हम बेहतर वसूली की व्यवस्था कर रहे हैं । जो करोड़ो रुपये का बकाया है, उसे सख्ती से वसूल करने का अभियान है । श्रीमन् इसी प्रकार से करेतर राजस्व है, जो नान-टैक्स रेवेन्यू है, वह 1266 करोड़ था, उसकी तुलना में 1998-99 में बढ़ा कर इसको 2122 करोड़ प्राप्त करेंगे । यह हमने लक्ष्य रखा है । यह कुल मिलाकर 856 करोड़ की वृद्धि है । आप हम को शाबासी देंगे कि

70 प्रतिशत की वृद्धि होगी, पिछले साल की तुलना में इससे जो आपने आंकड़े उठाये थे, उनका उत्तर दे रहा हूं । एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं सहमत हूं, पूंजी गत व्यय बढ़ेगा, तो विकास होगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा तो विकास का ह्रास होगा । स्थिति क्या है । 1997-98 में पूंजीगत व्यय जिससे विकास होगा, यह मात्र 18.25 प्रतिशत था ।

श्री अम्बिका चौधरी---

आप का भी वह बजट था ।

श्री कल्याण सिंह---

मान लिया, क्योंकि तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता है, आप भले न मानें ।

तो 1997-98 में राजस्व में वृद्धि 81 75 प्रतिशत थी, 1998-99 में हम बड़ी करसत के बाद, कोई मामूली पेंच नहीं है, कुंवर रेवती रमण जी ने देखा है, गौरी शंकर जी कम जानकार नहीं हैं, पूंजीगत व्यय में 1998-99 में 20.24 प्रतिशत वृद्धि रखी गयी है । और राजस्व में 77.66 प्रतिशत रखी गयी है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है और इससे विकास की रफ्तार में बढ़ोत्तरी होगी । हमारी दिशा साफ है और आज की परिस्थितियों के अन्दर बड़ी भारी कसरत के बाद जो दिशा पकड़ी है, उस दिशा में सहयोग चाहिये, पूंजीगत व्यय को बढ़ायेंगे, जिससे विकास होता है । राजस्व व्यय में कमी ला रहे हैं जो अनुत्पादक व्यय के रूप में खर्च हो रहा है । हमारी दिशा साफ है । पूंजी लेखे, 1997-98 में 6501 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे, 1998-99 में 9433 करोड़ का प्राविधान किया है, वृद्धि 2932 करोड़ की होगी ।

अगर परसेंटेज देखा जाय तो यह पूंजी लेखे में हम 44 परसेंट धनराशि प्राप्त करेंगे । उस दिशा में यह भी हमारा एक सकारात्मक कदम है । हमारी दिशा देखिये, हमारी नीति देखिये, हमारी नियत देखिये, हमारी दृष्टि देखिये तो पता चलेगा कि हमारा कदम सकारात्मक और रचनात्मक है । उसके लिये हमें सब का सहयोग चाहिये यही मेरा अनुरोध है ।

पूंजी लेखे में 2932 करोड़ की प्राप्ति है । यहां पर बात कही गयी कि यह कहां से करेंगे । इसके तीन स्रोत हैं । पहला राष्ट्रीय बचत से हम डेढ़ हजार करोड़ प्राप्त करेंगे (2) भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में 5 सौ करोड़ प्राप्त करेंगे और नाबार्ड से 373 करोड़ का प्राविधान किया है ।

एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, यहां पर एक प्रश्न उठाया गया कि उत्तर प्रदेश का क्रेडिट डिपोजिट रेशियो कम है । जब मैं उधर से बोलता था मैंने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी । आज यहां पर इस बात की चर्चा आई है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वह क्रेडिट डिपोजिट रेशियो अखिल भारतीय 60 परसेंट है यह औसत में बता रहा हूं लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये यह इस समय 30 या 32 परसेंट है । अर्थात 100 रु0 बैंक में जा रहा है तो उसका विकास के नाम पर 30 या 32 परसेंट मिल रहा है । बाकी राज्यों का यह क्रेडिट डिपोजिट रेशियो ज्यादा है । मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से बैंकों से अनुरोध करना चाहता हूं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि उत्तर प्रदेश का सी0 डी0 आर0 बढ़ना चाहिये । कम से

कम 45 और 50 परसेंट का औसत आना चाहिये। पहली स्टेज में हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे लेकिन यदि हमारी अपेक्षानुसार सी0 डी0 आर0 नहीं बढ़ता है तो हम उत्तर प्रदेश में निजी बैंकों की स्थापना पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उत्तर प्रदेश का पैसा उसी बैंक में रहेगा और उसका बटवारा किसी के के साथ नहीं होगा। यू0 पी0 एफ0 सी0 और पिकअप को इसके साथ जोड़ेंगे। निजी क्षेत्र में बैंकों में इक्वीटी के आधार पर सरकार पूंजी निवेश पर विचार कर सकती है। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बैंक हमारे साथ अन्याय करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। हमारा क्या कसूर है जो 100 रु0 हम जमा करते हैं उसका 30 और 32 रु0 हमें मिले। हमारा बैंकों से अनुरोध है धमकी नहीं, हमारा सी0 डी0 रेशियो बढ़ना चाहिये। अन्यथा मैं इस सदन में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा कर रहा हूं कि हम अपने प्रदेश में निजी क्षेत्र को इंवाइट करके पिक-अप और यू0 पी0 एफ0 सी0 उत्तर प्रदेश में अपने बैंक हम स्थापित करेंगे। मान्यवर, किसी भी सरकार द्वारा की गयी यह पहली घोषणा होगी। इसमें सभी का सहयोग चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिला योजना में हम कोई कटौती नहीं करेंगे। 260 करोड़ रुपये के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटा लेंगे लेकिन अन्य किसी योजना में कटौती नहीं करेंगे। बस हमें आपका सहयोग मिलना चाहिये। यदि हमें उत्तर प्रदेश को उठाना है, पिछड़ेपन को दूर करना है तो सस्ती लोकप्रियता से हमें मुक्त होने की जरूरत है और फिर हम हों या आप हों। यदि लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता हो जाये तो हमें और आपको उन कदमों का स्वागत करना चाहिये और इसकी हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं अन्यथा यह प्रदेश सस्ते नारों के आधार पर उजड़ता रहेगा। मान्यवर, अन्य प्रदेशों में आप देखें तो यूजर के कितने चार्जेज होते हैं यह सिद्धान्त का प्रश्न है कि यूजर का हमें चार्जेज लेना चाहिये कि नहीं? इसलिए यदि कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ जाये तो हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी।

मान्यवर, विदेशी सहायता मिलेगी कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है? किन्तु जो चालू योजनायें हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। हां, बाकी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। किन्तु हम विदेशी सहायता लेने के लिये भीख नहीं मांगेंगे। स्वाभिमान के खातिर झुक नहीं सकायेंगे। हमारा देश और देश की जनता महान है। बस हमें आवाहन करने वाले नेतृत्व व्यक्तित्व और जनता के सामने कृतत्व चाहिये। इन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिये हम तैयार हैं। मैं सच कहता हूं कि भगवान विदेशियों को सद्बुद्धि दे कि भारत को मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द कर दें तो 10 वर्षों में भारत कर्ज मुक्त और गरीबी मुक्त हो जायेगा और यहां स्वदेशी के आधार पर एक नये युग का प्रारम्भ हो जायेगा। श्रीमन्, जो-जो देश आगे बढ़े हैं वह अपनी तकनीक, अपने संसाधन, अपने परिश्रम और अपने पराक्रम के आधार पर आगे बढ़े हैं। भारत के अन्दर जनता में देश भक्ति की कोई कमी नहीं है। इसलिये यदि विदेशी सहायता मिल जाये तो अच्छी बात है लेकिन हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे और न किसी के सामने गिड़गिड़ायेंगे। विदेशी आर्थिक सहायता मिल जाये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह आर्थिक पाबन्दी की बात केवल गीदड़ भभकी है। यदि

आर्थिक पाबन्दी लगायी जायेगी तो उस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जायेगी। यदि भारत पर पाबन्दी लगायी जायेगी तो पाबन्दी लगाने वाले देश का मार्केट भी चौपट होगा; इसलिये वह विवश होंगे कि यहां आर्थिक पाबन्दी को हटाया जाये। इसलिये हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। दुनिया की कोई ताकत हमारे तरफ उंगली उठाकर, आंख उठाकर नहीं देख पायेगी। इसके लिये मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे अपने देश और प्रदेश की महान जनता की राजभक्ति और देश भक्ति पर बलिदान पर इतना भरोसा है कि हमारी सरकार चुनौतियों का मुकाबला कर लेगी और जनता चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार हो जायेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री ने, जब अमेरिका ने कहा था कि गेहूं देना बन्द कर देंगे तो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सोमवार का खाना बन्द कर दो और लोगों ने सोमवार का खाना बन्द कर दिया था।

श्रीमन्, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना जगानी होगी। चालू योजनाओं पर कोई कटौती नहीं है बाकी पर कटौती होती है तो मैंने संकेत दिया है कि हम और आप दोनों का निकाकर भले ही करोड़ करोड़ रुपये उठाने पड़े संसाधनों को बढ़ाने के लिये, विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिये लेकिन हम किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जायेंगे। यह आत्मसम्मान का प्रश्न है और इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, कुछ बातें कृषि के बारे कही गयी। एक बात यह कही गयी कि इस सरकार के समय में बीज कम बंटा। सच्चाई क्या है, 1997-98 में 12.11 लाख टन बीज बंटा था और 1998-99 में 13.14 लाख टन बीज बंटा है। ऐसे ही खाद की बात कही गयी कि कम बंटी है। तो 1997-98 में 27.69 लाख टन खाद बंटी थी और 1998-99 में 30.05 लाख टन बंटी है। जहां तक यह बात कही गयी कि खाद में मिलावट हो रही है तो श्रीमन् इसे रोकने के लिये 1997-98 में 67252 छापे डाले गये थे और हमने अबकी बार इससे ज्यादा छापे डाले हैं। खाद विक्रेता जो मिलावट कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों को किट दी गयी है वह तय कर सकते हैं कि खाद में मिलावट है या नहीं है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी जी—

पैदावार क्यों घटी है, आपने इतना किया है। आप आंकड़े देख लीजिये।

श्री कल्याण सिंह—

मैं सहमत नहीं हूं कि पैदावार घटी है। श्रीमन्, दैवी आपदायें आयीं तो इस सरकार ने 25 प्रतिशत बीज के अन्दर छूट दी थी, फास्फोरस और पोटाशा खादों को कर मुक्त कर दिया है। इसमें मेरे ख्याल से 72 करोड़ रुपयों के खर्च पड़ेगा। 2 वर्ष के लिये कर मुक्त किया है इस तरह से 144 करोड़ रुपये का कर माफ कर दिया है ताकि किसान को सस्ती फास्फोरस और पोटाश खाद मिल सके। श्रीमन्, हम वैज्ञानिक खेती पर जोर दे रहे हैं ताकि पैदावार बढ़ सके। इस सरकार की कृषि को प्राथमिकता देने का लक्ष्य है। हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करेंगे।

यह हमारा लक्ष्य है। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है। इसके बारे में कहा गया है कि बजट में सिंचाई की कोई नई योजनाओं का जिक्र नहीं किया है। यह तो सही है कि हमने कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन घाघरा नहर का आधुनिकीकरण जो कि 76-77 में प्रारम्भ हुई थी लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने उसको इस वर्ष पूरा करने के लिये सम्मिलित किया है और उसके लिये पैसों का भी प्राविधान किया है। बेवर फीडर योजना 78-79 से ठप्प पड़ी है हमने उसको लिया है और उसके लिये 750 लाख रुपये का प्राविधान किया है। श्रीमन्, भोदवा डैम 77-78 से बन्द पड़ा है उसको भी हमने लिया है और उसके लिये एक हजार लाख रुपये का प्राविधान किया है। जाखलौन 75-76 से बन्द पड़ा है, अनुपयुक्त पड़ा है हमने उसको लिया है और उसके लिये 2 हजार 600 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इस तरह से 74-75, 75-76, 76-77 से जो बन्द पड़ी योजनाएं थीं उसमें से इन योजनाओं को लेकर कुल 4,725 लाख रुपये का प्राविधान किया है इससे सिंचित क्षमता 27,300 हेक्टेयर बढ़ेगी। इसको हमारी नई योजनाओं में मान लें। पुरानी अधूरी पड़ी थी, अनुपयुक्त पड़ी थी हमने उनको टेक अप किया है तो आप उन्हें नई नहीं मानेंगे।

श्री समर पाल सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्पादन का लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया लेकिन उत्पादन के बाद किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा कि नहीं यह नहीं बताया।

श्री कल्याण सिंह—

किसानों को लाभकारी दाम मिले इसके लिये लड़ाई हम लड़ते हैं इसी का यह उदाहरण है कि इस बार किसानों को गन्ना मूल्य 200 करोड़ रुपये मिला है। गेहूं का भी मूल्य मिला है। मान्यवर, गुन्टा नाला 74-75 से चल रही है, चम्बल नहर 73-79 से चल रही है लेकिन अधूरी है, हमने इन योजनाओं को सम्मिलित किया है और उनके लिये बजट का भी प्राविधान किया है पथरई डैम 82-83 से चल रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, क्या प्रगति हुई क्या नहीं हुई कुछ नहीं पूछने वाला है। लेकिन हमने पूछा है। हम उसको ले रहे हैं और उसके लिये बजट के अन्दर पैसे का प्राविधान किया है। शारदा सहायक 68-69 से पड़ी है इसके लिये हमने 6 हजार 800 लाख रुपये का प्राविधान किया है और इसको चुस्त दुरुस्त बनायेंगे। मध्य गंगा नहर के लिये, पूर्वी गंगा नहर के लिये इस तरह की योजनाओं के लिये बजट में प्राविधान किया है जो काफी समय से अधूरी पड़ी थी उनको हमने शामिल किया है। इनको टेकअप करके चालू करने के लिये बजट में प्राविधान किया है और निश्चित रूप से उनको पूरा करके प्रदेश की सिंचन क्षमता में वृद्धि कर ले जायेंगे। निर्माण के अधीन जो मध्यम और बड़ी योजनाएं हैं उनके लिये गत वर्ष 438 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था उसके लिये अब 151 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह सब वे योजनाएं हैं, जो वर्षों से ठप्प पड़ी थीं, अधूरी पड़ी थी। हम उनको लेकर प्रदेश की सिंचन क्षमता में वृद्धि करेंगे। श्रीमन्, डीप बोरिंग ट्यूब वेल लगाने के लिये 50 प्रतिशत की छूट दे देंगे। चार किसान मिलकर लगाना चाहें तो लगा सकते

हैं। अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाय तो दूसरे किसानों को बेचने का अधिकार दिया जायेगा। यह चर्चा भी हुई थी कि ग्रामीण विकास के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं वही बिन्दु उठा रहा हूं जो यहां चर्चा में आये थे। 97-98 में इस मद में 1,607 करोड़ रुपये का प्राविधान था।

1998 में हमने 2 हजार करोड़ का प्राविधान किया है अर्थात 340 करोड़ रुपये अधिक है, एस0 आर0 वाई में ज्यादा से ज्यादा काम करायेंगे। एस0 आर0 वाई में जितना पैसा खर्चा किया जायेगा उतना पैसा भारत सरकार से फिर मिल जाएगा हमने इस योजना को "कुबेर का खजाना" का नाम दिया है जितना खर्च कर लें उतना फिर भारत सरकार से ले लें। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एस0 आर0 वाई में जो पैसा हो उसका यथा समय सदुपयोग कर लिया जाए। अगर यह पैसा बचा रहता है तो जिस अधिकारी के द्वारा एस0 आर0 वाई का दुरुपयोग होगा। समय से पैसा खर्चा नहीं किया जाएगा तो उस अधिकारी की गर्दन नापी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष जो योजना शुरू कर रही है। उसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लिया गया है।

(व्यवधान)

1996-97 में ग्रामीण निकायों को 20 करोड़ रुपया मिला था, 1997-98 में ग्रामीण निकायों को 255 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। अन्तरण व्यवस्था के अन्तर्गत अब ग्रामीण निकायों के लिए 300 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि 260 करोड़ की विधायक निधि बनाई जाएगी जिससे अपने क्षेत्र का विकास कार्य करा सकेंगे। 500 करोड़ रुपया दशम् वित्त आयोग से पहली किश्त के रूप में मिलने वाला है। दशम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रमीण निकायों को 1998-99 में 189 करोड़ रुपये की किश्तें मिलेगी। ग्रामीण निकायों को दशम् वित्त आयोग के अनुसार 1996-97 से 1999-2000 तक की अवधि में 759 करोड़ रुपये प्रदान किए जायेंगे। 1998-99 में आयोजनागत पक्ष में ग्रामीण निकायों को 512 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा प्राविधान किया गया है।

(व्यवधान)

तो यह कहना सही नहीं है कि ग्रामीण विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। डेवोलूशन से पैसा जाएगा दशम् वित्त आयोग से सिफारिश जायेगी। आयोजनागत मदों से पैसा देंगे तो पूरा 1001 करोड़ रुपया की धनराशि ग्रामीण विकास के लिए मिलनी प्रारम्भ हो जाएगी। पेयजल की समस्या सामने आई है इसमें 50 हजार इण्डिया मार्क-2 पम्प लगाए जायेंगे ऐसी व्यवस्था हमने की है। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में हर न्याय पंचायत में सबसे बड़े गांव को छांटेंगे और वहां एक बड़ा सा कुंआ बनायेंगे। कुंए के पास ही एक बहुत बड़ा सा प्लेटफार्म बनाया जाएगा जिस पर 20-25 लोग एक साथ स्नान कर सकें। नाली जैसी बना दी जाएगी ताकि पानी इकट्ठा हो सके और वहां पर पशुओं को नहलाया जा सके। इस प्लेटफार्म के ऊपर छतरी भी लगवाई जाएगी और डीप बोरिंग होगी स्टील के पाइप से कार्य होगा, जो पुरानी व्यवस्था थी उस तरह से नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य—

वाटर लेबिल नीचे जा रहा है ।

श्री कल्याण सिंह—

यह एक प्रयोग है एक एक्सपेरीमेंट के रूप में इसको करेंगे। डीप बोरिंग करायेंगे । स्टील के पाइप से शोध तक पहुंचाकर इस योजना को कामयाब कर सकते हैं । यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक अच्छा कार्य होगा । जोपुराने हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–2 काम नहीं आ रहे हैं इसलिए हम यह एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं ताकि ग्रामीण समस्याओं का निराकरण हो सके ।

श्रीमन्, हमने यह भी तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को 1998–99 में 2,800 ग्रामों को सड़कों से जोड़ देगें । कुल 7,000 कि0 मी0 सड़कों का हम निर्माण करेंगे। इसके लिए 557 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो कि पिछले साल की तुलना में 171 करोड़ रुपये ज्यादा है ।

श्री राम औतार शाक्य—

स्वर्ण जयन्ती ग्रामों का क्या हुआ ?

श्री कल्याण सिंह—

हम गांवो को अम्बेडकर ग्राम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम में भेद नहीं करते। हमारे लिए हर ग्राम स्वर्ण जयन्ती गांव है । इनको विभाजित कर हम वैमनस्य नहीं फैलायेंगे । हम हर गांव को सड़क से जोड़ना चाहते हैं । बिजली का जहां तक सवाल है 1998–99 में 2,133 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, 1997–98 में 1,731 गांवों का लक्ष्य था । इसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । मुझे याद है कि जब मैं 1991–92 में मुख्यमंत्री था सघन मिनी डेयरी स्कीम चलाई गई थी उस समय इसमें 15 जिलों को शामिल किया गया था । उनके बाद 17 जिलों में और यह योजना चलाई गई । इस तरह से कुल मिलाकर 32 जिलों में यह योजना चलाई गई । अब 83 जिले हैं। इस तरह से 51 जिले बाकी रह गए तो बाकी जिलों में भी सघन मिनी डेयरी स्कीम को चलाया जाएगा । श्री समर पाल जी बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम होगा कि पश्चिमी जिलों में इस योजना से महिलाओं को कितना लाभ होता है । विद्युत् के बारे में यहां कहा गया कि कोई नई योजना नहीं चालू की गई । यह बात सही है । लेकिन जो पुरानी योजनाएं पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से बन्द पड़ी थीं उनको चालू कर रहें हैं । इसमें 304 मेगावाट की मनेरी भाली योजना को चालू किया जा रहा है । 428 मेगावाट की लखवार व्यासी परियोजना को चालू कर रहें हैं । जो पिछले 10 वर्षों से पड़ी थी । इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है टाडा, ओबरा, हरदुआगंज तापीय विद्युत् गृह की 7 बन्द इकाइयों को चालू करने का फैसला कर लिया है । उनको चालू करके 960 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् हम उपलब्ध करा देंगें । इसी तरह से निजी क्षेत्र की विष्णु प्रयाग की 400 मेगावाट, श्रीनगर की 330 मेगावाट, रोजा 565 मेगावाट इन तीनों पर इसी वर्ष कार्य तेजी से शुरु हो जायेगा । इसी वित्तीय वर्ष में इनको पूरा करने का लक्ष्य बनाकर हम चल रहें हैं । विद्युत् के सम्बन्ध में 1997–98 में 1,730 करोड़ रुपये का प्राविधान था अब इसको 2,050 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया

गया है। विद्युत् की बत्तियों को तेज किया जा रहा है। अवैध कनेक्शन को कटवा कर उनकी जगह वैध कनेक्शन दिया जा रहा है। विद्युत् चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रिक मीटर दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक में जो चोरी हो रही थी कुल मिला कर 120 करोड़ रुपये दिया करते थे, हमारी सख्ती के कारण, मा0 ऊर्जा मंत्री की सख्ती के कारण यह धनराशि 350 करोड़ रुपये हो गई है। जो चोरी करेगा, उसे हथकड़ी पहनायी जायेगी, एन0 एस0 ए0 लगाया जायेगा, परिणाम सामने आये, सख्ती की वजह से 120 करोड़ रुपये की जगह 350 करोड़ रुपये की आमदनी हो गयी। बकाये से, चोरी रोक कर जो पैसा मिलेगा वह भी विद्युत् बोर्ड के खाते में जायेगा। सड़कों के बारे में एक बात कही गयी थी, कैसे बनेंगे, रख-रखाव कहां से होगी? यह भी बात आयी कि सड़कें कागज पर गड्ढामुक्त हुई हैं। अगर कहीं कोई कमी-बेशी बतायेंगे तो मैं मान लूंगा लेकिन यह कहना सही नहीं है कि कागज पर ही सड़कें गड्ढामुक्त हुई हैं। हमने और लोक निर्माण मंत्री जी ने इसकी चेकिंग की है, कमी रह गयी है तो सजा भी दी गयी है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुई हैं। आप लिखित में वाकायदा जिले का नाम और सड़क का नाम दे दीजियेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उसे चेक करा लेंगे, अगर किसी ने पैसा ऐसे खा लिया है तो ऐसा करने वाला गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा।

श्रीमन्, जो गड्ढामुक्त सड़कें हैं 3392 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, 4892 किलोमीटर राज मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है और 17 हजार किलोमीटर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको किया गया है। यह नई योजना विभाग में आयी थी, हम सभी मंत्रियों को साथ लेकर बैठे, एकदम नई-नई सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता है, पुरानी सड़कों की मरम्मत करके जनता की सेवा के लिए उपलब्ध करा दी जाय तो कम पैसे में इतनी सड़कों को गड्ढामुक्त करके हमने जनता को अच्छी सड़कें मुहैया करायी हैं। कैनाल पटरी की योजना एक हजार किलोमीटर गत वर्ष का हमारा लक्ष्य था। 1998-99 में एक हजार किलोमीटर का सारा प्लान बन चुका है, जिलों में आवंटन हो चुका है, नहरों का आवंटन बाकी है, पैसा मुहैया करा दिया गया है। आप जा करके देखियेगा कि नहरों की पटरी पक्की हो गयी है। सड़कों के विकास के लिए पिछले साल केवल 488 करोड़ रुपये का प्राविधान था और अबकी बार हमने 1365 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है, सवाल आया कि सड़क निधि आयेगी कहां से? मोटर स्प्रिट में जो टैक्स लगाया है उसमें से एक निश्चित धन निकाल करके सड़क निधि के नाम पर सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जायेगा। हमने एक लक्ष्य रखा है, पूरे प्रदेश के अन्दर ओवर हेड ब्रिज का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, भारत सरकार से बातचीत चल रही है, उत्तर प्रदेश की रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवर हेड ब्रिज बना दिये जायें। मुझे आशा है कि भारत सरकार से इस मामले में सहयोग प्राप्त होगा। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया था कि पूरे देश में एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 3 हजार किलोमीटर हैं। पूरे देश में कुल 34,328 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में 3352 किलोमीटर का मार्ग आता है। राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के लिए 810 किलोमीटर की लम्बाई की सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखा है और हम कोशिश कर रहे हैं 810 किलोमीटर मार्ग भी राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो जाय। तो कुल मिलाकर 3392 प्लस 810 किलोमीटर तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या और

लम्बाई बढ़ जायेगी। एक सवाल और उठाया गया सदन के अन्दर। औद्योगिक विकास कैसे होगा। कहा गया उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है, पूंजीनिवेश की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक 378 आशय-पत्र उद्योग लगाने के लिये प्राप्त हुए हैं और इनमें 6,371 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश होगा, इस नाते से यह कहना सही नहीं है कि लोग यहां उद्योग लगाने के लिए आना नहीं चाहते।

सच तो यह है कि आज उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों का जो रुझान है, वह 1997-98 से प्रारम्भ हो रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर उत्तर प्रदेश का नम्बर तीसरा है। जहां उद्यमियों का रुझान अब तक के रुझानों की तुलना में अधिक बढ़ रहा है। इसीलिए उद्यमियों को सहायता देने के लिए, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने एक नई व्यवस्था की है और "सिंगल टेबिल सिस्टम अन्डर वन रूफ" और हर माह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठक होती है, हर जिले में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है और आमने-सामने समस्याओं का निराकरण होता है।

श्री अवधेश प्रसाद--

यह बड़े अफसोस की बात है कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बजट भाषण में अंग्रेजी की बू आ रही है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने हिन्दी रूपान्तर के लिये कह दिया है।

श्री समर सिंह--

दिल्ली से कुछ उद्योगों को हटाया जा रहा है। वह बागपत के क्षेत्र में लगाये जायें लेकिन कानून व्यवस्था वहां की बहुत खराब है, इसलिये कोई आने को तैयार नहीं है।

श्री कल्याण सिंह--

यह बात मेरी नोटिस में है। श्रीमन् हम यह बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिए, पूंजीनिवेश को आकर्षित करने के लिए, प्रदेश का औद्योगीकरण करने के लिए मैं यह स्वीकार करता हूं कि 6 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें नं0 एक है चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था और यह असंभव नहीं है। अब चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था के बारे में कोई दुविधा नहीं है। दूसरी चीज है, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार, उस ओर हम चिन्ता कर रहे हैं। तीसरी चीज है, कर ढांचे का सरलीकरण, चौथी चीज है इन्सपेक्टर राज की समाप्ति, पांचवीं चीज है विद्युत् की आपूर्ति और छठीं चीज है, लाल-फीताशाही के शिकंजे से लोगों की मुक्ति। यह 6 अवयव बिल्कुल स्पष्ट हैं और हमारी दिशा भी स्पष्ट है, हम इन 6 चीजों को युद्ध स्तर पर ठीक कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश, हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद पूंजीनिवेश के जो आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं, उस हिसाब से तीसरे नं0 पर आ गया है। हमारी कोशिश होगी कि हमारा प्रदेश पहले नं0 पर कैसे आ जाय। इसके लिए हम युद्ध-स्तर पर प्रयास करना चाहते हैं।

श्रीमन्, अभी माननीय समरपाल सिंह जी ने एक बात कही, माननीय कोकब हमीद जी ने यही बात कही थी कि जो दिल्ली से शायद 13 उद्योग ऐसे हैं जो हटाये जा रहे हैं, आपकी मांग थी कि यह इधर लाये जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पानीपत बगैरा में, लोनी में। आपका यह भी कहना था

कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आना चाहते । श्रीमन्, हम सब सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं दिल्ली से विस्थापित जो भी छोटे बड़े उद्योग होंगे निजी क्षेत्र वाले, उनको आमंत्रित भी करेंगे, सब सुविधाएं देंगे और दिल्ली तक जोड़े जाने वाले मार्गों के लिये भी सरकार तैयार है । आपके सम्बन्ध में जो लोग हैं उनको आप कहिये, हमारे सम्बन्ध में जो लोग हैं हम भी कह रहे हैं वहां से जो लोग हटाये जा रहे हैं वह हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाये जायेंगे तो विकास होगा आपकी इस भावना से मैं सहमत हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

(बैठे हुए) बस बहुत हो गया अब खत्म करें ।

श्री कल्याण सिंह--

मेरे पास सब मौजूद है, महिला कल्याण के लिए यह सरकार क्या कर रही है, आपके पास सुनने के लिए समय हो तो मैं बोल दूंगा ।

श्रीमन्, उत्तरांचल के लिए चर्चा आई कि 860 करोड़ का बजट कम है हिमाचल प्रदेश के बराबर उत्तरांचल को मिलना चाहिए मैं इतना कह सकता हूं कि गत वर्षों की तुलना में डेढ़ सौ करोड़ रुपया बढ़ाया है । बहुत जल्दी ही उत्तरांचल राज्य का गठन होने जा रहा है, जब तक उत्तर प्रदेश से इसका अलग राज्य का गठन नहीं होगा तब तक के लिए यह डेढ़ सौ रुपये अतिरिक्त संसाधन के रूप में दिया गया है । भारत सरकार अपने वायदे के मुताबिक अलग से उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, 90 दिन की आपकी घोषणा थी कि उत्तरांचल राज्य का गठन हो जायेगा । अब डेढ़ सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट का प्राविधान करके शायद उत्तरांचल राज्य से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन् उत्तरांचल राज्य तो बनेगा ही । यह डेढ़ सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त बढ़ाकर दे रहा हूं और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए इक्सरसाइज होती है । मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अलग से राज्य बनाने की इक्सरसाइज प्रारम्भ कर दी है । संविधान में संशोधन करना होगा और उसके बाद विधान सभा में रेक्टीफिकेशन के लिए आयेगा । इन सब में समय लगता है लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह राज्य बनेगा और इसे अटल बिहारी बाजपेयी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार बनायेगी ।

(मुन्ना चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुन्ना चौहान जी मैंने अभी अवधेश जी से अनुरोध किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण समाप्त कर लें उसके बाद एक एक-करके स्पष्टीकरण पुछवा देंगे ।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, इसी प्रकार से हमने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की कोशिश की है मैं यह नहीं कहता कि बड़ी आदर्श स्थिति पैदा कर दी है, जो कुछ होता रहता है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उससे ज्यादा किया है, 23 करोड़ की बुन्देलखंड विकास निधि थी, उसको बढ़ाकर 40 करोड़ रु0 कर दिया है, पूर्वांचल

विधायक निधि 92 करोड़ को बढ़ाकर 120 करोड़ रु0 कर दिया गया है जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं उनमें जितना बढ़ा सके उतना भी ज्यादा है, पिछली सरकारें इतना भी नहीं बढ़ा पायी थी।

श्री समरपाल सिंह—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आपने अन्याय किया है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, बाद में पूछ लेंगे। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री कल्याण सिंह—

यह पूछा गया कि जो प्रारम्भिक शेष 919.53 करोड़ रु0 दिखाया गया है, यह कहां से आया है। विगत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में जो भारत सरकार की स्वैच्छिक आय की घोषणा की योजना थी उस योजना में 1351 करोड़ रु0 हमको मिला उसी में से यह प्रारम्भिक अवशेष 619.53 करोड़ रु0 बनता है। यह बात आयी कि विधायक निधि में 1 हजार का प्राविधान किया है, 260 करोड़ रु0 की बात कर रहे हैं, आप विज्ञ हैं यह प्रतीकात्मक धनराशि है। 260 करोड़ रु0 की बचनबद्धता सदन में है इसकी व्यवस्था हम कर देंगे प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यह 50 लाख रु0 के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव देने की पूर्ण स्वतन्त्रता माननीय विधायकों के पास होगी। इससे क्षेत्रीय असंतुलन भी कम हो जायेगा। श्रीमन्, वर्तमान आपदाओं में 500 रु मिलता था, अपने वित्तीय संसाधनों के जरिये इसे बढ़ाकर 1 हजार रु0 करने की चेष्टा की है। जो फसल की हानि होती थी अब तक ढाई हजार रु0 की राशि सहायता के रूप में मिलता थी उसे दुगुना कर दिया गया है, 5 हजार रु0 की राशि कर दी गयी है।

श्री समरपाल सिंह—

फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू करेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

यह अखिल भारतीय स्तर पर विचार करने का विषय है। कहा जाता है कि मरीजों को दवाई उपलब्ध नहीं है।

पिछली बार 34 करोड़ रुपये रखा गया था इस वर्ष हमने उसे दुगुना करके 70 करोड़ रुपये दवाइयों पर रख दिया है।

डाक्टर बकार अहमद शाह—

दवाइयों की कीमत भी तो बढ़ गई है।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन्, कुछ हम अपनी भी लिस्ट कम करें। श्रीमन्, न चाहते हुए भी कुछ समय से ज्यादा ले लिया और चाहते हुए भी कुछ बिन्दु कहने से छूट गये हैं। तैयार तो मैं हर बिन्दु पर होकर आया था। मैं पुनः एक बार सभी

माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। बहुत अच्छे सुझाव दिये, रचनात्मक सुझाव दिये, हमारा मार्ग दर्शन हुआ। उसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, सम्पूर्ण बजट पर 5 दिन चर्चा हुई, उसके उत्तर को इन शब्दों के साथ में पूरा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

कुछ माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैं एक-एक माननीय सदस्य को बुलवा रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति प्रदान की। जब माननीय मुख्य मंत्री जी बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी भूमिका में जो बातें कहीं हमें ये लगा कि इतनी लम्बी चर्चा हुई है शान्तिपूर्ण माहौल में। काफी लम्बे दिनों में ऐसा अवसर आया, इतनी लम्बी चर्चा बजट पर हुई और उस चर्चा में सुझाव उभर कर आये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया और उसमें कुछ शंकाएं रह गईं और कुछ आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाये। 8 या 8 अध्याय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर को समेटा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने की बात कही। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने पढ़े, वह अधिकारियों ने दिये होंगे परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े सत्य नहीं हैं। मान्यवर, मैं निजी अनुभव के आधार पर व्यक्तिगतरूप से यह कहना चाहता हूं कि कल रात गोमती नगर थाने में मैं स्वयं एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाने रात के डेढ़ बजे जाना पड़ा। सायंकाल 6.00 बजे से जिसे उन लोगों को बैठा रखा था और एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई। 1 अक्टूबर, 1997 से 31 मई, 1998 तक सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 257 लोगों की हत्या हुई। मैं पूरी सूची दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह तो स्पष्टीकरण नहीं है, आप स्पष्टीकरण पूछें।

श्री अम्बिका चौधरी—

अपहरण का आंकड़ा इन्होंने नहीं दिया है जो कि एक उद्योग के रूप में पनप रहा है। मान्यवर, डा0 जो0 पी0 महोदय ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस सरकार में पर स्त्री गमन की शिकायतें आयी हैं तो उसका आंकड़ा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उसकी थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, डास्क फोर्स का गठन जिस उद्देश्य के लिये किया गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में क्या नहीं कहा यह स्पष्टीकरण का विषय नहीं है । जो कहा है उसके बारे में आप एक दो सवाल कर सकते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, टास्क फोर्स की बात कही गयी हम इसकी प्रशंसा करते हैं । अपराधों के उन्मूलन के लिये अगर चुने हुए अधिकारियों की पूरी तरह से शक्ति लगाकर यह काम करें तो वह स्वागत योग्य कदम है । इसमें तीन डी0 एस0 पी0 रैंक के अधिकारी होने चाहिये लेकिन एक ही एस0 पी0 रैंक के अधिकारी को शामिल किया गया है । टास्क फोर्स के लिये जो एलोकेशन है उसमें तीन एस0 पी0 अधिकारी होने चाहिये । और मान्यवर, यह भी होना चाहिये कि उसमें संकल्प मौजूद हो, साधन उनके पास हों और सूचना ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने टाप 10 पर जिनका नाम है उनके उन्मूलन के लिये यह तीन चीजें आवश्यक हैं । साधन देने की बात कह दी लेकिन तमाम आशंकायें हैं । सूचना के स्तर पर भी असुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है । एक गलत बयानी और कर दी गयी कि पिछले छः सालों से पुलिस में भर्ती नहीं हुई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुलायम सिंह जी यहां पर विराजमान थे तो उन्होंने एक नया फोर्स शांति सुरक्षा बल का गठन किया था जिसको आपकी सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया । वित्तीय स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ला--

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि विनियोग के बाद स्पष्टीकरण की बात आती है । आज वह अपना भाषण कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय, शुक्ला जी यह विनियोग विधेयक नहीं है । सामान्य चर्चा चल रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में कहा, विदेशों से ऋण प्राप्त करेंगे, इसमें जो शंका थी उसको बुमाफिराकर स्वीकार किया है । दूसरी बात यह है कि जो बैंकों वाली बात है, पिक अप और यू0 पी0 एस0 सी0 आप इसको देख लें । ऐसा न हो जाये कि सरकारी धन दे दें, तो वह डूब जायें । आपको इस पर बहुत सतर्क दृष्टि रखनी होगी ।

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रदेश ने वित्तीय स्थिति के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने चिन्ता की है, हम उनसे एक स्पष्टीकरण चाहते हैं । देश की आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिस पर इतना खर्च किया जा रहा है, इतना खर्च कभी नहीं हुआ है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह मितव्ययिता है । इनके मन्त्रीमण्डल का स्वरूप रावण जैसा है, क्या प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखकर इसको कम करेंगे । दूसरा सवाल यह है कि

50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आजादी की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, हिन्दी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो बजट भाषण माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें वैल्यू फार मनी, इकोनामिक साइकिल, इम्पलायमेन्ट आदि शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग खूब किया गया है। इससे मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद जितने भी बजट भाषण गढ़े गये हैं, उनमें ऐसी कभी कोई चीज नहीं रही है।

इस वर्ष आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसको आप देखें और अंग्रेजी के शब्दों को निकलवा दें। यह इतिहास याद करेगा। यह सरकार स्वदेसी की बात करती है, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में अंग्रेजियत की बू आ रही है। दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट में कर की बात कही है। बजट भाषण के पृष्ठ 7 पर देख लें, यह चित्रित है, लेकिन कटौती बेडरूम में जो फर्नीचर है उसकी होती है।

श्री अध्यक्ष—

यह स्पष्टीकरण नहीं हुआ।

श्री अवधेश प्रसाद—

1356 करोड़ का जो घाटा है, उसको ऋण से पूरा करेंगे, आप ऋण कहां से लायेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी विद्युत नीति क्या है और लखनऊ में भयमुक्त समाज की बात करते हैं, आप इन सभी का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं।

श्री मुन्ना चौहान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि उन्होंने पेयजल की योजनाओं के बारे में कहा है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ट्यूबवेल डीप बोरिंग को लगवायेंगे जिससे उसकी बहुउद्देश्यता हो सकेगी, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं सम्पूर्ण उत्तरांचल क्षेत्र के लिये कोई वैकल्पिक योजना पंचायत स्तर पर देने के लिये तैयार की है।

दूसरा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उत्तरांचल के संदर्भ में स्वयं कहा था वहां वन संरक्षण कानून 80 जो है वह विकास की गति में बाधक है। तो मैं उम्मीद करता था कि सदन के अन्दर वह कहेंगे कि इसको रिवाइज करने के लिये भारत सरकार से कहेंगे क्योंकि यह सेंट्रल एक्ट है। यहां तक कि पहले जो रियायतें दी जा रही थी वह भी विघड़ा कर ली गई यहां तक कि जो बेनामी भूमि बंजर भूमि परती जंगल भूमि है वहां पर भी सड़कें नहीं बना सकते हैं उस पर भी प्रतिबन्ध लागू कर दिया है। तो क्या इस प्रकार की भूमि को जो विकास की गति में बाधक है उनसे प्रतिबन्ध हटाने के लिये भारत सरकार से कहेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीमन् स्पष्टीकरण उस पर होता है जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कही होती है, जो कही नहीं है उस पर क्या स्पष्टीकरण होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भाषण में यह कहा की नलकूपों से पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। तो जिन स्थानों पर नलकूप नहीं लग सकते हैं वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

श्रीमन् कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नलकूप नहीं लगाये जा सकते या कुआं नहीं खोद सकते वहां पर पाइप लाइन डालने की व्यवस्था की जायेगी। दो तीन बातें माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कही वह कुछ ज्यादा नाराज दिखाई पड़े बजट में कुछ अंग्रेजी शब्द आ गये।

श्री अध्यक्ष—

उनका हिन्दी अनुवाद करवा दीजियेगा।

श्री कल्याण सिंह—

मेरा आप से अनुरोध है आपने जो स्वयं बोलने में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जैसे वोट, बेडरूम, फर्नीचर, तो यह तो बोलचाल में चला करता है तो दो चार शब्द बजट में आ गये तो क्यों पेट में दर्द हो गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अरविन्द गिरी जी ने लिखकर एक स्पष्टीकरण चाहा है विधायक निधि को जनप्रतिनिधियों को कब तक उपलब्ध करा देंगे।

श्री कल्याण सिंह—

आप इसके बारे में चिन्तित न हों जल्दी उसके लिए व्यवस्था करवा दे रहे हैं एक बार जो वचन दे दिया उससे दायें बायें जाने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

डा0 कौशल किशोर जी ने पूछा है कि जिस प्रकार बुन्देल खण्ड के लिए बुन्देल खण्ड विकास निधि, उत्तराखण्ड के उत्तराखण्ड विकास निधि बनाई गई है क्या इसी प्रकार मध्यांचल के लिए भी कोई विकास निधि बनाने की कृपा करेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

नहीं, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, जैसे दैवी आपदाओं में प्रभावित क्षेत्रों को सहायता दी जाती है मेरे जनपद में आग लगने की कितनी ही घटनायें हो जाती हैं गांवों में खासकर फूस के घर बने होते हैं तो उनमें आग लगने से दो तरह से सहायता का वितरण होता है एक चेक से दूसरा नकद जब मैंने जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने

बताया चेक भी दे सकते हैं और नकद भी दे सकते हैं जिसका घर जल गया कुछ भी नहीं बचा तो मैं चाहता हूं कि उसे नकद भुगतान कर दें चेक लेकर वह 10-10, 12-12 दिन तक कहां घूमा करेगा जैसे पहले होता आया है नकद भुगतान डी0 एम0, एस0 डी0 एम0, एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 जाकर देखते थे और नकद भुगतान करवा देते थे।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे ख्याल से गन्ना विभाग से सम्बन्धित है इसलिए गन्ना विभाग की मांग के समय जब गन्ना मन्त्री जी अपने विचार रखेंगे तो उस समय आप पूछ लीजिएगा।

श्री राम तेज यादव जी अब आप बैठ जायें। आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री जगदम्बिका पाल--

श्रीमन् माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट के उत्तर भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात सी0 डी0 रेशियों के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त किया है और घोषणा किया है कि सी0 डी0 रेशियो नहीं बढ़ेगा तो पिक-अप, यू0 पी0 एफ0 सी0 आदि बैंकों की स्थापना की जाएगी, तो इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सी0 डी0 रेशियो (क्रेडिट डिपाजिट रेशियो) प्रदेश के विभिन्न बैंकों में जनता द्वारा जमा किया गया डिपाजिट है, तो प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में जो बैंकों को प्रार्थना-पत्र दिए हैं सी0 डी0 रेशियो बढ़ाने के लिए, और तहसील स्तर पर एस0 डी0 एम0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है यह रेशियो बढ़ाने के सम्बन्ध में तो प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी उल्लेख कर दें।

मान्यवर, राजस्व खर्चों में कमी की बात किया है तो मैं चाहता हूं कि लखनऊ में विरो विकास संस्थान की जो अनउत्पादक खर्चों में कमी करने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं और 1986 में बजाज समिति ने अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के लिए जो रिपोर्ट दिया था क्या उसकी संस्तुतियों को आप लागू करेंगे ?

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि सेन गुप्ता, तिवारी जी ने बजट की सराहना किया है, तो यह बता दिया लेकिन आलोचनात्मक सुझाव जो दिए गये हैं, जिनके सम्बन्ध में मैंने अभी बताया, उन पर क्या आप अमल करेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि यदि इसमें कोई निदेश नहीं किया जाएगा तो मौजूदा परिस्थितियां जारी रहेंगी। प्रदेश ऋण के जाल से नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप इसमें क्या उपाय करेंगे ?

मान्यवर, सिंचाई के लिए कोई नई योजना नहीं लागू किया है तो इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि सरयू परियोजना में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने ऋण-जमा अनुपात की बात किया है, यह तो ब्यौरे की बात है। जो समितियों की सिफारिशें या सुझाव आते हैं उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए जिससे ऋण-जमा का अनुपात बढ़ सके।

यह तो बजट पर सामान्य चर्चा हुयी है, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में मुख्य मन्त्री जी ने विचार व्यक्त किये हैं, इस पर उन्होंने अपनी बात कह दी, इसका जो ब्योरा होगा वह तो सम्बन्धित मन्त्रिगण बतायेंगे । मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहें तो बता दें । जहां आपने विभिन्न समितियों की संस्तुतियों की बात की है वह भी ब्योरे की बात है ।

श्री इकबाल महमूद—

मान्यवर, मैं दो बातों की जानकारी चाहता हूं । माननीय नेता सदन ने बताया कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के लिये 34 करोड़ रुपये बढ़ाकर 70 करोड़ का प्रावधान किया है । इस बीच में दवाओं की कीमत बढ़ गयी । गांव में गरीब लोग पी0 एच0 सी0 पर जाते हैं उनको दवायें नहीं मिलती हैं । तो क्या पी0 एच0 सी0 पर गरीबों के लिये पूरे तरीके से दवा उपलब्ध करा देंगे । दूसरी बात आपने आंकड़े दिये हैं, मुलायम सिंह यादव के जमाने के मुख्य मन्त्री मायावती के जमाने के मगर उससे पहले आप की सरकार 91 में रही है । उस वक्त के आंकड़े आप इसमें शामिल कर लेते, यह मुझे इसलिये कहना पड़ा कि 1991-92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुयी तो यू0 पी0 के अन्दर इतने फसाद हुये ।

श्री अध्यक्ष—

इस बात की आवश्यकता नहीं है । जो आपने चिकित्सा के बारे में कहा और अभी डा0 बशीर अहमद ने कहा कि दाम बढ़े हैं, यह एक कारण हो सकता कि सरकार इसमें कुछ अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना चाहती है इसलिये 34 करोड़ से 70 करोड़ रुपये कर दिया है । जब चिकित्सा अनुदान आयेंगे तब कह लीजियेगा ।

(कई अनेक सदस्यों के बोलने पर)

यह भानुमती का पिटारा खुलना शुरु हो गया है ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी जब बजट चर्चा का जवाब मुख्य मन्त्री जी ने दिया तो ऐसा लगा कि सारा प्रदेश रामराज्य मय हो गया । लेकिन कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं हुये हैं । आपने कहा कि सन् 2000 तक कृषि उत्पादन दो गुना कर देंगे लेकिन आप जब से पदारूढ़ हुये हैं प्रदेश में 18 लाख मीट्रिक टन पैदावार कम हुयी है इसका कारण बतायेंगे । दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि निवेश करने के लिये तमाम लोग हमारे पास आये हैं । तो आपके पदारूढ़ होने के बाद कहां पर बड़े उद्योग स्थापित हुये हैं । तीसरी बात आपने कही कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि जी0 टी0 रोड एन0 एच0-1 तथा एन0 एच0-2 इन दो राजमार्गों को छोड़कर मैनपुरी, एटा, इटावा में कौन सी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है यह बता दें ।

आपने नहर की पटरियों की बात कही । मैनपुरी में एक भी नहर पटरी पक्की नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक उद्योग की बात कही है । उद्योग तो ऐसा है नहीं कि किसी एक ट्रक पर लाकर रख दिया । भारी उद्योग की बात कही है तो उसमें तो समय

लगेगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया कि हम उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उसके लिए एक खिड़की का नियम बनाया है ।

श्री बाबू राम यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे जवाब नहीं चाहता । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहता हूं । आप उनकी जितनी मदद करते हैं उतनी हमारी भी कीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके प्रश्न को परिधि के अन्दर लाने का प्रयास कर रहा हूं । मदद किसी की नहीं कर रहा हूं न किसी का विरोध कर रहा हूं ।

श्री बाबू राम यादव--

कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात कही है । 18 लाख मीट्रिक टन गल्ला कम पैदा हुआ । इसको आगे कैसे बढ़ायेंगे, बता दें । उद्योग कोई लग नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि 6-7 आशय पत्र मिले हैं । गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रहे हैं । फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी में राजमार्गों को छोड़कर बता दें कि कोई सड़क गड्ढामुक्त हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास सूचना हो तो बता दें ।

श्री कल्याण सिंह--

दो चार लोग और पूछ लें फिर इकट्ठे ही बता दूंगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दीनदयाल सम्पर्क मार्ग जो प्रदेश में बन रहे हैं मेरी निश्चित जानकारी है यह बी0 जे0 पी0 के विधायकों के प्रस्ताव पर ही बनाये जा रहे हैं । मेरा यह कहना है कि जैसा विधायक निधि के मामले में सबको बराबर दिया है इसी तरह से इसमें भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाय ।

श्री सौलत अली--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वर्ष 97-98 में सरकार की योजनाएं रही हैं, नहर पटरी की, सड़कों की, विद्युत की । इस बार भी वह योजनाएं रखी हैं । 97-98 में उन योजनाओं के मानक और निर्णय दलगत राजनीति से प्रेरित रहे हैं और पक्षपातपूर्ण रहे हैं जिसका उदाहरण हमारा मुरादाबाद क्षेत्र है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप भी मानक और निर्णय रखेंगे या न्यायपूर्ण तब्दीली लायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री जी, जितनी जिज्ञासायें आ गयी हैं उनका उत्तर दे दें ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब और नहीं । कृपया विराजें । मेरी अनुमति नहीं है । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव--

मान्यवर, एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं अब कोई अनुमति नहीं । मैं भी अपने को सीमित रखना चाहता हूं । शिथिलता नियमों में या परम्पराओं में होती है उसको भी सीमित मात्रा में करना चाहता हूं । अब कुछ नहीं । माननीय मुख्यमंत्री जी आप उत्तर दें ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन् दो-तीन बिन्दु अ[illegible] हैं हमारे एक मंत्री [illegible] सदस्य ने कहा कि सी0 डी0 रेडिया [illegible] के लिए कोई कमेटी गठित की है । मैं बताना चाहूंगा कि ब्लाक लेवल पर [illegible] की अध्यक्षता में कमेटी होती है जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है, राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के स्तर पर बैठक होती है बैठक से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस ने कार्रवाई [illegible] रही है । हमारी कोशिश होगी कि कमेटी और सक्रिय हो जाएं ताकि अच्छे परिणाम ला सकें । आपका सुझाव था श्रीमन् एक प्रश्न और आया विभाग के कार्यों में विकास के कार्यों में दलगत भावना से प्रेरित होकर कुछ किया जा रहा है यह सरकार दलगत भावना से विकास को नहीं देखती है । हमने माननीय सदस्यों के क्षेत्रों के लिए भी दलगत आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं की है । अभी अम्बिका जी ने आरोप लगाया कि 257 कार्यकर्ता मारे गये तो मैं पूछना चाहता हूं कैसे मारे गए ?

श्री अम्बिका चौधरी--

हत्या की गई ।

श्री कल्याण सिंह--

पुलिस में कितने मारे ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मारे गए हैं उसकी सूची मैंने आपको दी है ।

श्री कल्याण सिंह--

दलगत आधार पर कहीं कुछ नहीं किया जाता है दलगत आधार पर प्रश्रय न दिया है न देते हैं सबकी जान हमें प्यारी है माफिया और अपराधियों को छोड़कर । अपराधियों और माफियाओं से हमें कोई सहानुभूति नहीं है यह सहानुभूति के कोटे में नहीं आते हैं आज राजनीति इतने गन्दे स्तर पर पहुंच गई है राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं राजनीतिक हत्याओं का एक दौर सा शुरू हो गया है, छोटी-छोटी बातों को लेकर हत्यायें हो जाती हैं यह मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं । जैसा कि आप भी जानते हैं अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं हैं वह सुरक्षित हैं वह कार्यवाही में अंकित हैं उसको ले लिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल रामकुमार वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह जो विधेयक आज प्रस्तुत हुआ है उसके उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा। सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटियों के कार्य और सुकर और दक्षतर बनाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके प्रबन्ध कमेटियों, जो पहले से गठित होंगी, के सम्बन्ध में कार्यकाल को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कार्यकाल का प्रस्ताव सहकारी समिति संशोधन विधेयक 1965 में संस्तुत किया गया फिर संशोधन 15 जुलाई 1994 में किया गया। अधिकांश समितियों के चुनाव सम्पन्न हो रहे थे--

(इस समय 6 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरीशंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

90 प्रतिशत से अधिक समितियों के चुनाव जनवरी, से लेकर मई से बीच में पूर्ण हो चुके थे। इसी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया था। वर्तमान में कार्यकाल साढ़े चार वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समिति के जो सदस्य हैं उसके मौलिक अधिकार नहीं हैं कि वह समिति का सदस्य कब तक रहेगा। यह विधान प्रदत्त अधिकार है। इसके आधार पर यह व्यवस्था है। तो जो यह अधिकार है वह अधिनियम के माध्यम से बढ़ाया जायगा। उसका अधिकार अधिनियम में दिया जायगा। यह उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था की गई थी यह दूसरे प्रदेशों में लागू नहीं थी। अधिकांश प्रदेशों में तीन वर्षों का कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश में यह कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था लेकिन 1986 में पुनर्विचार के उपरान्त यह कार्यकाल घटाकर पांच वर्ष से तीन वर्ष कर दिया गया। वर्ष 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 42 वां संशोधन कर संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। जिसे मोरारजी ने 44 वां संशोधन कर घटाकर 5 वर्ष कर दिया। इस तरह से इस मामले में सदन सर्वोपरि है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सदस्यों का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह कितने समय तक सदस्य रहेंगे। इसको उच्चतम न्यायालय ने श्री उ0 प्र0 राज्य बनाम सी0 ओ0 डी0 छेवकी कर्मचारी सहकारी समिति 1977 (3) एस0 सी0 पृष्ठ 86 के द्वारा माना है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि किसी समिति के सदस्य का अधिकार स्टेचुटेरी राइट है। जो कि उसे इस अधिनियम के प्राविधानों, नियमों और उप नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। किसी समिति के सदस्य होने को

अधिकार उस सदस्य का मौलिक अधिकार नहीं है । वह उस अधिनियम के प्राविधानों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता है । जिस प्राविधान के अन्तर्गत उसे सदस्य होने का अधिकार प्राप्त है । जो वर्तमान में समितियों की व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हमने इस तरह का प्राविधान किया है ।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में संशोधन से पहले सहकारी समितियों के कार्यकाल की अवधि अधिनियम में निर्धारित नहीं थी बल्कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनी नियमावली के नियम 445 में यह अवधि 3 वर्ष रखी गई थी । इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधयक, 1998 को सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी एक बात के अलावा दूसरी बात नहीं कह पाये । यह जो अभी माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे उनकी नीति और नीयत गलत है, किस नीति के तहत लाये हैं । इसके पहले सहकारी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष था अब यह 3 वर्ष के लिए ले आये हैं । 3 वर्ष ले आने के पीछे इनका मंशा क्या है, सोच क्या है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया । यह कहा कि 3 वर्ष का 5 वर्ष और 5 वर्ष का तीन वर्ष कर सकते हैं । इसके पीछे राज क्या है, राज यह है कि जितनी सहकारी समितियां हैं, शीर्ष संस्थायें हैं, उन शीर्ष संस्थाओं पर चुने हुए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, भूमि विकास बैंक है वहां शिव पाल सिंह यादव बैठे हुये हैं । इन्होंने पी0 सी0 एफ0 से वहां के अध्यक्ष को हटाने की साजिश की, माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं माना, इसके गलत कदम को खारिज कर दिया और पी0 सी0 एफ0 के अध्यक्ष पुनः कुर्सी पर बैठ गये तो आपके मन में यह आया कि अब इन लोगों को कैसे हटाया जाये और आप एक अध्यादेश ले आये । जहां तक 3 वर्ष का कार्यकाल करने की मंशा है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के जो लोग शीर्ष संस्थाओं पर बैठे हुये हैं, उन्हें हटाना है । यह जो विधेयक लाया गया है वह असंवैधानिक है और प्रजातांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है, निश्चित रूप से यह सदन इसे रद्द कर दे । बहुमत के बल पर पास कर ले जायेंगे लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इनकी नीयत का पर्दाफाश कर देगी और इसे असंवैधानिक घोषित करके इसे रद्द कर देगी । अगर नहीं होगा तो यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में जायेगा । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह असंवैधानिक है, इसको किसी प्रकार से पास नहीं होना चाहिए ।

इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और उसकी टिप्पणी विश्लेषण सदन के समक्ष आये ।

श्री शिव पाल सिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक रखा गया है, इसका इरादा ठीक नहीं है और इन समितियों में प्राइमरी समितियों से लेकर शीर्ष संस्थाओं तक जनता के चुने हुये लोग बैठे हुये हैं। श्रीमन् आपको पता होगा, जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में आये, तब इन संस्थाओं के चुनाव हुये, इससे पहले इन संस्थाओं पर प्रशासक व्यवस्था रही। इस विधेयक के माध्यम से भी इनका प्रशासक बैठाने का इरादा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब-जब इन संस्थाओं पर प्रशासक लोग बैठे, इन संस्थाओं में अपराध, गबन और भ्रष्टाचार बढ़ा और जब जनता के चुने लोग इन संस्थाओं में बैठे, तो भ्रष्टाचार, गबन कम हुआ तथा सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा मिला, आज इन संस्थाओं में जनता के चुने हुये लोग बैठे हैं, माननीय मंत्री जी इस विधेयक के माध्यम से चुने हुये प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक लोगों को बैठाना चाहते हैं। इस सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, सब लूटने घसोटने में लगे हैं, इनका भी यही इरादा है, इसलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को वापस लिया जाय और यदि संशोधन वापस न लिया गया तो इस पर प्रशासक लोग बैठेंगे और इससे सहकारिता आन्दोलन बरबाद हो जायेगा, खत्म हो जायेगा, ऐसा काम फासिस्ट लोगों का हो सकता है क्योंकि इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। उसको खत्म करने का इरादा है, इसलिये मेरा पुनः अनुरोध है कि इसको वापस, लेकर प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जिसे बाद में सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री लालजी वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, इस विधेयक के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के कार्यकाल घटाने की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस सरकार का यह मानना है कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण राजनीतिक अस्थिरता है तो एक तरफ तो हम यह मानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है तो इस सदन में अनेक ऐसे अवसर आये है, जब सत्ता पक्ष ने संख्या के आधार पर विधेयकों को पास कराने का काम किया है, निश्चित रूप से जो कोआपरेटिव मूवमेंट है, सहकारिता आन्दोलन है, उसका नुकसान होगा। बहुत सी साधन सहकारी समितियां हैं, शीर्ष संस्थायें हैं, अन्य संस्थायें हैं, जिनके चुनाव में काफी समय लगता है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह उत्तर भाषण दें तो इस बात का जिक्र जरूर करें कि साधन सहकारी समितियों या अन्य शीर्ष संस्थाओं के चुनाव में कितना समय लगता है। तीन साल का समय जो किया जा रहा है, वह तीन साल चुनाव कराने की तैयारी में ही बरबाद हो जायेगा और जो सहकारी संस्थाओं का प्रबन्ध तंत्र है, वह सही काम नहीं कर पायगा। यदि हम सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग हो तो विशेष रूप से कार्यकाल की सीमा 5 साल से घटाने का काम नहीं होना चाहिये।

यह हो सकता है कि आज हमारे लोग संस्थाओं में, शीर्ष संस्थाओं में, साधन सहकारी संस्थाओं में न बैठे हों। लेकिन ऐसी स्थितियां आ जायेंगी आप काम करेंगे, सहकारिता में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो आपके लोग भी आ सकते हैं। कौन बैठा है, कौन नहीं इसका बिना भेदभाव किये प्रदेश के हित में आवश्यकता है सहकारिता के आन्दोलन को सही दिशा में ले जाने की। इसके कार्यकाल को 5 वर्ष से कम करने का काम कदापि नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रबन्ध समितियां अपनी समितियों की योजना बना सकें, किसानों के हित की योजना बना सकें और प्रदेश का अच्छा विकास हो सके।

अगर जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश कर देते हैं और हमारा निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता के ऊपर भारी बोझ पड़ने वाला है। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है और उसके बाद ही सही संज्ञान लेना चाहिए। इसमें विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय होगा और यह जनता के हित में नहीं होगा। यह जो प्रस्ताव आया है यह इसको सही दिशा में ले जाने वाला प्रस्ताव है। यह प्रवर समिति के पास जायेगा तो विशेषज्ञ बैठेंगे और उसमें सही मंथन करने का काम करेंगे, मेरिट, डिमेरिट के आधार पर विचार करेंगे उसके बाद जब यह विधेयक इस सदन में आयेगा तो हमें उसके आधार पर इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में भेजने वाला जो प्रस्ताव है उसका स्वयं समर्थन करें जिससे जल्दबाजी में कानून न बन जाय जो सहकारिता आन्दोलन को नाश कर दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री चन्द्र पाल सिंह--

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार में बैठे माननीय मंत्री जी अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी संस्थाओं के इस प्रजातांत्रिक स्वरूप को नष्ट करके अपने चहेते लोगों को उसमें प्रशासक के रूप में बैठाना चाहते हैं। आज जो इस विधेयक को लाने की सरकार की मंशा है वह बहुत ही गन्दी मंशा है। जो जनता के चुने हुये लोग हैं जनता ने जिनको 5 साल के लिये चुनकर भेजा है आज सरकार में बैठे हुये लोग केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण इन अपैक्स सोसाइटी में, सेन्ट्रल सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं, इसलिये उनका कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाय।

मान्यवर, मंत्री जी आज इस बात की घोषणा करें कि इन संस्थाओं में प्रशासक नहीं बिठाये जायेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में जाकर चुनाव को फेस कर सकें। यह चुनाव न कराने का कुचक्र रचा जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जनता में छवि नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को प्रशासक बनाकर लूटने घसोटने का काम करने की योजना तैयार की जा रही है। मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है कि जब सोसाइटीज का, संस्थाओं का चुनाव हुआ तो कार्यकाल 3 वर्ष था, बाद में बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वे बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंकों के जब चुनाव हुये, शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव हुये, केन्द्रीय संस्थाओं के जब चुनाव

हुये तो क्या कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं था, कार्यकाल 3 वर्ष का था ? जिस तरह से अधिकारियों ने आपके पास लिखकर भेज दिया, सदन में आपने वैसा बता दिया। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में 3 साल का प्राविधान है, पिछले मोर्चा की सरकार थी माननीय देवगौड़ा जी और माननीय गुजराल जी के नेतृत्व में उस सरकार में कबिनेट में इस बात को पास कर दिया था कि मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यकाल 5 साल का होगा। अब वहां भी लोग बैठ गये जिनको कोआपरेटिव का ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते कि जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। हम लोग यह चाहते हैं कि जो सहकारिता में काम करने वाले लोग हैं, जिनका पैसा लगा है उसमें उस पैसे का मालिक भी उन्हीं में से होना चाहिये। उस सदस्यों में से चुनकर व्यक्ति जाय, चुनकर वहां बैठे। मंत्री जी ने कहा कि तमाम प्रदेशों में कार्यकाल 3 वर्ष का है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में मंत्री जी कोआपरेटिव सोसाइटीज का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया हो। क्या यह उचित है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाय। आपने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। आपने कहा कि सदस्य को संवैधानिक चुनौती देने का अधिकार नहीं है हमने भी लड़ाई लड़ी है। प्रारम्भिक समितियों में केवल व्यक्ति सदस्य हुआ करते हैं जिनका हिस्सा उन समितियों में होता है लेकिन चाहे केन्द्रीय संस्थाओं की बात एपेक्स सोसाइटीज हों, उसमें समिति सदस्य हुआ करती हैं तो जब समिति सदस्य हुआ करती हैं तो कोआपरेटिव का आदमी एपेक्स, मल्टी स्टेट तक जाकर बन जाता है उसको पूरा संवैधानिक अधिकार है कोई असंवैधानिक चीज होती है, कोई असंवैधानिक विधेयक आता है तो हर सदस्य जिसका पैसा लगा हुआ है पूरी तरह से उसे विरोध करने का अधिकार है। यह जो विधेयक लाया गया है इसमें इस सरकार की मंशा बड़ी खराब है।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षिप्त करें।

चन्द्रपाल सिंह—

मान्यवर, संस्थाओं में इनके लोग नहीं बैठे हैं, आज 5 वर्ष का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाओं को जो शीर्ष संस्थायें हैं, इत्तिफाक से सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां पर बैठे हुये हैं, उनको हटाने का येन-केन प्रयास यह सरकार कर रही है, भले ही सोसाइटीज ऐक्ट में इनको कोई संशोधन करना पड़े। हम लोगों को यह सरकार पचा नहीं पा रही है। आज जो नगरपालिका/टाउन एरिया ऐक्ट था, उसमें संशोधन करके, यह कर दिया कि जो विश्वास का प्रस्ताव आयेगा, वह 2/3 से कम पर नहीं माना जायेगा। कोआपरेटिव ऐक्ट में पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव का प्राविधान पहले से ही था कि जब 2/3 लोग उसके पक्ष में रहेंगे तभी वह माना जायेगा, परन्तु उसे घटाकर यह कर दिया गया कि 50 प्रतिशत से यदि एक भी व्यक्ति ऊपर होगा तो वह माना जायेगा। जिला पंचायत एक्ट, पंचायत राज ऐक्ट, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष में, सभी में वह प्राविधान कर दिया कि 2/3 लोग होने चाहिये।

जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह सरकार सरकारी तंत्र की बात करती है। आज सहकारी आन्दोलन को यह सरकार सरकारी आन्दोलन बनाने जा रही है। सरकार की जेब में इसे डाल रही है। विधान सभा में बैठे हुये दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के प्रति हम दोनों जवाबदेह हैं, इसलिये इस काले कानून को बनाने की जो साजिश की जा रही है, उसे सरकार वापस ले ले या फिर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे ताकि वहां पर इस पर चर्चा हो सके और उसकी जो रिपोर्ट आये, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाये।

श्री छोटे सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं एक सूक्ष्म विनती करना चाहता हूं सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों से कि जो शोर मचाकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक रक्खा है वह सही है। आज इस उत्तर प्रदेश में 46 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 15 संचालक मण्डल के सदस्य चुने जाते हैं। आज 7 लाख लोगों को हटाने के षड्यंत्र में भागीदार बनने का कुचक्र यह सरकार कर रही है। इस प्रदेश में 11 शीर्ष संस्थायें हैं, 270 केन्द्रीय समितियां हैं, प्रारम्भिक ऋण समितियों की संख्या 8384 है, प्रारम्भिक समितियों की संख्या 20215 है, दुग्ध समितियां 2322 हैं। कुल मिलाकर यह संख्या 45 हजार से अधिक है। 7 लाख लोगों से अधिक की संख्या, जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आये हैं, संख्या बल के आधार पर यह सरकार हटाने का प्रयास करके जनता के प्रति अनादर प्रकट कर रही है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस अलोकतांत्रिक व अप्रजातांत्रिक विधेयक को आप वापस ले लें और यदि इसे वापस लेने में कोई कठिनाई हो रही हो तो इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का कष्ट करें।....

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक रखा है उसमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अवधेश जी कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री अवधेश प्रसाद—

अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो हम बैठ जाते हैं।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आपके माध्यम से हमारी इस सरकार से और माननीय मंत्री जी से यह विनती है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सारे हिन्दुस्तान में जो सिस्टम है उसे क्यों खत्म कर रहे हैं। मान्यवर, प्रधान का कार्यकाल पांच साल का, क्षेत्र प्रमुख का पांच साल का, जिला पंचायत का पांच साल का, विधायक का पांच साल का, लोक सभा सदस्य का पांच साल का है उसी तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत गठित हुई सहकारी समितियां जिसमें लाखों प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल पांच साल का क्यों न हो? मान्यवर, उनका कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया था कि तीन साल में कभी किसी योजना की पूर्ति नहीं हो सकती।

मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो उसने यह किया था कि पहले चुनाव होगा तब यह भंग होगी लेकिन आज आप फिर से उसी पुरानी व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं । मान्यवर, जितने भी संस्थान हैं यह बहुत बड़े घाटे में हैं और उसका कारण यह है कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता नहीं रहने दी गयी । माननीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि जब जनप्रतिनिधियों के हाथ में पांच साल संस्थाएं रहेंगी तो पांच साल में सुधार करके इसको लाइन में लायेंगे । लेकिन आज यह बात माननीय मंत्री जी के दिमाग में और सरकार के दिमाग में नहीं आ रही है । क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं इसलिए उसको समाप्त कर दिया । यह विधेयक सारी प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध आया है । सारी प्रणाली में पांच साल का मौका दिया जाता है और अगर नहीं दिया जाता है तो यह भी कानून बना दें कि विधायक का कार्यकाल भी तीन साल को ही जाय ।

मेजर जे0 पी0 सिंह—

मान्यवर, यहां तो विधायकों का कार्यकाल वैसे ही डेढ़ साल में खत्म हो जाता है ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, यह कानून के विरुद्ध विधेयक लाया गया है । जनता की भावनाओं के विरुद्ध यह काला कानून लाया गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो सही न्याय होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मुझे बहुत विस्तार से नहीं कहना है और जो माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं मैं उन्हें दोहराना भी नहीं चाहता हूं । मान्यवर, मैं जो चीजें कहना चाहता हूं । पहला तो यह है कि दृष्टिकोण का फर्क है । वह यह है कि अपने पूरे आचरण में इस सरकार का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढंग से चुने गये संस्थाओं में नहीं है ।

पूरी तरह से आचरण में फासिस्ट लोग हैं, जो लोक तांत्रिक ढंग से चुन गये हैं, जो सहकारी संस्थायें हैं, उनकी तहस-नहस करने का इनका दृष्टिकोण है । आज जो संशोधन विधेयक रखा है, उसके मूल एक्ट में 4 दिन पहले संशोधन रखा गया था और उस संशोधन में यह रखा गया था कि प्रशासकों का कार्यकाल जो चुने हुये नहीं होते हैं, 6 महीने से बढ़ाकर एक साल किया गया और जो चुने हुये लोग हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जा रहा है । मान्यवर, अगर यह इसके परिणामों को सोचते तो यह संशोधन न लाते। यह संशोधन हड़बड़ी में लाया गया है । सरकार इस मामले में कमजोर मन रखती है, इसीलिये अनुरोध है कि इसको वापस ले लें और अगर वापस न ले तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शाक्य जी आपको कुछ कहना है ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, विस्तार से बातें आ गयी हैं । मैं प्रवर समिति में भेजने पर बल देता हूं ।

"पटेल" राम कुमार वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं । माननीय सदस्यों ने नीति और नीयत की बात कही है, तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है । श्री शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा गया, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय की बात कह दी है । मान्यवर, राजनीतिक स्थिरता के लिये जरूरी है इसलिए मैं चाहता हूं कि संशोधन विधेयक को पास किया जाये, पहले 3 वर्ष के लिये चुनाव हुये थे, फिर उनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया । यह जो संस्थायें हैं, वह व्यवसायिक संस्थायें हैं । इसकी तुलना अन्य संस्था से नहीं की जा सकती जो बात लूट घसूट की कही गयी है, तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो जिसका जैसा चेहरा होता है, ठीक वही शीशे में दिखाई पड़ता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय शिवपाल सिंह यादव का नाम लिया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

श्री शिवपाल सिंह यादव का नाम लिया गया है, इसलिये इनका स्पष्टीकरण सुन लें । उनको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप अपने उत्तर भाषण को संक्षिप्त करें ।

(व्यवधान)

माननीय शिवपाल जी आप क्या प्रतिवाद कर रहे हैं (व्यवधान) उत्तर भाषण के बाद कह लें, क्या कोई ऐसी बात कही है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी ।

(व्यवधान)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)--

ऐसी कोई बात नहीं कही माननीय शिवपाल जी, एक उदाहरण उन्होंने दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

आपने उनको बुला लिया अब दबाव में यह नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर भाषण के बात कह लें ।

"पटेल" रामकुमार वर्मा--

मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

आपने उनका नाम ले लिया अब दबाव में आकर उन्हें नहीं बोलने देंगे, ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी भी रुचि इसमें है कि जल्दी से जल्दी कार्य निष्पादित हो । आप सत्ता पक्ष में हैं तो सत्तापक्ष को जरा धीरज रखना होता है ।

(व्यवधान)

इस प्रकार टिप्पणी करते रहेंगे तो इसका कोई इलाज नहीं है उत्तर भाषण होने के बाद कोई ऐसी बात आयेगी तो हम अनुमति दे देंगे, आप पहले उत्तर भाषण होने दीजिए ।

श्री अम्बिका चौधरी--

आपने एक बार अनुमति दे दी अब दबाव में क्यों आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मेरा आपसे अनुरोध है उत्तर भाषण आ जाने दीजिए उसके बाद स्पष्टीकरण मांग लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी--

सत्ता के मद में यह तहकीकात और पंचायतों के चुनावों में धांधली कर रहे हैं और यह विधान सभा में को यह दबाव डाल रहे हैं इस प्रकार हम नहीं चलने देंगे ।

(घोर व्यवधान--श्री शिव पाल सिंह यादव जी के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

श्री शिवपाल सिंह यादव जी आप बैठ जाँय । माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री शिवपाल सिंह यादव जी आप अपनी बात कहें ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल विकास मंत्री—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर भाषण के मध्य माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप उदारता का परिचय दें और श्री शिव पाल सिंह यादव जी को अपनी बात कह लेने दें ।

(व्यवधान)

मंत्री जी के बैठने पर ।

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

(व्यवधान के मध्य)

पहले मा0 मंत्री जी अपना उत्तर दे दें और तब उसके बाद श्री शिव पाल सिंह यादव जी अपनी बात कह लेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

श्री शिव पाल सिंह जी को अपनी बात कह लेने दें ।

(व्यवधान)

श्री शिवपाल जी अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

(व्यवधान)

मान्यवर, मंत्री जी अपना उत्तर दे दें तब उसके बाद वह अपनी बात कह लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से अनुरोध किया था और वह अपनी उदारता का परिचय देते हुए बैठ गये थे ।

(व्यवधान)

"पटेल" राम कुमार वर्मा—

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, मैं बैठा नहीं था ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात पूरी हो जाने दें फिर मैं स्पष्टीकरण का जवाब दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता

आज ही आपने मन बना लिया है कि जितनी संसदीय जानकारी है उसको प्रस्तुत कर देंगे । मेरी दस्तबस्ता आरजू है कि आप विराजें ।

(शोर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माननीय मंत्री जी की बात आ जाय तब स्पष्टीकरण की अनुमति दें ।

"पटेल" राम कुमार वर्मा--

मान्यवर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं कही है ।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अम्बिका चौधरी--

यह पहला अवसर होगा कि सरकारी पक्ष के लोग सदन को चलने देना नहीं चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मंत्री जी का उत्तर भाषण हो रहा है ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी--

सदन की मर्यादा कैसे रहेगी ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग विराजें ।

"पटेल" राम कुमार वर्मा--

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा था कि शायद यादव जी को जानकारी नहीं है, हिन्दुस्तान के अन्दर आंध्र प्रदेश आता है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शाक्य जी क्या आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।--

1--संक्षिप्त नाम--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

"(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगा ।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध, ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में है, और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

(ग) किसी प्रबन्ध कमेटी का, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या इसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा ।"

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पटेल राम कुमार वर्मा--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 29 जून, 1998 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना डा0 राम बाबू हरित की प्रदेश में बी0 एम0 एच0 एस0 सम्वर्ग के चिकित्साधिकारियों (पुरुष) के विषय में विभागीय चयन समिति द्वारा किये गये चयन में वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति से वंचित रह जाने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी। दूसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेदकर नगर की नगर परिषद् टांडा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री रामजग की जनपद आजमगढ़ में मेह नगर विकास खण्ड स्थित उप विद्युत केन्द्र हरिया पर तीन एम0 वी0 ए0 ट्रांसफारमर के स्थान पर पांच एम0 वी0 ए0 ट्रांसफारमर लगाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत की गई शेष सूचनाएं श्री नरेन्द्र सिंह शिसोदिया, श्री समरपाल सिंह, श्री अजय कुमार पोद्दार, श्री दद्दू प्रसाद, श्री तेजभान सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री राम औतार शाक्य, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री जगदीश नारायण और श्री अफजाल अहमद की हैं, वह अस्वीकृत हुई।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड चौखुटियां में भगतोला क्षेत्र के लिए मार्ग बनाये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत उत्तरांचल विकास मंत्री का वक्तव्य

(डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')

उत्तरांचल विकास मंत्री--

[रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटियां में भगतोला क्षेत्र के लिए द्वाराहाट भगतोला मोटर मार्ग का लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित प्रस्ताव जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से दिनांक 11 जून, 1998 को उत्तरांचल विकास विभाग में प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व इस मार्ग के निर्माण हेतु पूर्व में लोक निर्माण विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मार्ग हेतु 10 किमी0 निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसकी लागत रु0 71.00 लाख आंकलित की गयी है। प्रस्ताव के साथ जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि उक्त मार्ग के निर्माण में वनभूमि, वन पंचायत एवं नापभूमि पड़ती है। मार्ग निर्माण हेतु शासन को भेजे गये आगणन पर अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी है। अतः समस्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तावित मार्ग का आगणन/प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करने हेतु अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को निर्देश दे दिये गये हैं। सक्षम स्तर से प्रस्ताव/आगणन प्राप्त होने पर यथा समय समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।]

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के पठारी भाग में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट सम्बन्धी श्री ददद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

इसको 2 जुलाई के लिए स्थगित किया जाता है।

आगरा महानगर में प्रतिवर्ष नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंजीयन मनोरंजन, कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह--

[प्रदेश के ऐतिहासिक महानगर आगरा में व्याप्त गन्दगी एवं नालों की सफाई नियमित रूप से तलीझड़ तक न कराये जाने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि नगर निगम, आगरा द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा से पूर्व नालों की सफाई कराई जाती है। यह सफाई सामान्यतया नाले की टेल से ही प्रारम्भ की जाती है। नालों की सफाई से उपलब्ध सिल्ट को ऐसे स्थान पर डाला जाता है ताकि वह पुनः नाले में न चली जाय। कुछ स्थानों पर सिल्ट सफाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त सिल्ट को नहीं उठाया जा सका क्योंकि नालों की दोनों पटरियों पर जगह-जगह भवन बने हुए हैं जिसके कारण ट्रैक्टर, ट्रक आदि के पहुंचने की सम्भावना अत्यन्त क्षीण है। महानगर की कुछ आबादी निचले स्तर पर बसी हुई है जहां जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस जल भराव को दूर करने हेतु पम्प का उपयोग किया जाता है।

2--हमीद नगर, मुस्तफा क्वार्टर, न्यू आजमगढ़ तथा घोलू का नगला में स्थित आबादी निचले स्तर पर बसी हुई है। इसमें हमीद नगर एवं मुस्तफा क्वार्टर की ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिये जल निगम द्वारा योजना तैयार

की गई है। घोलू का नगला में गली को ऊंचा करके ड्रेनेज व्यवस्था सुधार दी गई है। खटीकपाड़ा, रघुनाथ टाकीज नाले की सफाई करा दी गई है। पीपल मंडी वाला, काश्मीरी बाजार से एडले घटिया तक खुला हुआ है जिसकी तलीझाड़ सफाई करा दी गई है। एडले घटिया से छत्ता बाजार तक नाला लगभग 400 मीटर भूमिगत है, जिस पर केवल एक ही मेनहोल बना हुआ है, जो सफाई व्यवस्था की दृष्टि से अपर्याप्त है। पूरे नाले पर जगह-जगह भवन बने हुए हैं फिर भी जे0 सी0 बी0 मशीन लगाकर कंकरीट की स्लैब को तोड़कर अवरुद्ध नाला खुलवा दिया गया है। माननीय सदस्य ने प्रत्येक वर्ष आगरा महानगर के सभी नालों की तलीझाड़ सफाई कराने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सभी नालों की तलीझाड़ सफाई प्रत्येक वर्ष किये जाने में, सबसे बड़ी कठिनाई प्रदेश के नगर निगमों की वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ न होना है। नागरिकों द्वारा नालों में कूड़ा फेंकने को रोकने हेतु उनके चालान करने की कार्यवाही की जा रही है। जिन क्षेत्रों में ड्रेनेज व्यवस्था समुचित नहीं है; उन क्षेत्रों में जल निस्तारण की योजना उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बनाई जा रही है। वर्तमान में अति आवश्यक क्षेत्रों की जल भराव समस्या के निराकरण हेतु ताज-ट्रिपेजियम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से प्रयास किया जा रहा है। इस योजना की कुल लागत रु0 565.38 लाख की स्वीकृति मिशन मैनेजमेन्ट बोर्ड (व्यय वित्त समिति) द्वारा दी जा चुकी है।]

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 7 बजकर 47 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

29 जून, 1998

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये ता0 प्र0सं0-6-का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के 2सरे सोमवार के लिये श्री नरेन्द्र सिंह सिन्धोदिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर का संलग्नक :

माह मई, 1995 से सितम्बर, 1997 तक फायर सर्विस के लिये क्रय किये गये अन्य सामानों की सूची :--

क्र0सं0	अग्निशमन उपकरण (सामान) का नाम	संख्या	फायर सर्विस मुख्यालय के प्राप्त सूचना के अनुसार उन फर्मों का नाम जिनसे उपरोक्त अवधि में अग्निशमन उपकरण आदि क्रय/निर्माण कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये ।
1	2	3	4
1	वाटर टेण्डर टाइप बी का निर्माण	10	मेसर्स अंबाला कोच बिल्डर्स, अंबाला सिटी (हरियाणा) ।
2	वाटर टेण्डर टाईप बी की बड़ी चेसिसों का क्रय एवं बाडी निर्माण	12	1--मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव वर्क्स, नई दिल्ली (चेसिस का क्रय) 2--मेसर्स अंबाला कोच बिल्डर्स, अम्बाला सिटी (हरियाणा) चेसिसों पर बाडी निर्माण।
3	वाटर टेण्डर टाइप बी छोटा (चेसिस का क्रय)	12	मेसर्स आयशर मोटर्स लि0, नई दिल्ली ।
4	टोइंग व्हेकिल (जीप)	12	मेसर्स महेन्द्रा ऐण्ड महेन्द्रा लि0, मुम्बई ।
5	अन्य आवश्यक उपकरण	12 लाट	1--होज पाइप-- (1) मेसर्स छतरिया रबर ऐण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, मुम्बई। (2) मेसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली । 2--अन्य उपकरण-- (1) मेसर्स गुडविल इन्टर-प्राइजेज, लखनऊ । (2) मेसर्स फोरमोस्ट मार्केटिंग प्रा0 लि0, नई दिल्ली ।
6	वायरलेस सेट	12 सेट	मेसर्स अपट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
7	होज पाइप	1884	1—मेसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली।
			2—मेसर्स छतरिया रबर एण्ड केमि0 इन्डस्ट्रीज, मुम्बई।
			3—मेसर्स न्यू एज होज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, गुजरात।
8	डिलीवरी होज पाइप का क्रय	1700	1—मेसर्स न्यू एज होज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, गुजरात।
			2—मेसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली।
9	वाटर टेण्डर टाइप बी की चेसिस	1	मेसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोको-मोटिव वर्क्स, नई दिल्ली।
10	टोइंग व्हेकिल (जीप)	1	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0, मुम्बई।
11	होज पाइप कपलिंग	1884	मेसर्स मार्डन इन्जीनियरिंग कम्पनी, जगाधरी।
12	वाटर टेण्डर टाइप बी की चेसिस पर बाडी निर्माण	12	मेसर्स अम्बाला कोच बिल्डर्स, अम्बाला सिटी, हरियाणा।
13	फोम कम्पाउन्ड का क्रय	15100 लीटर	मेसर्स सरल मार्केटिंग प्राइवेट लि0, लखनऊ।
14	वाटर बाउजर (चेसिस)	3	मेसर्स अशोक लीलैंड लि0, चेन्नई।
15	सक्शन होज पाइप	1200	मेसर्स रूबी रबर इन्डस्ट्रीज कलकत्ता।
16	होज वाइन्डिंग मशीन	12	मेसर्स नार्डन फायर इन्डस्ट्रियल कारपो0, कानपुर।
17	कपलिंग गन मेटल	480	मेसर्स मार्डन इन्जीनियरिंग कम्पनी, जगाधरी।
18	मोटर फायर इंजिन की चेसिस	31	1—मेसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोको मोटिव वर्क्स, नई दिल्ली।
			2—मेसर्स आयशर मोटर्स लि0, नई दिल्ली।

1	2	3	4
19	जीप टोइंग व्हेकिल/ जीप फायर इंजिन हेतु जीप	20	1--मेसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0, मुम्बई ।
			2--मेसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव वर्क्स, नई दिल्ली ।
20	होज पाइप	1716	1--मेसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, नई दिल्ली ।
			2--मेसर्स न्यू एज होज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, गुजरात ।

पी0 एस0 यू0 पी0--14 विधान सभा-8-12-98-850 (पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा